खण्ड-233, अंक-4
गुरूवार, 1 भाद्रपद, शक संवत् 1884
(23 अगस्त, 1962 ई0)

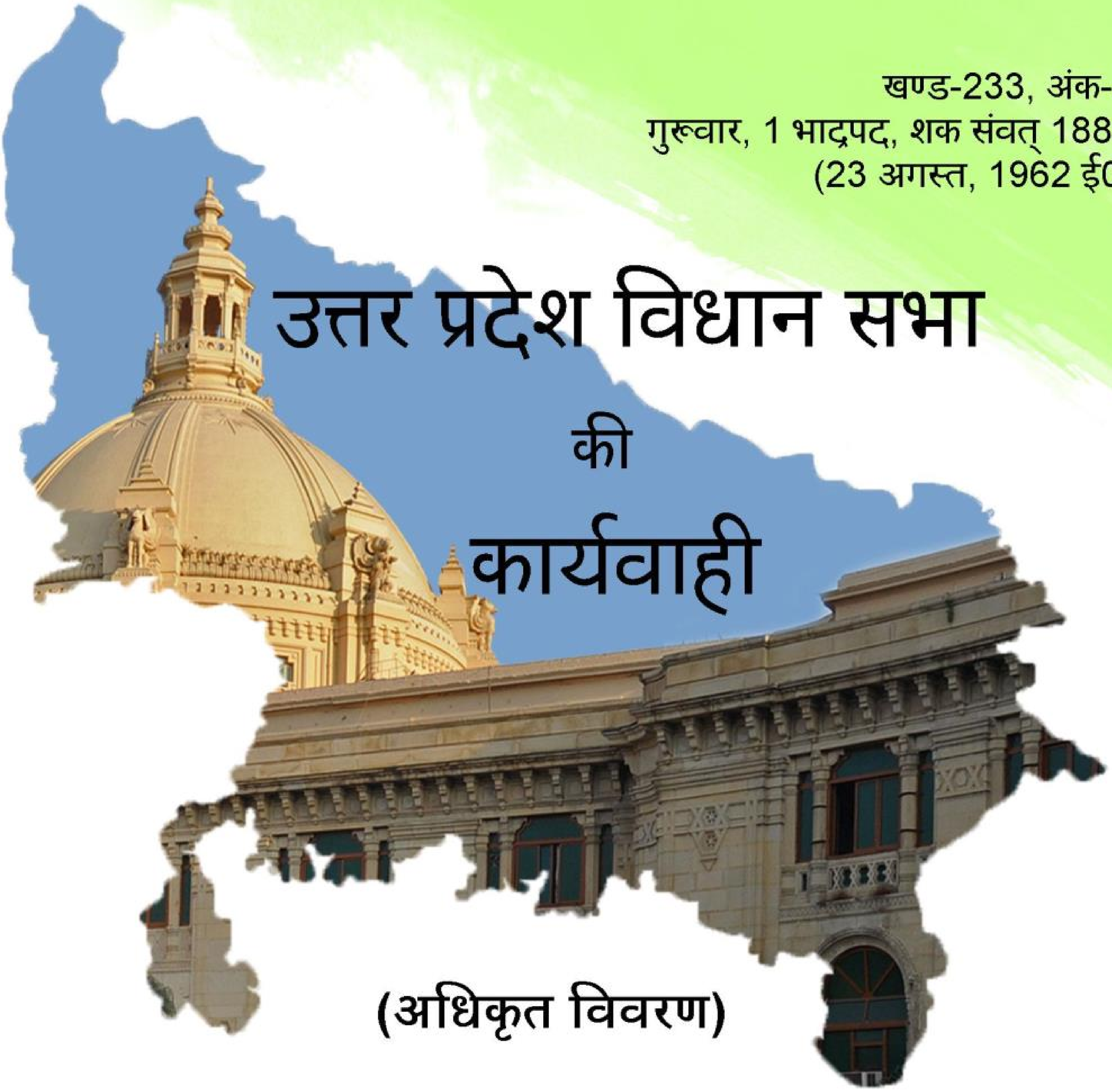

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 233 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३६९–३७३
प्रश्नोत्तर	३७३–४४२
यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन (उपस्थापित किये गये)	४४२
सदन में २० अगस्त, १९६२ को घटी घटना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय (निर्णय-स्थगित) ..	४४३–४६८
कार्य-स्थगन प्रस्ताव व नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	४७०–४७१
१६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न ८८ के उत्तर का शोधन ..	४७१
व्यवस्था का प्रश्न	४७१–४७२
कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी	४७२–४७३
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ (पारित) ..	४७३–५३९
नत्थियां	५४०–५७६

संसद पुस्तकालय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, २३ अगस्त, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५७

अक्षैवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर,
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस०जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णा, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)

गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुरहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम बबकन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिलराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीरामअहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती

प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदास, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल प्रसाद आर्य, श्री
मंगलदेव, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल, आचार्य
यशपाल , श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री

CAV

राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशनलाल यादव, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव,' श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर

सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजन, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सूबेदारसिंह, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा,
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, २३ अगस्त, १९६२

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसिएशन, वाराणसी से सिल्क यार्न गांठ के गायब होने का भ्रम

*१—**श्री यादवेन्द्रदत्त** (जिला जौनपुर) तथा **श्री विश्वनाथप्रसाद** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २९ जुलाई से २ अगस्त, १९६२ के बीच में लगभग ६,५०० रुपये के मूल्य की सिल्क यार्न की गांठ, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कोआपरेटिव एसोसियेशन, वाराणसी के गोदाम से गायब हुई? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पूर्ण विवरण कार्यवाही सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

लघु-उद्योग मंत्री के सभा-सचिव (श्री वीरसेन)—
(क) जी नहीं।
(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री विश्वनाथप्रसाद—क्या सरकार मेरी इस सूचना को सही मान कर फिर से जांच कराने की कृपा करेगी?

श्री वीरसेन—जांच तो इस सिलसिले में हो चुकी है, इसलिये मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बतलायेगी कि २ अगस्त को गांठ नहीं निकाली गयी तो क्या २५ जुलाई को निकाली गयी थी?

श्री वीरसेन—निकालने का प्रश्न उठता नहीं।

श्री ऊदल—क्या सरकार को जानकारी है कि उस गोदाम से जो गांठ चोरी गयी थी उसे पकड़ा गया था और चौक थाने में उसकी रिपोर्ट की गयी है?

श्री वीरसेन—वह पकड़ी नहीं गयी थी, खरीदी गयी थी।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार स्पष्ट बतलायेगी कि २९ जुलाई और २ अगस्त के पहले या उसके बीच में या बाद में कोई वारदात ऐसी हुई?

श्री वीरसेन—जी नहीं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—जब यह गांठ खरीदी गयी तो फिर चोरी का भ्रम कैसे हो गया?

श्री वीरसेन—एक अधिकारी को ऐसा शुबहा हो गया था।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

गन्ना विकास

*१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—गन्ना विकास मन्त्री कृपा कर के एक स्टेटमेंट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिससे निम्नलिखित जानकारी प्राप्त की जा सके:

(क) पहली तथा दूसरी योजना में गन्ना, गुड़, खंडसारी तथा चीनी, विकास के लक्ष्य और उस पर होने वाले व्यय अनुमानित क्या थे, कितना पूरा हुआ,

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उक्त मदों में क्या है और अब तक की क्या प्रगति है,

(ग) उत्पादन के साथ-साथ खपत की ओर भी सरकार का ध्यान यदि गया हो तो उक्त वस्तुओं के खपत का क्या प्रबन्ध किया गया है?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—अपेक्षित स्टेटमेंट संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५४० पर)

श्री गेंदासिंह—इसका क्या कारण है कि प्रथम योजना में गन्ने की प्रति एकड़ उपज ५५० मन निर्धारित था और वह सिर्फ ४१९ मन प्राप्त हो सका और उसी के साथ-साथ का लक्ष्य जब कि २ करोड़ ५० लाख रुपये उस पर खर्च करने की योजना थी तो केवल ७९ लाख रुपये ही खर्च हुए?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इसका कारण यह है कि इंटेंसिव वर्क में योजना काल के आखिरी दो वर्षों में ही खर्चा हो सका, इसलिये कम खर्च हुआ।

श्री गेंदासिंह—तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में उस लक्ष्य को जहां पूरा करना था उसमें भी वह पूरा नहीं हुआ इसका क्या कारण है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—अगर लक्ष्य से आप का मतलब खर्च से है तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३.८५ करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य था और हमने ३.४० करोड़ रुपये खर्च किये।

श्री गेंदासिंह—मेरा मतलब उत्पादन से था कि कितना लक्ष्य था और कितना उत्पादन हुआ ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—उत्पादन के लिये तो बहुत से फ़ैक्टर्स होते हैं। आबहवा पर भी निर्भर करता है, कभी ज्यादा बारिश हो जाय, कभी फ्लड्स आ जायं, कभी पाला पड़ जाय, इस पर भी निर्भर करता है।

श्री गेंदासिंह—मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर वह लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो उसके लिये प्रतिवर्ष कारण बताये गये हैं कि इन-इन कारणों से पूरा नहीं हुआ, तो कितनी कमी रह गयी और उसको पूरा करने के लिये अब क्या चेष्टा हो रही है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—चेष्टा यह हो रही है कि इस बात की पूरी कोशिश की जायगी कि हमारी उपज ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके।

श्री गेंदासिंह—मैंने जो सूचना मांगी थी उसमें यह भी मांगी थी कि चीनी की खपत किस तरह हुई। तो क्या यह सही है कि अगर चीनी की खपत इस सूबे में घटी नहीं है तो बिलकुल समान है पिछले दस वर्षों में ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—चीनी की खपत तो हमारे प्रदेश में कोई ३ लाख टन हुई है जो पहले के मुकाबले में ज्यादा ही है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ और खांडसारी के उत्पादन का कितना लक्ष्य था और कितनी कमी रही ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इसके लिये मैं अर्ज़ कर दूं कि गुड़ और खांडसारी का जहां तक सवाल है वह इस बात से संबंधित है कि जो हमारे खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ़ से इस सम्बन्ध में कार्य होता है उसमें इम्प्रूव्ड वेरायटी जो गुड़ या खांडसारी की बतायी गयी है उसके लिये कोशिश की गयी और उसी का जवाब दिया गया। जहां तक इस चीज़ का ताल्लुक है, पहली प्लान में गुड़ का लक्ष्य था १३.२५ लाख मन और पैदा हुआ १३.५ लाख मन और खांडसारी का लक्ष्य था २५ हजार मन और पैदा हुआ २५.७३१ मन। दूसरी प्लान में गुड़ का लक्ष्य था २६.५ लाख मन और पैदा हुआ २९.५ लाख मन और खांडसारी का लक्ष्य था २ लाख मन जब कि प्रोडक्शन हुआ २ लाख २७ हज़ार मन।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—यह खांडसारी का टार्गेट सिर्फ इम्प्रूव्ड प्रोसेस का था या कुल खांडसारी का था और अगर सिर्फ इम्प्रूव्ड का था तो कुल खांडसारी का कितना टार्गेट था ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—यह तो जैसा मैंने बताया, खादी ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से जो सहायता दी जाती है उसके अन्तर्गत जो कार्य होता है, उसका है। अगर पूरे गुड़ या खांडसारी का पूछना है तो उसके लिये नोटिस की ज़रूरत होगी।

श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—मन्त्री जी ने कहा कि बहुत से फैक्टर्स हैं उस लक्ष्य के पूरा न होने में, तो गन्ने की कम कीमत होने की वजह से किसान के अन्दर जो इन्सेन्टिव की कमी है क्या यह भी एक फ़ैक्टर है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी नहीं।

इलाहाबाद में श्री फारूक को चौबीस घंटे से अधिक पुलिस हिरासत में रखना

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद के जुडीशियल सिटी मैजिस्ट्रेट के मकान पर १२ अप्रैल, १९६२ की रात्रि को फारूक नाम के मुलजिम को पुलिस द्वारा ले जाया गया ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—जी हां। श्री फारूक तथा अन्य ४ व्यक्तियों को १२-४-१९६२ को रात ८ बजे पुलिस द्वारा जुडिशियल सिटी मैजिस्ट्रेट के निवासस्थान पर पेश किया गया था।

*३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के जुडिशियल सिटी मैजिस्ट्रेट ने कोतवाली इन्चार्ज तथा दरोगा शिवराजसिंह के विरुद्ध नोटिस जारी कर पूछा है कि मुलजिम फारूक को २४ घंटे से ज्यादा पुलिस की हिरासत में क्यों रक्खा गया? यदि हां, तो उन थानेदारों ने क्या उत्तर दिया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। कोतवाली के थानाध्यक्ष श्री जी० के० सक्सेना तथा सब-इंस्पेक्टर श्री शिवराजसिंह के विरुद्ध जुडीशियल सिटी मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ने इस आशय के नोटिस जारी किये कि अभियुक्तों को २४ घंटे से अधिक हिरासत में रखने के कारण उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों न की जाय। सब-इन्सपेक्टरों ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया तथा न्यायालय से निवेदन किया कि उनके वकील की बातें सुन ली जायं। वकील की सुनवाई के पश्चात् न्यायालय ने नोटिस को खारिज कर दिया। फारूक की जेल में मृत्यु होने-के उपरान्त मामले की जांच सी० आई० डी० द्वारा की गई तथा उसके फलस्वरूप सर्व श्री शिवराज सिंह एवं इब्ने अली (सब-इंस्पेक्टर) तथा सर्वश्री जोखूराम व हरदेवसिंह (कान्स्टेबिल) के विरुद्ध भा० द० वि० की धारा ३०४, २२०, ३४२, ३३०, ३३१, २१८, ३२५, ३३२ (धारा ३४ भा० द० वि० के साथ पठित) के अन्तर्गत चार्जशीट न्यायालय में भेज दी गयी है। थानाध्यक्ष जी० के० सक्सेना के विरुद्ध पर्याप्त सबूत न होने के कारण उनका चालान न किया जा सका तथा उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जावेगी।

वायुयान यात्राओं पर व्यय

*४—श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९६० से मार्च, सन् १९६२ तक राज्य के मन्त्रियों और उन उच्च अधिकारियों पर जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर हवाई जहाज द्वारा यात्रा करने का अधिकार है इस अवधि में राज्य कोष से कितना रुपया यात्रा भत्ता के रूप में खर्च करना पड़ा है?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—प्रश्न की अवधि में मंत्रियों आदि एवं सचिवालय के अन्य उच्च अधिकारियों की वायुयान यात्राओं पर कुल व्यय ११,९२५ रुपये १० नये पैसे हुए जिसका विवरण संलग्न† तालिका में दिया गया है। अन्य उच्च अधिकारियों के विषय में यह बता देना आवश्यक है कि चूंकि सभी जिलों से उनके विषय में सूचना प्राप्त करने में बहुत समय तथा परिश्रम करने की आवश्यकता होगी जो कि कदाचित् प्रश्न के उत्तर की उपयोगिता के प्रतिकूल होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उच्च अधिकारी जिनको हवाई जहाज से यात्रा करने का अधिकार है, इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हैं कि वे प्रदेश के अन्दर और बाहर किन शर्तों के अनुसार यात्रा कर सकते हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—नियम हैं कि कोई भी अधिकारी जिसकी तनख्वाह १,६०० रुपये से ज्यादा है वह हवाई जहाज से जा सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव—श्रीमन्, मैंने यह पूछा था, जिनकी तनख्वाह १,६०० रुपये से ज्यादा है वे जा सकते हैं लेकिन किन परिस्थितियों में हवाई जहाज से जायंगे, ट्रेन से नहीं जायंगे, इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाये हैं?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—यह तो जब वे जनहित में आवश्यक समझेंगे तब जा सकेंगे।

---

†छापी नहीं गई।

मुड़ेरा तथा गोनाह ग्राम में कत्ल की घटनाएं

*५—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने में मुड़ेरा नामी ग्राम में मार्च, १९५२ में खेत को रखवाली करते समय कुछ लोग अवाँछनीय तत्वों द्वारा घायल किये गये थे, जिसमें से एक व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो गयी ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी तथा कितने लोगों का चालान हुआ ?

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)—ऐसी कोई घटना मार्च, १९६२ में उक्त ग्राम में नहीं घटी। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*६—श्री चन्द्रबली—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के रुद्रपुर थाने के गोनाह सुरतपुरा नामी ग्राम में मार्च, १९६२ में फसलों की रखवाली करने वाले कुछ लोग बल्लमों से घायल कर के मरणासन्न किये गये थे और बाद में उन्हीं घायलों में से किसी के हलवाहे को भी घायल कर दिया गया जिसकी मृत्यु अस्पताल में हो गयी ? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उन मुकदमों में अब तक कितने लोगों का चालान हुआ है ?

श्री नवलकिशोर—२२/२३ मार्च, १९६२ की रात्रि में एक ऐसी घटना उक्त गाँव में घटी जिसमें उसी गाँव के श्री शामजीसिंह को जो अपने खेत में रखवाली हेतु सोये हुये थे, कुछ लोगों ने लाठी और बल्लम से घायल किया। उनके चिल्लाने पर कुछ ग्रामीण तत्काल ही घटनास्थल पर पहुंचे जिसमें से दो व्यक्तियों सर्वश्री रामपरीखासिंह व रामानन्दसिंह को भी आततायियों ने लाठी व बल्लम से घायल किया। बाद में १४-४-१९६२ को श्री जेठू, जो श्री रामानन्दसिंह का हलवाहा था, को ग्राम गोनाह सुरतपुरा के दो व्यक्तियों ने घरेलू तकरार के कारण लाठी से मारा। श्री जेठू की अस्पताल में पहुंच कर मृत्यु हो गई। पहली घटना के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जाँच के बाद आठ अभियुक्तों का चालान १९-४-१९६२ को किया गया। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है। दूसरी घटना से संबंधित अपराधी अभी तक फरार हैं। उनके खिलाफ धारा ८७/८८ दं० वि० सं० की कार्यवाही की गई है तथा उनका चालान मफरुरी में किया गया है।

श्री चन्द्रबली—क्या मन्त्री जी मेरी सूचना को सही मान कर फिर से जाँच करायेंगे ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, उन्होंने मार्च की बात कही। उसकी जाँच करा ली मान्यवर, ऐसी एक घटना फरवरी में हुई थी, यदि आज्ञा हो तो बता दूं ?

श्री अध्यक्ष—बता दीजिये।

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, २६/२७ फरवरी को ऐसा हुआ कि मुड़ेरा ग्राम के निवासी श्री महमूद आत्मज श्री नजरअली अपने खेत में रखवाली के लिये सोये हुये थे। तीन आदमी आये और जब उन्होंने टोका तो उन्होंने हमला किया और चोटें पहुंचाईं। यह अकेले थे। इनको अस्पताल भिजवाया गया, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। मुकदमा कायम किया गया और सबूत नहीं मिला इसलिये फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई।

श्री चन्द्रबली—क्या मन्त्री जी इन दोनों घटनाओं को ध्यान में रख कर कि चराई और कटाई की घटनायें बहुत होने लगी हैं उनको रोकने के लिये कदम उठायेंगे ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जहाँ तक इन घटनाओं का सम्बन्ध है, एक के अन्दर फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है और दूसरी में लोगों का चालान किया गया है इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग कोशिश करता है कि ऐसे वाकयात न हों।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—श्रीमन्, मंत्री जी ने कहा कि सबूत नहीं मिला तो किस चीज का सबूत नहीं मिला ? मरने वाले का या मारने वाले का नहीं मिला ?

श्री अध्यक्ष—मरने वाले का सवाल नहीं है।

श्री नवलकिशोर—श्रीमन्, इस बात का सबूत नहीं मिला कि वे तीन व्यक्ति कौन थे जिन्होंने उनको मारा।

नन्दगंज थाने के दारोगा के विरुद्ध कार्यवाही

*७—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के नन्दगंज थाने से स्टेट बनाम रंजीत वगैरह धारा ३०२/३०४, ता० रा० हि० का मुकदमा चला था उसमें थानेदार के खिलाफ कोई स्ट्रक्चर जजी न्यायालय से हुआ था? यदि हाँ, तो थानेदार तथा पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? क्या उसकी प्रतिलिपि मेज पर सरकार रखेगी?

श्री नवलकिशोर—जी हाँ। सेशन्स जज, गाजीपुर ने सन् १९५८ के मुकदमा संख्या ४९ के फैसले में थानेदार, थाना नन्दगंज के विरुद्ध स्ट्रिक्चर पास किए थे। उक्त थानेदार के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की गई, जिसके फलस्वरूप उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि ६ महीने के लिये रोक दी गई। आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५४१ पर)

श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बतायेगी कि सेशन जज ने क्या स्ट्रिक्चर पास किया था?

श्री नवलकिशोर—जो स्ट्रिक्चर पास किया था वह इस प्रकार से है। जज ने यह कहा कि इस मामले में निष्पक्ष रूप से जाँच नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जाँच करने वाला अधिकारी अपराध की गम्भीरता को सम्भवतः कम करना चाहता था। उन्होंने यह भी कहा कि अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए उस ने झूठा सबूत गढ़ने तक का प्रयास किया। उन्होंने यह भी कहा कि सबूत पक्ष झूठा तथा गढ़ा हुआ साक्ष्य उपस्थित करने का अवश्य अपराधी है।

श्री कमलासिंह यादव—क्या यह सही है कि इस कत्ल के मामले में जो ७ आदमी नामजद थे उनको पुलिस ने नहीं छुआ, बल्कि दूसरे आदमी जिनसे कोई सम्बन्ध नहीं था उनका चालान इस मुकदमे के सिलसिले में किया गया?

श्री नवलकिशोर—जो बातें माननीय सदस्य डिटेल की बता रहे हैं वह तो मेरे पास नहीं हैं लेकिन यह सही है कि इसके अन्दर गलती हुई। इसी लिए स्ट्रिक्चर पास हुआ और इसी लिए उसको दंड दिया गया।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि जिस तरह का मुकदमा झूठा ३०२ का अभियुक्तों पर चलाया गया उसको देखते हुए, उस के महत्व को देखते हुए, थानेदार के खिलाफ जो कार्यवाही की गयी है, वह कम है इसलिए फिर से गौर करेंगे कि उसको और सजा दी जाय?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, मैं आप की आज्ञा से बता दूं कि जो डिपार्टमेंटल सिफारिश आयी थी गवर्नमेन्ट के पास गवर्नमेन्ट ने उस पर फिर आदेश दिया कि आई० जी० को कि दफा ७ की कार्यवही की जाय। पहले तो यह था कि इसके लिये मिस कंडक्ट की एंट्री होगी और एक साल के लिए वेतन-वृद्धि रोकी जायगी। उसके बाद जो दोबारा दफा ७ की कार्यवाही की गयी तो छः महीने तक वेतन-वृद्धि रोक ी गयी। मैं समझता हूं कि उसको पर्याप्त दंड मिल चुका है।

झांसी जिले में उद्योगों के लिये अनुदान

*८—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में कितना पया किस-किस उद्योग के लिये कर्ज या अनुदान में दिया गया है और उनमें से कौन-कौन से उद्योग स्थापित हुये हैं तथा उक्त उद्योगों को स्थापित करने के लिये लोहा, कोयला आदि की क्या-क्या सुविधायें दी गयी हैं ?

श्री वीरसेन—झांसी जिले में सन १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में क्रमशः १,५८,१०० रुपये ऋण एवं १८,४७५ रुपये अनुदान में तथा ५८,०२५ रुपये ऋण एवं ३,७९० रुपया अनुदान में दिया गया है। उक्त धनराशि जिन उद्योगों के लिये दी गई तथा उनसे स्थापित एवं विस्तृत हुए उद्योगों के नाम और उनके लिए दी गई लोहे एवं कोयले इत्यादि का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५४२ पर)

विकास खंड बभनजोत का मुख्यालय

*९—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बतायेगी कि क्या प्रथम सोपान विकास खंड बभनजोत, जिला गोंडा के मुख्यालय आदि के भवन किस स्थान पर बनाये जायेंगे ? इस संबंध में क्षेत्रीय विकास समिति की क्या राय है ?

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ)—उक्त भवन निर्माण, संबंधित क्षेत्र विकास समिति के निर्णय के अनुसार, गौरा चौकी नामक स्थान पर होगा।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो ब्लाक भवन गौरा चौकी नामक स्थान पर बन रहा है उसका नाम गौरा चौकी होगा या कोई और ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—गौरा चौकी नाम अभी निश्चित नहीं है।

श्री अवधनारायणप्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जब वहां के काश्तकार अपनी जमीन और समय उस ब्लाक को बनाने में दे रहे हैं तो गौरा चौकी न हो कर और कोई क्यों होगा ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—ब्लाक का नाम बभनजोत के स्थान पर गौरा चौकी होने के अन्तिम प्रस्ताव की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। भवन निर्माण के लिये बी० डी० सी० के बहुमत का प्रस्ताव ३१ जुलाई, १९६० को पास हो चुका था। अतः गौरा चौकी के भवन स्थान प्राप्त करने की कार्यवाही चल रही है।

इटावा जिले में कत्ल व डकैतियां

*१०—श्री नत्थूसिंह (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा में सन् १९६०–६१, १९६१–६२ में थानेवार कत्ल और डकैतियों की संख्या क्या है और उनमें कितने चालान किये गये और कितनों में फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी गई सूचना संलग्न † तालिका में दी हुई है।

इण्डियन नेशनल टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट, कानपुर की भूमि के विस्थापितों की समस्या

*११—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर जिले के ग्राम अजनपुर व माखन पुरवा आदि ग्राम व उनके आस पास की जो भूमि सरकार

---

†छापी नहीं गई।

द्वारा इण्डियन नेशनल टेक्नोलाजिकल इन्स्टीट्यूट के लिये ले ली गई है, उन ग्रामों के निवासियों के बसाने हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---कानपुर जिले के ग्राम ऊधमपुर व माखनपुरवा ग्राम के निवासियों को, जिनकी भूमि इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कानपुर के लिये ली गई है, ग्राम कटरी डोमनपुर, तहसील कानपुर अथवा उनके निकटवर्ती ग्रामों में बसाने का प्रयास किया गया परन्तु विस्थापित व्यक्तियों ने इसे स्वीकार नहीं किया । वे चाहते थे कि उन्हें कानपुर कारपोरेशन की सीमा में भूमि दी जाय जो कठिन है । ऐसी अवस्था में बसने की जिम्मेदारी स्वयं विस्थापित व्यक्तियों पर ही है । संबंधित व्यक्तियों को उनकी भूमि का प्रतिकर दे दिया गया है । उनमें से कुछ स्वयं प्रबन्ध करके अपनी पसन्द की भूमि पर बस भी चुके हैं ।

*१२---**श्री मुरलीधर कुरील**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त ग्राम निवासियों को इस संस्था में नौकरी दिला कर उन्हें बेकारी से वह बचायेगी ?

श्री बनारसीदास---इम्पलायमेन्ट एक्सचेंज अफसर, कानपुर से निवेदन किया गया है कि वे उक्त विस्थापित व्यक्तियों को, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी व संबंधित संस्थाओं की नौकरियों के लिये सिफारिश करते समय, प्राथमिकता दें ।

श्री मुरलीधर कुरील---इन गांवों के लोग विस्थापित हैं और ये गांव कानपुर से २२ मील हैं और कानपुर नगर में ये लोग काम करते हैं । तो जहां के ये लोग रहने वाले हैं ग्राम सभा बेरी, अकबरपुर, सिंहपुर और नारामऊ--क्या सरकार वहीं पर इनको बसाने के लिये प्रयत्न करेगी ?

श्री बनारसीदास---यह कोशिश की गई थी कि जहां पर भी जमीन उपलब्ध हो सके वहीं पर उनको बसाने का प्रयत्न किया जाय और इसके संबंध में एक मीटिंग भी की गई थी । कानपुर कारपोरेशन के अन्दर तो जमीन मिलना संभव नहीं है लेकिन माननीय सदस्य ने जिन ग्रामों का जिक्र किया है उसके बारे में फिर एक बार प्रयत्न किया जायगा ।

श्री मुरलीधर कुरील---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी नेशनल टेक्नोलाजिकल इंस्टीट्यूट के अन्दर उनके योग्य काम दिलाने के लिये कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस विषय में आदेश दिये गये हैं कि यदि इन विस्थापित व्यक्तियों के कोई रिश्तेदार ऐसे हों जो वहां पर उचित जगहों पर रखे जा सकते हों तो उनको प्राथमिकता दी जाय । टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट की जो एग्जिक्युटिव कमेटी है, उसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री हैं । उसने उन अधिकारियों को आदेश दे दिया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ग्रामों की जमीन कब ली गई थी ?

श्री बनारसीदास---यह जमीन नेशनल टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट के लिये १९५९-६० के अन्दर एक्वायर की गई थी ।

रायबरेली जिले के औषधालयों पर व्यय

*१३---**श्री पितईराम** (जिला रायबरेली) तथा **श्री चन्द्रबली**---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि रायबरेली जिला में कितने अस्पताल हैं तथा प्रत्येक में वेतन और दवा पर कितना खर्च किया जाता है ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)---रायबरेली जिले में कुल ५० अस्पताल हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है :---

	राजकीय चिकित्सालय	अन्तरिम जिला परिषद् चिकित्सालय
ऐलोपैथिक	१२	१२
आयुर्वेदिक	६	१४
यूनानी	२	४
योग ..	२०	३०

प्रत्येक में वेतन व दवा पर होने वाले खर्च का ब्योरा संलग्न‡ तालिका में दिया हुआ है।

श्री पितईराम---मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिले की संख्या को देखते हुये अस्पतालों की संख्या क्या कम है ?

श्री धर्मसिंह---इस बात को देखा नहीं गया लेकिन जितनी संख्या है वह मैंने बतला दी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अस्पताल रायबरेली जिले में हैं उनमें आयुर्वेदिक अस्पताल भी हैं, तो आयुर्वेदिक अस्पतालों की स्थापना कहां-कहां पर हैं ?

श्री धर्मसिंह---वह तो लिस्ट में २० के करीब हैं। वह लिस्ट में 'छपे' हैं यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको दिखा दूंगा।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---मैं यह जानना चाहता हूं कि रायबरेली जिले में जितने अस्पताल इस समय हैं उनमें दूसरी योजना के अन्दर कितने अस्पताल बढ़ाये गये हैं ?

श्री धर्मसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

क्रिश्चियन कालोनी, जिला फतेहपुर में मारपीट

*१४---**श्री रघुवीरसहाय कैथवार** (जिला फतेहपुर)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३० जनवरी, १९६० ई० को क्रिश्चियन कालोनी, जिला फतेहपुर में श्री अलोपी नाथ त्रिपाठी, कान्स्टेबिल थाना कोतवाली फतेहपुर के द्वारा बुरा बरताव व मारपीट किये जाने की घटना के तुरन्त बाद ही पुनः उसी थाने के सब-इन्स्पेक्टर श्री नरवरिहा के द्वारा हेनरी दास पुत्र इसादास ईसाई और उसकी धर्म पत्नी के पीटे जाने और आहत किये जाने की कोई घटना हुई ?

श्री नवलकिशोर---सब-इन्स्पेक्टर श्री नखरिहा द्वारा श्री हेनरीदास और उसकी धर्मपत्नी को पीटे जाने या आहत किये जाने की कोई घटना नहीं हुई।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि ३० जनवरी, १९६२ को हेनरीदास, उसकी औरत और भाई को मारने और आहत किये जाने की रिपोर्ट थाने में उसी दिन

‡छापी नहीं गई।

हेनरीदास के भाई ने की थी और पुलिस कप्तान को हेनरीदास ने दरख्वास्त दी थी जिसमें १३-३-१९६२ और २५-३-१९६२ को सर्किल इंस्पेक्टर ने इंक्वायरी की ?

श्री अध्यक्ष---आपने मूल प्रश्न तो ३० जनवरी, १९६० के बारे में किया है। आप सन् १९६२ के बारे में अलग से प्रश्न पूछ लीजियेगा। यह सन् ६० का है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार---यह सन् १९६० गलत छप गया है। मेरा प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ३० जनवरी, १९६२ को डेढ़ बजे दिन में हेनरीदास, उसकी औरत और उसके भाई को अलोपीनाथ कांस्टेबिल और श्री नरवरिहा, थानेदार ने मारा ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, जहां तक सब-इंस्पेक्टर का संबंध है मैंने स्वयं बताया कि उन्होंने मारपीट नहीं की। यह सही है कि हेनरीदास और उनकी बीबी ने उस कांस्टेबिल को थप्पड़ लगाया और बदले में उसने भी उनको पीटा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि थाने में उस तारीख को जो रिपोर्ट दर्ज की गयी है उसकी जांच-पड़ताल किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और जिन लोगों ने शिकायत की थी थानेदार और पुलिस के खिलाफ उनसे क्या कोई बयान लिया गया है ?

श्री नवलकिशोर---मान्यवर, ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ गलतफहमी है। असल वाकया यह है कि एक सिपाही कुछ बैड करेक्टर्स को ढूंढ़ने के लिये वहां गया था। उसने वहां जाकर जब एक साहब से बातचीत की तो उनके दिमाग में कुछ विकार था और उन्होंने उसे गाली देना शुरू कर दिया और ऐसे में जैसा अक्सर होता है, कुछ तेजी बढ़ गयी और कुछ मारपीट हुई। इस पर बहुत से ईसाई साहबान इकट्ठा हो गये और उन्होंने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। उसमें हेनरीदास और उनकी बीबी भी थीं। जब उन्होंने मारा तो उसने भी पीटा और उसे कुछ चोटें आयीं। वह भागा और फिर उसे गिरजाघर के पास घेर लिया गया और फिर मारपीट की गयी। इस बीच में अफसर दोयम व थाना इंचार्ज वहां पहुंचे, दोनों एक के बाद एक और उन्होंने वहां शान्ति स्थापित की। उस सिपाही को दंड दिया गया और सब-इंस्पेक्टर को भी वार्निंग दी गयी और जिन ईसाइयों ने मारा था उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार से यह मामला खत्म हुआ।

गुलामीपुर ग्राम के निकट सरदार हरनेकसिंह की हत्या

*१५---**श्री नाथूराम शिक्षक** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार को यह विदित है कि माह अप्रैल, सन् १९६२ ई० को इलाहाबाद के कस्बा करारी के पास गुलामीपुर ग्राम के निकट एक चीनी मिल के एजेन्ट की हत्या की गई ? यदि हां, तो कारण क्या है ?

श्री नवलकिशोर---दिनांक १५-१६ अप्रैल, १९६२ की रात को संबंधित गुलामीपुर ग्राम के निकट एक व्यक्ति जिसका नाम सरदार हरनेकसिंह था, की हत्या की गई। किन्तु वह चीनी मिल का एजेन्ट नहीं था। हत्या का कारण मृतक के धन का लोभ था।

श्री नाथूराम शिक्षक---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वे कहां के रहने वाले थे और उनके यहां आने का क्या कारण था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वे पलिया, लखीमपुर की तरफ रहते थे और वह वहां अपना फार्म चलाते थे और उसके चलाने के लिये उन्हें मजदूरों की आवश्यकता होती थी तो वे मजदूरों इत्यादि को इकट्ठा करने के लिये यहां आये थे।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो आदमी मारा गया था उसकी मृत्यु का कारण धन का लोभ था या और कुछ ? यदि उसकी मृत्यु का कारण धन का लोभ है, तो यह कैसे सिद्ध हुआ है ?

श्री नवलकिशोर—जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वह अपने फार्म के लिये मजदूरों इत्यादि को लेने गए थे। तो लोगों का खयाल था कि उनके पास काफी धन होगा इसीलिये धन के लोभ में हत्या की गई।

नगला तथा रुद्रपुर के निकट नरभक्षी शेर का आतंक

*१६—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुछ समय से लाल कुआं, नगला और रुद्रपुर के आसपास तीन आदमखोर शेर करीब ३२ मर्द, औरतों को मार चुके हैं ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—जी नहीं। वस्तुतः स्थिति यह है कि नगला तथा रुद्रपुर के आसपास केवल एक नरभक्षी शेर ने २९ नवम्बर, १९६१ से ३१ मार्च, १९६२ तक ३ स्त्री तथा ४ पुरुषों को मारा है।

*१७—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—अब तक उन आदमखोर शेरों को मारने का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—इस नरभक्षी शेर को मारने के लिये जिले के प्रायः सभी प्रमुख अधिकारियों ने प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त समाचार-पत्र द्वारा और लोगों से शेर मारने का अनुरोध किया गया। इसके अलावा कतिपय प्रमुख शिकारियों से भी कार्य के लिये अनुरोध किया गया था। चूंकि २०-३-१९६२ के पश्चात् कोई आदमी शेर द्वारा इस इलाके में मारा नहीं गया, यह अनुमान है कि यह नरभक्षी शेर अन्य शेरों की भांति मारा जा चुका है।

*१८—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—उक्त स्थानों के इर्द-गिर्द इस मौसम में कितने शेर शिकारियों ने मारे और इस १९६१-६२ के शिकार मौसम में सरकारी जंगलों में इस राज्य में कितने शेर मारे गये ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—उक्त स्थानों के इर्द-गिर्द ११ शेर और शेरनी मारे जाने की सूचना मिली है तथा १९६१-६२ में राज्य के सरकारी जंगलों में ३४ शेर मारे जाने की सूचना मिली है। इसके अतिरिक्त सरकारी जंगलों के बाहर फार्मों पर दो शेर मारे जाने की भी सूचना मिली है।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—शायद मुझे गलत सूचना मिली है कि ३० आदमी ३ महीने के अंदर आदमखोर शेर ने मारे बल्कि ७ आदमी जिसमें ३ स्त्रियां और ४ पुरुष ही थे मारे गए। उस शेर को कई लोगों ने, जिसमें कुछ अधिकारी भी थे मारने का प्रयत्न किया। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई सूचना है कि अमुक सरकारी अधिकारी ने, उस आदमखोर शेर को मारने की कोशिश की है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—मैं लिस्ट पढ़कर सुनाये देता हूं। इस नरभक्षी शेर को मारने के लिये जिले के प्रायः सभी प्रमुख अधिकारियों ने प्रयत्न किया। इनमें कमिश्नर महोदय कुमायूं, जिलाधीश नैनीताल, सुपरिंटेंडेंट पुलिस नैनीताल, वन बन्दोबस्त अधिकारी नैनीताल, अरण्यपाल वीडिंग प्लान उत्तर प्रदेश, अरण्यपाल प्लांटेशन डिवीजन, तथा तराई भावर डिवीजन तथा अन्य जन्तु प्रतिपालक रामनगर के लोग थे। इसके अलावा सर्वश्री राजा भरतसिंह पीलीभीत, राजा कसमंडा, नवाब जादा एन० ए० खान बरेली, मिल्टन काशीपुर, नवाब मिर्जा खां, विलासपुर, राधापति ग्राम सभापति, हरीपुर बच्ची तथा स्पेन के राजदूत और अन्य आफिशियल तथा नान-आफिशियल ने भी इस नरभक्षी शेर को समाप्त करने के लिये अनुरोध किया और भाग लिया।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि जिस आदमखोर शेर को इन लोगों ने मारने की कोशिश की या कोई मामूली शेर का ही शिकार किया गया या उसी आदमखोर शेर को ही इन अफसरों ने मारा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि यह जो शेर मारे गये थे उनमें यह आदमखोर शेर भी रहा होगा क्योंकि ४-५ महीने से कोई घटना नहीं हुई है कोई घटना न होने के कारण ही यह प्रतीत होता है कि उन शेरों में यह शेर भी रहा होगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या सरकार को ऐसी सूचना है कि इन शिकारियों में से किसी ने यह भी कहा है कि आदमखोर शेर को हमने मारा है ?

श्री अध्यक्ष—उत्तर यह है कि चूंकि इतने दिनों से कोई घटना नहीं हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि वह मार दिया गया होगा।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—तो मेरा प्रश्न यह है कि यह किसने कहा है कि आदमखोर शेर को हमने मार दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शेर को पहचानता कौन है ? शायद मुकुन्दीलाल जी जानते हों कि कौन आदमखोर है कौन नहीं। यह अनुमान है कि मारे गये शेरों में वह भी होगा।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों ने शिकार किया वे क्या मामूली तौर से शिकार करने गये थे या इसी आदमखोर शेर का शिकार करने गये थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गये तो शिकार के लिये थे।

सहारनपुर जिले के ठाकुर महिपालसिंह का पुलिस के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*१९—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि ठाकुर महिपालसिंह, ग्राम कुआं खेड़ा, जिला सहारनपुर का कोई पुलिस के खिलाफ शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कर रही है ?

श्री नवलकिशोर—जी हां, एक ऐसा पत्र प्राप्त हुआ था। उसे पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के पास उचित कार्यवाही के लिये भेजा गया था। उनसे यह सूचना मिली है कि जिस आरोप के संबंध में ठाकुर महिपालसिंह तथा उनके भाई के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी वह निराधार पाया गया। अतः वह कार्यवाही समाप्त कर दी गई तथा झूठी रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस की कोई ज्यादती नहीं पायी गयी।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उस शिकायती-पत्र में पुलिस के खिलाफ कौन-कौन से आरोप थे ?

श्री नवलकिशोर—ठाकुर महिपालसिंह की यह शिकायत थी कि पुलिस चौकी नानोता के सब-इन्स्पेक्टर ने उनको तथा उनके भाई जयद्रथ को नकली भंगी के एक सुअर मारने के आरोप में गिरफ्तार कर बुरा भला कहा, परेशान किया और हिरासत में रखकर बाद में जमानत पर छोड़ दिया।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगे कि पुलिस अधिकारी ने जो ज्यादती की उस पर उसको क्या सजा दी गयी ?

श्री नवलकिशोर—मान्यवर, जांच हुई, पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई भी बात साबित नहीं हो पायी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि ठाकुर महिपालसिंह को पुलिस दूसरे गांव में उठाकर ले गयी थी ?

श्री नवलकिशोर—इसकी सूचना नहीं है।

नियोजन विभाग, मैनपुरी के कर्मचारी

*२०—श्री रामसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले के प्लानिंग विभाग में नीचे लिखे पद पर क्रमशः कितने-कितने व्यक्ति कार्य करते हैं, उनमें से कितने परगणित तथा पिछड़े वर्ग से हैं:

(क) सेक्रेटरी पंचायत,
(ख) ग्राम सेवक,
(ग) क्लर्क,
(घ) ए० डी० ओ०,
(ङ) चपरासी,
(च) ग्राम लक्ष्मी ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—वांछित सूचना माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ५४३ पर)

जालौन परगने में विकास कार्य

*२१—श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में परगना जालौन के माधोगढ़ ओधा क्षेत्र में कौन-कौन ग्राम शामिल हैं और इस ओधा क्षेत्र के विकास हेतु सरकार ने सन् १९६०-६१ से अब तक कौन-कौन मद में कितना-कितना रुपया व्यय किया है वह व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—ग्रामों की सूची व वांछित व्यय एवं स्वीकृति का विवरण माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ५४४-५४६ पर)

श्री बसन्तलाल—क्या सरकार कृपा कर उन नालियों को जो ज्यादा गहरी और चौड़ी नहीं हैं उनको ज्यादा गहरी और चौड़ी करायेगी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—सूचना प्राप्त करने के लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—यह ध्यान में रखते हुये कि आज भी उस क्षेत्र में हमेशा पानी भरा रहता है और जनता परेशान रहती है, तो सरकार व्यवस्थित योजना बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—सिंचाई विभाग में इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह—सिंचाई मंत्री जी मौजूद हैं, इस पर बतायेंगे कि क्या विचार हो रहा है ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामभूति)—माननीय सदस्य लिखकर दे दें तो जांच करा लेंगे।

अरिन्द नदी पर लेखरामपुर के निकट पुल बनाने की प्रार्थना

*२२—श्री माधोनारायण (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला परिषद्, मैनपुरी ने ग्राम लेखरामपुर, जिला मैनपुरी के पास अरिन्द नदी का पुल बनाने का निश्चय किया था और उस का तखमीना P. W. D. विभाग के पास स्वीकार करने के लिये भेजा था ? यदि हां, तो वह कब भेजा था और उसको अब तक स्वीकार क्यों नहीं किया गया ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—जी हां, भूतपूर्व जिला बोर्ड-मैनपुरी ने अरिन्द नदी पर ग्राम लेखरामपुर के पास पुल बनाने का वर्ष १९५७ में निश्चय किया था। तखमीना २४ मई, १९६० को अधिशासी अभियन्ता को भेजा गया और उसकी स्वीकृति २५ जून, १९६२ को अधिशासी अभियन्ता से प्राप्त हो चुकी है।

*२३—श्री माधोनारायण (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि उक्त संबंध में कितने स्मरण-पत्र जिला परिषद् ने भेजे और कब-कब भेजे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—२४ मई, १९६० को स्वीकृति हेतु प्रतिप्रेषण किया गया। १४ जून, १९६० को उक्त पत्र इस आपत्ति के साथ परिषद् कार्यालय में वापिस आ गया कि इसमें जो कमियां हैं उनको पूरा करके पुनः प्रेषण किया जाय। अप्रैल, १९६१ को पुनः भेजा गया। इसके बाद अधिशासी अभियन्ता को तीन स्मरण-पत्र दिनांक १७ जून, १९६१, १३ फरवरी, १९६२ तथा १७ मई, १९६२ को भजे गये।

विकास क्षेत्र, भागलपुर में कूप निर्माण-कार्य

*२४—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बतायगी कि विकास क्षेत्र, भागलपुर, जिला देवरिया में सन् १९५१ से लेकर अब तक किन-किन लोगों को सिंचाई के कुओं के लिय सहायता दी गई ? उसमें अब तक कितने कुयें बने, कितने नहीं ? क्या रुपये की वसूली भी हो चुकी है या हो रही है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जिन व्यक्तियों को सहायता दी गई उनकी सूची १४ टाइप किये पृष्ठों पर है, माननीय सदस्य उसे विकास मंत्री के कार्यालय में देख सकते हैं।

उनमें से १८० कुयें बन चुके हैं और १८६ अभी नहीं बने हैं।

वसूली की सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ऊदल—क्या माननीय विकास मंत्री जी को मालूम है कि १८६ कुएं जो नहीं बने हैं उसमें से खदरपुर के एक सज्जन जो कृषि अधिकारी रह चुके हैं उनके परिवार वालों ने बीसों कुओं का पैसा ले लिया है और एक भी कुआँ नहीं बनवाया ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—आप लिखकर दे दें, जांच करा ली जायगी।

श्री ऊदल—यह जो एग्रीकल्चर आफिसर शिवमंगलसिंह के परिवार वालों ने रुपये लिया है, इसी की सूचना मानकर मंत्री जी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—जिन सज्जन का नाम माननीय सदस्य ने लिया, उनके परिवार में न मालूम कितने लोग हैं, यह नामुमकिन है कि हर आदमी की जांच करायी जाय तो नाम किसी आदमी का लिख कर दें तो जांच-पड़ताल करा ली जायगी।

मौदहा ब्लाक में भ्रष्टाचार की जांच

*२५—श्री बृजराजसिंह (जिला हमीरपुर) तथा श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मौदहा ब्लाक, जिला हमीरपुर में जो भ्रष्टाचार का

मामला एक वर्ष पूर्व पकड़ा गया था उसकी अभी तक जांच पूरी हुई या नहीं ? यदि हो गई तो उसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं हुई, तो इतनी देर का क्या कारण है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जांच शीघ्र पूरी करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

*२६—श्री बृजराजसिंह तथा श्री मतोलासिंह—क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस मामले में कितने ब्लाक के कर्मचारी या ग्राम सभापति मुअत्तल हुये थे और उनमें से कितने अब तक बहाल हो चुके हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—ब्लाक के तीन कर्मचारी तथा दो ग्राम प्रधान निलंबित किये गये। इनमें से अभी कोई भी बहाल नहीं हुआ है।

श्री बृजराजसिंह—यह जाँच कितने दिनों से चल रही है और कितने समय में समाप्त हो जायगी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—शीघ्र पूरी करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री सुरेन्द्रदत बाजपेयी (जिला हमीरपुर)—इस भ्रष्टाचार की सूचना जिला नियोजन अधिकारी ने सरकार को दी थी या हमीरपुर जिला काँग्रेस कमेटी ने ? पहले सरकार को किसके द्वारा सूचना मिली और कब मिली और उस पर कब कार्यवाही प्रारम्भ की गयी ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—यह सूचना जिला काँग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं से मिली थी, उसके संबंध में जाँच हुई और उसके पश्चात् जो बी० डी० ओ० थे उनको सस्पेंड कर दिया गया और ३ आदमी और किये गये और कई आदमियों के खिलाफ कार्यवाही हो रही है और यह मामला डी०आई०जी० के पास सी०आई०डी० की जाँच के लिये गया हुआ है।

श्री मतोलासिंह—तहकीकात में देरी का क्या कारण है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ट—बहुत सी सूचना और कागजात जमा करने थे और ऐसे कार्यों में देर होती ही है।

श्री मतोलासिंह—कौन-कौन कर्मचारी और प्रधान अब तक मुअत्तल हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—श्री दीनदयाल, बी० डी० ओ०, की सर्विसेज टर्मिनेट कर दी गई हैं और वह पंचायत राज्य के अधिकारी मुकर्रर हुये, फिर निलम्बित किये गये।

श्री रामनारायण यादव, ए० डी० ओ०, एग्रीकल्चर, बृजकिशोर खरे, बी० एल० डब्लू, जब्बरसिंह सेंगर, ए० डी० ओ०, साहेबलाल शुक्ला, ए० डी० ओ०, कल्लूप्रसाद, बी० एल० डब्लू०, के० एन० शर्मा, बी० एल० डब्लू, विद्याभूषण, पंचायत सेक्रेटरी, लक्ष्मीनारायण, पंचायत सेक्रेटरी, रामसेवक शुक्ला, पंचायत सेक्रेटरी, रामपालसिंह, पंचायत सेक्रेटरी।

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाहजहाँपुर)—कितने दिन बाद डी० पी० ओ० ने यहाँ सूचना भेजी और अपराधों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—नोटिस की आवश्यकता है।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—श्री मेवाराम, बी० डी० ओ०, को क्यों निलम्बित नहीं किया है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—सूचना चाहिये।

श्री काशीनाथ मिश्र—कितने रुपये का गबन इन कर्मचारियों ने किया है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—सूचना चाहिये।

श्री उग्रसेन—इतना तो होता है कि पहला साक्ष्य बनाने के लिये गबन के रुपये का पता लगाया जाय, तभी वे मुअत्तल हुये होंगे, तो मंत्री जी इसे स्पष्ट करें।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—सी० आई० डी० के यहाँ कागजात गये हुये हैं।

श्री उग्रसेन—उन्हें जो आरोप-पत्र दिया गया था वह क्या था ? मुख्यांश बता दें।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—आरोप-पत्र इस वक्त फाइल में नहीं है।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, आरोप-पत्र पहली चीज होती है। हम भी मजदूर यूनियन में काम करते हैं। पहला काम है आरोप-पत्र देखना। इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—वह कह रहे हैं कि कार्यवाही सी० आई० डी० के पास है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इस मामले का निर्णय कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—सी० आई० डी० की रिपोर्ट आने पर कार्यवाही होगी।

श्री काशीनाथ मिश्र—बी० डी० ओ० साहब को टर्मिनेट कर दिया तो अब कौन से आरोपों की जाँच हो रही है ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—प्रारम्भिक रूप से उन्हें सस्पेंड करके निलम्बित कर दिया गया है और पूरी जाँच के लिये वह कार्यवाही पुलिस को दे दी गई है।

श्री अध्यक्ष—सर्विसेज टर्मिनेट की गईं या केवल निलम्बित किये गये ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—बी० डी० ओ० के स्थान से हटाये गये और पंचायत अधिकारी के स्थान पर रखकर निलम्बित किये गये। डिग्रेड कर दिये गये हैं।

श्री राममूर्ति 'अंचल'—कितने दिनों के लिये वे निलम्बित किये गये ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जैसे ही आरोप-पत्र यहाँ आया और उसका पता लगा उसी वक्त यह कार्यवाही हुई।

श्री सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी—इस आरोप-पत्र पर आर्डर्स सरकार से कब ईश्यू किये गये ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—इसकी सूचना इस समय नहीं है।

श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—बी०डी०ओ० को जब निकाला गया तो उनसे जवाब माँगे गये होंगे। उन्होंने क्या जवाब दिये ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—इस वक्त कागजात नहीं हैं।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, इस प्रश्न को स्थगित करने की कृपा करें। मंत्री जी के पास आरोप-पत्र और दूसरे कागजात ही नहीं हैं। उनके पास पूरी सूचना है ही नहीं। आरोप-पत्र तो पहली चीज होती है।

श्री अध्यक्ष—उग्रसेन जी, आप तो अनुभवी हैं। और भी तरीके हो सकते हैं।

आजमगढ़ जिला परिषद् को अनुदान

*२७—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या विकास मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६०–६१ तथा १९६१–६२ से आजमगढ़ जिला परिषद् को सरकार द्वारा किन-किन मदों में कितनी-कितनी सहायता तथा कर्ज दिया गया है ?

श्रम मंत्री के सभा-सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ को वित्तीय वर्ष १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में सरकार द्वारा किसी प्रकार का ऋण नहीं दिया गया। उक्त वर्षों में परिषद् को निम्नलिखित धनराशियाँ अनुदान के रूप में दी गईं :—

	१९६०–६१	१९६१–६२
	रु०	रु०
(१) फेरीघाट की आमदनी	१२,२०९.००	१५,२८०.२५
(२) जमींदारी उन्मूलन के कारण लोकल रेट की क्षति-पूर्ति (रबी तथा खरीफ दोनों की किस्तों का कुल योग)।	३,८२,९९१.७३	३,८२,९९१.७३
(३) अस्पताल के विकास तथा अस्पताल की इमारत के निर्माण हेतु कुल सहायता।	१५,६२१.००	७,०१३.००
(४) सड़कों के निर्माण तथा विकास हेतु कुल सहायता।	५८,७००.००	५७,९३०.००
(५) शिक्षा के लिये कुल सहायता।	२०,२७,१२९.००	२४,६५,२७१.००

*२८—श्री उमाशंकर—क्या यह सच है कि जिला परिषद्, आजमगढ़ को कुछ सहायता तथा कर्ज बिलरियागंज से रौनापार सड़क पक्की (कंकरीट) करने को सरकार ने दिया ? यदि हाँ, तो वह रुपया कार्य में नहीं लगाया गया तो इसका कारण क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय—जी हाँ। शासन ने अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ को बिलरियागंज से रौनापार सड़क के निर्माण हेतु २५,००० रुपये का अनुदान दिया है। सड़क के निर्माण हेतु टेन्डर माँगे गये हैं तथा कार्य जल्द से जल्द आरम्भ कर दिया जायगा।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि बिलरियागंज और रौनापार सड़क के लिये २५ हजार रुपया किस सन् में दिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—२४ फरवरी, १९६२ को ५ मील सड़क के लिये दिया गया था।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या आजकल यह सड़क पी० डब्ल्यू० डी० को सुपुर्द कर दी गयी है ?

श्री बंशीधर पांडेय—२५ हजार रुपया सरकार ने दिया है और उतना ही रुपया परिषद् अपनी ओर से देगी। परिषद् ने ७५,५०० रुपये के टेन्डर इसके लिये इनवाइट किये हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जितना अनुदान सरकार की ओर से दिया गया है, परिषद् ने उससे ज्यादा अनुदान की माँग की थी। यदि हाँ, तो शेष धन की पूर्ति के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय—कितने धन की माँग की थी, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री उमाशंकर—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अस्पतालों के निर्माण के लिये जो रुपया दिया गया वह किन-किन अस्पतालों पर खर्च किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—इसके लिये भी सूचना की आवश्यकता है।

श्री शारदानन्द—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि २५ हजार रुपया तो सरकार देगी और २५ हजार परिषद् खर्च करेगी, लेकिन खर्च ७५ हजार का होगा, यह २५ हजार रुपया कहाँ से आयगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—श्रीमन्, कुल कार्य का तखमीना ७५,५०० रुपया स्वीकृत हुआ है जिसमें से सरकार की ओर से २५ हजार रुपया दिया गया उसके बाद जो भी धन बचता है परिषद् उसकी व्यवस्था करेगी।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि यह सड़क घोसी से कितनी दूर है ?

श्री बंशीधर पांडेय—इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

इटावा जिले में भूमि-संरक्षण प्रशिक्षित ग्राम सेवक

*२९—श्री सहदेवसिंह—क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में भूमि-संरक्षण प्रशिक्षित ग्राम सेवकों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने भूमि-संरक्षण का कार्य कर रहे हैं और कितने बहुधंधी कार्य में लगे हुये हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—इटावा जिले में भूमि-संरक्षण प्रशिक्षित ग्राम सेवकों की संख्या कुल १५ है और उनमें से एक बहुधंधी कार्य में लगा हुआ है।

*३०—श्री सहदेवसिंह—क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने ग्राम सेवकों की नियुक्ति उनके पास के जिले में करने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो क्यों दूरवर्ती पूर्वी जिलों के निवासी ग्राम सेवक इटावा जिले में काम कर रहे हैं ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

*३१—श्री सहदेवसिंह—क्या सरकार उनका स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—भविष्य में पूर्वी जिलों में भूमि-संरक्षण योजना के चालू होने पर इनके स्थानान्तरण पर विचार किया जा सकेगा।

श्री सहदेवसिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि भूमि-संरक्षण प्रशिक्षित ग्राम सेवक क्यों बहुधंधी कार्य में लगाया गया ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्योंकि इस प्रकार का कोई केंद्र सिवाय महोबा के और नहीं था। अभी हाल में मिर्जापुर में खोला गया है, वहां जगह पूरी हो गयी है।

श्री ऊदल—क्या सरकार ग्राम सेवकों के तबादले के विषय में इस प्रश्न पर विचार करेगी कि क्योंकि ग्राम सेवक छोटी तनख्वाह पाने वाला व्यक्ति है, इसलिये उसको उसी डीवीजन में रखा जाय जहां का वह रहने वाला है, दूसरी जगह तबादला न किया जाय ?

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—ज्यादातर ग्राम सेवकों को उसी डिवीजन में, जहां के वे रहने वाले हैं उसके आसपास ही रखा जाता है। बहुत थोड़े से ग्राम सेवक हैं जिनको दूर भेजा गया है। साधारणतः निवास के जिले को छोड़कर उसी डिवीजन में उनकी नियुक्ति की जाती है।

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या ३१ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

विकास खंड, अजीतमल के सहायक विकास अधिकारी

*३२—श्री सुखलाल (जिला इटावा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इटावा विकास खंड अजीतमल में ए० डी० ओ० कितने समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जिला इटावा के अजीतमल विकास खंड में निम्नांकित ८ सहायक विकास अधिकारी हैं, जो उनके नामों के सामने लिखी तिथि से इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं:—

१—श्री के० के० पांडेय, सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) १-४-१९५७
२—श्री के० एन० चतुर्वेदी (स्वास्थ्य निरीक्षक) २७-८-१९५९
३—श्री भृगुनाथ, सहायक विकास अधिकारी (भूमि संरक्षण) १८-१२-१९५९
४—श्री राजेन्द्रकुमार जैन, सहायक विकास अधिकारी (रूरल इंजीनियरिंग) २२-२-१९६०
५—श्री जाहिर हुसैन, सहायक विकास अधिकारी (कृषि अभियंत्रण) १४-५-१९६०
६—श्री आर० सी० सक्सेना, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) २३-५-१९६१
७—श्रीमती उर्मिला शुक्ला, सहायक विकास अधिकारी (समाज शिक्षा-महिला) १३-६-१९६१
८—श्री ए०आर० मिश्रा, सहायक विकास अधिकारी (कृषि) १७-३-१९६२

नैनी डांडा डिस्पेन्सरी में डाक्टर न होना तथा "दुधार खाल" में डिस्पेन्सरी स्थापित करने का विचार

*३३—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या सरकार यह बतायेगी कि लैन्सडाउन क्षेत्र आर्या मल्ला और तल्ला सलाण में कितने अस्पताल हैं और उनमें से किन-किन में डाक्टर हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लैन्सडाउन क्षेत्र आर्या मल्ला और तल्ला सलाण में सात अस्पताल हैं। इनमें से इस समय २ अस्पतालों गड्डा डिस्पेंसरी तथा कैन्ट जनरल हास्पिटल लैन्सडाउन में डाक्टर हैं।

*३४—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या यह बात सही है कि नैनी डांडा डिस्पेंसरी में १९४३ या उसके लगभग कई वर्षों से कोई डाक्टर नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नैनी डांडा डिस्पेंसरी में, जो कि जिला बोर्ड डिस्पेंसरी है, १९५५ के मध्य से डाक्टर नहीं है।

*३५—श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—क्या यह बात सही है कि "दुधार खाल" जो पटटी भला बदलपुर का बड़ा अथवा एक मात्र केन्द्र सैकड़ों गांवों के बीच है वहां कोई अस्पताल नहीं है वहां कब सरकार अस्पताल स्थापित करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।
वहां पर एक डिस्पेंसरी स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

नियुक्ति एवं सेवा मुक्त हरिजन व पिछड़े वर्ग के पुलिस सब-इंसपेक्टर

*३६—श्री सुरजन (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश में सन् १९५२ से अब तक कुल कितने सब-इन्स्पेक्टर रखे गये और उनमें हरिजनों, पिछड़ी जातियों तथा मोमिन अन्सारों की अलग-अलग संख्या क्या है,

और सन् १९५२ से अब तक कुल कितने सब-इन्स्पेक्टर सेवा मुक्त किये गये ? उनमें हरिजनों, पिछड़ी जातियों तथा मोमिन अन्सारों की अलग-अलग संख्या क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सन् १९५२ से अबतक कुल १,१९७ सब-इंस्पेक्टर रखे गये। उनमें से ७३ हरिजन वा १०१ पिछड़े वर्ग के हैं तथा मोमिन अंसार कोई नहीं हैं। सन् १९५२ से अब तक कुल ११३ सब-इन्स्पेक्टर सेवा मुक्त किये गये जिनमें १५ हरिजन व २ पिछड़े वर्ग के थे तथा मोमिन अंसार कोई नहीं था।

कानपुर में जी० टी० रोड पर आवागमन में कठिनाई

*३७---**श्री शारदानन्द**---क्या सरकार बताने का कृपा करेगी कि कानपुर में कलेक्टरगंज से कोपरगंज जाने वाली सड़क पर एवं गुम्टी नं० ५ के एरिया में जी० टी० रोड पर सैकड़ों की संख्या में मोटर ट्रक खड़े रहते हैं जिसके कारण मार्ग बन्द हो जाता है और जनता को आवागमन में बड़ा कष्ट होता है और प्रायः एक न एक दुर्घटना होती रहती है इन ट्रकों को हटाने के संबंध में कई बार शिकायत पुलिस के उच्च अधिकारियों को जनता की ओर से की गई ? इन ट्रकों को हटाने के संबंध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उक्त सड़कों पर कई ट्रांसपोर्ट कम्पनियां हैं तथा वहां पर मोटर ट्रकों का आना जाना बराबर जारी रहता है। इसी कारण कभी-कभी यातायात अवरुद्ध हो जाता है। इस वर्ष उक्त सड़कों पर कोई दुर्घटना नहीं हुई। यातायात नियंत्रित करने के लिये सुबह ७ बजे से रात के ९ बजे तक पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है तथा एक-तरफा "यातायात" का नियम लागू किया गया है। ट्रांसपोर्ट कम्पनियों को उक्त स्थल से हटाने के लिये भी महापालिका से अनुरोध किया गया है।

विकास क्षेत्र, चरखारी के भवन

*३८---**श्री मदनपालसिंह** (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास क्षेत्र चरखारी, जिला हमीरपुर के भवन निर्माण का कार्य कब से प्रारम्भ होगा और कब तक पूरा होगा ?

श्री हरगोविन्दसिंह---उक्त विकास क्षेत्र के कार्यालय भवन का निर्माण जो १५-४-१९६१ से प्रारम्भ हो चुका है, मार्च, १९६३ तक पूर्ण हो जाने की आशा है। आवास गृहों के निर्माण के अनुमानांक सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे हैं। आशा है कि आवास गृह भी मार्च, १९६४ तक बन कर तैयार हो जायेंगे।

इलाहाबाद जिले में १०७/११७ के मुकदमे तथा मऊ आयमा की घटना

*३९---**श्री मेवालाल** (जिला इलाहाबाद)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत होली के अवसर पर इलाहाबाद जिला के अन्तर्गत मऊ आयमा में कोई जुलूस निकाल कर स्थानीय मस्जिद पर रंग छोड़ साम्प्रदायिक दंगा कराने की कोशिश की और उस जुलूस में कोई सरकारी कर्मचारी भी थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गत होली के अवसर पर मऊ आयमा में पिछले वर्षों की तरह जुलूस निकला था किन्तु यह निराधार है कि स्थानीय मस्जिद पर रंग छोड़ा गया। यह भी निराधार है कि उस जुलूस में कोई सरकारी कर्मचारी भी था।

*४०---**श्री मेवालाल**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अप्रिय कार्य के विरुद्ध स्थानीय जनता ने पुलिस कप्तान इलाहाबाद को प्रार्थना-पत्र दिया किन्तु अब तक कोई कार्यवाही न होने के कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---ऐसा एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था, जिसकी जांच की गई। जांच से आरोप निराधार पाये गये अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*४१---**श्री मेवालाल**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोराम, तहसील इलाहाबाद मऊ आयमा, नवाबगंज, सोराम, थाने में मार्च सन् १९६१ से मार्च सन् १९६२ तक कितने व्यक्तियों पर १०७/११७ के मुकदमे चलाये गये? इसमें कितने मुकदमे आपस में तय किये गये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५४७ पर)

परिगणित वर्ग के पुलिस कर्मचारी

*४२---**श्री माताप्रसाद** (जिला जौनपुर) तथा **श्री हरगैनराम** (जिला वाराणसी)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में कुल कितने एस० पी०, डी०-आई० एस०पी०, इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर, प्रासीक्यूटर, मुन्शी, हेड कान्स्टेबुल और कान्स्टेबुल कार्य कर रहे हैं और उनमें कितने परिगणित जाति के हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पुलिस विभाग में प्रासीक्यूटर मुन्शी का कोई पद नहीं है। शेष पदों के विषय में वांछित सूचना तालिका में संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५४८ पर)

मेरठ व आगरा रेंज में पुलिस सब-इंसपेक्टरों की बर्खास्तगी

*४३---**श्री जयगोपाल** (जिला सहारनपुर)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जुलाई, १९६१ से ३० अप्रैल, १९६२ तक मेरठ व आगरा रेंज में कितने सब-इंस्पेक्टरों को भ्रष्टाचार तथा नएफिशियेंसी के लिये बर्खास्त किया गया और उनमें से कितने को रिइन्स्टेट कर दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उक्त अवधि में मेरठ व आगरा रेंज में केवल दो सब-इन्स्पेक्टर न फिसियन्सी के कारण बर्खास्त किये गये। उनमें से किसी को भी रीइन्स्टेट नहीं किया गया।

*४४---**श्री जयगोपाल**---क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इनको किस हालत में और क्यों बहाल किया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रश्न ही नहीं उठता।

उन्नाव जिले में आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस

*४५---**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ साल के अन्दर उन्नाव जिले में कितने लाइसेंस बन्दूक व पिस्तौल व रिवाल्वर के दिये गये और इसी अवधि के अन्दर कुल कितने प्रार्थना-पत्र लाइसेंसों के लिये प्राप्त हुये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उन्नाव जिले में सन् १९६१ में १८६ लाइसेंस बंदूक के, ५ राइफल के, २ पिस्तौल के तथा ६ रिवाल्वर के स्वीकृत किये गये। सी अवधि में कुल ६२२ प्रार्थना-पत्र लाइसेंस दिये जाने हेतु प्राप्त हुये।

*४६---**श्री भीखालाल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साल १९६१ में उन्नाव जिले में जिन व्यक्तियों को असलहा के लाइसेंस दिये गये उन व्यक्तियों ने कितना धन अल्प बचत योजना में जमा किया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---लाइसेंस प्राप्त करने वालों में से ६१ व्यक्तियों ने स्वेच्छा से नेशनल सेविंग्स सर्टीफिकेट में ४७,००० रुपया तथा सेविंग बैंक एकाउण्ट में ८,३५१ रुपया जमा किया।

बदायूं जिला पंचायत कार्यालय की ठेका संबंधी मिसिल

*४७---**श्री उल्फतसिंह** (जिला बदायूं)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिला में जिला पंचायत कार्यालय से एक मिसिल ठेका (वजन कसी) से संबंधित तहसील सहसवान, जिला बदायूं में गयी थी जिसका नं० २५४९, दिनांक १ जनवरी, १९६२ है उसमें अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--सूचना एकत्र की जा रही है।

हरदोई जिले में लघु उद्योग के लिये दिया गया धन

*४८---**श्रीमती कलारानी मिश्रा** (जिला हरदोई)---क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि हरदोई जिले में १९५९, ६०, ६१ में Small Scale Cottage Industries में जिन-जिन व्यक्तियों को जिन-जिस Industries के लिये कर्जा दिया गया वह सब Industries चालू हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने और कौन-कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने उस Industry में पया नहीं लगाया है ? सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)---जी नहीं।

८९ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने उद्योग में पया नहीं लगाया जिनकी सूची संलग्न† है। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध धन की वसूली की कार्यवाही की जायगी।

प्रतापगढ़ जिले में अपराधों के बढ़ने की शिकायत

*४९---**कुंवर तेजभानसिंह** (जिला प्रतापगढ़)---क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला प्रतापगढ़ में सन् १९६० व ६१ में क्रमशः कितनी हत्यायें व डकैतियां हुई हैं तथा बढ़ते हुये अपराधों के संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जिला प्रतापगढ़ में सन् १९६० में ३१ हत्यायें व १६ डकैतियां तथा सन् १९६१ में ३१ हत्यायें व १४ डकैतियां हुईं।

इन अपराधों में कोई वृद्धि नहीं प्रतीत होती। सामान्यतः अपराधों की रोकथाम के लिये अपराधियों की गतिविधि पर दृष्टि रखी जाती है तथा आवश्यकता के अनुसार धारा १०७/११७ तथा १४५ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। लोगों को डकैतों से लड़ने में प्रशिक्षित भी किया जाता है।

*५०---**कुंवर तेजभानसिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फरवरी, १९६२ के महीने में ग्राम रंजीतपुर, थाना सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़ में किस-किस के यहां डकैतियां पड़ीं, उसमें कितने डकैत मारे गये तथा क्या यह सही है कि थाने में उक्त डकैतियों की रिपोर्ट चोरी की लिखी गई है ? इस संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---इस अवधि में ग्राम रंजीतपुर, थाना सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़ में कोई डकैती नहीं पड़ी और न कोई डकैती की रिपोर्ट चोरी के अपराध में लिखी गई। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

*५१---**श्री रामभजन** (जिला खीरी)---[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

---

†छापी नहीं गई।

बाणगंगा निर्वाचन क्षेत्र में चिकित्सा सुविधायें बढ़ाने की प्रार्थना

*५२—श्री चन्द्रपाल (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिला बाणगंगा (पूर्वी) निर्वाचन क्षेत्र में कितने राजकीय चिकित्सालय चल रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस क्षेत्र में एक राजकीय ४ शय्या युक्त अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सालय लोहांस में कार्य कर रहा है।

*५३—श्री चन्द्रपाल—क्या सरकार बतायेगी कि इस चिकित्सालय द्वारा जो दवा प्रतिदिन वितरित की जाती है वह अनुमानतः कितने मूल्य की होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राजकीय आयुर्वेदिक व यूनानी औषधालयों में औषधि का प्राविधान वार्षिक होता है, प्रति दिन अथवा महीने के आधार पर नहीं होता।

*५४—श्री चन्द्रपाल—क्या सरकार बस्ती जिला बाणगंगा (पूर्वी) निर्वाचन क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये यहां किसी नर्स की व्यवस्था का प्रबन्ध कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, क्योंकि बाणगंगा से केवल पांच मील की दूरी पर शोहरतगढ़ में एक 'मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, पहले से ही है जिसमें एक आग्जीलरी नर्स मिडवाइफ काम करती है।

गन्ना सोसाइटी, रोजा में धन का गोलमाल

*५५—श्री राममूर्ति 'अंचल'—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सन् १९६० में गन्ना सोसाइटी रोजा शुगर फैक्टरी के कर्मचारियों द्वारा जाली पर्चे बना कर लगभग ५० हजार रुपये की धनराशि भुना ली गई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—सन् १९५९-६० के सीजन में गन्ना सोसाइटी रोजा, जिला शाहजहांपुर में जाली पर्चियों द्वारा रुपये ४४,८१०.८० नये पैसे की धनराशि भुना ली गई किन्तु यह अभी तक अप्रमाणित है कि किसके द्वारा भुनाई गई।

*५६—श्री राममूर्ति 'अंचल'—यदि हां, तो उसमें कितने कर्मचारी दंडित हुये क्या किन्हीं दंडित कर्मचारियों को पुनः काम पर तो नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—आडिट स्क्वैड (Audit Squad) की प्राथमिक जांच पर ६ कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया था, परन्तु बाद में उनमें से पांच कर्मचारियों को सी० आई० डी० के परामर्श स्वरूप पुनः कार्य पर लगा लिया गया।

*५७—श्री राममूर्ति 'अंचल'—इस सम्बन्ध में क्या कोई जांच कराई गई है ? यदि हां, तो किसने जांच की ? क्या सी० आई० डी० ने भी कोई जांच की ? यदि जांच की है, तो उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां, आडिट स्क्वैड द्वारा प्राथमिक जांच कराई गई। इसकी जांच सी० आई० डी० को भी दे दी गई है जिसकी अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

जिला परिषद्, अलीगढ़ की जीप का चुनाव में प्रयोग करने की शिकायत

*५८—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषद्, अलीगढ़ की जीप का प्रयोग ब्लाक हसायन की क्षेत्र समिति के कोआपरेटिव सरपंचों के कापसन २६ अप्रैल, १९६२ को और २१, २२ मई, १९६२ को फिर कापसन के चुनावों में अध्यक्ष श्री कुशलपालसिंह ने किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अंतरिम जिला परिषद्, अलीगढ़ की जीप का प्रयोग ब्लाक हसायन की क्षेत्र समिति के सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों के चुनाव दिनांक २६ अप्रैल, १९६२ को तथा २१ और २२ मई, १९६२ को अतिरिक्त सदस्यों का अनुमेलन के सम्बन्ध में नहीं किया गया।

*५९—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार को यह भी मालूम है कि इन्हीं अध्यक्ष ने ग्राम चुनावों में जिला परिषद् की जीप का प्रयोग किया था जिसकी शिकायत मैंने जिलाधीश को की थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—ग्राम चुनावों में अंतरिम जिला परिषद् की जीप का प्रयोग नहीं किया गया।

*६०—श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार इसकी जांच करने के लिये आदेश देगी और सख्त कार्यवाही करेगी कि इस जीप का प्रयोग चुनावों में न हों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—प्रश्न नहीं उठता।

थानेदार मीरगंज के खिलाफ शिकायत

*६१—श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ३ मई, १९६२ को श्री खेलाड़ी हरिजन को थानेदार मीरगंज, जौनपुर ने क्यों पीटा और उस मार से उसे कितनी और किस प्रकार की चोट लगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सही नहीं है कि ३-५-१९६२ को थानेदार, मीरगंज, जौनपुर ने श्री खेलाड़ी हरिजन पुत्र श्री पुरुषोत्तम को पीटा। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

कलसिया पंचायत को लगान वसूल करने का कार्य

*६२—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले के पंचायत मन्त्रियों का वेतन तथा भत्ता (पंचायत) कितने दिनों से नहीं मिला है और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—गाजीपुर जिले के पंचायत मंत्रियों को वेतन तथा भत्ता प्रत्येक मास में नियमित रूप से दिया जा रहा है।

*६३—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में किन-किन पंचायतों को सरकार ने लगान वसूल करने के लिये निर्धारित किया है ? यदि हां, तो कहां कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—इस प्रदेश में केवल सहारनपुर जिले की गांव पंचायत, कलसिया को लगान वसूल करने के लिये निर्धारित किया गया है।

जिला अस्पताल, झांसी का सुधार

*६४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी जिला अस्पताल, झांसी के सुधार व इमारतें बढ़ाने की योजना के अनुसार अभी तक क्या-क्या कार्य हो सका है और कितना रुपया बगैर खर्च किये पड़ा है और खर्च न हो सकने का क्या कारण है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५४९-५५० पर)

इटावा जिले में विभिन्न अपराधों की घटनायें

*६५—श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—क्या मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि इटावा जिले के अन्तर्गत १ दिसम्बर, १९६१ से सन् १९६२ तक थानेवार कुल कितनी सशस्त्र डकैतियां, चोरियां, कत्ल, राहजनी और फौजदारियां हुई हैं ?

*६६—क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त अपराधों से सम्बन्धित कुल कितने व्यक्ति अब तक गिरफ्तार किये जा चुके हैं और कितने शेष हैं ?

*६७—उपरोक्त घटनाओं के अन्तर्गत कुल कितने धन-जन की क्षति हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मांगी गई सूचना संलग्न तालिकाओं† में दी हुई है।

ट्रक दुर्घटनाओं में हत्यायें

*६८—**श्री दयाराम शाक्य**—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ७ मई, १९६२ तक पिछले एक वर्ष में कितनी हत्यायें हुईं और उनमें कितनी हत्यायें ट्रक दुर्घटना द्वारा हुईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा, नैनीताल, मुरादाबाद तथा खीरी जिलों को छोड़ कर पिछले १ वर्ष में दिनांक ८-५-१९६१ से ७-५-१९६२ तक कुल ३,२४७ हत्यायें हुईं जिनमें से ७४० हत्यायें ट्रक दुर्घटना द्वारा हुईं। उक्त ४ जिलों की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

*६९—**श्री दयाराम शाक्य**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ट्रक दुर्घटनाओं के क्या-क्या कारण हैं तथा उनकी रोकथाम के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ट्रक दुर्घटनाओं के कारण यह हैं :—

(१) वाहनों की तेज रफ्तार तथा चालकों की असावधानी।

(२) सड़कों का कम चौड़ा होना।

(३) जनता का मोटर नियमों से अनभिज्ञता तथा सड़कों पर चलने और उन्हें पार करने में जल्दबाजी व असावधानी।

(४) चालकों की अन्धाधुन्ध गाड़ी भगाकर एक दूसरे से आगे निकलने की प्रवृत्ति।

(५) मोटर के पुर्जे में खराबी आ जाना।

इन दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उठाये गये कदम इस प्रकार हैं :—

(१) प्रमुख एवं व्यस्त चौराहों पर सवारियों के सुचारु गमनागमन एवं नियंत्रण के लिए ट्रैफिक पुलिस नियुक्त की गई है।

(२) घनी आबादी के बीच होकर जाने वाली प्रमुख सड़कों पर मोटर गाड़ियों की गति निबन्धित कर दी गई है।

(३) मोटर गाड़ियों की तेज चाल को रोकने के लिए समय-समय पर अचानक घेरों (रेड्स) का संगठन किया जाता है।

(४) ट्रैफिक सप्ताहों के द्वारा जनता से प्रार्थना की जाती है कि वे ट्रैफिक नियमों का समुचित पालन करें एवं सड़कों पर चलते समय और पार करते समय अधिक सावधान और सतर्क रहें।

(५) प्रमुख सड़कों पर सड़क चिन्ह (रोड्साइन्स) लगा दिये गये हैं।

---

†छापी नहीं गई।

(६) नगरों की प्रमुख सड़कों पर एकमार्गीय यातायात की व्यवस्था कर दी गई है ।

(७) मोटरगाड़ियों की गति पर नियंत्रण रखने के लिए काफी कड़ाई से जाँच की जाती है ।

कानपुर का पुलिस नियंत्रण केन्द्र

*७०—श्री शारदानन्द—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कानपुर में अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस नियंत्रण केन्द्र की व्यवस्था की गई है ? उसके द्वारा अब तक कितने अपराध एवं अपराधी पकड़े गये तथा अब तक सरकार का कितना धन व्यय हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ । नियंत्रण केन्द्र की सहायता से अब तक ३३० अपराध तथा ४७४ अपराधी पकड़े गये तथा सरकार का ३,१४,१५८ रुपये ६४ नये पैसे व्यय हुआ ।

*७१—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—[१०वें सोमवार के लिये प्रश्न १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गाजीपुर अस्पताल

*७२—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—क्या मुख्य मंत्री इस बात की व्यवस्था करेंगे कि गाजीपुर अस्पताल में जो० टी० बी० वार्ड है, उसमें ४, ५ बेड टी० बी० के उन सख्त मरीजों के लिये जिनकी हालत ज्यादा खराब है तथा डाक्टरी राय के अनुसार भी जिनका वहाँ रुक कर दवा कराना जरूरी हो, अलग कर दिये जायं ? अगर हाँ, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला अस्पताल, गाजीपुर में कोई टी० बी० वार्ड नहीं है । अतः वहाँ टी० बी० के सख्त मरीजों के लिये बेड्स को अलग करने का प्रश्न नहीं उठता ।

भटनी तथा प्रतापपुर चीनी मिलों द्वारा कथित सड़क का निर्माण

*७३—श्री कैलाश (जिला देवरिया)—क्या गन्ना विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि भटनी तथा प्रतापपुर चीनी मिलों ने वित्तीय वर्ष (१९६१–६२) में कितने मील लम्बी सड़क अब तक बनवाई है और कितने मील सड़क बनवाने के लिये विचाराधीन है ? उक्त दोनों मिलों को अलग-अलग कितने मील पक्की सड़क बनवाना अनिवार्य है ?

श्री दयाऊदयाल खन्ना—भटनी तथा प्रतापपुर चीनी मिलों ने वित्तीय वर्ष १९६१–६२ से अब तक कोई सड़क नहीं बनवाई है । प्राप्त सूचनानुसार मिलें अपनी ओर से सड़क बनवाने का विचार नहीं रखतीं और उक्त चीनी मिलों को अपने सुरक्षित क्षेत्र में पक्की सड़कें बनवाना अनिवार्य नहीं है ।

आजमगढ़ जिले में हरिजनों की पुलिस में भर्ती

*७४—श्री सुरजन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में पुलिस विभाग के लिये जनवरी, सन् १९६१ से ३० अप्रैल, १९६२ तक कितने कर्मचारियों का चुनाव हुआ, उसमें क्या हरिजन स्वीकृत अनुपात से रक्खे गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है ।

चमोली जिले में पुलों का निर्माण

*७५—श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५७ के बाद जिला चमोली में कितने पैदल और कितने मोटर के पुल तैयार किये गये हैं और किन-किन स्थानों पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चमोली जिले में सन् १९५७ के बाद ११ पैदल तथा ४ मोटर के पुल बने, जो इस प्रकार हैं—

पैदल पुल

१—सुमेरपुर में अलखनन्दा नदी पर
२—पाँडुकेश्वर में अलखनन्दा नदी पर
३—बद्रीनाथपुरी में अलखनन्दा नदी पर
४—रुद्रप्रयाग में अलखनन्दा नदी पर
५—सिमरी में अलखनन्दा नदी पर
६—अटगद में अटगद नदी पर
७—बड़गाँव में मंडल नदी पर
८—माना में सरस्वती नदी पर
९—सोला में अलखनन्दा नदी पर
१०—भरोरा में ईस्टर्न नैयर पर
११—कालीमठ में काली गंगा पर

मोटर के पुल

१—लागूंसी में अलखनन्दा नदी पर
२—कर्णप्रयाग-द्वाराहाट सड़क पर अटगद नदी पर
३—चन्द्रपुरी में अगस्तमुनि-गुप्तकाशी सड़क पर
४—हरद्वार-बद्रीनाथ सड़क पर बैलाकुची नदी पर

*७६—**श्री गंगाधर मैठाणी**—क्या यह सही कि रुद्रप्रयाग, जिला चमोली में अलखनन्दा नदी पर मोटर पुल के पिलर्स सन् १९५७ से पूर्व बन गये थे ? यदि हाँ, तो इस पुल को मोटर यातायात के लिये अभी तक तैयार क्यों नहीं किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सच है कि इस पुल के पिलर्स १९५७ में बन गये थे, किन्तु इस्पात न मिल सकने के कारण पुल के फैब्रीकेशन में अधिक विलम्ब हो गया। अब फैब्रीकेशन भी हो चुका है परन्तु उसमें लगने के लिये बियरिंग अभी तैयार नहीं है। कार्य में यथासंभव शीघ्रता की जा रही है।

आगरा व कानपुर जिलों में लघु उद्योग सहायतार्थ अनुदान

*७७—**श्री छत्रपति अम्बेश** (जिला आगरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा व कानपुर में १९६१ में लघु-उद्योगों की सहायता या कर्ज के निमित्त सरकारी रुपया क्रमशः कितना-कितना मिला ?

श्री फूलसिंह—वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

मोदीनगर इंडस्ट्रीज, मोदीनगर

*७८—**श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया** (जिला मेरठ)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मोदीनगर इंडस्ट्रीज, मोदीनगर (मेरठ) को सरकार ने पिछले दस वर्षों में कितना रुपया अनुदान में तथा कितना ऋण में किस-किस उद्योगों को दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मोदीनगर इन्डस्ट्रीज, मोदीनगर (मेरठ) को उद्योग विभाग द्वारा ऋण तथा अनुदान योजना के अन्तर्गत पिछले दस वर्षों में कोई धन अनुदान या ऋण के रूप में वितरित नहीं किया गया।

*७९—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—इस ऋण पर ब्याज क्या है तथा इस ऋण में तथा ब्याज में कितना रुपया सरकार को कब वापिस मिला है? शेष धन कब वसूल होगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

*८०—श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया—क्या इस ऋण को माफ कराने के लिये कभी कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को मिले हैं? यदि हां, तो सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

रामसनेही घाट तहसील में लघु उद्योगों के लिये सहायता

*८१—श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील रामसनेही घाट, जिला बाराबंकी में कितने लघु-उद्योग-धंधे किन स्थानों पर चल रहे हैं तथा उन्हें कितना धन कर्ज के रूप में तथा कितना सहायता के रूप में दिया है?

श्री फूलसिंह—जिला बाराबंकी की तहसील रामसनेहीघाट में रुदौली में ६, दरियाबाद में ५, टिकैतनगर में ८, कोटवा सड़क में १ तथा पटरंगा में ९ लघु-उद्योग-धंधे चल रहे हैं। ८३,७०० रुपया ऋण के रूप में तथा १९,००० रुपया अनुदान के रूप में दिया गया है।

हरगांव चीनी मिल पर काश्तकारों का बकाया

*८२—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या काश्तकारों का रिबेट का हरगांव मिल ने लगभग ५०,००० रुपया अभी भी रोक रक्खा है और काश्तकारों के मांगने पर नहीं दे रही है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—वास्तविक स्थिति यह है कि १९५८-५९ व १९५९-६० सीजन्स में इस मिल द्वारा रोड सेंटर्स से खरीदे गये गन्ने के मूल्य से जो यातायात संबंधी कटौती की गई वह केंद्रीय सरकार द्वारा नियमानुकूल करार दी गई। इसके पश्चात् १९६०-६१ व १९६१-६२ सीजन्स में मिल द्वारा गन्ने के मूल्य से यातायात संबंधी कटौती स्वीकृत दर से कुल रुपये ६,६३८.७१ नये पैसे अधिक की गई जिसे काश्तकारों को शीघ्र लौटाने के लिये उचित निर्देश भेज दिये गये हैं।

फतेहपुर जिले से थानेवार मुकदमे

*८३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न नं० ८०, दिनांक ३ मई, १९६२ के उत्तर के अनुसार सन् १९६१-६२ में जो २५ फीसदी मुकदमे छूटे हैं उनके इतने अधिक छूटने का क्या कारण है और १ अप्रैल, १९६२ के मुकदमों के २६ अप्रैल, १९६२ तक निर्णित होने की सूचना जो दी गई है उनके निर्णय की कौन कौन-सी तिथियां हैं? यदि नहीं, तो ऐसी सूचना का आधार क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अवधि में जो २३४ मुकदमे छूटे थे उनके छूटने के भिन्न-भिन्न कारण थे। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मुकदमें के संबंध में सूचना प्राप्त करना चाहते हों तो वह मेरे कार्यालय में आकर प्राप्त कर सकते हैं।

१-४-१९६२ से २६-४-१९६२ तक जिन मुकदमों के छूटने की सूचना दी गयी थी उनके निर्णय की तिथियां संलग्न तालिका में दी हुई हैं।

(देखिये नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ ५५१ पर)

सरकारी दफ्तरों के अस्थायी क्लर्क

*८४—श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के सरकारी दफ्तरों में कितने क्लर्क ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनको कार्य करते ५ वर्ष से १० वर्ष हो गये हैं और अब तक उनकी नौकरी अस्थायी हैं? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब वे बराबर कार्य कर रहे हैं तो उनकी नौकरी अब तक स्थायी क्यों नहीं की गई है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसे अस्थायी क्लर्कों की संख्या ६,६९७ है।

पद को स्थायी करने से पहले सरकार को यह भली-भांति देख लेना होता है कि पद के स्थायी रूप से चलने की संभावना है। बहुत से विभाग, योजनायें, या पद ऐसे हैं जो कई वर्ष से चल रहे हैं पर जिनका स्थायी रूप से चलना निश्चित नहीं है। उनमें कार्य करने वाले स्थायी नहीं किये जा सकते। हर वर्ष सरकार देख लेती है कि कौन-कौन पद स्थायी हो सकते हैं।

टेहरी-गढ़वाल के कुछ गांवों को भिलंगणा ब्लाक में शामिल करने की मांग

*८५—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—क्या नियोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या टेहरी-गढ़वाल जिले की हिन्दाव, ग्यारह गांव और नैलचामी पट्टियों की जनता की ओर से मांग की गई है कि उन पट्टियों को जखोली ब्लाक से पृथक कर धनसाली ब्लाक में शामिल किया जाय?

श्री हरगोविंदसिंह—टेहरी-गढ़वाल जिले की हिन्दाव, ग्यारह गांव तथा नेलचानी पट्टियों को जनता की ओर से इन पट्टियों को जखोली ब्लाक से पृथक कर भिलंगणा ब्लाक में शामिल किये जाने की मांग की गई थी।

*८६—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—क्या नियोजन मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि इस मांग की पूर्ति के लिये अब तक सरकार ने क्या किया है?

श्री हरगोविंदसिंह—इस पर सरकार ने विचार किया परन्तु इसका स्वीकार किया जाना संभव नहीं था।

जौनपुर के 'प्रकाश' अखबार को कोर्ट नोटिसेज देने पर आपत्ति

*८७—श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलों के हिन्दी तथा अंग्रेजी अखबारों को कोर्ट नोटिसेज देने का क्या नियम है?

श्री बनारसीदास—जिलों में कोर्ट नोटिसेज केवल उन्हीं दैनिक, अर्द्ध साप्ताहिक व साप्ताहिक समाचार-पत्रों को दिये जा सकते हैं, जो कम से कम ६ मास से प्रकाशित हो रहे हों, जिनकी कम से कम ग्राहक संख्या १,००० हो तथा जिनका प्रकाशन नियमित हो। किसी जिले में उपर्युक्त समाचार-पत्रों के न होने पर अन्य जिलों के उपर्युक्त समाचार-पत्रों को कोर्ट नोटिसेज प्रकाशनार्थ दिये जा सकते हैं। ग्राहक संख्या की पुष्टि किसी आडिटर के प्रमाण-पत्र अथवा सम्पादक या व्यवस्थापक के हलफनामे के द्वारा की जाती है।

*८८—श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या यह सत्य है कि जौनपुर के 'प्रकाश' अखबार को कोर्ट नोटिस दी जा रही है जब कि १९५२ के बाद से आज तक उस समाचार-पत्र के संचालकों ने कोई एफेडेविट अपने पेज सबस्क्राइबरों को नहीं दिया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बनारसीदास—जौनपुर के हिन्दी साप्ताहिक 'प्रकाश' को कोर्ट नोटिसेज प्रकाशनार्थ दिये जाते हैं। ग्राहक संख्या के प्रमाण के लिये समाचार-पत्र की ओर से हलफनामा प्रस्तुत किया गया है।

बबराल स्टेशन के निकट शव मिलना

*८९—श्री उल्फतसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत अप्रैल मास में बदायूं जिले में गुन्नौर थाने की पुलिस को बबराल स्टेशन के पास कोई शव प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो सरकार ने अब तक हत्यारों का पता लगाने में क्या कार्यवाही की है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक १८-४-१९६२ को बबराल स्टेशन के निकट मृतक तथा २ अन्य व्यक्ति जा रहे थे, तभी मृतक की तबियत अकस्मात् खराब हो गई तथा वे दो तीन बार पछाड़ खाकर गिरे तथा मर गये। सूचना प्राप्त होने पर थाना गुन्नौर की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तथा शव पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया गया। पोस्टमार्टम अथवा अभी तक की जांच से यह स्पष्ट नहीं है कि मृत्यु का कारण हत्या है। अतः जांच जारी है।

कर्मचारी संगठनों की मान्यता के मामले

*९०—श्री सुखलाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार के पास कर्मचारी संगठनों की मान्यता के कितने मामले एक वर्ष से अधिक से पड़े हैं और उनकी मान्यता प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—राज्य सरकार के पास कर्मचारी संगठनों की मान्यता के पांच मामले एक वर्ष से अधिक से पड़े हैं। उनकी मान्यता में विलम्ब का कारण यह है कि इनके संविधान नियमों के अनुसार नहीं थे और इस पर पत्र-व्यवहार होता रहा।

लखनऊ में आफिशियेटिंग एस० आई० की परीक्षा

*९१—श्री मोहनसिंह (जिला अल्मोड़ा)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ रेंज, लखनऊ में सन् १९६१ में आफिशियेटिंग एस० आई० के लिये कोई परीक्षा ली गई थी? यदि हां, तो उसमें किस किस स्तर के लोगों को बैठने की इजाजत दी गई थी?

*९२—क्या यह सही है कि उस परीक्षा के आधार पर आफिशियेटिंग काम करने के लिये एक सूची बनायी गई? यदि हां, तो वह सूची कितने लोगों की बनाई गई और मई, १९६२ तक कितने लोगों को आफिशियेटिंग का अवसर मिला है?

*९३—क्या यह सही है कि उक्त पद पर कुछ समय तक काम करने के बाद अस्थायी हेड कानस्टेबिल जो प्रमोशन पर थे उन्हें मई, १९६२ से रिवर्ट किया जा रहा है और जो उस सूची में कम नम्बर पाये थे उन्हें आफिशियेटिंग का अवसर दिया जा रहा है? यदि हां, तो ऐसे कितने लोग हैं जो कम नम्बर पाये थे और उन्हें मई, १९६२ तक आफिशियेटिंग का अवसर दिया गया है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है।

बाराबंकी अस्पतालों के डाक्टरों के विरुद्ध शिकायत

*९४—श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी अस्पतालों के डाक्टरों के खिलाफ कोई शिकायतें आई हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*९५—श्री द्विजेन्द्रनारायण—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन डाक्टरों का व्यवहार जनता के साथ सद्भावनापूर्ण नहीं है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन डाक्टरों का जनता के साथ व्यवहार सद्भावनापूर्ण है

*९६—श्री द्विजेन्द्रनारायण—क्या यह सही है कि एक महिला शिवकुमारी बेड नं० ३ पर जिला अस्पताल में हैं, उन्होंने मौजूदा डाक्टर के विरुद्ध कोई शिकायत सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो वह क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

विकास क्षेत्र रामपुरा व माधोगढ़ में कूप निर्माण

*९७—श्री बसन्तलाल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला जालौन में विकास क्षेत्र, रामपुरा और माधोगढ़ में, १९६० से अब तक विकास द्वारा कितने-कितने नये कुओं का निर्माण कहां-कहां और कितनी-कितनी लागत से हुआ है ?

श्री हरगोविंदसिंह—सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५५२ पर)

*९८—श्री बसन्तलाल—क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त विकास क्षेत्रों के अधिकारियों के खिलाफ कितनी-कितनी दरख्वास्तें जिलाधीश व डी०पी०ओ० के पास इस आशय की आई हैं कि मौका पर नया कुआं बनाया गया है मगर स्वीकृत रुपया उनको अभी तक पूरा नहीं मिला है और ऐसी कितनी शिकायतें हैं कि पहिले नये कूपों की स्वीकृति प्रदान की गयी और बाद को उनकी दरख्वास्तें अस्वीकृत की गयीं ?

श्री हरगोविंदसिंह—ऐसी कोई दरख्वास्त प्राप्त नहीं हुई।

बक्सापुर के निकट चिकित्सालय की आवश्यकता

*९९—श्री परमाई (जिला हरदोई)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरदोई जिले में ग्राम बक्सापुर के लगभग ८ या १० मील तक अस्पताल नहीं है ? क्या सरकार वहां की जनता के लाभ के लिये अस्पताल खोलने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम बक्सापुर के ८ या १० मील के अन्तर्गत कोई भी चिकित्सालय नहीं है, और न वहां अभी किसी प्रकार का चिकित्सालय खोलन का प्रश्न शासन क विचाराधीन है।

सुकुलपुर ग्राम में बलिकरन हरिजन की हत्या

*१००—श्री हरिगैनराम—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २० फरवरी, १९६२ को वाराणसी जिले में औराई थाने के अन्तर्गत ग्राम सुकुलपुर (चकमीरा) में बलिकरन हरिजन का कत्ल किया गया ? यदि हां, तो उस मामले में अभी तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२० फरवरी, १९६२ को उक्त ग्राम के बलिकरन हरिजन को ८ अभियुक्तों द्वारा लाठियों से मारा गया। इस घटना के संबंध में थाने पर धारा १४७/१४९/३०७/३२३/३२५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम हुआ। दौरान तफतीश बलिकरन की मृत्यु चोटों के फलस्वरूप हो गई, इसलिये शव परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा धारा १४७/१४९/३०४/३२३/३२५ भा०दं० वि० में परिवर्तित किया गया और २८ मार्च, १९६२ को सब अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई।

*१०१—श्री हरिगैनराम—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह सही है कि इस कत्ल में गवाही देने वाले गवाहों को अभियुक्तों द्वारा जाने से मारने की धमकी दी जा रही है ? यदि हां, तो उन गवाहों की रक्षा के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभियुक्तों ने सुबूत के गवाहों को जान माल की धमकी दी। इस संबंध में अभियुक्तों व उनके साथियों के विरुद्ध धारा १०७/११७ जा० फौ० के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

रिहन्द बांध के उद्वासित किसानों का पुनर्वासन

*१०२—**श्री रामप्यारे** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रिहन्द बांध से ४५ हजार उद्वासित किसानों के बसाने के लिये कौन-कौन-सी व्यवस्थायें की गयी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश में उद्वासित होने वाले लगभग ४०,००० व्यक्ति हैं, इनकी भूमि तथा सम्पत्ति के नकद प्रतिकर के अतिरिक्त सरकार ने इनके लिये पुनर्वासन क्षेत्र में मकान बनाने तथा खेती करने के लिये भूमि तथा उनकी सुविधा के लिये स्कूल, पंचायतघर, कुयें, बंधियां तथा सड़कों की व्यवस्था की है। डूब क्षेत्र से पुनर्वासन क्षेत्र तक विस्थापितों का सामान ले जाने, मकान बनाने के लिये रियायती दर पर लकड़ी दिलाने तथा पुनर्वासन क्षेत्र में दी गई भूमि में से पेड़ों के खूंटों को निकालने की भी सुविधा दी गई है। उपरोक्त सुविधाओं के बदले में नकद पुनर्वास ग्रांट देने की भी व्यवस्था है।

*१०३—**श्री रामप्यारे**—क्या सरकार ने जो जंगल उद्वासियों के बसाने के लिये कटवाये हैं उनमें कितने हिस्से में उद्वासित बस गये हैं और यदि नहीं बसे हैं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जंगल विभाग से लिये गये पुनर्वास क्षेत्र में से ८,४२६ एकड़ भूमि उद्वासित परिवारों को खेती करने तथा मकान बनाने के लिये दी जा चुकी है। शेष उद्वासित परिवारों ने नकद पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे हैं।

*१०४—**श्री रामप्यारे**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में रिहन्द बांध से उद्वासितों को जो मुआवजा दिया गया है वह मध्य प्रदेश की इसी बांध से निर्वासित होने वाली जनता के प्राप्त मुआवजा से कम है ? क्या सरकार उत्तर प्रदेश में निर्वासित होने वाली जनता को कुछ और मुआवजा बढ़ाने के संबंध में विचार कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—मुआवजे की दरें दोनों प्रदेशों में विभिन्न प्रकार से निर्धारित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि का वर्गीकरण नहीं हुआ था और मध्य प्रदेश में भूमि का वर्गीकरण हो चुका था, इस कारण मध्य प्रदेश में भूमि का मुआवजा अधिक मिला परन्तु पेड़ों आदि का मुआवजा उत्तर प्रदेश में अधिक दिया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनर्वास संबंधी अन्य बहुत-सी सुविधायें भी दी हैं। इस कारण मुआवजा बढ़ाने के संबंध में कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

*१०५—**श्री जे० पी० मिश्र** (जिला हरदोई)—[हटा दिया गया।]

टी० बी० मरीजों को अलग रखने का सुझाव

*१०६—**श्री मुहम्मद रफी खां** (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार अपने सैनेटोरियम और हर जिले के अस्पतालों में टी० बी० के मरीजों को, जो एडवांस स्टेज में हों, अलाहिदा रखने का कोई इन्तजाम करेगी। अगर हां, तो कब तक ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी सूचना एकत्र की जा रही है।

*१०७—**श्री मुहम्मद रफी खां**—सरकार ने टी० बी० के मरीजों को सरकारी अस्पतालों में दाखिले के लिये हरदोई, बदायूं, शाहजहांपुर, लखीमपुर, पीलीभीत आदि जिलों में क्या सहूलियतें दी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी सूचना एकत्र की जा रही है।

जरवल रोड, बलरामपुर, तुलसीपुर, नवाबगंज, बभनान चीनी मिलों विषयक देय धनराशि तथा बैंक प्लेज्ड् शकर

*१०८—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जरवल रोड, बलरामपुर, तुलसीपुर, नवाबगंज, बभनान मिलों ने कितनी कीमत की शकर बैंक को प्लेज्ड की है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—निर्दिष्ट चीनी मिलों ने जितने कीमत की शकर बैंक को प्लेज्ड् की है उसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ५५३ पर)

*१०९—श्री ईश्वरशरण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त मिलों पर बाकी सरकारी धन वसूलने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है और कब तक वसूल हो जाने की संभावना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—उपरोक्त मिलों से सेस तथा क्रय-कर की मद के अन्तर्गत ३०-६-१९६२ तक देय सरकारी धनराशि की वसूली के संबंध में १९६१-६२ सीजन के पूर्व की बकाया रकम की वसूली के लिये रिकवरी सर्टीफिकेट पहिले ही जारी किये जा चुके हैं और वर्तमान सीजन की, निर्दिष्ट तारीख तक, बकाया रकम की वसूली के लिये संबंधित जिलाधीश को उचित निर्देश भेज दिये गये हैं।

कासिमाबाद थाना इंचार्ज के विरुद्ध आरोपों की जांच

*११०—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर, थाना कासिमाबाद के इन्चार्ज के खिलाफ मारने और घूस लेने की मार्च, अप्रैल तथा मई, १९६२ में पब्लिक द्वारा कितनी दरख्वास्तें पुलिस कप्तान के पास भेजी गयीं और उन दरख्वास्तों पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस अवधि में इन्चार्ज थाना, कासिमाबाद के विरुद्ध केवल दो दरख्वास्तें प्राप्त हुई थीं। इन दरख्वास्तों में लगाये गये आरोपों की जांच की गई। जांच पर आरोप सही नहीं पाये गये।

हरैया ब्लाक में कुओं तथा पंपिंग सेट के लिये तकावी

*१११—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हरैया ब्लाक (आजमगढ़) में १ मार्च, १९६२ से ३१ मार्च, १९६२ तक कितने व्यक्तियों को कितना धन कुआं, पंपिंग आदि के लिये तकावी दी गयी है ?

श्री हरगोविंदसिंह—२०७ व्यक्तियों को १,६५,००० रुपये कुयें बनाने तथा पंपिंग सेट आदि लगाने हेतु तकावी के रूप में दिये गये।

*११२—श्री इन्द्रासनसिंह—क्या सरकार की तरफ से यह भी आदेश था कि तकावी प्राप्तकर्ताओं से ब्लाक के अस्पताल की इमारत के लिये चन्दा लिया जाय ? यदि चन्दा लिया गया है, तो वह धन कितना है ?

श्री हरगोविंदसिंह—जी नहीं।

हसनपुर तहसील में प्रधान, ग्राम सभाओं की मुअत्तली

*११३—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६१-६२ में हाकिम परगना, तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद ने कितनी ग्राम सभाओं का निरीक्षण कब-कब किया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--हाकिम परगना, तहसील हसनपुर, जिला मुरादाबाद ने उक्त अवधि में कोई निरीक्षण नहीं किया।

*११४--**श्री सुखनलाल**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाकिम परगना द्वारा कितने प्रधान ग्राम सभाओं को मुअत्तल किया गया था या करने की कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--सूचना एकत्र की जा रही है।

गंगलई निवासी श्री ठाकुर मुन्शीसिंह की हत्या

*११५--**डाक्टर सियाराम गंगवार** (जिला फर्रुखाबाद)--क्या मुख्य मंत्री को पता है कि विगत आम चुनाव में जिला फर्रुखाबाद के शमसाबाद थाने के अन्तर्गत ग्राम गंगलई के श्री ठाकुर मुन्शीसिंह का कत्ल षडयन्त्रकारी ढंग पर हो गया था उस मामले में अभी तक क्या कार्यवाही अमल में लायी गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--जी नहीं। श्री मुंशीसिंह का कत्ल षडयन्त्रकारी ढंग पर नहीं हुआ किन्तु वे अपने घर में पड़ी एक डकैती में डाकुओं की गोली से मारे गये। इस संबंध में ५ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और जांच जारी है।

*११६--**डाक्टर सियाराम गंगवार**--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के दैनिक 'बमबम' तारीख १७ फरवरी, १९६२ में मुन्शीसिंह के कत्ल का समाचार प्रकाशित हुआ था और उसमें लगाये हुये आरोपों की जांच हुयी है ? यदि नहीं, तो क्या आगे उन तथ्यों पर जांच कराने का विचार रखती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उक्त समाचार बढ़ा चढ़ा कर छापा गया है तथा निराधार है, अतः आगे जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

*११७--**डाक्टर सियाराम गंगवार**--क्या सरकार उक्त मुन्शीसिंह के कत्ल की जांच सी० आई० डी० विभाग द्वारा कराने की कृपा करेगी। यदि नहीं, तो किन कारणों से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--हत्या स्पष्टतः डकैतों ने की है जिन्होंने अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है, अतः सी०आई०डी० द्वारा जांच कराने से लाभ की कोई संभावना नहीं है।

गाजीपुर जिले में विभिन्न अपराधों की घटनाएं

*११८--**श्री झिलमिटराम** (जिला गाजीपुर)--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिला में गत तीन वर्षों में कितनी चोरियां, डकैतियां तथा हत्यायें प्रति वर्ष प्रति थाना में हुई हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ५५४ पर)

*११९--**श्री झिलमिटराम**--क्या सरकार का ध्यान इसकी ओर गया है कि गाजीपुर जिले में भयानक अपराध क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं ? यदि हां, तो इनकी रोक-थाम हेतु सरकार कौन विशेष कदम उठा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--अपराधों की संख्या वास्तव में बढ़ नहीं रही है और इनमें वृद्धि होना इस वजह से मालूम पड़ता है क्योंकि अपराधों की सभी रिपोर्टें दर्ज कर ली जाती हैं। अपराधों की रोकथाम के लिये पुलिस काफी सतर्क रहती है।

[२३ अगस्त, १९६२ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

इंडियन बाबिन कम्पनी, बरेली का बन्द होना

*१—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाबिन कम्पनी, बरेली की जो जमीन तथा इमारत ह उनको सरकार क्या बेच देने पर विचार कर रही है ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जमीन, स्टोर्स, रेलवे की जमीन, मशीनों का बेलेंस शीट में क्या हिसाब बना कर रक्खा गया है तथा जिलाधीश बरेली ने क्या हिसाब बना कर दिया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अभी तक सरकार ने इंडियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड के भवनों एवं भूमि को बेचने का कोई विचार नहीं किया है। संतुलन पत्र एवं लाभ हानि खाते में ३१-३-१९६२ को कम्पनी के स्टोर, रेलवे साइडिंग तथा मशीनों के हिसाब का ब्योरा निम्नलिखित है :—

			रु०
स्टोर	..	..	१,७१,२४२.००
चालू मशीनें	..	..	१,०८,०४८.००
रेलवे साइडिंग	..	..	१९,५३४.००
बन्द मशीनें	..	..	१,०९,८८६.००

कम्पनी की भूमि, इमारतों तथा मशीनों का मूल्यांकन जिलाधीश, बरेली, पी० डब्ल्यू० डी० तथा रीगेशन वर्कशाप, आइजरनगर, द्वारा कराया जा रहा है।

*२—श्री ऊदल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाबिन कम्पनी बन्द हो जाने से कितने रुपये का घाटा सरकार को हुआ है और कितने रुपये का कर्ज इस कम्पनी को सरकार ने दिया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इंडियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड में सरकार के २,३४,२९३ रुपये के अंश हैं। इन अंशों पर अभी तक सरकार को लाभांश नहीं मिला है। सरकार को इस प्रकार के लाभांश न मिलने के परिणाम स्वरूप इस रकम पर व्याज की हानि हुई है।

सरकार ने फरवरी-मार्च, १९५२ ई० में इंडियन बाबिन कम्पनी लिमिटेड को ८ लाख रुपये का ऋण दिया था। इसक अतिरिक्त सन् १९५० में सर्वश्री ज० पी० श्रीवास्तव ऐन्ड सन्स के कम्पनी को हस्तांरित करत समय कम्पनी के ऊपर ४,७२,२६६ रुपये की मद जो सर्वश्री जे० पी० श्रीवास्तव ऐंड सन्स ने कम्पनी को ऋण के रूप में दिया था, व्याज और मूलधन के साथ निरूपित कर दिया गया।

सरकार का कम्पनी के ऊपर ३१ मार्च, १९६२ तक कुल २६,०७,५७८.९३ रुपये बाकी है। इसमें मूलधन, व्याज तथा पेनल व्याज सम्मिलित है।

घोसी विकास क्षेत्र के स्टोर कीपर के विरुद्ध शिकायत

*३—श्री रामसुन्द रपांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नियोजन अधिकारी, आजमगढ़ के पास विकास खंड घोसी के अन्तर्गत ग्राम कनकूडीह के गांव सभा प्रधान ने ५ जनवरी, १९६२ को प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें विकास खंड के कई कर्मचारियों की शिकायत की गई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कौन-सी कार्यवाही की गई है ?

श्री हरगोविंदसिंह—जी नहीं। ग्राम कनकूडीह के ग्राम प्रधान ने ५-३-१९६२ को खंड विकास अधिकारी, बडरांव के समक्ष इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की थी कि घोसी विकास क्षेत्र के स्टोर कीपर श्री जगदीशनारायणलाल ने १४ फरवरी, १९५६ की ग्राम सभा कनकूडीह का एक पेट्रोमैक्स, वापस कर देने के वायदे पर, लिया था किन्तु पेट्रोमैक्स अभी तक वापस नहीं हुआ। जहां तक कार्यवाही का प्रश्न है, श्री जगदीशनारायणलाल (जो अब घोसी ब्लाक के कर्मचारी नहीं रहे), गबन के एक मामले के संबंध में फरार ह। ऐसी स्थिति में प्रारम्भिक जांच-पड़ताल भी संभव नहीं है।

पुलिस कप्तान, आजमगढ़ को सिसवां ग्राम से आवेदन-पत्र तथा नवीन स्थानों का विद्युतीकरण

*४—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम सिसवां के प्रधान ने ९ जनवरी, १९६२ और ११ मार्च, १९६२ को पुलिस कप्तान, आजमगढ़ के पास आवेदन-पत्र भेजा है जिसमें असामाजिक कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त प्रधान का ९-१-१९६२ का कोई आवेदन-पत्र एस०पी० आजमगढ़ को प्राप्त होना नहीं पाया गया। दिनांक ११-३-१९६२ का आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें असामाजिक कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की गई थी। इसके विषय में स्थानीय पुलिस द्वारा जांच कराई गई जिसके फलस्वरूप शिकायत सही नहीं पाई गई।

*५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालू वित्तीय वर्ष (१९६२-६३) में प्रदेश के किन-किन ग्रामों तथा कस्बों को बिजली देने का आयोजन है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चालू वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में अभी तक १५३ नगरों का विद्युतीकरण किये जाने के लिये स्वीकृति दे दी गई है, जिनकी नामावली † संलग्न है।

*६—श्री ऊदल—[८ अगस्त, १९६२ को तारांकित प्रश्न ३० के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

इलाहाबाद जिले में छोटे तथा बड़े उद्योग के कारखाने

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन से कारखाने नये इलाहाबाद में बनाये जायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा इलाहाबाद में कोई नये कारखाने नहीं खोले जायेंगे बल्कि फूलपुर, जिला इलाहाबाद में एक ग्रामीण औद्योगिक आस्थान (Rural Industrial Estate) की स्थापना की जायगी।

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी में कोई कारखाना टायर का खोलन का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस कारखाने को कौन चलायेगा तथा इसमें कितना धन व्यय होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, सरकार ऐसा कोई कारखाना खोलने का विचार नहीं कर रही, है पर अगस्त, १९६१ में सर्वश्री जनरल यूनिवर्सल टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता को नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी में उक्त कारखाना स्थापित करने का लायसेंस मिला है जिसका अनुमानित व्यय लगभग १० करोड़ रुपया होगा।

*९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद के नगर के तथा नैनी इन्डस्ट्रियल कालोनी में कितने कारखाने छोटे तथा बड़े कौन-कौन सामान बनाने के चल रहे हैं और किन-किन कारखानों का सामान विदेशों में १९६१-६२ में कितना-कितना भेजा गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इलाहाबाद के नगर में कुल २३ वृहत उद्योग (Large Scale Industries) तथा २५० लघु उद्योग (Small Scale Industries) तथा नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी में २३ लघु उद्योग (Small Scale Industries) के कारखाने इंजीनियरिंग प्रेस, बर्तन, उद्योग, स्टील फर्नीचर, ट्रक, लकड़ी के फर्नीचर, टार्च, सूत, खेलने के सामान बनाने के चल रहे हैं। उपरोक्त कारखानों में से जिन कारखानों का सामान १९६१-६२ के वर्ष में विदेशों को भेजा गया है, उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ५५५ पर)

† छापी नहीं गई।

पुलिस कार्यालयों के पुनस्संघटित करने पर विचार

*१०—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग में जो वतन वृद्धि हुई है उसमें पुलिस का लिपिक वर्ग भी सम्मलित है, या नहीं ? क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग के लिपिक वर्ग को भी पुलिस फोर्स में शामिल कर दिया जावे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। सरकार का अभी ऐसा कोई विचार नहीं है।

*११—श्री गणेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस लिपिक वर्ग के पुनःगठन के लिये श्री के० के० दास, आई० सी० एस० को सरकार ने सन् १९५७ में नियुक्त किया था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

*१२—श्री गणेशचन्द्र काछी—उन्होंने क्य रिपोर्ट दी है ? और उसके मुताबिक अब क्या हो रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री दास ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस कार्यालयों को पुनस्संगठित किये जाने, कर्मचारियों की संख्या कम करने तथा उस बचत से लिपिक वर्ग के वेतन में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में विविध सिफारिशें की हैं जिनका विवरण दिया जाना यहां सम्भव नहीं है। यदि सदस्य महोदय चाहें तो सिफारिशों का विवरण मेरे कमरे में देख सकते हैं। उपर्युक्त सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

परीक्षाओं में भ्रष्टाचार करने वालों की गिरफ्तारी

*१३—श्री झारखंडे राय—क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि गत कई वर्षों से परीक्षाओं के पर्चे आउट करने तथा नम्बर बढ़ाने के कुकर्म में रत किसी बड़ गिरोह का पता राज्य पुलिस को लगा है ? यदि हां, तो इस विषय में अब तक कितने आदमी गिरफ्तार किये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, एक ऐसे गिरोह का पता चला है। इसके ८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

*१४-१५—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—[१०वें शुक्रवार के लिये तारांकित प्रश्न १८-१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

चीनी मिलों का विकास तथा क्षमता

*१६—श्री गेंदासिंह—क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश की किस चीनी मिल की कितनी क्षमता पहले से थी और उसे कितनी क्षमता बढ़ाने की इजाजत सरकार द्वारा दी गई है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस प्रदेश की ऐसा प्रत्येक चीनी मिल जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने क्षमता बढ़ाने का लाइसेंस प्रदान किया है, की पहिले की क्षमता व बढ़ी हुई क्षमता का विवरण संलग्न तालिका 'क' में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ५५६-५५८ पर)

*१७—श्री गेंदासिंह—क्या प्रदेश की मलों को अपने विकास अथवा अन्य प्रकार के कार्यों क लिये सरकार ने किसी प्रकार की आर्थिक सहायता कर्ज या अन्य प्रकार से किया है या देने का प्रश्न विचाराधीन है ? यदि हां, तो किस मिल को कितना ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---इस प्रदेश में सहकारी चीनी मिल लगाने व किच्छा (नैनीताल) में ज्वाइंट स्टाक शुगर फैक्टरी स्थापित करने के लिये जो राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता या ऋण दिया गया उसका विवरण संलग्न तालिका 'ख' में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ५५८ पर)

*१८---**श्री गेंदासिंह**---क्या किसी मिल की क्षमता बढ़ाने, विकसित करने अथवा आर्थिक सहायता के संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की है या करने का विचार है? यदि हां, तो किसे और किस प्रकार?

श्री दाऊदयाल खन्ना---तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय सरकार से कुल ४४ चीनी मिलों को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये सिफारिश की गई थी जिनमें से उपरोक्त तालिका 'क' में क्रम सं० १० से ३५ तक उल्लिखित २६ चीनी मिलों को केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त हो गई और शेष १८ मिलों की क्षमता बढ़ाने के विषय में केन्द्रीय सरकार ने देश में चीनी उत्पादन की अधिकाई के कारण फिलहाल निर्णय लेना स्थगित कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा आर्थिक तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिये कोई सिफारिश नहीं की गई।

लखनऊ में कत्ल

*१९---**श्री हिम्मतसिंह** (जिला बुलन्दशहर), **श्री धूमप्रसाद** (जिला फैजाबाद) तथा **श्री रक्षपालसिंह** (जिला फतेहपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ नगर में १ जनवरी, १९६१ से लेकर आजतक कितने कत्ल हुए और उनमें से कितनों पर मुकद्दमा चलाये गये?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---१ जनवरी १९६१ से ११ जुलाई, १९६२ तक लखनऊ नगर में कुल ३४ कत्ल की घटनाएं हुईं जिसमें से अब तक २४ में मुकद्दमे चलाए गये।

भ्रष्टाचार रोकने के लिए कमीशन बैठाने की जानकारी

*२०---**श्री हिम्मतसिंह, श्री मुकुटबिहारीलाल, श्री रक्षपालसिंह तथा श्री ऊदल**---क्या सरकार यह बताने का कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में फैले हुये भ्रष्टाचार के रोकने के लिये और उसके कारण जानने के लिये कोई कमीशन बिठाने की योजना है? यदि हां, तो उसे कब तक कार्यान्वित किया जायगा?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*२१-२३---**श्री कल्पनार्थसिंह** (जिला गोरखपुर)---[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किये गये।]

*२४---**श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय** (जिला गोरखपुर)---[हटा दिया गया।]

गोंडा जिले के उद्योग

*२५---**श्री राघवेन्द्रप्रताप सिंह** (जिला गोंडा)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में कौन-कौन मुख्य उद्योग हैं और सरकार ने किन-किन नये उद्योगों को प्रोत्साहित किया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---गोंडा जिला के मुख्य उद्योगों की सूची संलग्न है। सरकार ने जिन जिन नये उद्योगों को प्रोत्साहित किया, उनका सूचना एकत्रित की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ५५९ पर)

*२६—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला में कहां-कहां औद्योगिक आस्थान "Industrial Estate" किन उद्योगों के लिये स्थापित किया और कहां-कहां और स्थापना करने का विचार है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेशीय सरकार ने गोंडा जिला में कोई औद्योगिक आस्थान (Industrial Estate) स्थापित नहीं किया है, बल्कि तृतीय पंचवर्षीय योजनान्तर्गत एक हरिजन औद्योगिक (Harijan Industrial Estate), बलरामपुर, जिला गोंडा में स्थापित किया जायगा जिनमें चलाये जाने वाले उद्योगों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ५६० पर)

*२७—श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करगी कि पिछले तीन वर्षों में गोंडा जिले में किन-किन लोगों को पांच हजार रुपया से अधिक उद्योग स्थापना के लिये और किन उद्योगों के लिय कर्जा दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ५६१ पर)

सदरबाजार थाने के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*२८—श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि नगर सहारनपुर के थाना सदरबाजार के कर्मचारियों के विरुद्ध मार पीट तथा दुर्व्यवहार और झूठे मुकदमें बनाये जाने के बारे में सरकार तथा (S. P.) सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस, सहारनपुर को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थाना सदरबाजार, सहारनपुर के कर्मचारियों के विरुद्ध सन् १९६२ से अब तक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सहारनपुर को केवल तीन शिकायतें प्राप्त हुईं। जांच से सभी शिकायतें असत्य पाई गईं। सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

'जागरण' में जिला उद्योग कार्यालय, बांदा के भ्रष्टाचार का प्रकाशन

*२९—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—क्या सरकार का ध्यान दैनिक समाचार पत्र 'जागरण' दिनांक ४ मई, १९६२ की ओर गया जिसमें स्थानीय उद्योग विभाग, बांदा में भ्रष्टाचार का भन्डा फोड़ हुआ है ? यदि हां, तो उसके संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, ४ मई, १९६२ के दैनिक 'जागरण' में जिला उद्योग कार्यालय, बांदा के विषय में की गई आलोचना पर सरकार का ध्यान गया। आलोचना में उठाई गई बातों पर उचित जांच कराई गई।

*३०—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि स्थानीय उद्योग विभाग, बांदा का कब आडिट हुआ और उसकी क्या रिपोर्ट है ? यदि नहीं, तो आडिट अब तक क्यों नहीं हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला उद्योग कार्यालय, बांदा का पिछला आडिट, जनवरी, १९६२ में हुआ। आडिट रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ५६३ पर)

देहरादून जिले के पुलिस सब-इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी

*३१—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पहली जुलाई, सन् १९६१ से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक आगरा तथा मेरठ Divisions में कितने थानेदार, Sub-Inspectors तथा Inspectors पुलिस के भ्रष्टाचार तथा दूसरे कारणों से नौकरी से dismiss किये गये और वह किस-किस जिले से संबंधित थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में केवल एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर डिसमिस किया गया, जो जिला देहरादून का था।

*३२—श्री ब्रह्मदत्त मायर—क्या मुख्य मंत्री भी बतायेंगे कि इन Dismissed पुलिस कर्मचारियों में से कितने फिर से नौकरी पर रख लिये गये और किन कारणों से रखे गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—कोई नहीं। प्रश्न का पिछला भाग नहीं उठता।

उत्तर काशी व टेहरी जिलों में ठेकेदारों का बाण्ड रेट से भुगतान

*३३—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टेहरी तथा उत्तर काशी जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा किये गये कामों का बाण्ड रेट के अनुसार भुगतान आज तक क्यों नहीं कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर काशी व टेहरी के जिलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा किये गये कामों का भुगतान बाण्ड रेट के अनुसार ही किया जाता है।

जहां ठेकेदार बाण्ड की शर्तों के अनुसार काम नहीं करते, वहां काम को देखकर दरों में कुछ कमी अवश्य करनी पड़ती है।

कानपुर की काली टैक्सी

*३४—श्री झारखंडेराय—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत २६ अप्रैल की रात ११ बजे कानपुर नगर के धनिकों की आबादी वाले क्षेत्र नगर बंगला एरिया में एक काली टैक्सी, जो हवा से बातें करती भागी जा रही थी से "बचाओ", "बचाओ", की आवाज सुनाई पड़ रही थी, जिससे नगर महापालिका के सदस्य श्री मोहनराम शुक्ल ने अपने अनेक साथियों के साथ सुनी और तत्काल पुलिस को सूचना दी, परन्तु कानपुर पुलिस ने तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—२६-४-१९६२ को पुत्तनलाल नामक व्यक्ति ने कानपुर जिले के नवाबगंज थाने पर घटना के सवा घंटे बाद इस आशय की सूचना दी थी कि एक काले रंग की कार बागला साहब के बंगले की तरफ से आ रही थी जिसमें से "दौड़ो, बचाओ, बचाओ" की आवाज आती हुई मालूम हो रही थी। उपरोक्त सूचना मिलने पर कन्ट्रोल रूम को तत्काल ही फोन कर दिया गया। कंट्रोल रूम ने उक्त कार की तालाश में पैट्रोल कारें तुरन्त रवाना कीं ? इसके अतिरिक्त गंगाघाट पुल, नुरैया बैरियर व थाना छावनी को भी फोन कर दिया गया था। स्थानीय पुलिस ने जांच भी की थी किन्तु उक्त कार का कुछ पता नहीं लगा।

*३५—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार को इसकी सूचना है कि कानपुर शहर में इस प्रकार की यह तीसरी सनसनीखेज घटना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। उपर्युक्त सूचना के अतिरिक्त अन्य किसी घटना की सूचना थाने पर या किसी अधिकारी को नहीं मिली।

*३६–३८—श्री विजयसिंह—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

झांसी में समाचार-पत्रों का प्रकाशन

*३९—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी से कितने समाचार-पत्र दैनिक एवं साप्ताहिक रूप में समय पर प्रकाशित होते हैं, व कितने दैनिक एवं साप्ताहिक पत्र ऐसे हैं जो कभी-कभी प्रकाशित होते हैं ?

श्री बनारसीदास—२ दैनिक व ४ साप्ताहिक समाचार-पत्र समय पर और २ दैनिक व ११ साप्ताहिक समाचार-पत्र अनियमित रूप से प्रकाशित होते हैं ।

आयुर्वेदिक चिकित्सकों का वेतन तथा भत्ता

*४०—श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो इस बात की सिफारिश की है कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों का वेतनक्रम १२०–२०० रुपये से बढ़ा कर २००–४०० रुपये कर दिया जाय और सरकार ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया है, उसके अनुसार नया वेतन-क्रम श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों पर भी लागू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—अभी तक उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक वेतन आयोग की नियुक्ति नहीं हुई है । अतः उसके द्वारा की गई सिफारिशों का प्रश्न नहीं उठता ।

*४१—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस प्रकार उसकी घोषणा के मुताबिक प्राविंशियल सबार्डीनेट मेडिकल सर्विसेस के अधिकारियों को निजी प्रैक्टिस न करने के लिये दिये जाने वाला भत्ता २०–५० से ५०–१०० रुपये प्रति माह कर दिया गया है, उसी के अनुसार श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को भी निजी भत्ता १०–१५ रुपये से बढ़ा कर २०–५० रुपये प्रति माह कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—श्रम विभाग के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को मिलने वाले non-practising allowance की दर में कोई वृद्धि करने का प्रस्ताव नहीं है ।

जड़ी-बूटियों के उपयोग के लिये सुझाव

*४२—श्री मतोलासिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चित्रकूट में सरकार कोई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संग्रहालय खोलने का विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो कब तक और कहाँ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*४३—श्री मतोला सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जड़ी-बूटियों द्वारा इंजेक्शन तैयार करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

*४४–४५—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४६—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिया गया ।]

*४७–४९—श्री लखीसिंह—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

फतेहपुर जिले में अपराधियों की जमानत में देरी

*५०—श्री रक्षपालसिंह तथा श्री हिम्मतसिंह—क्या मुख्य मंत्री को यह पता है कि जिला फतेहपुर में पुलिस अधिकारियों द्वारा हैन्ड बुक फार क्रिमनल ऐन्ड रेवेन्यू कोर्ट्स के अन्तर्गत धारा ६५, जिसमें कहा गया है कि जमानत के विरोध करने के कारणों को प्रथम रिमान्ड के साथ अदालत भेजना चाहिये, नहीं किया जाता, जिससे जमानतों में अनावश्यक देरी होती है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त नियमों को कड़ाई से पालन हतु आदेश जारी करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला फतेहपुर में हैन्ड बुक फार क्रिमिनल ऐन्ड रेवेन्यू कोर्ट्स के पैरा ६५ का पालन पूरी तरह से किया जाता है। प्रश्न का दूसरा भाग उठता ही नहीं।

घूसखोरों को दंड देने के लिये कदम

*५१—श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रिश्वत लेने वाले सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को जल्द से जल्द सजा देने के सिलसिले में भारत सरकार ने अपने सुझाव सरकार के पास राय लेने के लिये भेजे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस विषय पर भारत सरकार की राय सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिये आई है।

आजमगढ़ जिले में दफा १०९ व ११० के मुकदमें

*५२—श्री सुरजन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में जनवरी, सन् १९६१ से अप्रैल, सन् १९६२ तक कितने मुकदमे १०९ और ११० के चलाये गये ? उनमें कितनों को सजायें हुईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में धारा १०९ दं० वि० सं० के २७० मुकदमे तथा धारा ११० दं० वि० सं० के ५९ मुकदमे चलाये गये। उनमें से क्रमशः २१८ तथा ४२ मामलों में संबंधित व्यक्तियों को अच्छा आचरण रखने के लिये पाबन्द किया गया।

झांसी बिजली कम्पनी की कार्य अवधि बढ़ाना

*५३—श्री लखपतराम शर्मा—क्या झांसी की जनता द्वारा बिजली कम्पनी का एग्रीमेंट कई वर्षों से न बढ़ाये जाने और उसका राष्ट्रीयकरण करने का आन्दोलन कई वर्षों से जो चल रहा है उस पर भी फरवरी अथवा मार्च, सन् १९६२ में पाँच वर्ष के लिये समय बढ़ा देने का क्या कारण था जब कि बिजली कम्पनी की कार्य व्यवस्था भी भारी असंतोष का कारण जनता में वर्षों से बना हुआ है ? क्या बिजली कम्पनी ने कोई प्रार्थना-पत्र एग्रीमेंट बढ़ाये जाने के हेतु राज्य सरकार को दिया था यदि हाँ, तो कब और क्या सरकार अब भी बिजली कम्पनी के राष्ट्रीयकरण का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—झांसी बिजली कम्पनी का एग्रीमेंट न बढ़ाये जाने और उसका राष्ट्रीयकरण करने के आन्दोलन की कोई सूचना शासन को नहीं है। इस कम्पनी का लाइसेंस नवम्बर, सन् १९२७ में मंजूर किया गया था। लाइसेंस दिये जाने की तिथि से २५ वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक १० वर्ष की समाप्ति पर कम्पनी के व्यवसाय को खरीदा जा सकता था। इस प्रकार खरीदने का अवसर फिलहाल नवम्बर, १९६२ में राज्य विद्युत् परिषद् को प्राप्त होता। परन्तु माता-टीला की योजना पूर्ण होने के पहले राज्य विद्युत् परिषद् ने कम्पनी के व्यवसाय को खरीदना उपयुक्त नहीं समझा है। यह अवसर पुनः १० साल की अवधि तक न टल जाय, इस हेतु से राज्य विद्युत् परिषद् तथा कम्पनी की सहमति से फरवरी, १९६२ में कम्पनी के लाइसेंस में यह संशोधन कर दिया गया कि कम्पनी का व्यवसाय हर दस साल की अवधि की समाप्ति के बजाय हर पाँच साल की अवधि की समाप्ति पर खरीदा जा सके। तदनुसार

अब कम्पनी को खरीदने का अवसर पुनः नवम्बर, १९६७ में उपलब्ध होगा और इसके लिये राज्य विद्युत् परिषद् यथासमय विचार करेगी। उस समय माता टीला से भी बिजली प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

*५४-५६—श्री विजयपालसिंह—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

उन्नाव जिले में अपराध की घटनाएं

*५७—श्री भीखालाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के प्रत्येक थाने में १ जनवरी, १९६१ से ३१ दिसम्बर, १९६१ तक व १ जनवरी, १९६२ से ३० अप्रैल, १९६२ तक अगल-अलग कितने कत्ल, डकैतियाँ व राहजनी की घटनायें हुईं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका 'क' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ५६४-५६६ पर)

*५८—श्री भीखालाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त अवधि में जितने कत्ल हुये उसमें कितनी ऐसी घटनायें हैं जिनमें एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तियों का कत्ल हुआ और कितनी डकैती की घटनायें ऐसी हैं जिनमें कत्ल भी हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनाँक १-१-१९६१ से ३०-४-१९६२ तक की अवधि में हुई कत्ल की घटनाओं में से ५ घटनायें ऐसी हैं जिनमें एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों का कत्ल हुआ। इनमें से ४ घटनायें १९६१ की व १ घटना १९६२ की है। इस अवधि में डकैती की जो घटनायें हुईं उनमें से ८ घटनाओं में कत्ल हुये। इनमें से ६ घटनायें १९६१ की हैं व २ घटनायें १९६२ की हैं।

*५९—श्री भीखालाल—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त घटनाओं में अलग-अलग कितने मामलों में सजायें हुईं और कितने मामले अदालत द्वारा छोड़ दिये गये और कितने मामले अभी अदालतों के समक्ष विचाराधीन हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वांछित सूचना संलग्न तालिका 'ख' में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ५६४-५६६ पर)

*६०-६२—श्री शराफत हुसेन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*६३—श्री दयाराम शाक्य—[हटा दिया गया।]

*६४—श्री रामसुन्दर शास्त्री—[हटा दिया गया।]

फर्रुखाबाद के नुनिहाई होम्योपैथिक औषधालय को अनुदान

*६५—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद के मुहल्ला नुनिहाई में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी श्री श्यामबिहारीलाल सक्सेना द्वारा अपनी समस्त सम्पत्ति लगाकर स्थापित होमियोपैथिक औषधालय को अनुदान देती है ? यदि हाँ, तो कितना, यदि नहीं तो, क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हाँ। इस औषधालय को १९५६-५७ में ५०० रुपये, १९५७-५८ में ८३४ रुपये ३१ नये पैसे, और १९५९-६० में ४०० रुपये अनुदान में दिया जा चुका है।

नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र

*६६—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे राज्य के सरकारी अस्पतालों में इस समय नर्सों की कुल संख्या कितनी है और उसमें कितनी अस्थायी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—स्टाफ नर्सों की कुल संख्या ९३१ हैं, जिसमें से २८५ पूर्णतः अस्थायी हैं और ३४४ प्रोबेशन पर हैं।

*६७—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिये हमारे राज्य में कुल कितने प्रशिक्षण केन्द्र हैं उसमें इस समय प्रशिक्षकों की क्या संख्या है और उन्हें प्रशिक्षण काल में कितना वजीफा दिया जाता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा संचालित ९ जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र और ५ जनरल मिडवाइफरी प्रशिक्षण केन्द्र हैं।

२—इस समय जनरल नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षकों की संख्या ५१९ और जनरल मिडवाइफरी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षकों की संख्या ४२ हैं।

३—प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण काल में इस समय स्टाइपेन्ड और भत्तों के रूप में प्रथम वर्ष में ९४ रुपया प्रतिमाह, द्वितीय वर्ष में ९९ रुपया प्रतिमाह और तृतीय वर्ष और मिडवाइफरी प्रशिक्षण के समय १०४ रुपया प्रतिमाह के हिसाब से दिया जाता है।

*६८—श्री चन्द्रजीत यादव—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुये कि राज्य में नर्सों की बहुत आवश्यकता है और नर्सों की संख्या बहुत कम है उसे बढ़ाने की सरकार ने कोई योजना तैयार की है ? यदि हाँ, तो क्या ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ऐसी कोई योजना सरकार ने तैयार नहीं की है।

*६९-७०—श्री तेजनारायण त्रिवेदी (जिला खीरी)—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

फर्रुखाबाद जिले में डकैतियां

*७१—श्री दयाराम शाक्य—क्या सरकार को पता है कि मई, १९६२ के प्रारम्भ में २ दिन के अन्दर ५ सशस्त्र डकैतियाँ फर्रुखाबाद जिले में पड़ीं हैं यदि हाँ, तो सरकार इस प्रकार के अपराधों की रोक थाम के लिये क्या प्रबंध कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त अवधि में ५ नहीं बल्कि ४ सशस्त्र डकैतियाँ फर्रुखाबाद जिले में पड़ीं। इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिये सुरक्षा समितियों का संगठन तथा अपराध निरोधक सप्ताह का आयोजन किया गया है जिनमें लोगों को डकैतों का सामना करने के बारे में प्रशिक्षत किया जाता है। इसके अतिरिक्त गश्त लगाने की समुचित व्यवस्था की गई है।

विकास आयुक्त कार्यालय, लखनऊ के अस्थायी कर्मचारी

*७२—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास आयुक्त (लखनऊ) के कार्यालय के कितने कर्मचारी गत १० वर्षों से अस्थायी हैं ? उनके स्थायी न करने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविंदसिंह—१० कर्मचारी अस्थायी हैं। इस श्रेणी के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची तैयार करने के सिद्धांतों के विषय में आवश्यक शासकीय आदेश जारी किये जा चुके हैं। इनको स्थायी करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

तुलसीपुर चीनी मिल के मालियों का वेतन

*७३—श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि शुगर मिल, तुलसीपुर के मालियों को वेज बोर्ड के निर्णय के अनुसार वेतन दिया जाता है ? यदि हाँ, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं । यह औद्योगिक विवाद के सम्बन्धित माली तुलसीपुर शुगर फैक्टरी के कर्मचारी है या नहीं, संराधन समिति को प्रस्तुत किया जा चुका है ।

वृद्धावस्था पेन्शन

*७४—श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया) तथा श्री मुकुट बिहारीलाल—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सन् १९५९–६० और १९६०–६१ में इस प्रदेश में शासन द्वारा कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था सम्बन्धी पेंशन (old age Pension) दिया गया है तथा क्या सरकार इस सम्बन्ध में जिलावार सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—वर्ष १९५९-६० के अन्त में ४,९६३ व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही थी तथा वर्ष १९६०-१९६१ के अन्त में ५,४७६ व्यक्तियों को पेंशन मिल रही थी । जिलेवार सूची* सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

न्यूनतम वेतन

*७५—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या सरकार कृपया यह बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन अधिनियम का प्रतिपालन देखने के लिये कितने अधिकारी शासन की ओर से नियुक्त हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—१२५ ।

खोरमा ग्राम के एक परिवार पर कथित अत्याचार

*७६—श्री चन्द्रबली—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६२ में देवरिया जिला के रुद्रपुर थाने के खोरमा ग्राम में किसी व्यक्ति को सपरिवार घर से निकाल दिया गया है तथा उसके सारे माल-मवेशी लूट लिये गये हैं और उसके नाती की आंख निकालने के लिये चाकू से हमला किया गया है ? यदि हां, तो उन मामलों की रपट क्या रुद्रपुर थाने में दर्ज है; यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं, इस प्रकार की कोई रपट थाना रुद्रपुर में न तो दर्ज है और न किसी ने इस प्रकार की कोई सूचना थाने पर दी है ।

*७७—श्री चन्द्रबली—इन मामलों में कितने लोगों का अब तक चालान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

*७८—श्री चन्द्रबली—उस परिवार को खोरमा में बसाने की क्या कार्यवाही हुई और बताया जाय कि वह परिवार कहां है और उसकी सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता ।

*७९—श्री सहदेवसिंह—[हटा दिया गया ।]

*८०–८१—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—[६ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

---

*छापी नहीं गयी ।

देवरिया पुलिस लाइन से दुग्ध चूर्ण का अनियमित विक्रय

*८२—श्री उग्रसेन—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस लाइन, देवरिया में ५०,००० रुपये का दुग्ध चूर्ण जो सिपाहियों के भोजनालय के प्रयोग हेतु दिया गया था, आसाम में ऊंचे दाम के काला बाजार में एक पुलिस अधिकारी द्वारा बेच दिया गया है ?

*८३—क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इस मामले में उन्होंने अब तक क्या जांच की और कौन कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—५०,००० रुपये का नहीं, बल्कि लगभग १९,०६० रुपए के मूल्य का दुग्ध चूर्ण देवरिया के एक पुलिस कर्मचारी ने एक दूसरे व्यक्ति के जरिये, अनियमित रूप, से बेच दिया। इस संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। जांच अभी जारी है। जांच समाप्त होने पर ही कुछ निश्चित रूप से कहा जा सकता है।

*८४-८५—श्री बृजेश्वर सहाय—[६ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले में अजीज रबबानी को औद्योगिक ऋण

*८६—श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला जौनपुर में अजीज रबबानी नामक व्यक्ति को उद्योग विभाग से १९५७ से लेकर ३० मार्च, १९६२ तक कितना अनुदान तथा कर्ज विभिन्न उद्योगों के लिये दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त व्यक्ति को सन् १९५७ से ३० मार्च, १९६२ तक चांदी के वर्क उद्योग हेतु केवल ३,००० रुपये औद्योगिक ऋण दिया गया।

*८७—श्री यादवेन्द्रदत्त—क्या यह सत्य है कि उक्त व्यक्ति ने जो अनुदान या कर्ज उद्योग विभाग से लिया उसका एक भी सद्उपयोग नहीं किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

विद्युत् उत्पादन

*८८—श्री राजनारायण मिश्र (जिला कानपुर)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादित बिजली की मात्रा क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९६१-६२ में उत्तर प्रदेश में कुल उत्पादित बिजली की मात्रा लगभग १,३२,६६,००,००० यूनिट थी।

*८९—श्री राजनारायण मिश्र—क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा उत्पादित विद्युत् के संचालन में (Transimssion) संचारण हानि (Transmission lorsse) कितनी प्रतिशत हो रही हैं और प्रति यूनिट उत्पादन व्यय कितना आता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१९६०-६१ के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के जल दिद्युत संगठन में औसत संचारण हानि २७.१ प्रतिशत रही और वितरण केन्द्र पर प्रसारण एवं वितरण व्यय को शामिल करके प्रति यूनिट उत्पादन व्यय १३.८५ नये पैसे रहा। कानपुर विद्युत् प्रशासन में संचारण हानि लगभग ७ प्रतिशत रही तथा पावर स्टेशन में उत्पादन व्यय ४.८३ नये पैसे था।

*९०-९१—श्री अवधनारायणप्रताप सिंह—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

आई० ए० एस० अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

*९२—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार दिनांक २४ मई, सन् १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४, ४५ व ४६ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि वह अफसर किस जिले के जिलाधीश हैं और उनके खिलाफ कब और क्या अभियोग पत्र लगा है जिसके कारण उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह आई० ए० एस० अफसर इस समय किसी जिले के जिलाधीश नहीं हैं। जून, १९५९ से उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है परन्तु अभी अन्तिम निर्णय इस सम्बन्ध में नहीं हो सका है इसलिये अभियोगों का ब्यौरा देना उचित नहीं है।

*९३—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त अधिकारी से कितने और कौन-कौन ऐसे अफसर हैं जो उनसे जूनियर हैं, मगर उच्च पद पर काम कर रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—६ अफसर हैं जिनके नाम संलग्न सूची में दिये हुए हैं।

(देखिये नत्थी 'न' आगे पृष्ठ ५६७ पर।)

गन्ना विकास संघ से कामदारों की मांगें

*९४—श्री होरीलाल यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश गन्ना विकास कामदार संघ के प्रधान मन्त्री द्वारा भेजा हुआ मांग पत्र उसे हाल में मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी हां। प्रधान मंत्री गन्ना विकास संघ से कहा गया है कि वे सचिव गन्ना विकास विभाग से २८-८-१९६२ को ११ बजे कामदारों की मांगों के सम्बन्ध में दफ्तर में मिलें।

अधिकारियों द्वारा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से बेगार लेना

*९५—श्री सुखलाल—क्या सरकार को पता है कि वर्ष १९६० में लखनऊ से निकलने वाले एक अंग्रेजी दैनिक ने राज्य के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के कुछ ऐसे फोटो छापे थे जिनसे उनके अधिकारी अपना प्राइवेट काम लेते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की और इस प्रकार की बेगार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां।

इन फोटों के बुनियाद पर यह संभव नहीं था कि किसी अधिकारी के खिलाफ अनुशासकीय कार्यवाही की जा सके। इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

गवर्नमेन्ट सर्वेंट कांडक्ट रूल्स में मना है कि कोई अधिकारी अपने अर्दलियों आदि का दुरुपयोग न करे और न उनसे अनुचित काम ले। जब कभी शासन को यह सबूत मिलता है कि किसी अधिकारी ने इस रूल का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

*९६-९७—श्री सुखलाल—[९ वें बुधवार के लिये तारांकित प्रश्न ४२-४३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

केसा में हरिजनों की कमी

*९८—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर), श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला बहराइच), श्री बलवीरसिंह (जिला मैनपुरी), श्री रामसिंह तथा श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केसा, कानपुर में बिजलीघर तथा रिवर साइड पावर हाउस में १८ प्रतिशत हरिजनों की जगहें पूरी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं।

*९९–श्री दीपनारायणसिंह, श्री मंगलप्रसाद आर्य, श्री बलवीरसिंह, श्री रामसिंह तथा श्री रामअधार कनौजिया—यदि हां, तो कितने इंजीनियर व फिटर व फिटर कुली तथा कुली और चपरासी हैं, उसमें हरिजनों की संख्या अलग-अलग क्या है, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—क्योंकि टेक्निकल पदों के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य हरिजन नहीं मिलते हैं।

मोहम्मदी थाने के निकट श्री बालकराम की हत्या

*१००—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी)—क्या सरकार को ज्ञात है कि १७ मई, १९६२ को दिन दहाड़े श्री बालक राम, सभापति, जिला खीरी, तहसील मोहम्मदी की सड़क पर निर्मम हत्या कर दी गई है, यदि हां ? तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, श्री बालकराम, निवासी ग्राम पिपरिया, थाना मोहम्मदी, जिला खीरी की हत्या १७ मई, १९६२ को सायंकाल गोला–शाहजहांपुर सड़क पर हुई थी। इस संबंध में धारा ३०२,३३४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया। चार अभियुक्तों का दिनांक २५–६–१९६२ को चालान किया गया। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

*१०१—श्री मन्नालाल—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त व्यक्ति की हत्या मोहम्मदी थाना से लगभग डेढ़ फर्लांग दूरी पर ही की गयी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त हत्या थाना मोहम्मदी से डेढ़ फर्लांग की दूरी पर नहीं, बल्कि लगभग ४ फर्लांग की दूरी पर हुई थी।

जे० के० काटन मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड, कानपुर से मजदूरों का अलग किया जाना

*१०२—श्री सन्तसिंह यूसुफ—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कानपुर में एम्पलायर्स एशोसियेशन द्वारा मिलों के बूढ़े मजदूरों को नौकरी से अलग करने की नोटिस के सम्बन्ध में माननीय श्रम मन्त्री ने ८ मई, १९६२ को सदन में जो वक्तव्य दिया था उसके बाद गत २४ मई को भी जे० के० काटन मैन्युफैक्चर्स लिमिटेड, कानपुर ने पांच मजदूरों को उनकी नौकरी से अलग कर दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी हां, परन्तु श्रम विभाग के अधिकारियों के प्रयत्नों के फलस्वरूप ८ अगस्त, १९६२ को दोनों पक्षों में एक समझौता हो गया।

*१०३—श्री बृजेश्वर सहाय—[हटा दिया गया।]

*१०४–१०५—श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय—[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित हो जाने के कारण हटा दिये गये।]

कानपुर मेडिकल कालेज में छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार की जांच

*१०६—श्री उग्रसेन—क्या स्वास्थ्य मन्त्री बतायेंगे कि गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कालेज, कानपुर में दिनांक २४ अप्रैल, १९६२ के एक डाक्टर द्वारा छात्राओं के साथ किये गये अभद्रपूर्ण व्यवहार के विषय में सरकारी जांच का परिणाम क्या निकला ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—विधान सभा की दिनांक १० मई, १९६२ की बैठक में मुख्य मन्त्री ने इस विषय पर एक वक्तव्य दिया था जिसमें उन्होंने छात्राओं द्वारा लगाये गये आरोप तथा उन पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई जांच पर प्रकाश डाला था।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक की जांच से यह प्रकट हुआ कि आरोप सिद्ध नहीं होते और वे बाद में सोचे हुये तथा किसी स्वार्थी दल द्वारा गढ़े हुये थे।

कानपुर जुडीशल मैजिस्ट्रेट की अदालत से गुमशुदा फाइलों की जांच

*१०७—श्री लखपतराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि कानपुर के एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत की कई महत्वपूर्ण फाइलें अप्रैल, सन् १९६२ के अन्तिम सप्ताह में अथवा मई के प्रथम सप्ताह में गायब की गईं? यदि हां, तो गायब फाइलें किस प्रकार के मुकदमों से सम्बन्धित थीं और उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१/२ मई, १९६२ को कानपुर के एक जुडीशल मजिस्ट्रेट की अदालत से ९ फाइलें गायब की गई थीं। ये फाइलें धारा ४०९, २७९/३३७, ३२३, ३७९/४११, ३९५, ३६३/३६६, ३९४ भारतीय डंद विधान एवं २०९ जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट के मुकदमों से सम्बन्धित थीं।

खोई हुई फाइलें नये सिरे से बनाई जा रही हैं। इस मामले की जांच की जा रही है।

जमीन मेघई ग्राम से मकान गिराने की शिकायत

*१०८—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक १६ अप्रैल, १९६२ को ग्राम जमीन मेघई, थाना जीयनपुर, जिला आजमगढ़ के कुछ किसानों ने एक प्रार्थना-पत्र सरकार के पास इस आशय का दिया है कि उनके मकान उजाड़े और गिरा दिये गये हैं? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—एक प्रार्थना-पत्र १८-४-१९६२ को ग्राम जमीन मेघई के निवासी श्री सहदेव से सरकार को प्राप्त हुआ जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि उनके गांव के दो नाबालिग बच्चों का मकान कुछ लोगों द्वारा गिरा दिया गया है। स्थानीय अधिकारियों द्वारा आवश्यक जांच पर आरोप निराधार पाये गये। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी।

भीमपुरा थाना स्थायी करने पर विचार

*१०९—श्री गंगाप्रसादसिंह—क्या मुख्य मंत्री यह बतलायेंगे कि जिला बलिया के अन्तर्गत थाना भीमपुरा अभी तक अस्थाई (टेम्पोरेरी) है? यदि हां, तो क्या इस थाने को स्थाई बनाने का विचार है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। इस थाने को स्थाई करने के प्रश्न पर विचार, पुलिस आयोग की संस्तुतियों के आधार पर, थानों के पुनस्संगठन के पश्चात् ही किया जा सकेगा।

*११०-१११—श्री परमाई—[६ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये।]

"फरमान' में "मेरठ पुलिस' की शिकायत

*११२—श्री रक्षपालसिंह—क्या सरकार का ध्यान दिल्ली नई से प्रकाशित "फरमान" साप्ताहिक (२३-४-१९६२) के पृष्ठ २ पर "मेरठ पुलिस" की तानाशाही शीर्षक समाचार की ओर गया है? यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाने जा रही है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। क्योंकि दिल्ली के साप्ताहिक "फरमान" पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी है।

प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

*११३-११५--श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---[६ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

रिहन्द की बिजली

*११६---श्री रामप्यारे--क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिहन्द बांध से जो बिजली देहातों में देने की योजना है क्या रिहन्द बांध से उद्वासित जनता के पुनर्वास क्षेत्रों में भी बिजली देने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो उनको कब तक बिजली प्राप्त होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---रिहन्द से देहातों में कहां-कहां बिजली दी जा सकेगी, इसकी अभी जांच की जा रही है ।

*११७---श्री रामप्यारे---क्या उद्वासितों को जो बिजली दी जावेगी उसकी दर वही होगी जो कि अन्य क्षेत्रों में बिजली देने की होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---रिहन्द के सर्विस क्षेत्र में सब जगह एक ही दर पर बिजली दी जा रही है ।

अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव के विरुद्ध शिकायतें

*११८---श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)---क्या सरकार को उन्नाव अन्तरिम जिला परिषद् के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार और अनाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव के अध्यक्ष के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनकी जांच जिलाधीश, उन्नाव द्वारा करायी गयी है ।

*११९---श्री देवदत्त मिश्र---क्या विकास मन्त्री ने १ मई को अपने एक उत्तर में कहा था कि २४ अप्रैल, १९६२ को अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध प्राप्त एक शिकायती-पत्र पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ? क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में अब तक प्रगति कहां तक हुई है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---जी हां । अधिकांश शिकायतों के बारे में जिलाधीश, उन्नाव की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और सरकार के विचाराधीन है ।

*१२०-१२२---श्री जे० पी० मिश्र---[वापस ले लिये गये ।]

रेंड नदी पर बांध निर्माण कार्य रुकना

*१२३---श्री बिपिनबिहारी तिवारी---क्या सरकार उन परिस्थितियों पर प्रकाश डालेगी कि जिनके कारण रेंड नदी पर बनने वाले औषरा बांध की सड़क का निर्माण कार्य सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---रिहन्द नदी पर बनने वाले औषरा बांध की सड़क का निर्माण कार्य स्थगित नहीं किया गया है, केवल इस सड़क के किलोमीटर ६ से ९.७ तक औषरा वाष्प विद्युत् गृह का स्थल निश्चित न होने के कारण, फिलहाल काम रोक दिया गया है ।

*१२४---श्री बिपिनबिहारी तिवारी---उक्त प्रश्न के प्रसंग में क्या सरकार बतायेगी कि निश्चय अब तक किये गये कार्य की जो बरबादी होगी, उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---अभी यह प्रश्न नहीं उठता है ।

*१२५---श्री रक्षपालसिंह---[हटा दिया गया ।]

मुरादाबाद में ताजिये निकालने के लिये टेलीग्राफ के तार काटना

*१२६—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि १४ जून, १९६२ को मुरादाबाद में मुहर्रम के एक जुलूस ने अपने ताजिये बढ़ाने से इस कारण इनकार कर दिया कि वे ताजिये टेलीग्राफ के तार में अड़ रहे थे, जिसके कारण तार काटना पड़ा, तब ताजिये ले जाये गये ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। पूर्ण विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'प' आगे पृष्ठ ५६८ पर)

बरेली पुलिस थानों में फार्मों का अभाव

*१२७—श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली के पुलिस थानों में रजिस्टर नं० ८ हिस्ट्रीशीटर, जमानत, मुचलका, नकल रिपोर्ट दस्तन्दाजी, गैर दस्तन्दाजी, पुलिस, चार्जशीट, फायनल रिपोर्ट, डेली जरायम, डाइटव चेक दफा ३४ की चार्ज शीट, चिट्ठी मजरुबी जैसे आवश्यक फार्म लगभग १ वर्ष से न होने के कारण क्या हैं और ये फार्म वहां कब तक पहुंच जावेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गवर्नमेंट प्रेस से फार्म प्राप्त न होने अथवा कम मात्रा में प्राप्त होने के कारण ही पिछले एक वर्ष में बरेली के थानों में इनका अभाव रहा। तीन फार्मों (चार्ज शीट, डेली जरायम, डाइट व चेक) को छोड़ कर लगभग सब फार्म अब उपलब्ध हो गये हैं और आशा की जाती है कि शेष तीनों फार्म भी दो तीन महीनों में थानों में पहुंच जायेंगे।

*१२८—श्री हरीशकुमार गंगवार—क्या सरकार को ज्ञात है कि फार्मों के न होने पर भी उपरोक्त विभिन्न स्थानों को कार्बन व कागज सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के कार्यालय से बिल्कुल नहीं दिया गया ? यदि हां, तो ये वस्तुयें खरीदने के लिये कितना-कितना रुपया प्रत्येक थाने को दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—फार्मों के समाप्त होने तथा कम संख्या में प्राप्त होने के कारण १५ रिम १ १/२ दस्ता कागज के फार्म बना कर थानों को भेजे गये। उन्हें हर मास उनके कोटे के अनुसार बराबर कार्बन दिये जाते रहे। इन वस्तुओं को खरीदने के लिये कोई रुपया थानों को नहीं दिया गया।

सरोजनी नायडू चिकित्सालय, आगरा में शय्याओं की कमी

*१२९—श्री छत्रपति अम्बेश—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के थामसन हास्पिटल में जो १० बिस्तरे टी० बी० विभाग में बढ़ाये जाने का विचार था, उसके बारे में क्या हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—थामसन अस्पताल (जिसको अब सरोजनी नायडू चिकित्सालय कहते हैं) में १० टी० बी० शय्याओं के बढ़ाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

चीनी मिलों पर बकाया

*१३०—श्री ईश्वरशरण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अब तक (२४-४-१९६२ तक) प्रदेश में गन्ना किसानों का कितना गन्ना क्रश करने को बाकी है ? यह गन्ना कब तक पेरा जा सकेगा ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—१९६१-६२ सीजन में निर्दिष्ट तारीख तक प्रदेश में जो गन्ना क्रश करने को बाकी था उसकी मात्रा लगभग १७०.०० लाख क्वींटल थी और यह समस्त अवशेष गन्ना मिलों द्वारा अब पेरा जा चुका है।

*१३१—श्री ईश्वरशरण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त में मिल वार किसानों का मिल मालिकों पर कितना रुपया बाकी है तथा कितने वर्षों से किसानों को पाना है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस प्रदेश की चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने के मूल्य के रुप में १९६१-६२ सीजन तथा उससे पूर्व सीजन्स की जो रकम १५-७-१९६२ तक बकाया थी उसका विवरण संलग्न तालिका* 'क' में दिया हुआ है।

*१३२—श्री ईश्वरशरण—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिलों पर उत्तर प्रदेश सरकार का कितना रुपया बाकी है उसे मिल वार बताने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—इस प्रदेश की चीनी मिलों पर सेस तथा पर्चेज टैक्स के रुप में जो रकम ३०-६-१९६२ तक बकाया थी उसका मिलवार विवरण संलग्न तालिका* 'ख' में दिया हुआ है।

गाजीपुर तथा मऊ में बिजली की दर

*१३३—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर शहर में श्रीमान् सेठ की बिजली कम्पनी की बिजली का क्या रेट है और मऊ से जो बिजली दी जाती है उसका रेट क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—यह सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'फ' आगे पृष्ठ ५६९ पर)

*१३४—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर, सैदपुर, सादात शहर में रिहन्ड बांध से कब तक बिजली मिल जायेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—आशा है कि रिहन्द बांध से गाजीपुर, सैदपुर, सादात शहर में बिजली १९६३ के अन्त तक मिल जायेगी।

*१३५—श्री कमलासिंह यादव—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रीमान् सेठ जी की कम्पनी का नेशनलाइजेशन कब तक हो जायेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार ईस्टर्न यू० पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, गाजीपुर को खरीदने का पहला अवसर १३ जून, १९६४ को प्राप्त होगा। इस प्रश्न पर राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उन्नाव जिले में बिजली बढ़ाने की मांग

*१३६—श्री देवदत्त मिश्र—इस बात को देखते हुये कि उन्नाव जिले में प्रायः चौतरफा बिजली आ रही है क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि भगवन्तनगर निर्वाचन क्षेत्र को राधा-गंज, बीघापुर, धनुही, खेरा जैसी अन्य तीन अन्तरिम जिला परिषद् की मंडियां हैं, एवं सुमेरपुर तथा बीघापुर को बिजली की सुविधा से क्या वंचित रखा गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इन नगरों के विद्युतीकरण के लिये जांच पड़ताल के आदेश दे दिये गये हैं और यदि प्रावैधिक तथा आर्थिक दृष्टि से विद्युतीकरण सम्भव हुआ तो यह कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

फतेहगढ़, हथकरघा उद्योग के सामान का मूल्य

*१३७—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री शारदानन्द—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फतेहगढ़ हथकरघा उद्योग द्वारा उत्पादित माल जो कि अमरीका जाता है का मूल्य निश्चित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका मूल्य निश्चित करने का आधार क्या होगा ?

---

*छापी नहीं गयी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है, अतः मूल्य निर्धारित करने के आधार पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

जिला सूचना अधिकारियों का चुनाव

*१३८—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री शारदानन्द—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दिसम्बर, १९५९ में जिला सूचना अधिकारी के लिये कोई पंजिका लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास—जी हां। लोक सेवा आयोग ने नवम्बर-दिसम्बर, १९५९ में भर्ती (direct reeruitment) के लिए एक साक्षात्कार किया था और जिला सूचना अधिकारी के पदों पर नियुक्ति के लिए चुने गये अभ्यार्थियों की एक सूची शासन को जनवरी, १९६० में भेजी थी। आयोग की सिफारिशें शासन को पूर्णतः मान्य न थीं अतः सरकार तथा आयोग के बीच इस बारे में दीर्घ समय तक पत्र व्यवहार होता रहा और अंत में सरकार ने जो निश्चय किया, उस पर कार्यवाही करीब-करीब पूरी हो चुकी है तथा इस संबंध में राज्यादेश शीघ्र ही निर्गत होंगे ।

*१३९—श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री शारदानन्द—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थोड़े दिन पूर्व सूचना निर्देशक कार्यालय द्वारा कोई पत्रक प्रसारित किया गया था जिसमें कि प्रथम वाक्य में ही सभी सूचना अधिकारियों की अब तक की सेवाओं को निरर्थक बताया गया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सेवाओं को कायम रखने की क्या आवश्यकता है ? अथवा कार्य क्षमता बढ़ाने की क्या कोई पद्धति अपनाई गई है ?

श्री बनारसीदास—जी नहीं। एक पत्र राज्य के समस्त जिलाधीशों को ८ मई, १९६२ को अवश्य भेजा गया था जिसके प्रथम वाक्य में यह कहा गया है कि जिला सूचना अधिकारी प्रभावशाली ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। इसी पत्र में साथ-साथ ऐसे निर्देश भी दिये गये हैं जिससे अधिकारियों की सेवाएं अधिक प्रभावशाली तथा उपयोगी सिद्ध हो सकें। समय समय पर आवश्यकतानुसार इस विषय पर परिपत्रों अथवा पत्रों द्वारा आदेश निर्गत किये जाते हैं।

*१४०-१४२—श्री मुरलीधर कुरील—[६ सितम्बर, १९६२ के लिए स्थगित किये गये ।]

शाहजहांपुर में कोतवाली तथा चौकी अशफाक नगर की इमारत

*१४३—श्री मुहम्मद रफी खां—क्या सरकार को यह मालूम है कि शाहजहाँपुर शहर में थाना कोतवाली की इमारत और चौकी अशफाकनगर की इमारत दोनों ही बहुत खस्ता हालत में हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। इन इमारतों की दशा ऐसी नहीं है ।

*१४४—श्री मुहम्मद रफी खां—क्या सरकार चौकी अशफाक नगर को बरसात से पहले और कोतवाली को एक साल के अन्दर दूसरी जगह बदलने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं ।

चन्दौली पोलीटेक्निक

*१४५—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ऊदल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चंदौली (बनारस) पोली टेक्निक का सारा स्टाफ स्थायी है या अस्थायी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रधानाचार्य को छोड़ कर, जो सिंचाई विभाग से डेपुटेशन पर नियुक्ति किये गये हैं, चन्दौली (बनारस) पोलीटेक्निक का सारा स्टाफ अस्थायी है।

*१४६—श्री नेकराम शर्मा तथा श्री ऊदल—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कितना अनुदान इस संस्था को प्रति वर्ष सरकार देती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस संस्था को प्रति वर्ष दिये जाने वाले अनुदान की राशि निश्चित नहीं है बल्कि भारत सरकार की सिफारिश पर निश्चित पैटर्न (pattern) के आधार पर संस्था को अनुदान दिया जाता है।

शैखनपुर के जमींदार के विरुद्ध शिकायत तथा पतार गांव की बिधवा बतसिया की पेंशन

*१४७—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर, थाना कासिमाबाद के अन्तर्गत ग्राम शैखनपुर के भूतपूर्व जमींदारों के खिलाफ उसी ग्राम के कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस कप्तान के पास प्रार्थना-पत्र मार्च, अप्रल, मई, सन् १९६२ में दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—ग्राम शैखनपुर, थाना कासिमाबाद, जिला गाजीपुर के निवासी श्री मंगरू गौड़ ने एक प्रार्थनापत्र दिनांक ५-४-६२ तथा दूसरा प्रार्थनापत्र दिनांक १५-५-६२ को उसी ग्राम के निवासी श्री रामसूरतसिंह के विरुद्ध पुलिस कप्तान के कार्यालय में दिया था। इन प्रार्थना-पत्रों में गाली देने, मारने व बेगार लेने के आरोप लगाये गये थे। इनकी जांच कराई गई, पर सत्यता न पाये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*१४८—श्री रघुवीर—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वीर गति प्राप्त पुलिस कानिस्टेबुल श्री रामनाथसिंह, ग्राम पतार, पोस्ट ताजपुर डेहमा, जिला गाजीपुर की विधवा श्रीमती बतसिया को कितना रुपया मासिक पेंशन दिया जा रहा है ? क्या सरकार नये नियम जो पुलिस विभाग में पेंशन के बने हैं उसके मुताबिक उक्त पेंशन दे रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—११ रुपया माहवार पेन्शन दी जा रही है जिस पर ५ रुपये महीना अस्थायी वृद्धि भी दी जाती है। असाधारण पेंशन संबंधी नए नियम अभी बनाए जा रहे हैं अतः उसके अनुसार पेन्शन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

गाजीपुर जिले के लिये योजनाएं

*१४९—श्री रामसुन्दर शास्त्री—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जिले को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने अपनी तीसरी योजना में कौन-कौन सी स्कीमें रक्खी है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—गाजीपुर जिले की तृतीय पंचवर्षीय योजना की एक प्रति माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी है जिसमें तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में गाजीपुर जिले को आगे बढ़ाने के लिये समस्त योजनाओं का उल्लेख है।

गोंडा जिले में पंचायत मंत्रियों का वेतन

*१५०—श्री सुखदेवप्रसाद—क्या यह सही है कि जिला गोंडा में पंचायत मंत्रियों का वेतन गत फरवरी से नहीं मिला है ? यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों का और क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं। गोंडा जिले के समस्त पंचायत मंत्रियों को गत फरवरी, १९६२ से मई, १९६२ तक के वेतन का भुगतान किया जा चुका है।

मऊरानीपुर थानान्तर्गत ट्रक दुर्घटना

*१५१—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के मऊरानीपुर थाने के अन्तर्गत करीब तीन माह हुये छत्तरपुर के एक ठेले के कर्मचारी की दुर्घटना से मृत्यु हुई ? यदि हां, तो पुलिस मऊरानीपुर द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। दिनांक ३१-४-६२ को ऐसी एक घटना हुई। पुलिस द्वारा इस संबंध में ड्राइवर के विरुद्ध धारा २७९/३०४ ए, भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम किया गया जिसकी विवेचना हो रही है।

रौनापार निवासी श्री योगेन्द्रप्रसाद की गलत पुलिस निगरानी

*१५२—श्री उमाशंकर तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री योगेन्द्रप्रसाद उर्फ बहरायची, ग्राम तथा थाना रौनापार, जिला आजमगढ़ के सब-इंस्पेक्टर ने गलत तरीके पर पुलिस रजिस्टर नं० १०८ (चाल-चलन के बारे में) दर्ज करके निगरानी खोली है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री योगेन्द्रप्रसाद उर्फ बहरायची की निगरानी उनकी २ सजायाबियों जो भारतीय दंड विधान की धारा ४०८ एवं धारा १८२ के अन्तर्गत हुईं, के आधार पर खोली गई थी किन्तु २१-४-१९६२ को बन्द कर दी गई है।

*१५३—श्री उमाशंकर तिवारी—क्या यह सच है कि उक्त व्यक्तिस वतंत्रता संग्राम में कई बार जेल जा चुका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। दो बार जेल गये थे।

*१५४—श्री उमाशंकर तिवारी—क्या यह भी सच है कि उक्त योगेन्द्रप्रसाद के सम्मान में धक्का पहुंचाने की नियत से सब-इंस्पेक्टर, रौनापार ने तारीख २६ सितम्बर, १९५९ को एक जाली इतिहास बना कर पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को दिया और उसके बिना पर बदनाम आदमियों के रजिस्टर में उनका नाम दर्ज करने की स्वीकृति ली ? यदि हां, तो संबंधित मंत्री जी उन अधिकारियों तथा सब-इंस्पेक्टर के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री योगेन्द्रप्रसाद की निगरानी सन् १९५९ में खोली गई थी। जांच से यह पता चला है कि सब इन्स्पेक्टर रौनापार ने बिना पूरी जांच किये निगरानी खोलने की सिफारिश की थी। उनके तथा संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है।

*१५५—श्री रामसिंह (मैनपुरी)—[हटा दिया गया।]

*१५६-१५७—श्री रामसिंह (मैनपुरी)—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५८—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१५९-१६०—श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

*१६१-१६३—श्री जगदीशशरण अग्रवाल [६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

बलरामपुर में बिजली दर

*१६४—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बलरामपुर राज्य विद्युत् वितरण कम्पनी का उत्पादन कितनी यूनिट है और उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट कितना चार्ज देना पड़ता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६१-६२ में बलरामपुर राज्य इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, बलरामपुर में ७४,९०,४३१ यूनिट का उत्पादन हुआ। उक्त कम्पनी का प्रति यूनिट चार्ज संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ब' आगे पृष्ठ ५७० पर)

*१६५—श्री गंगाप्रसाद—क्या यह सही है कि उपभोक्ताओं से जो प्रति यूनिट चार्ज लिया जाता है क्या वह दूसरी विद्युत् कम्पनियों से ज्यादा है ? यदि हां, तो कितना अधिक है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रदेश में भिन्न-भिन्न बिजली सप्लाई कम्पनियों की भिन्न-भिन्न दरें हैं। यह दरें, विद्युत् उत्पादन, वितरण तथा मांग की एकरूपता और विकास के क्षेत्र के आधार पर निर्भर होती हैं। अतः एक कम्पनी की दरों की दूसरी कम्पनी की दरों से तुलना नहीं की जा सकती।

*१६६—श्री गंगाप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा तथा बहराइच की जनता ने राज्य सरकार से प्रार्थना की है कि जो बिजली बहराइच से सरकार उत्पादन करती है वह बिजली उपभोक्ताओं को दी जाय ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गोंडा व बहराइच की जनता से बहराइच में राज्य विद्युत् परिषद् के डीजल विद्युत् गृह से बिजली पाने के लिये कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

सिल्क विशेषज्ञ सेंट्रल सिल्क बोर्ड

*१६७—श्री मंगलदेव तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिल्क विशेषज्ञ, सेन्ट्रल सिल्क बोर्ड में इस राज्य के कौन-कौन प्रतिनिधि हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश, कानपुर तथा श्री प्रहलाद दास, अवैतनिक मंत्री, बनारस इंडस्ट्रियल एन्ड ट्रेड एसोसियेशन, वाराणसी।

*१६८—श्री मंगलदेव तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस बोर्ड के प्रतिनिधियों ने मुख्य मंत्री को कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक १ मई, १९६२ को दिया था ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(क) ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र मिला प्रतीत नहीं होता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*१६९—श्री मंगलदेव तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस प्रार्थना पत्र की जांच किस अधिकारी से करायी गयी और क्या प्रार्थियों से भी इस संबंध में पूछ-ताछ की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रश्न नहीं उठता।

*१७०-१७१—श्री बालोजीअग्रवाल (जिला आगरा)—[६ दिसम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

परिगणित जाति के व्यक्तियों को राजकीय सेवा में लेने का आदेश

*१७२—श्री रामअधार कनौजिया—क्या यह सत्य है कि विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने प्रान्त के समस्त जिला नियोजन अधिकारियों को यह आदेश प्रसारित किया था

कि विकास खंडों में चपरासी व डाकियों के पदों पर केवल परिगणित जाति के ही लोग नियुक्त किये जायेंगे ? क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे आदेश जारी करने में सरकार का क्या उद्देश्य था तथा पूर्णतया पालन न होने पर अगला कौन-सा ठोस कदम उठाया गया ?

श्री हरगोविंदसिंह---जी हां। परिगणित जाति के व्यक्तियों को अधिक से अधिक संख्या में राज कोष सेवाओं में रखने के लिये एक परि-पत्र इस कार्यालय से प्रसारित किया गया था। इसका क्या सम्भव पालन किया जा रहा है ।

*१७३-१७४---**श्री रामअधार कनौजिया**---[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१७५---**श्री सुरजन**---[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*१७६---**श्री रामायण राय** (जिला देवरिया)---[हटा दिया गया ।]

सरकार की उद्योग सम्बन्धी नीति

*१७७---**श्री रामायण राय**---क्या उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२ से १९६२ मई तक किन-किन लोगों को १ लाख तथा १ लाख से ऊपर उद्योग अनुदान दिया गया है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उक्त अवधि में ऐसा अनुदान किसी को नहीं दिया है।

*१७८---**श्री रामायण राय**---क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन नये उद्योगों की स्थापना प्रस्तावित है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---सरकार की यह नीति नहीं है कि खुद कोई उद्योग-धन्धे खोलने की योजनायें बनाये। प्राइवेट पार्टीज को उद्योग-धंधे खोलने के लिये कई प्रकार की सहायता दी जाती है, जैसे प्रशिक्षण देना, ऋण तथा अनुदान देना, कच्चे माल का उपलब्ध करना, बाजार में बेचने के लिये सुविधायें प्रदान करना तथा उद्योगों के लिये आस्थानों का निर्माण करना।

वैयक्तिक सहायकों की पुनर्नियुक्ति

*१७९---**श्री गयाप्रसाद** (जिला वाराणसी)---क्या यह सही है कि मंत्रियों के उन सभी वैयक्तिक सहायकों को जो ३१ दिसम्बर, १९६१ को अवकाश प्राप्त करने वाले थे, १ जनवरी से ३१ मार्च, १९६२ तक के लिये पुनः नियुक्त कर लिया गया था, इसका क्या कारण था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां। पुनर्नियुक्ति जन हित में की गई थी ।

*१८०---**श्री गया प्रसाद**---क्या पुनः नियुक्त होने वालों में कोई सज्जन ५८ वर्ष की अवस्था को भी पार कर गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी हां। केवल एक वैयक्तिक सहायक ऐसे थे जिन्होंने पुर्नानियुक्ति की अवधि में ५८ वर्ष की अवस्था पार कर ली थी। वे अब अवकाश प्राप्त कर चुके हैं ।

चमोली जिले के लिये औद्योगिक योजनाएं

*१८१---**श्री योगेश्वर प्रसाद खंडूडी** (जिला चमोली)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपाकरेगी कि सीमान्त जिले चमोली की बेकारी व गरीबी दूर करने के लिये उद्योग धंधों की शीघ्रगामी उसकी क्या-क्या योजनायें हैं ? वह निकट भविष्य में सरकार चमोली जिले में क्या क्या उद्योग धंधे प्रारम्भ करने जा रही है ?

*१८२—सरकार चमोली सीमान्त जिले में किन-किन बृहत् उद्योगों और लघु उद्योगों की स्थापना का विचार कर ही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तराखंड मण्डल के सीमान्त जिले चमोली में बेकारी व गरीबी दूर करने के लिये जो औद्योगिक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही तथा भविष्य में कार्यान्वित की जाने वाली हैं उनकी सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'भ' आगे पृष्ठ ४७१ पर)

*१८३—**श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी**—क्या सरकार चमोली जिले के साधनों का और आर्थिक सर्वेक्षण करवाने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इस प्रकार की कोई योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि ऐसा एक सर्वेक्षण planning commission की ओर से हो रहा है ।

बस्ती जिले के उद्योग निरीक्षक के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*१८४—**श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उद्योग इंस्पेक्टर बस्ती को जिला बस्ती में रहते कितने दिन हुये ? क्या इन दिनों उनके विरुद्ध कोई शिकायत हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जिला बस्ती में वर्तमान उद्योग निरीक्षक २७ मई, १९६० से कार्य कर रहे हैं । उनके विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर उचित जांच की जा रही है ।

*१८५—**श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी**—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

गंगलई निवासी ठाकुर मुन्शीसिंह की हत्या

*१८६—**श्री लोकपालसिंह** (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ठाकुर मुंशीसिंह, ग्राम गंगलई, थाना शमशाबाद, जिला फर्रुखाबाद की हाल की निर्मम हत्या किन कारणों से हुई ? क्या यह सही है कि हत्या किसी डकैती के गिरोह से संबंधित, नहीं बल्कि राजनीतिक कारण से है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री मुंशी सिंह की हत्या उन्हीं के घर में घटित एक डकैती में डाकुओं द्वारा हुई । हत्या किसी राजनीतिक कारण से नहीं हुई ।

*१८७—**श्री लोकपालसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि ठाकुर मुंशीसिंह के दो बच्चे जिनकी आयु क्रमशः ११ और ७ वर्ष है, का भी जीवन खतरे में है तथा बदमाशों का इतना आतंक है कि नाम लेने वाले की भी हत्या हो सकती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्री मुंशी सिंह के बच्चों के जीवन को अभी तक किसी प्रकार का खतरा प्रतीत नहीं हुआ है और न बदमाशों का ही कोई आतंक है ।

*१८८—**श्री लोकपालसिंह**—क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मेला पार्टी से सम्बन्धित मुकदमा अदालत में चल रहा है और उसमें मृत ठाकुर मुंशी सिंह गवाह थे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, इस प्रकार का एक मुकदमा अदालत के विचाराधीन है जिसमें मृतक गवाह थे ।

खीरों परगना से लालगंज थाने में दर्ज रिपोर्ट की जांच

*१८९—**श्री गुप्तारसिंह** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार विधान सभा के २४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न १७१ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेगी कि रिपोर्ट

लिखाने के समय वादी के साथ ठाकुर जागेश्वर सिंह स्वतन्त्र पार्टी के नेता भी आये थे ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट लिखने में उन्होंने भी जोर दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां, वादी के साथ ठा० जागेश्वरसिंह भी आये थे परन्तु उन्होंने रिपोर्ट लिखने पर कोई जोर नहीं दिया ।

*१९०—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त रिपोर्ट किस समय लिखी गयी और घटना का समय क्या था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपरोक्त रिपोर्ट १२.४५ बजे दिन में लिखी गई और घटना उसी दिन १० बजे दिन में घटित हुई थी ।

*१९१—श्री गुप्तारसिंह—क्या सरकार विधान सभा के २४ मई, १९६२ के तारांकित प्रश्न १७३ के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेगी कि सम्बन्धित घटना की जांच कब तक समाप्त होगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—दिनांक ३१-५-६२ को विवेचना समाप्त कर दी गई ।

*१९२-१९४—श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये ।]

मंत्रियों की नैनीताल यात्रा पर व्यय

*१९५—श्री रतीपाल—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस चालू वर्ष में मंत्रिमंडल कितने दिन के लिये नैनीताल गया था और उस पर नैनीताल जाने-आने तथा रहने पर कुल कितना रुपया सरकार का व्यय हुआ ?

*१९६—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि मंत्रिमंडल के कितने सदस्य रेल से और कितने सरकारी कार द्वारा गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चालू वर्ष में मंत्रिमंडल नैनीताल नहीं गया । किन्तु कुछ मंत्री सरकारी कार्यवश, जैसे विकास एवं उद्योग सम्मेलन, अखिल भारतीय वैद्य अधिवेशन तथा सिंचाई कांफ्रेंस आदि में सम्मिलित होने गये थे । इन यात्राओं पर जो व्यय अभी तक हुआ है उसका विवरण सलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'म' आगे पृष्ठ ५७२-५७५ पर)

*१९७—श्री रतीपाल—[हटा दिया गया ।]

एडीशनल आई०जी० का पद समाप्त करना

*१९८—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार बतायेगी कि एडीशनल आई०जी० (पुलिस) की पोस्ट खत्म कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां ।

एडीशनल आई०जी० की पोस्ट अस्थायी रूप से फरवरी, सन् १९६१ में बनाई गई थी । उस समय भारत सरकार ने हमारे डी०आई०जी० सी०आई०डी० को आई०जी०पी० के पद पर काम करने के लिये मांगा था । चूंकि उस समय सी०आई०डी० और इंटेलीजेन्स विभाग में उस अधिकारी का रहना जनहित में आवश्यक था, इसलिये यह उचित समझा गया कि उनको इसी प्रदेश में आई०जी० की तनख्वाह दे कर रख लिया जाय । इस वर्ष वह आवश्यकतायें इतनी नहीं रहीं और इसलिये पोस्ट खत्म कर दी गई और वह आई० जी० के पद पर भारत सरकार चले गये ।

*१९९—श्री रियासत हुसैन—क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग में सीनियर मोस्ट तीन डी० आई जी० (पुलिस) कौन-कौन हैं और वह इस वक्त किन ड्यूटीज पर लगे हुये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में सीनियर मोस्ट तीन डी०आई०जी निम्नलिखित हैं और उनकी ड्यूटीज़ उनके नाम के सामने लिखी हैं:

(१) श्री शरद चन्द्र मिश्र इस समय कमान्डेन्ट, केन्द्रीय पुलिस ट्रेनिंग कालेज, आबू हैं ।

(२) श्री इस्लाम अहमद इस समय डी०आई०जी०, गोरखपुर परिक्षेत्र हैं ।

(३) श्री जियाराम इस समय डी०आई० जी० इन्टेलीजेंस विभाग में हैं ।

मड़ियाहूं थानान्तर्गत १०७ व १०९ के मुकदमे तथा अपराध की घटनायें

*२००—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—क्या पुलिस मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले के मड़ियाहूं पुलिस थाने में पिछले वर्ष सन् १९६१ व ६२ ई० में दफा १०७ में कितने मुकदमे चलाये गये और कुल कितने लोग इन मुकदमों में उपस्थित किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६१ में २० मुकदमे चलाये गये और १४८ व्यक्ति न्यायालय भेजे गये ।

१ जनवरी से ३१ जुलाई, १९६२ तक १९ मुकदमे चलाये गये और २४८ व्यक्ति न्यायालय भेजे गये ।

*२०१—श्री जगन्नाथ राव—उपरोक्त थाने में (मड़ियाहूं) सन् १९६१ व १९६२ ई० में कितने व्यक्ति दफा १०९ में पकड़े गये ? उसमें मुसहर जाति के कितने लोग हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सन् १९६१ में १६ व्यक्ति पकड़े गये, जिनमें ४ व्यक्ति मुसहर जाति के थे।

१ जनवरी से ३१ जुलाई, १९६२ तक ५ व्यक्ति पकड़े गये, जिनमें २ व्यति मुसहर जाति के थे।

*२०२—श्री जगन्नाथ राव—क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि जौनपुर जिले के मड़ियाहूं पुलिस थाने में सन् १९६१-६२ ई० में कितनी डकैती व कत्ल के मामले दर्ज किये गये और कितने डाकों में अपराधी दंडित किये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—१ जनवरी, १९६१ से ३१ जुलाई, १९६२ तक तीन डकैती और तीन कत्ल के मामले दर्ज किये गये । एक डाके के मुकदमे में १० व्यक्ति सेशन के न्यायालय भेजे गये हैं, परन्तु अभी तक किसी मुकदमे में कोई दंडित नहीं हुआ है ।

गोरखपुर जिले में कम्पोस्ट खाद का वितरण

*२०३—श्री बांकेलाल (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि डेवलपमेंट कौंसिल, पिपराइच (गोरखपुर) द्वारा कम्पोस्ट खाद का जो वितरण किसानों में होता है, उसका कुछ अंश ही वितरित करती है और शेष खाद उक्त मिल द्वारा वितरित की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—सभी कम्पोस्ट खाद गन्ना-विकास परिषद् द्वारा वितरित की जाती है, मिल द्वारा नहीं ।

*२०४—श्री बांकेलाल—(अ) क्या यह सही है कि पिपराइच मिल किसानों में वितरित किये हुये खाद का भी पैसा वसूल करती है ?

(ब) कौंसिल और मिल के दरों में क्या अन्तर है ? अगर है, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—जी नहीं । मिल कम्पोस्ट खाद बेचती ही नहीं ।

(ब) प्रश्न नहीं उठता ।

*२०५—श्री बांकेलाल—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि केन डेवलपमेंट यूनियन और के० डे० कौंसिल, पिपराइच (गोरखपुर) में कितने सरकारी और अर्द्ध सरकारी सुपरवाइजर अपने होम जोन में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—एक भी नहीं ।

श्री मुजफ्फर हसन का नैनीताल में भाषण

*२०६—श्री टम्ब्रेश्वरीप्रसाद—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री मुजफ्फर हसन, मंत्री परिवहन ने १० मई, १९६२ को नैनीताल में भाषण देते समय यह घोषणा की कि सरकार अपने पहाड़ पर जाने सम्बन्धी निश्चय में परिवर्तन करने जा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—परिवहन मंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा था ।

पर्वतीय क्षेत्र में सोने की कथित खानें

*२०७—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चमोली तथा अन्य पर्वतीय समीपवर्ती क्षेत्र में लोहे तथा पिथौरागढ़ में सोने की खानों का अपार भण्डार होने का समाचार सरकार को मिला है ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कदम उठा रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—प्रथम भाग—जी नहीं । द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी जिले के लिये विकास योजना

*२०८—श्री रघुनाथसिंह—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विकास और निर्माण के विविध योजनागत कार्य जिलों में और जिलों के विभिन्न सभी क्षेत्रों की आवश्यकता क अनुपात को ध्यान में रख कर किये जाते हैं ? यदि हां, तो वाराणसी जिले में नहरों, नलकूपों सड़कों और पुलों आदि के निर्माण का आधार क्या रखा गया है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—जिले तथा क्षेत्रों के विकास और निर्माण-कार्यों को विभिन्न आधार पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ।

वाराणसी जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में नहरों, नलकूपों, सड़कों और पुलों के निर्माण का निम्नांकित आधार रक्खा गया है ।

१—स्टार और ग्रिड फार्मूला के अनुसार सड़कों की आवश्यकता ।
२—आवश्यक धनराशि की उपलब्धता ।
३—अन्तरिम जिला परिषद् की सिफारिश जो कि स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर होती है ।

चमोली जिले में घास के झूलों को बदलने की योजना

*२०९—श्री गंगाधर मैठाणी—क्या सरकार यह बतलायेगी कि चमोली जिले में नदियों को पार करने के लिये घास (बावड़) के झूले हैं ? यदि हां, तो कितने और किन-किन स्थानों पर ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—चमोली जिले में नदियों को पार करने के लिये घास (बावड़) के ६ झूले हैं, जिनका ब्योरा निम्नलिखित है—

नाम तहसील	स्थान जहां झूला है
१ चमोली	१ सेमी
२ करण प्रयाग	१ देवलकोटी
	२ देवलघाट
३ ऊखीमठ	१ खतौली
	२ गुगासू
	२ विजयनगर

*२१०—**श्री गंगाधर मैठाणी**—क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है कि इन घास क झूलों को बदल कर पक्के लोहे के पुल बनाये जायं ? यदि हां, तो ये झूले कब तक बदल दिये जा सकेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उपरोक्त झूलों में से सेमी नामक स्थान के झूले को छोड़कर जिसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, अन्य स्थानों पर के झूलों को लोहे के पुलों या पक्के पुलों से बदलने की एक योजना है जिसके अन्तर्गत इनका सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण के पश्चात् आवश्यक तखमीने बनाये जायेंगे। अतः इस समय यह कहना सम्भव नहीं है कि यह कार्य कब तक सम्पन्न हो जायेगा।

प्लानिंग बोर्ड

*२११—**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर)—क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि प्रदेश में अभी हाल में कोई प्लानिंग बोर्ड बनाया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या क्या कार्य होंगे और प्रत्येक सदस्य पर कितना-कितना माहवारी व्यय होगा और इसके कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी ?

श्री हरगोविंदसिंह—जी हां, राज्य सरकार ने एक राज्य नियोजन बोर्ड बनाने का निर्णय किया है। इस बोर्ड का कार्य लगभग वही होगा जो केन्द्रीय स्तर पर योजना आयोग का है। इस बोर्ड के सदस्यों की संख्या और प्रत्येक सदस्य पर माहवारी व्यय का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

जुनपत ग्राम में तेंदुए से संघर्ष

*२१२—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम जुनपत, थाना दादरी, जिला बुलन्दशहर में मई, सन् १९६२ में ग्रामवासियों व चीते के बीच संघर्ष हुआ ? यदि हां, तो उसमें कितने आदमी जख्मी हुये और उनकी सहायता के लिये सरकार ने क्या-क्या किया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—गत २४ मई को गांव जुनपत, थाना दादरी, के ग्रामवासियों और एक जन भक्षक तेंदुए के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें चार व्यक्ति जख्मी हुये। उनके लिये डाक्टरी उपचार का बन्दोबस्त जिलाधीश द्वारा किया गया।

*२१३—**श्री रामचन्द्र विकल**—क्या सरकार कृपा कर यह भी बतायेगी कि इस प्रकार के बहादुरी के कार्य करने वाले लोगों को कोई इनाम आदि देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जीवन को हानि पहुंचाने वाले जंगली पशुओं को नष्ट करने के लिये शासन द्वारा पारितोषिक देने की योजना बहुत समय से लागू है जिसके अनुसार विभिन्न

जिलों में समय-समय पर इनाम बांटे जाते हैं। उसी योजना के अन्तर्गत जिलाधीश द्वारा सौ रुपये का पुरस्कार उन लोगों को शीघ्र ही वितरित किया जायगा जिन्होंने बाद में उक्त तेंदुये को मारा। पूर्व प्रश्न के उत्तर में बताये गये व्यक्तियों में से कोई भी उक्त योजना के अन्तर्गत नहीं आता है। फिर भी जिलाधीश से इस विषय में लिखा पढ़ी की जा रही है और उनकी रिपोर्ट आ जाने पर इनाम दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर द्वारा बलिया जिले के लिये स्वीकृत ऋण भुगतान न होना

*२१४—श्री काशीनाथ मिश्र—क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले को सन् १९६१ में संचालक उद्योग, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित तथा उत्तर प्रदेश उद्योग समिति द्वारा लघु उद्योग स्थापनार्थ उदार ऋण योजना के अन्तर्गत स्वीकृत ऋण का भुगतान अब तक उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर ने क्यों नहीं किया तथा उपरोक्त ऋणों के भुगतान की कब तक सम्भावना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—सूचना एकत्र की जा रही है।

*२१५—श्री खुशीराम (जिला पिथोरागढ़)—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

दिवार चाचड़ी पाइप लाइन योजना

*२१६—श्री खुशीराम—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल में क्षेत्र विकास अधिकारी, ओखल कांडा के पत्र संख्या १२४८ क्षे० वि० स० दिनांक २७ अक्तूबर, १९५८ के द्वारा अग्रसरित दिवार चाचड़ी पाइप लाइन योजना की फाइल किस अधिकारी के पास पड़ी हुई है और इसमें अब तक कार्यवाही न होने का क्या कारण है ?

श्री हरगोविंदसिंह—जिला नियोजन कार्यालय, नैनीताल की वह पत्रावली, जिसमें क्षेत्र विकास अधिकारी, ओखला कांडा का १९५८ का उल्लिखित पत्र होना चाहिये, मिल नहीं रही है। अतएव उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही हुई—यह निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता। जहां तक दिवार चाचडी पाइप लाइन योजना का प्रश्न है, दिवार चाचड़ी नामक ग्राम विकास क्षेत्रों के पुर्नगठन क फलस्वरूप, ओखलाकांडा या विकास क्षेत्र से हटाया जा कर, १९५९ में रामगढ़ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत ले लिया गया है। कथित योजना का कोई प्रस्ताव क्षेत्र विकास अधिकारी, रामगढ़ के पास आया है या नहीं, और यदि आया है तो उस पर क्या कार्यवाही हुई, उसकी जांच की जा रही है।

*२१७—श्री खुशीराम—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

*२१८—२१९—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

औद्योगिक आस्थान, आगरा में पानी की अव्यवस्था

*२२०—श्री बालोजी अग्रवाल—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक बस्ती, आगरा में पानी की व्वयस्था नहीं है ? यदि हां, तो सरकार वहां पानी की व्वयस्था के लिये क्या-क्या कार्यवाही कर रही है और वह कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी नहीं। औद्योगिक आस्थान, आगरा में ट्यूबवेल द्वारा पानी की व्वयस्था की गई है किन्तु मौजूदा पानी खारा है अतः वहां पर मीठा पानी उपलब्ध कराने के लिये सरकार नगर महापालिका, आगरा तथा मुख्य अभियन्ता स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग से बातीचीत कर रही है और आशा है कि इस संबंध में उचित कार्यवाही यथा सम्भव शीघ्र पूर्ण हो सकेगी।

बरुआ सागर में बड़ा अस्पताल खोलने की प्रार्थना

*२२१—श्री लखपतराम शर्मा—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरुवा सागर में जो जिला झांसी में है की जनसंख्या को देखते हुये, वहां की गरीब जनता के हितार्थ किसी बड़े सरकारी अस्पताल को खोलने को शीघ्र कृपा करेंगे ? क्या यह सही नहीं है कि वहां एक छोटे से मकान में जो अस्पताल है उससे जनता को कुछ सुविधा नहीं प्राप्त होती ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—बरूआ सागर में जो राजकीय ऐलोपैथिक अस्पताल कई वर्षों से एक किरये के मकान में स्थित है, वहां की जनता की समुचित रूप से सेवा कर रहा है। इस अस्पताल के स्थान पर किसी बड़े अस्पताल के खोलने का कोई प्रश्न इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

फीरोजाबाद में कोयले के वितरण की शिकायत

*२२२—श्री शिवचरण (जिला आगरा)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फीरोजाबाद में पकाई भट्ठियों और छाल भट्ठियों को दिये जाने वाले कोयले का वितरण किन आधारों पर किया जाता है और क्या यह सही है कि वितरण की वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ पकाई भट्ठी चलने वालों में गहरा असंतोष व्याप्त है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(१) पकाई भट्ठी व छाल भट्ठी के कोयले का खर्चा ७ और ५ के अनुपात में है, अतः इसी अनुपात में कोयला इन्हें दिया जाता है।

(२) पुरानी भट्ठियां चलाने वालों को कोई असंतोष नहीं है, परन्तु कुछ नई पकाई भट्ठियों की ओर से कोयले की मांग की गई। चूंकि कोयले की कमी है और पुरानी भट्ठियों की संख्या भी आवश्यकता से अधिक है, नई भट्ठियों को कोयला नहीं दिया जा सका जिसके कारण नई पकाई भट्ठी वालों को असन्तोष है।

*२२३—श्री शिवचरण—क्या इस संबंध में सरकार के पास शिकायतें आई हैं ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जी हां। नई भट्ठियों की ओर से कोयले की मांग की गई परन्तु जैसा कि बताया जा चुका है यह मांग स्वीकार नहीं की जा सकी। शिकायतों को दूर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

माहुल में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का आयोजन

*२२४—श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अहरौला विकास खंड के अन्तर्गत माहुल और शमशाबाद गांवों में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त गांवों में कब तक जच्चा-बच्चा केन्द्र खुल जाने की संभावना है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गांव में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हरगोविंदसिंह—माहुल में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने की योजना है। यह केन्द्र जैसे ही मिड वाइफ उपलब्ध होगी चालू हो जायगा। शमशाबाद में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

*२२५-२२६—श्री चन्द्रपाल—[९वें शुक्रवार में प्रश्न ११०-१११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

हरिजन व पिछड़ी जाति के आई०ए०एस० तथा पी० सी० एस०

*२२७—श्री भीखालाल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के अन्त तक प्रदेश में कितने-कितने आई० ए० एस० व पी० सी० एस० अफसर थे और उनमें अलग अलग कितने कितने हरिजन व पिछड़ी जातियों के थे और प्रतिशत क्या थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के अन्त तक प्रदेश में आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अफसरों की संख्या क्रमशः २४५ और ४६६ थी। इनमें से आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में क्रमशः ७ और ५० अनुसूचित जाति के थे और उनका प्रतिशत क्रमशः २.८६ और १०.७३ था। सरकार के पास कोई सूचना नहीं रहती है कि कौन कर्मचारी पिछड़ी जाति का है।

विकास खंडों में प्रमुख का निर्वाचन रोकना

*२२८—श्री मैनेजरसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के किन-किन विकास खंडों में प्रमुख का निर्वाचन रोक दिया गया है और रोकने के अलग-अलग क्या कारण हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जिला मुजफ्फर नगर के पुरकाजी, कैराना और शामली खन्ड, जिला फर्रुखाबाद के सौरिख खन्ड तथा जिला इलाहाबाद के मूरतगंज खन्ड की क्षेत्र समितियों के प्रमुखों के चुनाव विभिन्न न्यायालयों के द्वारा रोक लगा दिये जाने के कारण नहीं हुये हैं। जिला बलिया की मनियर क्षेत्र समिति में सहकारी समितियों में प्रतिनिधियों के चुनाव के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने के कारण वहां के प्रमुख का चुनाव शासन द्वारा रोक दिया गया है।

शस्त्रास्त्रों के लाइसेंस फार्मों पर फोटो लगाने का सुझाव

*२२९—श्री मुहम्मद रफी खां—क्या सरकार को यह मालूम है कि मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, ताँगा ड्राइविंग लाइसेंस और रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस पर लाइसेन्सदार की शिनाख्त के लिये फोटो जरूरी है, लेकिन बन्दूक, राइफल, पिस्तौल, रिवाल्वर आदि जैसी अहम चीजों के लाइसेन्स पर न तो फोटो होता है और न लाइसेंसदार के दस्तखत या निशान अगूंठा ? यदि हाँ, तो क्या सरकार प्रदेश में बढ़ते हुये जराइम के पेशे नजर इन अस्लहा शस्त्रों के लाइसेन्सों पर लाइसेन्सदार का फोटो जरूरी होने की हिदायत जारी करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—शास्त्रास्त्रों के लाइसेंस के फार्म पर न तो कोई फोटो लगाया जाता है और न अगूंठे का निशान ही लगवाया जाता है। यह भारत सरकार ने इंडियन आर्म्स ऐक्ट व रूल्स के अन्तर्गत निर्धारित किया है। उस फार्म के अन्तर्गत लाइसेन्सदार का फोटो लगाने हेतु आवश्यक संशोधन भारत सरकार ही कर सकती है। राज्य सरकार इस सबंध में कोई हिदायत नहीं जारी कर सकती और न उसकी कोई आवश्यकता ही समझती है।

*२३०—श्री माताप्रसाद—[हटा दिया गया।]

*२३१—श्री रघुवीर—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

जिला परिषद् चुनाव

*२३२—श्री राजेन्द्रसिंह—क्या सरकर कृपया बतायेगी कि जिला परिषद् के सदस्य जो ब्लाक डेवलपमेंट कमेटियों द्वारा चुने जाते हैं कब तक चुन लिये जावेंगे ?

*२३३—क्या सरकार बतायेगी कि जिला परिषद् के सदस्यों का जो जनरल इलेक्शन का नियम ऐक्ट में दिया है उसमें कुछ परिवर्तन करने जा रही है ? यदि हाँ, तो क्यों और इनका चुनाव कब तक सम्पन्न हो जावेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ से संबंधित एक संशोधन विधेयक सरकार द्वारा लाया जा रहा है और वह शीघ्र ही सदन के

समक्ष प्रस्तुत किया जायगा । उक्त विधेयक जिस रूप में विधान मंडल द्वारा पारित किया जायगा उसी के अनुसार जिला परिषदों के संगठन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

नगरों में दुकानों के खुलने के समय में संशोधन करना

*२३४—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह मौजूदा 'U. P. Shops and Commercial Establishment Act' जिसके अनुसार नगरों में दुकानों के खुलने का समय ७ बजे प्रातः से १० बजे साँय तक है उसम ९ बजे प्रातः से ७ बजे सायं तक खुले रहने का संशोधन करने पर विचार कर ही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—(क) जी हाँ ।

(ख) कुछ समय लगेगा ।

*२३५—श्री छेदालाल चौधरी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त कथित संशोधित अधिनियम को कुछ सीमित बड़े नगरों में, KAVAL Towns, मात्र में ही अथवा सारे उत्तर प्रदेश के बड़े व छोटे सभी नगरों में भी उसके लागू किये जाने पर विचार करेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—निर्धारित समय उन सभी नगरों पर लागू होगा जहाँ शाप्स ऐक्ट लागू है ।

*२३६—२३८—श्री छेदालाल चौधरी—[३० अगस्त, १९६२ के लिये प्रश्न २१३—२१५ के अन्तर्गत स्थगित किये गये ।]

*२३९—श्री दयाराम शाक्य—[३० अगस्त, १९६२ के लिये प्रश्न २१६ के अन्तर्गत स्थगित किया गया ।]

*२४०—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया ।]

*२४१—श्री उग्रसेन—[हटा दिया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

भदौरा निवासी रघुवरदयाल की लाश

१—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा मनिया टोकरी, थाना औरंगाबाद, जिला बुलन्दशहर के डाकुओं में से जो लाश तारीख १३ मई, १९६२ को रघुवरदयाल पुत्र रोशन लाल, निवासी भदौरा, थाना औरंगाबाद की बरामद हुई है उस सिलसिले में थाना औरंगाबाद की पुलिस तहकीकात करने में क्यों देरी कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—उक्त मामले की जाँच में विलम्ब होने का कारण यह है कि लाश का पोस्ट मार्टम कराने के बाद Viscera परीक्षणार्थ केमिकल एक्जामिनर को भेजा गया था । केमिकल एक्जामिनर की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है । इसके प्राप्त होने पर जाँच समाप्त की जायेगी ।

२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—क्या सरकार इस कत्ल की तहकीकात थाना औरंगाबाद की पुलिस के बजाय जिले के किसी पुलिस के आला आफिसर से करवाने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—इसकी आवश्यकता नहीं प्राप्त होती है।

३-४—**श्री रामसमझावन** (जिला जौनपुर)—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

उत्तराखण्ड में जिला परिषदें न होना

५—**श्री गंगाधर मैठाणी**—क्या सरकार कृपया प्रश्न संख्या ८२, दिनाँक ३१ मई, १९६२ के दिये गये उत्तर के संदर्भ में उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी जिनके आधार पर सरकार उत्तराखंड डिवीजन के चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में जिला परिषद् इस समय स्थापित नहीं करने जा रही है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—उत्तराखंड डिवीजन के चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जिलों में जिला परिषदें न स्थापित करने के कारण शासकीय वि० स० ३८-३० बी/९-ए—२९-आर—६१, दिनाँक १ जनवरी, १९६२ में दे दिये गये हैं।

६—८—**श्री हरीशकुमार गंगवार**—[८वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ८०—८२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

भदोही पूर्व प्रसार सेवा खण्ड में ग्राम सेवकों को वेतन न मिलना

९—**श्री गयाप्रसाद**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि वाराणसी जिले के अन्तर्गत भदोई पूर्व प्रसार सेवा खंड के ग्राम सेवकों और पंचायत मंत्रियों को गत ४ माह से वेतन नहीं मिल रहा है ? यदि हाँ, तो ऐसे क्यों हो रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं। केवल ग्राम सेवकों को अप्रैल, १९६२ का वेतन नहीं मिला है। कोषाधिकारी, वाराणसी द्वारा बिल पर कतिपय आपत्तियों के कारण ही उक्त भुगतान अभी तक नहीं किया जा सका है।

१०—**श्री कल्पनार्थसिंह**—[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

११-१२—**श्री कमलासिंह यादव**—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

१३-१५—**श्री मुहम्मद रफी खां**—[हटा दिये गये।]

सबार्डिनेट लेबर सर्विस ग्रुप (दो) में हरिजनों को न लेना

१६—**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रम कमिश्नर, उत्तर प्रदेश, कानपुर ने दिनांक २४ जून, १९६२ को लेबर सबार्डिनेट ग्रुप (दो) के लिये कितने व्यक्तियों की नियुक्ति विभागीय पदोन्नति द्वारा की है, उनमें से कितने हरिजन हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—श्रम कमिश्नर, उत्तर प्रदेश ने २४ जून, १९६२ को सबार्डिनेट लेबर सर्विस ग्रुप २ के लिये ८ व्यक्तियों की नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की है। उसमें हरिजन नहीं है क्योंकि कोई भी पात्र हरिजन कर्मचारी उपलब्ध नहीं था।

१७—**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नियुक्ति व पदोन्नति में हरिजन उम्मीदवारों के संरक्षण हेतु ६ जनवरी सन, १९५८ ई० के राजकीय आदेश में क्या व्यवस्था दी गई है तथा उसका पालन उक्त नियुक्ति में किया गया है, ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—६ जनवरी, १९५८ के शासकीय आदेश विभागीय कर्मचारियों के लिये प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों में हरिजन अभ्यर्थियों को १८ प्रतिशत संरक्षण देता है। चूंकि उक्त विभागीय पदोन्नति प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नहीं की गई, अतः हरिजन अभ्यर्थियों के संरक्षण का प्रश्न नहीं उठता। इसके अतिरिक्त हरिजन पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे।

१८—**श्री मुरलीधर कुरील**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त नियुक्तियां श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक ४ दिसम्बर, १९६१ के आदेश के आधार पर की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—४ दिसम्बर, १९६१ के शासनादेश में यह स्पष्ट किया गया था कि पदोन्नति के लिये वही अभ्यर्थी पात्र माने जावेंगे जिन्होंने नीचे के ग्रुप में ३ साल की स्थायी सेवा पूरी कर ली है। २४ जून, १९६२ को ३ साल की स्थाई सेवा पूरी करने वाले कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, अतः उक्त आदेशानुसार नियुक्ति करने का प्रश्न नहीं उठता।

१९-२०—**श्री भीखालाल**—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

२१-२२—**श्री राजेन्द्रसिंह**—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

२३—**श्री हिम्मतसिंह तथा श्री रक्षपालसिंह**—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

२४—**श्री चन्द्रबली**—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

२५-२७—**श्री कल्पनाथसिंह**—[९ वें बुधवार के लिये प्रश्न २७—२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

२८—**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद तथा श्री मन्नालाल**—[१० वें गुरुवार के लिए प्रश्न १ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

२९—**श्री डल्लाराम** (जिला सीतापुर)—[१० वें गुरुवार के लिए प्रश्न २ के अन्तर्गत स्थगित किया गया।]

ब्लाक चेयरमैनों के चुनाव में हरिजनों का रक्षण न होना

३०—**श्री डल्लाराम**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक चेयरमैनों के चुनाव क्षेत्र में हरिजनों का रिजर्वेशन या सुरक्षित सीटें की गईं या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—जी नहीं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१ में, जिसके अधीन क्षेत्र समितियां स्थापित की गई हैं और उनके प्रमुखों का चुनाव कराया गया है, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है जिसके अनुसार प्रमुखों के चुनाव में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिये रक्षण (reservation) रहे।

३१-३२—**श्री अवधेशकुमार सिनहा**—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, मुरादाबाद के लिये सामान्य तथा परिगणित जाति के उम्मीदवारों का चयन

३३—**श्री छेदालाल चौधरी**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत सितम्बर मास, सन्, १९६१ ई० में (पी०टी०सी०) पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र, मरादाबाद के लिये

जो अभ्यर्थियों का चयन किया गया अर्थात् जो बेंच फरवरी, सन्, १९६२ ई० में वहां भेजा गया उसमें पुलिस फोर्स के भीतर तथा बाहर से लिये जाने वाले सामान्य तथा परिगणित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या अगल-अलग क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---पुलिस फोर्स के भीतर से लिये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या १२० है जिनमें परिगणित जाति का कोई नहीं है। फोर्स के बाहर से लिये जाने वाले सामान्य तथा परिगणित जाति के उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः १६० तथा ९ है।

३४---**श्री छेदालालचौधरी**---क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मई, सन्, १९६२ ई० में पुलिस फोर्स में से एस० आई० टीचर्स तथा एच० सी० टीचर्स के लिये किये गये चुनाव में सामान्य तथा परिगणित जातीय उम्मीदवारों की संख्या क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मई सन्, १९६२ में ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ।

३५---**श्री सहदेवसिंह**---[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

सूचना विभाग द्वारा विज्ञापन पर व्यय

३६---**श्री सहदेवसिंह**---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग द्वारा किन-किन, दैनिक, साप्ताहिक, त्रैमासिक, पत्र-पत्रिकाओं को सन् १९६१-६२ वर्ष में विज्ञापन दिया गया और अलग-अलग कितना-कितना पया इस मद में सरकार ने अदा किया ?

श्री बनारसीदास---सन् १९६१-६२ में जिन पत्र-पत्रिकाओं को नियमित रूप से विज्ञापन दिया गया उनकी †सूची संलग्न है। विज्ञापन पर सूचना विभाग के बजट से सन् १९६१-६२ में ६८,०५१.४३ पया व्यय हुआ। अन्य विभागों द्वारा इस मद में जो धन व्यय हुआ है उसकी सूचना एकत्र करने के लिये समय चाहिये।

अस्पतालों का प्रान्तीयकरण

३७---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय, श्री कल्पनाथसिंह तथा श्री दौलतलाल**---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चालू वित्तीय वर्ष में जिला परिषदों द्वारा संचालित किन-किन एलोपैथिक अस्पतालों का प्रांतीयकरण किया जा रहा है और प्रांतीयकरण करने का आधार क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में जिला परिषद् द्वारा संचालित निम्नलिखित ऐलोपैथिक अस्पतालों का प्रांतीयकरण किया जाना निश्चय पाया है:---

१---लोहाघाट पुरुष अस्पताल, अल्मोड़ा।

२---शाहगंज पुरुष अस्पताल, जौनपुर।

३---पयारापुर पुरुष अस्पताल, बुलन्दशहर।

४---सिकन्दराबाद पुरुष अस्पताल, बुलन्दशहर।

५---कसया पुरुष अस्पताल, देवरिया।

६---संडीला पुरुष अस्पताल, हरदोई।

७---मऊरानीपुर पुरुष अस्पताल, झांसी।

८---मेंहदावल पुरुष अस्पताल, बस्ती।

९---हसनपुर पुरुष अस्पताल, मुरादाबाद।

प्रांतीयकरण के विषय पर सरकार तभी विचार करती है जब संबंधित परिषदें जिनके द्वारा वे अस्पताल संचालित होते हैं उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वे उक्त अस्पतालों

---

†सूची छापी नहीं गई।

को चलाने में असमर्थ होती हैं तथा उन अस्पतालों के प्रांतीयकरण के निमित्त सरकार से प्रार्थना करती हैं, अथवा जनता उन के द्वारा संचालित चिकित्सालय से पूर्ण लाभ नहीं उठा पाती तथा सरकार से उनके प्रांतीयकरण के निमित्त प्रार्थना करती हैं।

३८—**श्री भीमाप्रसाद** (जिला आजमगढ़) तथा **श्री दौलतलाल**—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किया गया।]

३९—४१—**श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर**—[६ सितम्बर, १९६२ के लिये स्थगित किये गये।]

कोयले के कोटे में कटौती की जानकारी

४२—**श्री भगवानदास यादवेन्दु** (जिला आगरा)—क्या यह सही है कि केंद्रीय सरकार ने उद्योगपतियों को यह आश्वासन दिया है कि उद्योगों को चलाने हेतु जिनको जितना कोयला पहले (१९६१ में वास्तविक प्राप्त) मिल रहा था उसकी वास्तविक मात्राओं में कोई कटौती नहीं की जायेगी? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में इस आश्वासन को किस प्रकार अमल में लाया गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(अ) सूचना एकत्र की जा रही है। (ब) सूचना एकत्रित की जा रही है।

४३—**श्री भगवानदास यादवेन्दु**—क्या प्रदेश की कोयले की प्राप्ति में पिछले ३ या ४ महीनों में कोई वास्तविक कटौती हुई? यदि हां, तो पिछले ६ माह में उत्तर प्रदेश को दिये गये कोयले के क्या आंकड़े हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—(अ) सूचना एकत्र की जा रही है। (ब) सूचना एकत्र की जा रही है।

४४—**श्री भगवानदास यादवेन्दु**—अप्रैल, १९६२ में फीरोजाबाद में किन नवीन चूड़ी कांच के कारखानों को कोयले का नया कोटा दिया गया और किन पुराने कारखानों को बढ़ाया गया? नवीन कोटा दिये जाने के क्या नये आधार थे?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—अप्रैल, सन् १९६२ में फीरोजाबाद में किसी नवीन चूड़ी कांच के कारखाने को कोयले का नया कोटा नहीं दिया गया और न किसी पुराने कारखाने का कोटा बढ़ाया गया। अप्रैल में नवीन कोटा दिये जाने के नये आधार के संबंध में प्रश्न नहीं उठता।

४५—**श्री भगवानदास यादवेन्दु**—[हटा दिया गया।]

यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में प्रख्यापित संशोधन†

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन रूल्स, १९३५ में, परिवहन विभाग की विज्ञप्ति संख्या एम-बी-टी-आर-ए-एम-७-९९५-टी-एम/३०-ख-८(११)/पी-६१, दिनांक २० जून, १९६२ के अधीन प्रख्यापित संशोधन को यू०पी० मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन ऐक्ट, १९३५ की धारा २० की उपधारा (४) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

†छापे नहीं गये।

सदन में २० अगस्त, १९६२ को घटी घटना के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष---अब विशेषाधिकार की सूचनायें जो मेरे पास आयी थीं और जिनके संबंध में मैंने निवेदन किया था कि मैं उन पर आज अपना निर्णय दूंगा, उस संबंध में इस सदन के विरोधी दल के नेताओं ने यह आग्रह किया था कि इस संबंध में वे कुछ कहना चाहेंगे। यद्यपि मैं निर्णय अभी ही दे सकता था, लेकिन जो खेदजनक घटना हुई है उसको देखते हुये मैं अवश्य जानना चाहूंगा कि विरोधी दल के नेताओं व सत्तारूढ़ दल के कुछ नेताओं के क्या विचार हैं, और इस कारण से मैं विरोधी दल के नेताओं को जैसा मैंने कहा था सुनने के लिये तैयार हूं।

(श्री जेड०ए० अहमद को पुकारे जाने पर)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---श्रीमन्, पहले पढ़ दीजिये, उसके बाद सुनिये।

श्री अध्यक्ष---मैं पढ़ देता हूं। एक तो विरोधी दल के नेताओं की तरफ से है, जो इस प्रकार है---

"कल सदन में मार्शल ने पुलिस फोर्स और पी० ए० सी० की सहायता से सदन के कुछ माननीय सदस्यों को, जैसे श्री राधेश्याम शर्मा, श्री शिवनाथ सिंह, श्री नत्थाराम रावत और श्री राम आसरे वर्मा, को बलपूर्वक और अपमानजनक ढंग से खींच कर सदन के बाहर निकाल कर सड़क पर फेंक दिया। सदन में उपस्थित कुछ माननीय सदस्यों को अपशब्द भी कहा। मार्शल तथा पुलिस का यह सारा कार्य सदन के नियमों के विरुद्ध हुआ। इस कार्य से न केवल उपरोक्त माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा को ठेस लगी है और उन्हें मानसिक क्लेश हुआ है वरन् सम्पूर्ण सदन की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा है। ससे सदन की कार्यवाही में भी व्यवधान उपस्थित हुआ है। मार्शल तथा पुलिस फोर्स के इस अवैधानिक कार्य से सदन का अवमान और विशेषाधिकार का हनन हुआ है। अतः इस प्रश्न को उठाने के लिये आपकी सम्मति चाहते हैं।"

एक दूसरा श्री वीरसेन का है, वह इस प्रकार है कि:---

"कल सदन में आपके द्वारा इंगित किये जाने पर सर्वश्री चन्द्रबली तथा नरसिंह नारायण पांडेय को माननीय राजस्व मंत्री के प्रस्ताव पर क्रमशः तीन दिन तथा एक सप्ताह के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित कर दिया गया। तत्पश्चात् दोनों सदस्यों को आपने सदन छोड़ने के लिये आदेश दिया परन्तु उन्होंने आप के आदेश का पालन नहीं किया और जब आप ने मार्शल को उन्हें सदन से हटाने का आदेश दिया तो भी उन्होंने आदेश का पालन नहीं किया और मार्शल के लिये बल का प्रयोग आवश्यक हो गया। इस बीच में आप ने सदन १० मिनट के लिये स्थगित कर दिया और मार्शल कुछ फोर्स उन सदस्यों को निकालने के लिये अपने साथ लाये। श्री शिवनाथसिंह और श्री राधेश्याम उक्त दोनों सदस्यों के दाईं ओर बैठे थे। मार्शल के कहने पर उन्होंने निलम्बित सदस्यों को हटाने के लिये मार्ग नहीं छोड़ा बल्कि कुर्सी तथा मेज पकड़ कर जम कर बैठ गये। और मार्शल तथा उन की सहायता के लिये आये हुये फोर्स के व्यक्तियों को निलम्बित सदस्यों के पास तक न जाने दिया। अतः मार्शल को उक्त दोनों सदस्यों को मार्ग से हटाना आवश्यक हो गया। बल प्रयोग करने पर भी उक्त सदस्यों ने स्थान नहीं छोड़ा और उन्हें सशरीर उठा कर हटाना पड़ा।

मार्शल महोदय सदन के आदेश द्वारा निलम्बित सदस्यों के हटाने में अपना कर्त्तव्य पालन कर रहे थे तथा सर्वश्री राधेश्याम और शिवनाथसिंह ने मार्ग न छोड़ने तथा जम कर

[श्री अध्यक्ष]

बैठने से मार्शल के कर्त्तव्य पालन में बाधा डाली। वह कार्य सदन का अवमान है। अतः मैं उक्त अवरोध करने वाले सदस्यों के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाता हूं।

उक्त प्रश्न, मैं सदन में भी उठा चुका हूं। मैं नियमानुसार उपरोक्त प्रश्न उठाने की सूचना देता हूं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रश्न पर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।"

श्री उग्रसेन—मैंने, अध्यक्ष महोदय, एक माननीय मुख्य मंत्री के खिलाफ भी दिया था, उसको भी आप पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—वह अलग है, उस पर अलग से विचार होगा।

श्री उग्रसेन—उस पर विचार हो तो उसे भी आप पढ़ने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—ठीक है, वह उसी वक्त देखा जायगा।

श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—अध्यक्ष महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि आपने हमें इस बात का मौका दिया कि पिछले दो-तीन दिन में जो घटनायें यहां हुई हैं उन पर हम अपने विचार इस सदन में रखें। एक बुनियादी किस्म का सवाल हमारे सामने आ कर खड़ा हो गया है और आज इस पर महज हल्के फुल्के तरीके से किसी तरह से बातचीत कर के कोई समझौता कर लिया जाय वह काफी नहीं है। मैं समझता हूं कि बुनियादी सवाल हमारे आप के सामने, इस तरफ के और उस तरफ के दोनों पक्षों के सामने, यह है कि यह असेम्बली है क्या? क्या इस असेम्बली में हम एक शान्ति के वातावरण में डिबेट और विचार-विनिमय के द्वारा राय और मत को बनायें या यह कि इस असेम्बली में तन कर खड़े हो जायं एक दूसरे के खिलाफ—जिसमें चिल्लाहट होगी और शोरगुल मचेगा, रूल्स न माने जायं, पुलिस बुलाई जाय, खींचे जायं और फेंके जायं। यह कहां तक मुनासिब है? यही बुनियादी सवाल है जिस पर कुछ तय करना है और एक नतीजे पर पहुंचना है, क्योंकि आखिर हमें ५ साल तक इस सदन में बैठना है। अगर कोई नहीं चाहता कि नहीं बैठना है, हम चले जायगे, तो बात दूसरी है, लेकिन अगर इरादा यहां बैठने का है और बहस और दलील के द्वारा किसी नतीजे पर पहुंचना है तो मतभेद हमारे होंगे यह सही है, कैसे भी हमारे मतभेद हों लेकिन उन मतभेदों के इजहार का भी एक तरीका है, उस के लिये नियम हैं, एक विधान है जिसके दायरे में रहते हुये हमें उन मतभेदों को पेश करना है और कुछ नतीजों पर पहुंचना है। इसलिये इन सवालों पर हम चाहते हैं कि आज बहस हो जाय और उसके बाद एक कोड आफ कान्डक्ट नियमों के अन्दर रहते हुये हमें यहां के लिये बनाना पड़ेगा, यदि हम यहां संसदीय प्रणाली को चलाना चाहते हैं और उसके मुताबिक काम करना हमें मंजूर है। मुझे आशा है कि इस बहस के बाद और जरूरी विचार-विनिमय के बाद हम इस बात की कोशिश करेंगे कि एक कोड आफ कान्डक्ट अपोजीशन और गवर्नमेंट दोनों के लिए पैदा हो और जिसको हम और उधर के लोग सभी आब्जर्व करें।

आज हम चाहते हैं कि जिसकी भी गलती हो उस को साफ़ तौर से कहा जाय कि यह गलती है और उसको हरगिज छिपाया न जाय और जिस हदतक हो सके चीज को साफ किया जाय। उसका इलाज तो बाद में सोचा जाय, लेकिन गलती को जब तक गलती न माना जाय तब तक उसका इलाज नहीं निकल सकता। मैं सोशलिस्ट पार्टी के मित्रों से पहले कहना चाहता हूं क्योंकि वह और हम बुनियादी तौर पर एक ही राजनीतिक खानदान के हैं। माननीय नेता सोशलिस्ट पार्टी उग्रसेन जी से मैं कुछ उम्र में भी बड़ा हूं इसलिये मुझे अधिकार है कि मैं उनसे कुछ कहूं और शायद भारत के पैमाने पर हमारी पार्टी ज्यादा पुरानी और बड़ी है, कुछ तजुर्बेकार भी

हैं, उसको इस्तेमाल कर के मैं कुछ बातें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं अपने भाई उग्रसेन जी और उनके साथियों की गर्मी को अच्छा समझता हूं। गरमी अच्छी चीज है, खून में गरमी रहे तो इन्सान जिन्दा रहता है, नहीं तो इन्सान मर जाता है। लेकिन याद रखें कि गरमी एक घर को रोशनी भी देती है और वही गरमी उसी घर को जला भी सकती है। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, पिछली बार इसी विषय पर कहते हुए मैंने एक बात कही थी कि पार्लियामेंटरी इंस्ट्रूमेन्ट बहुत डेलीकेट चीज है, इसे हमें नर्स करना है, बचाना है और अगर इसके साथ खिलवाड़ हमने शुरू किया तो अन्तर्राष्ट्रीय तजुर्बा हमको बताता है पिछले १५ साल का, एशिया, अफ्रीका का तजुर्बा बताता है कि अगर पार्लियामेंटरी सिस्टम के साथ हम खिलवाड़ करेंगे तो वह इंस्ट्रूमेंट, वह औजार चटक जायगा, टूट जायगा। इसलिये इसको नर्स करना है, बचाना है और इसके दायरे में रहते हुए जो जनता के अधिकार हैं उनको ज्यादा मजबूत करना है।

आप तारीखी या ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो पार्लियामेंटरी इंस्टीट्यूशन्स बहुत से देशों में बने और टूट गये, खत्म हो गये। और ईमानदारी से अगर आप देखें और ऐतिहासिक सेंस लेकर देखें तो उसके कारण दो थे। एक तरफ से दक्षिण पंथी प्रतिक्रियावादी तत्वों ने उसको तोड़ना शुरू किया और दूसरी तरफ से लेफ्ट ऐडवेन्चरिज्म ने भी कंट्रीब्यूट किया और मिल कर नतीजा यह हुआ कि पार्लियामेंटरी इंस्टीट्यूशन्स खत्म हो गये और डिक्टेटरशिप आ गई। मैं यह नहीं कहता कि यह परिस्थिति आज हिन्दुस्तान में है। यह नहीं है। लेकिन अगर हम खुद किसी गलत दिशा में जाने लगते हैं तो शुरू से अगर न पकड़ा जाय तो चलते चलते हमारी दिशायें बदल जाती हैं, हम गलत रास्ते पर जाने लगते हैं और जो नतीजा हम चाहते हैं उसका उल्टा नतीजा होता है।

आप मेरे भाई हैं, सफ़ाई से बात कर रहा हूं, आप कहेंगे कि हम क्रान्तिकारी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन माफ़ कीजिये, क्रान्तकारी लड़ाई लड़ने का यह तरीक़ा नहीं है। मैं पूछता हूं क्या यह क्रान्तिकारी लड़ाई है कि रोज़ यहां शोर गुल मचे, कानून कायदे तोड़ दिये जायं, कोई अनुशासन न रहे? यहां ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जायं जिनसे अराजकता पैदा हो जाय, पुलिस आये और उसके डंडे चलें? मैं नहीं चाहता पुलिस के डंडे मुझ पर चलें। मैं पुलिस के बारे में भी कहूंगा, लेकिन आज आप इसको क्रान्तिकारी लड़ाई समझें, मैं इसको नहीं मानता। क्रान्तिकारी लड़ाई लड़ने के तरीक़े और हैं और हम भी बहुत बड़े क्रान्तिकारी रहे हैं, हमने भी बहुत उछल कूद मचायी है, लेकिन तजुर्बे से यही सीखा है कि आज अगर प्रगतिशील ताकतों को मजबूत करना है तो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को स्ट्रेन्थिन कर के उसके फ्रेम वर्क के अन्दर जनता के अधिकारों को मजबूत कर के हम आगे बढ़ सकते हैं, न कि इसको तोड़ सकते हैं।

सोशलिस्ट भाई यह कहेंगे कि यह जरूरी है, हम सरकार का भंडाफोड़ करना चाहते हैं, सरकार के प्रतिक्रियावादी चरित्र का भंडाफोड़ करना चाहते हैं। मुझे भी सरकार से मुहब्बत नहीं है, मैं सरकार का घोर आलोचक हूं, लेकिन माफ़ कीजिये मैं साफ़ तौर पर कहूंगा, जिस तरीके से आप अपनी कार्यवाही यहां करते हैं वह सिर्फ़ सरकार का भंडा फोड़ का इरादा नहीं है, बल्कि साथ साथ हमारा भी भंडाफोड़ करना चाहते हैं। डबल एज्ड वेपन चलाना चाहते हैं। यानी विरोधी पक्ष या तो हमारे नेतृत्व को माने और अगर नहीं मानता तो कहिये कि देखिये यह तो कांग्रेस के पिट्ठू हैं, यह तो सुधारवादी ह, वह क्रान्तिकारी नहीं हैं। मैं आप को यह हथियार नहीं देना चाहता। मैं समझता हूं कि यह ग़लत तरीक़े हैं कि व्यक्तिगत तरीक़े से आप एक चीज को करते जायं और उसके बाद एक बार हम पर करें और एक बार सरकार पर करें। हम अपने ऊपर वार नहीं होने देंगे। जो दांव पेंच आपके हैं उनके हम खिलाफ हैं और उसका हम विरोध करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ बैठ कर बातें करें कि कौन से सही तरीके हैं। अगर यही आप रोज करते हैं तो हमारा दल मजबूर होगा कि हम जहां सरकार

[श्री जेड० ए० अहमद]

की मुखालिफत करें, वहां आपकी भी मुखालिफत करें। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं उस दिन था नहीं और मेरी बदकिस्मती है कि जब घटनायें होती हैं तो मैं होता नहीं। पिछली दफा कहीं और था और इस दफा हैदराबाद में बैठा था। कुछ लोगों ने हैदराबाद में पूछा क्या हो रहा है यू० पी० असेम्बली में? दिल्ली से आया तो पूछा यू० पी० असेम्बली में क्या हो रहा है? मुझे दुःख हुआ, जिस तरीके से यहां पुलिस बुलायी गई और जिस तरीके से पुलिस ने कार्यवाही की।

अध्यक्ष महोदय, जब मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों की आलोचना करता हूं, उनके दावपेचों को बतलाता हूं, उनके तरीकों को गलत कहता हूं क्योंकि वह तरीके प्रजातंत्र को, हमारी पद्धति को चोट पहुंचाते हैं, उसी के साथ साथ मैं हिम्मत के साथ, डट कर कहना चाहता हूं कि छोटी छोटी बातों पर पुलिस को बुला लेना और मेम्बरों को फेंक देना जनवाद को ठोकर लगाना है। आखिर कुछ सब्र से काम करना चाहिये। हम सियासी, राजनीतिक लोग हैं। ऐसी घटनायें आयेंगी तो हमें सब्र से काम लेना चाहिये। अगर सोशलिस्ट पार्टी का हम साथ नहीं देंगे तो वह अपने अलगाव को महसूस करेगी। उनकी ईमानदारी से एक राजनीतिक दृष्टि है। उन्होंने कोई हंगामा किया और आपने ७ मिनट बाद पुलिस को बुला लिया तो पुलिस अधिकारी अपना डंडा चलायेंगे, कोई गजरा तो पहनायेंगे नहीं। इस वक्त आप इन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे और आपके कुछ ट्रैडीशंस हैं। जब लाल पगड़ी देखी तो आंखों में खून उतर आता है। इससे पार्लियामेंटरी सिस्टम के अन्दर गड़बड़ी पैदा होती है और पुलिस को बुलाना, यह ऐसा काम है जो पार्लियामेंटरी पद्धति को चोट पहुंचाता है। अब यहां पुलिस आई। मुझ से लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने रेजिस्ट किया, हटते नहीं थे। मैं समझ सकता हूं जो पुराना तरीका लोगों ने जेलों में सीखा था हम लोग चिपट जाते थे। मैं मानता हूं कि लोगों ने यह जरूर किया होगा। यह हमारी परम्परा है और यह एक तरीका बन गया है। लेकिन मैं इस बात को समझ नहीं सकता और इस पर जांच होनी चाहिये कि जिनको आप ने नेम किया, जिन पर प्रस्ताव पास किया वह तो यहीं बैठे रहे और चार दूसरे आदमियों को लटका कर सड़क पर बाहर फेंक दिया गया। क्या तरीका है? अगर आप कहते हैं कि पार्लियामेंटरी तौर तरीके अख्तियार किये जायं तो जिनको नेम किया गया है, जिन पर प्रस्ताव है वे यहीं ठहरे रहें और जिनको नेम नहीं किया गया उन मासूम लोगों को बाहर फेंक दिया गया तो क्या यही पार्लियामेंटरी तरीका है? मैं चाहे कुछ कहूं, मेरे विचार कुछ हों, कल पुलिस आ जायगी और मेरी टांग पकड़ लेगी। तो मेरी क्या रक्षा है? कोई रक्षा नहीं है।

मैं मौजूदा मार्शल साहब के बारे में साफ कहना चाहता हूं कि जब से वह यहां आये हैं उन्होंने बहुत पेचीदगियां पैदा की हैं। पिछली बार इसी विषय पर बोलते हुए मैंने आप से दरख्वास्त की थी कि यह रोशनी गुल कर देना, पंखे बन्द कर देना आखिर यह होता कब है? मैंने आप से दरख्वास्त की थी कि इस पर जांच होना चाहिये, बदकिस्मती से उस पर कोई जांच अब तक नहीं हुई। मुझे खबर यह मिली है कि मार्शल साहब ने कुछ लोगों को कहा, "हटाओ इस कमीने को, हटाओ इस कमीने को।" और यह कहा हमारे कुछ सोशलिस्ट भाइयों को। ("यह गलत है" की आवाजें) गलत है, इसके ऊपर जांच होनी चाहिये। मैं पार्टीजन एटीट्यूड नहीं ले रहा हूं और यह नहीं चाहता कि आप भी पार्टीजन एटीट्यूट लें। अगर मार्शल ने ऐसा कहा है तो वह यहां मार्शल नहीं रहेंगे। (व्यवधान) लेकिन मैं जो सही बात है उस को कहूंगा और आप को अपनी आलोचना सुननी पड़ेगी। अगर ईमानदारी की बात आप चाहते हैं तो एक छोटे से अफ़सर को आप इस तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। इसके ऊपर जांच होनी चाहिये और पता लगाना चाहिये कि किसने कहा और क्यों कहा। उसके बाद पुलिस के लोग आये। उन्होंने और बदतर बातें कीं और खराब जबान का इस्तेमाल किया। तो यह सवाल अपनी जगह पर है, इसकी जांच होनी चाहिये। मैं कहता हूं कि अगर मार्शल साहब का यह तौर तरीका रहा तो कहीं वह टहलते हों, हम लोग खड़े हो कर उनके खिलाफ नारे लगायेंगे और

देखेंगे कि वह कैसे यहां रहते हैं। वह कहेंगे कि हमने नहीं कहा। तो आप इसकी जांच कराइये। पहले मार्शल थे, आराम से हाथ जोड़ कर कन्धे पर ले जाते थे। यह तरीका था। लेकिन अगर आप गालियां देनी शुरू कर दें तो वह नाकाबिले बरदाश्त है। जिन लोगों के ऊपर प्रस्ताव पास नहीं हुआ वे उठा कर बाहर फेंक दिये गये। मैं चाहता हूं कि यह सारा सवाल प्रिविलेज कमेटी को दिया जाय, वहां ईमानदारी से जांच हो जाय और जो सही बात हो वह साबित हो जाय। उसके बाद हम एक वातावरण पैदा करें जिसमें हम एक कानूनी दायरे में रहते हुये अपने ऐग्रीमेंट्स को एक्सप्रेस करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कानून का पालन सरकार की तरफ से हुआ, अगर नाजायज तरीके से छोटे-छोटे अधिकारियों की रक्षा नहीं की गयी, अगर छोटी-छोटी बात पर पुलिस को नहीं बुलाया गया—पुलिस को बुलाना कोई मामूली चीज नहीं है—तो मुझे यकीन है कि हमारी तरफ़ से आपको सहयोग मिलेगा और मुझे यह यकीन है कि हम ऐसी हरकतें नहीं करेंगे जिससे पार्लियामेंटरी सिस्टम को चोट पहुंचे या कार्यवाही रुक जाय। मुझे उम्मीद है कि जिस सफ़ाई के साथ मैंने अपने साथियों की ग़लती को माना है उसी सफ़ाई के साथ दूसरी तरफ़ के लोग अपने अधिकारियों और लोगों की गलतियां हैं उनको मानेंगे ताकि एक स्वच्छ वातावरण पैदा हो।

श्री उग्रसेन—माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने जो विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न आप के द्वारा सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैंने स्वयं मुख्य मंत्री जी के विरुद्ध दिया है और यह विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न जिस पर सभी विरोधी दल के नेताओं के हस्ताक्षर हैं। साम्यवादी दल के नेता, हमारी बदकिस्मती है कि जब हम लोग मुसीबत में फंसते हैं तो वे यहां मौजूद नहीं रहते चूंकि वे देश के एक बड़े नेता हैं, उनका दौरा आये दिन बाहर लगा करता है और हमारी भी बदकिस्मती है कि हम भी अपने सिद्धान्तों से डिग नहीं सकते। मुझे दुःख इस बात का है कि डाक्टर साहब ने जिस तरीके से भाषण शुरू किया सदन में उसमें उन्होंने कुछ सिद्धान्तों की चर्चा की। श्रीमन्, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य तो कभी नहीं रहा, लेकिन कम्युनिज्म जो सर्वमान्य सिद्धान्त है, उसके सिद्धान्तों को मुझे भी कुछ पढ़ने का अवसर मिला और डाक्टर को मैं शुरू बचपन से जब मैं विद्यार्थी था तभी से जानता हूं। खासकर १९३६ में जब नागपुर की कान्फ्रेन्स हुई थी विद्यार्थियों की और डाक्टर के० एल० अहमद और डाक्टर साहब, तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने उसमें शिरकत की थी। सोशलिस्ट पार्टी के साथ जो कुछ हुआ वह मैं डाक्टर को बताना चाहता हूं। डाक्टर, हम उतने क्रान्तिकारी नहीं हैं जिस दृष्टिकोण से आप देखते हैं क्रान्ति को। मगर इतना हम जरूर कहेंगे कि अगर जनतंत्र यही है, अगर माननीय चन्द्रभानु गुप्त का जनतंत्र यही है कि चार निरपराध लोग बैठे हैं, आपने उनको इंगित भी नहीं किया था, सदन ने कोई उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव भी पास नहीं किया, लेकिन पुलिस और पी० ए० सी० सदन में आती है और चार माननीय सदस्यों को टांग कर बाहर सड़क पर ले जाती है। राधेश्याम शर्मा जी चिल्लाते रहते हैं कि हमें क्यों उठा रहे हो? लेकिन किसी ने नहीं सुना। उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी भी विराजमान थे। अगर न हों तो माननीय सदस्य कह दें कि नहीं थे। मैं डाक्टर साहब को बता देना चाहता हूं कि यह सारी दुःखद घटना मुख्य मंत्री जी की देखरेख में घटी। मुख्य मन्त्री जी उस समय बैठे थे और ऐसा मालूम हो रहा था कि वे उसका संरक्षण कर रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे। जिस समय पुलिस द्वारा माननीय राजनारायण खींच कर बाहर निकाले गये थे तो उस समय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी सदन में मौजूद नहीं थे। लेकिन जिस समय हमारे ये साथी निकाले गये तो मुख्य मंत्री, चन्द्रभानु गुप्त, यहां मौजूद थे।

अगर यही जनतंत्र है तो मैं इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी इसका जम कर मुकाबला करने के लिये तैयार है। यह जनतंत्र नहीं है। मैंने भी पढ़ा है और मैं भी राजनीति का विद्यार्थी रहा हूं। डेमोक्रेसी दो तरह की होती है।

[श्री उग्रसेन]

एक बुर्जुआ डैमोक्रेसी और दूसरी प्रोलीटेरियट डैमोक्रेसी है। इसके आप हामी हैं। जहां तक आप तहजीब और तमद्दुन की बात कहते हैं, मैं आप से कहना चाहता हूं कि जनतंत्र का नारा लगाने के लिये कम्युनिस्ट देश दुनिया में रूस है। ख्रुश्चेव जब राष्ट्रसंघ में गये तो बड़ा हल्ला हुआ और उनकी बात सुनी नहीं गयी। केवल टेबिल ही नहीं थपथपाई गई, बल्कि डाक्टर साहब ने देखा होगा कि उन्होंने मेज पर जूता रख दिया और ऐसा काम किया जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। मैंने उसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उस समय ख्रुश्चेव के सामने और कोई दूसरा तरीका नहीं था। अब जिस समय यह बात हुई तो हमारे डाक्टर साहब मौजूद थे। जब वे आये तो दोनों तरफ की गवाही उन्हें लेनी चाहिये थी तब कहीं कुछ कहते, लेकिन ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया। कम्युनिज्म का सिद्धान्त वर्ग संघर्ष पर चलता है और मैं भी वर्ग संघर्ष को मानता हूं। यह वर्ग संघर्ष गृह युद्ध में परिणत हो जाता है तब समाजवादी क्रान्ति होती है तो उस समय सर्वहारा तरीके की तानाशाही की घोषणा होती है और फिर लोगों को काफी आराम और खाना पीना पहुंचाया जाता है। इसमें राज्य मुरझा जाता है और ऐसा समाज बनता है जिसमें लोग शक्ति के अनुसार काम करते हैं और अपनी आवश्यकतानुसार लोगों को प्राप्त होता है। थोड़े में मैंने कम्युनिस्ट पार्टी की बात बतादी।

श्रीमन्, मैं यह कहना जाहता हूं कि हम लोगों के ऊपर जुल्म हुआ है। माननीय झारखंडेराय, ऊदल और चन्द्रजीत जी से बात पूछिये। उस समय ये लोग आये में नहीं थे। गेंदासिंह जी ने भी देखा है जब राधेश्याम जी तथा अन्य साथी सदन से बाहर खींचे जा रहे थे। राधेश्याम जी आज भी चारपाई पर से नहीं उठ सकते हैं। हमारे साथी रतीपाल जी की धोती लहू लुहान हो गई। श्री नत्थाराम जी रावत मौजूद हैं, उनकी ऊंगली तोड़ दी गई अगर जनता ने हमें इसीलिये भेजा हो तब तो बात दूसरी है। माल असबाब की तरह हमें बाहर फेंका जाय। यही होना चाहिये। माननीय गुप्ता जी, मैं जानता हूं कि आप बहुत पुराने राजनीतिक नेता हैं। मैं बचपन से जब से कांग्रेस में आया या जब से राष्ट्रीय आन्दोलन में आया, तब से आप का नाम सुना, देखा तो बाद में। अगर आप का जनतन्त्र यही है तो मैं आपको दावत देता हूं कि हम सभी को पुलिस से मरवा कर बाहर निकलवा दीजिये। मर करके हम बाहर जाना पसन्द करेंगे। मगर हमारी जो बेइज्जती हुई, जो अशोभनीय घटना हुई, वह आपके लिए शर्म की बात है। अब मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस को कोट करना चाहता हूं। यह अंग्रेजी में है, मैं उसका उल्था हिन्दी में कर दूंगा, यद्यपि मैं अंग्रेजी ज्यादा नहीं जानता। यह पंदरहवां एडीशन है, पृष्ठ ४५२ है।

श्री जे०पी० मिश्र (जिला हरदोई)---अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं। श्री उग्रसेन जी ने अभी एक जुमला प्रयोग किया है कि माननीय अध्यक्ष जी को भी शर्म आनी चाहिए। क्या यह संसदीय है ?

श्री अध्यक्ष---मैंने सुना नहीं।

एक सदस्य---अध्यक्ष के लिए शर्मनाक है। यह कहा है आप देख लीजिये कार्यवाही से।

श्री जे० पी० मिश्र---'आपको भी शर्म आनी चाहिए' ये शब्द प्रयोग किये हैं।

श्री अध्यक्ष---(श्री उग्रसेन से) मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने यह कहा है ?

श्री उग्रसेन---आपके लिए नहीं प्रयोग किया है।

श्री अध्यक्ष---अगर किया है, तो वापस लीजिये।

श्री उग्रसेन---मैंने किया हो तो वापस लूं। जब किया ही नहीं है तो वापस क्या लूं।

श्री अध्यक्ष—जब वह कह रहे हैं कि उसका प्रयोग नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि अगर ऐसी बात कही है तो उन्हें खुद शर्म है, और वह उसको वापस लेते हैं।

श्री उग्रसेन—

On July 2, 1931, a Member persisted in disregarding the authority of the Chair, whereupon the Speaker named him and he was suspended on the motion of the Prime Minister. The Speaker then directed the Member to withdraw, but he refused to comply. Accordingly, the Speaker directed the Serjeant-at-Arms to remove him. The serjeant-at-Arms, finding that force was necessary brought in his officers, who in their attempts to remove the Member were resisted not by that Member but by certain other Members.

२ जुलाई, १९३१ को एक सदस्य ने हाउस आफ कामंस में अध्यक्ष की आज्ञा का विरोध किया, बराबर करता रहा और माना नहीं। तब अध्यक्ष ने सार्जेन्ट ऐट आर्म्स को आज्ञा दी कि उसको हटा दिया जाय। सार्जेट-ऐट-आर्म्स फोर्स ले कर जब उसको हटाने गया तो कुछ अन्य सदस्यों ने बाधा उपस्थित की।

The Member who had been suspended was eventually removed.

वह सदस्य अन्त में वहां से हटा दिया गया।

While this was taking place, the Speaker announced that grave disorder has arisen and suspended that sitting. After an interval of a quarter of an hour the Speaker resumed the chair, and informed the House that resort to force having been necessary to remove the Member, he was therefore suspended from the service of the House for the remainder of the session.

यह सब कुछ हुआ, तो अध्यक्ष ने घोषणा की कि बहुत अव्यवस्था हो गयी और बैठक स्थगित कर दी। थोड़ी देर के बाद सदन फिर बैठा और अध्यक्ष ने सदन को सूचना दी कि चूंकि फोर्स इस्तेमाल हुआ और इसलिए वह सदस्य, जिनको हटाने के लिए फोर्स इस्तेमाल हुआ, वह अधिवेशन के बाकी दिनों के लिए निलम्बित कर दिये गये।

"The next day, the Speaker read to the House a report which he had received from the Serjeant-at-Arms to the effect that his officers, when carrying out the Speaker's instructions, were obstructed by certain Members the Chancellor of the Excehquer, on behalf of the Prime Minister, who was absent, stated that the Prime Minister proposed to draw the attention of the House to the report and to ask that appropriate action be taken."

उसके बाद यह हुआ कि सार्जेन्ट-ऐट-आर्म्स ने एक लिखित रिपोर्ट दी और कहा कि जब हम उन मेम्बर साहब को निकाल रहे थे तो इन दूसरे सदस्यों ने बाधा उपस्थित की और वह रिपोर्ट जब स्पीकर ने सदन में रखी तब उस समय प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं थ तो चांसलर आफ दि एक्सचेकर ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं हैं, अब मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इस पर उचित कार्यवाही हो। मैं बहुत नम्रता से आपसे और सदन से निवेदन करता हूं.....

श्री अध्यक्ष—उसके बाद भी पढ़ दीजिए।

श्री उग्रसेन—हां, उसके आगे उन्होंने माफी मांग ली और छोड़ दिये गये। उसको मैं छिपाता नहीं हूं. लेकिन हम किस जगह पर जोर दे रहे हैं, वह कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मेरा मतलब यह है कि जो आप पढ़ें उसको पूरा पढ़ दें।

श्री उग्रसेन---वह तो हमने कह दिया कि उन्होंने यह कहा कि हम रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं और फिर कोई कार्यवाही आगे नहीं हुई। मगर सवाल यह है कि मार्शल ने एक लिखित रिपोर्ट की कुछ सदस्यों के विरुद्ध।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)---प्वाइंट आफ आर्डर। मैं आपका ध्यान केवल नियम ६७ की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह सही है कि आपने इस बात की आज्ञा दी है कि विभिन्न पक्षों के नेता अपनी अपनी बात इसके ऊपर कहें लेकिन इसके अन्दर स्पष्ट है कि कम्प्लेनेन्ट की तरफ से उसका एक शार्ट स्टेटमेंट होगा। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्वाइंट ऐट ईश्यू है उसी के ऊपर अगर शार्ट स्टेटमेंट हो तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री उग्रसेन---मैं तो वही कह रहा हूं। माननीय नवल किशोर जी समझते नहीं ह।

श्री अध्यक्ष---जो विषय है उसी पर आप कहें।

श्री उग्रसेन---मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि हाउस आफ कामन्स में मार्शल ने लिखित रिपोर्ट दी। हाउस आफ कामन्स के स्पीकर ने रिपोर्ट को पढ़ कर सुनाया और उस पर सरकारी बेंच से प्रस्ताव आया तब कोई कार्यवाही हुई और यहां चार लोग निकाले गए। मार्शल ने कोई लिखित रिपोर्ट आपको नहीं दी। आपने उसको सदन में नहीं रखा। मुख्य मंत्री या उपनेता सदन ने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं किया। मगर फिर भी रतीपाल शर्मा, शिव नाथ सिंह, नत्थाराम रावत और रामआसरे वर्मा ये चार आदमी उठाकर यहां से फेंक दिये गये तो यह तो सीधासादा प्रिविलेज का प्रश्न बनता है। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि माननीय मुख्य मंत्री यहां विराजमान थे।

श्री अध्यक्ष---वह अब आप बाद में कहिएगा।

श्री उग्रसेन---अच्छी बात है। तो जब आपने दस मिनट के लिए सदन स्थगित कर दिया था और उसके बाद फिर आप यहां पर आये तो क्या यह सही नहीं है कि आपने भी देखा पुलिस वाले उनको घसीट रहे थे? आपने भी उनको घसीटते देखा....

श्री अध्यक्ष---आप अपना भाषण दे रहे हैं या मेरी गवाही ले रहे हैं?

श्री उग्रसेन---नहीं, गवाही नहीं ले रहा हूं। मगर आपने भी उनको घसीटते देखा। दूसरी बार क्या हुआ था जब माननीय राजनारायण को निकाला गया था। उस बार जब पुलिस ने सारा मैदान खाली कर दिया, और उनको निकाल दिया उसके बाद माननीय अध्यक्ष महोदय पधारे थे, लेकिन यह हमारी खुशकिस्मती थी कि आप बीच में ही आ गए थे और आपने भी देखा। तीसरी बात यह कि यह कहा गया कि जब घंटी बजी तब पुलिस को आदेश हुआ। तो जब घंटी बजी उस समय हाउस तो था नहीं। हाउस तो दस मिनट के लिए स्थगित हो गया था। हाउस तो दस मिनट बाद होता। घंटी सात मिनट बाद बजी, तो उस समय हाउस नहीं था (व्यवधान) मेरा यह कहना है कि इतनी बड़ी अमर्यादित कार्यवाही जब हाउस नहीं था तब हुई जिससे हम अपने नागरिक अधिकारों से वंचित होते हैं और भारतीय संविधान की भूरि-भूरि हत्या होती है और हमने क्या जुल्म किया था? माननीय शिवनाथ सिंह जी यही तो कह रहे थे कि हम क्यों निकाले गये? तो यह तीन-चार मुख्य बातें हैं? यह सही है कि विरोधी पक्ष यहां कई पार्टियों में है, एक पार्टी में नहीं है। हाउस आफ कामन्स में औरउत्तर प्रदेश की विधान सभा में यही फर्क है। वहां मजदूर पार्टी और अनुदार पार्टी दो ही पार्टीज हैं और यहां कई पार्टियां हैं, लेकिन जहां तक जनतंत्र का प्रश्न है, डाक्टर साहब भी जनतंत्र मानते हैं, कम से कम आज वे ऐसा कहते हैं, लेकिन कई बार कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि वह जनतंत्र

को नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि वे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही चाहते हैं, जनतंत्र नहीं चाहते हैं और अगर जनतंत्र चाहते हैं तो वह कौन सा जनतंत्र है ? वह जनतंत्र जो कि रूस और चीन में है। तो जनतंत्र के नाम पर, भारतीय संविधान के नाम पर और जो नियम उपनियम आप की इस प्रक्रिया नियमावली में बने हुए हैं, यह प्रक्रिया नियमावली क्या हम लोगों के बेटे बेटी की शादी में पढ़ी जायगी या जनेऊ में पढ़ी जायगी ? इसमें लिखा हुआ है कि किसी सदस्य का कान्डक्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, तो हम तो मुख्य मंत्री का कान्डक्ट यहां डिस्कस करना चाहते हैं। श्रीमन्, सारी....

श्री अध्यक्ष---आर्डर आर्डर। आप इधर उधर की बात न कीजिए। जो प्रश्न है उसी पर रहिए।

श्री उग्रसेन---तो यह प्रक्रिया नियमावली हम क्या करेंगे ? आप बराबर हमसे कहते हैं कि आप प्रक्रिया नियमावली के अन्दर चलिए, उसके अन्दर बात कीजिए, तो उस प्रक्रिया नियमावली में यह कहां लिखा हुआ है कि बिना इंगित किये किसी को मारकर यहां से निकाल दीजिए।

अब अन्त में एक शब्द मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप उस मर्यादित कुर्सी पर हैं और आपके हाथ में यह बात है कि आप यहां की प्रक्रिया नियमावली, भारतीय संविधान और हमारे नागरिक अधिकारों का संरक्षण करें। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि आइन्दा ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए नहीं तो हम देख लेंगे। हम उनको दावत देते हैं। वह देख लें। बराबर अखबारों में इनकी धमकी आती है। उन्होंने यह भी कहा है कि किसी सोशलिस्ट सदस्य ने पुलिस से हाथापाई की। यह उन्होंने अखबारों में बयान दिया। माननीय वीरसेन ने जटायु की दृष्टि से यह देख लिया कि वह यहां पैर फैलाकर बैठे हुए थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से यह देख लिया, क्योंकि उस समय बीस पच्चीस आदमी यहां घेरे खड़े थे।

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर। आप फैक्ट की बात कहिए।

श्री उग्रसेन---मैं फैक्ट की ही बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---आपने बाद की जो बातें कहीं, वह विषय से बाहर हैं।

श्री उग्रसेन---तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और इस अन्याय के लिए इन लोगों के विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। मैं माननीय वीरसेन के प्रस्ताव को भी कहता हूं कि उसको भी आप प्रिविलेज कमेटी में भेज दीजिए और तब देखिए कि वहां बैठ कर क्या होता है। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं। मैंने भी इस पर दस्तखत किये हैं।

***श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, दस बारह वर्षों से मैं इस सदन का सदस्य हूं। अब की मर्तबा चुन कर आने के बाद प्रश्नों के घंटे के बाद जो स्थिति यहां उत्पन्न होती है उसको देखकर के मैं बहुत घबड़ाता हूं और मैं यह समझता हूं कि एक दूसरे की बात हम सुनने के लिए कहना चाहते हैं या हम इसलिए कहना चाहते हैं कि हम देखें कि सबसे ऊंची आवाज किसकी होती है ? मैं ऐसा समझता हूं कि यह सदन इसलिए है कि एक दूसरे की बात सुनी जा सके और अगर उस बात से किसी तरह से उसको प्रभावित किया जा सके और वह अपनी राय बदल सके तो इसके लिए कोशिश की जाय कि ऐसी बात कही जाय। इसलिए श्रीमन्, इस सदन का वातावरण और आवाज दोनों ऐसी होनी चाहिये कि जिसमें एक दूसरे को समझने का पूरा पूरा अवसर हो। दुर्भाग्य है हमारा कि अक्सर हम लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं कि एक दूसरे को समझाने की कोशिश तो कम करें, एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी और वह अगर सुनना भी चाहता है तो सुनने की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

स्थिति में न रहे, ऐसा कुछ मुझे लगता है। मैं बहुत निर्भीक होकर के आज कहना चाहता हूं चाहे उसे मेरी कमजोरी कोई माने।

श्रीमन्, उस दिन यह बात पराकाष्ठा पर पहुंच गई, उसके एक दिन पहले कि जिस दिन इस सदन में हमको दुरुस्त करने के लिये, हमारे अन्दर शान्ति और व्यवस्था कायम करने के लिये उन लोगों को बुलाया गया कि जो लोग चोर गुंडे और बदमाशों को दुरुस्त करने के लिये इस सूबे में रखे गये हैं। उसको मैं बहुत अपमानजनक समझता हूं। वह उस तरफ के लोगों के घरों के गहनों की रक्षा करने के लिये हो सकते हैं कि उनके घरों से गहने न निकल जायं, लेकिन हमारे घर के पहरे के लिये नहीं हैं। श्रीमन्, मैं समझता हूं कि मैंने भी जो कुछ कहा या कहना चाहता हूं उस तरफ के लोग, चूंकि उनके हाथ में सारी शक्ति है, अपनी आवाज को बुलन्द करके कुछ कहने से रोकना चाहते हैं तो आप सोचें कि यह कितना उचित है? (व्यवधान) मुझेभी आप सुनना नहीं चाहते हैं। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं बहुत शर्मिन्दा हुआ और शर्मिन्दा हुआ इसलिये कि हम रोज नौकरशाही की चर्चा करते हैं कि नौकरशाही की ताकत बढ़ती चली जाती है और हम उससे बड़े दुखी हैं। हम राजनैतिक लोग हैं और यह कहा जा सकता है कि हम दूसरों की अक्ल से ज्यादा अक्ल रखते हैं, क्योंकि हम सारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जो बदचलनों को दुरुस्त करने के लिये ताकत रखी गई है, वह ताकत यहां पर बुलाने की जरूरत पड़ी हमको दुरुस्त करने के लिये।

मैं डाक्टर जेड० ए० अहमद और उग्रसेन जी से भी बड़े अदब के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस हाउस में किसी भी शर्त पर पुलिस को आने की इजाजत नहीं होनी चाहिये। क्या महात्मा गांधी जैसे महापुरुष के पीछे चलने वाली सरकार के लिये यह शोभा की बात है? आज भी महात्मा गांधी के अनुयायी होने के नाते जो इस बात को कहते हैं कि अगर चीन से मुकाबला करना पड़ा तो बिना हथियार के मुकाबला करेंगे, बिना गोले बारूद के चीन का मुकाबला करेंगे वे अपने विरोधियों को दुरुस्त करने के लिये, उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिये उस ताकत को जरूरी समझते हैं, जिस ताकत का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के लिये भी करना नहीं चाहते हैं। जो हमारे मुल्क की जमीन को दबाने की कोशिश करते हैं उनके साथ मुकाबला करने के लिये हम बगैर हथियार के, बगैर गोले और बगैर लाल पगड़ी के जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे लिये या इधर बैठने वाले या उधर बैठने वालों का बगैर लाल पगड़ी के काम नहीं चलेगा। मैं यह समझता हूं कि एक बार हिम्मत के साथ आपको मुकाबला करना चाहिये। महात्मा गांधी से सीधा सम्बन्ध आप लोगों का है। आगे आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि गोली और बारूद पर आप ज्यादा भरोसा करते थे। इस पुलिस के मसले पर हिन्दुस्तान में बहुत चर्चा हो चुकी है।

मैं यह भी समझता हूं कि दो थ्योरियों के ऊपर हमारे दो महानुभाव अभी मुझसे पहले बोल चुके हैं। एक तरफ से उग्रसेन जी और दूसरी तरफ से डाक्टर जे०ए० अहमद साहब बोल चुके हैं। मैं ज्यादा थ्योरी को नहीं चाहता हूं, लेकिन कामन सेन्स से काम लेता हूं। मैं समझता हूं आपको सन्तोष करना चाहिये कि आप में कितना नैतिक बल है और आप अपने विरोधियों को भी बगैर हथियार और बगैर बल प्रयोग के इस असेम्बली में कम से कम, मैं और जगह की नहीं कहता, उनका सामना करें। आप इस बात को देखें कि इस असेम्बली के अन्दर, जहां पर ४३१ आदमी चुनकर देश का नेतृत्व करने के लिये आये हुये हैं वहां अपना काम बिना पुलिस के चला लें। श्रीमन्, मैं समझता हूं इसका प्रयोग यहीं से होना चाहिये। अगर इसका प्रयोग यहां से नहीं होता है तो मैं समझता हूं कि वह सारी थीसिस, कि जनकल्याण में हम विश्वास करते हैं, वह हमारे विश्वास की चीज नहीं रह जाती है। फिर अगर हमारा विश्वास उससे हटता है तो डेमोक्रेसी की हत्या होती है और फिर आपका जनतंत्र, इसमें हथियार, बन्दूक और पुलिस से काम नहीं चलने वाला है, यहां तो नैतिक बल से काम चलने वाला है।

श्रीमन्, मैं उस दिन की घटना पर जरूर कहना चाहता हूं। अहमद साहब ने जो कुछ कहा, उनकी बहुत सी बातों से मैं इत्तफाक करता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय उग्रसेन जी

इस बात से प्रतिवाद न करेंगे अगर मैं, हम, अपने को उन से जेठा कहें जनतंत्र में । मेरा ऐसा विश्वास है कि जनतंत्र में हम जनसंघ को अपने पीछे समझते हैं, स्वतंत्र पार्टी को भी पीछे समझते हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी के लिये तो हम कहते हैं कि उसे तो जनतंत्र में विश्वास ही नहीं है । अब अगर कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से यह कहा जाता है कि सदन में शान्तिपूर्ण ढंग से ही काम चलने वाला है तो मैं समझता हूं कि, उग्रसेन जी और सोशलिस्ट पार्टी को जरूर इस पर विचार करना चाहिये । हम को वह कमजोर कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस समय वह सरकार पर हथियार उठावें तो कम से कम उससे तीखा हथियार हम पर या इधर बैठने वालों पर तो न उठावें । मैं यह सोचा करता हूं कि जिस समय वे सरकार के विरुद्ध नो-कांफीडेंस लाने की बात सोचते हैं उस समय उनका विचार सरकार में नो कांफीडेंस पैदा हो इस पर कम रहता है और इस तरफ अधिक रहता है कि किस तरह जनता में इस तरफ के लिये नो कांफीडेंस पैदा हो । यह हो सकता है कि हम उन से दो कदम पीछे हों और इसमें अवश्य रहेंगे । यह जो हरकतें हो रही हैं उसमें मैं तो कम से कम जरूर पीछे रहूंगा, चाहे दुनिया मुझे कमजोर समझे और हमको भले ही वह बड़ा नहीं छोटा ही समझ ले । श्रीमन्, मैं यह समझता हूं कि अगर उनको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि वह दुनिया में किसी का साथ नहीं चाहते और हिन्दुस्तान में अपने बल पर ही परिवर्तन ले आ सकते हैं तो भगवान करे उनकी यह इच्छा पूरी हो । हम लोग उनकी इच्छा पूरी होने में कभी कोई बाधा नहीं डालेंगे, लेकिन जहां तक हम जा सकेंगे वहीं तक जा सकेंगे, उससे आगे नहीं । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कि हम ऐसे कामों में शामिल न होंगे जैसे कामों से इस सदन की प्रतिष्ठा घटे, जैसे कामों से इस प्रजातंत्र से लोगों का विश्वास हटे, जैसे कामों से इस सदन में विचार-विनिमय करने की स्थिति उत्पन्न न हो, जैसे कामों से एक दूसरे की बात सुनने की किसी की इच्छा न हो । (तालियां) जो भी इस सदन की प्रतिष्ठा के विरुद्ध बात होगी और प्रजातंत्र के मौलिक सिद्धान्त के विरुद्ध बात होगी उसमें हम उनका साथ नहीं देंगे । यह बात उनको स्पष्ट रहनी चाहिये ।

श्रीमन्, यह बात तो मैंने अपनी सफाई के तौर पर कह देना आवश्यक समझी, लेकिन दूसरी तरफ एक बात और कहना चाहता हूं और मैं यह आग्रह करना चाहता हूं उधर के बैठने वाले भाइयों से कि अगर मैं झूठ भी बोलूं तो मुझे इजाजत दीजिये । आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझे रोक दें यह कह कर कि तुम झूठ बोल रहे हो । आपको यह अधिकार है कि आप मेरे खिलाफ अवमान में प्रश्न लायें और फिर झूठ बोलने के लिये आलोचना करें, लेकिन मुझे कहने दीजिये । श्रीमन्, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं और जिस दिन पुलिस आयी और मार्शल ने आकर उन लोगों को निकाला, मैं यहां बैठा था और मेरे और साथी भी बैठे थे । मैं अवाक् रह गया । आप दस मिनट के लिये हाउस एडजर्न करके चले गये थे और जिस समय मार्शल साहब और उनके साथ लाल पगड़ी वाले हमारे दोस्त पहुंचे तो--मुझे मार्शल से कोई शिकायत नहीं, न पुलिस वालों से कोई शिकायत है--वह सारी दुनिया में फैले हुए हैं और हमारे ही घर के लोग हैं और मार्शल साहब भी हमारे घर के हैं, लेकिन उस दिन की घटना सचमुच शर्म आने वाली थी और मुझे बेकाबू हो जाना पड़ा । यहां से मैं देख रहा था और मेरी आंखें अगर धोखा नहीं देतीं तो मैं सच कह रहा हूं कि चन्द्रबली जी और दूसरे साहब, नरसिंह नारायण जी, इन दोनों आदमियों को आदेश दिया गया था बाहर निकाले जाने का । परन्तु माननीय राधेश्याम जी और शिवनाथ सिंह जी जो बिलकुल उस कोने में बैठे थे और उन्हीं के पास पुलिस और हमारे मार्शल साहब भी खड़े थे पर वे क्या कर रहे थे, यह मेरी समझ में नहीं आया । जब मैं वहां गया तो यही सोचकर गया कि शायद पुलिस और मार्शल मेरा कुछ प्रभाव मानें । यही सोचकर मैंने एक आदमी की बांह पकड़ी और कहा कि यह क्या कर रहे हो ? परन्तु मैंने देखा कि उसकी बांह बहुत कड़ी थी । उसके बाद मैंने मार्शल साहब से कहा कि भई यह क्या कर रहे हो ? परन्तु किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया । तब मैंने यह सोचा कि यह गलत होगा कि मैं यहां रुकूं और झगड़े को समाप्त करने का प्रयास करूं । फिर मैं आप के पास

[श्री गेंदासिंह]

गया और आपसे प्रार्थना की कि पुलिस को हटाइये। पुलिस विदड्रा की जाय। मैं नहीं जानता कि उसके बाद श्री झारखंडे राय गये या क्या हुआ। खैर आप आए, आपने पुलिस को आते ही विदड्रा किया। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि जब पुलिस ऐसा कर रही थी तो उस समय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी भी थे या नहीं। माननीय उग्रसेन जी कहते हैं कि वे यहां पर उपस्थित थे, परन्तु मेरा उस वक्त ध्यान इस ओर नहीं था। मैं गया, आप आये और पुलिस विदड्रा की गई, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि यह किस अधिकार से, किस कानून से और किस पावर से वह दोनों महानुभाव सड़क पर फेंके गये। श्री चन्द्रबली और श्री नरसिंह नारायण आपके आते ही सदन त्याग कर चले गये और ऐसा करने में कुछ भी बल प्रयोग नहीं करना पड़ा। परन्तु जिस समय सदन की कार्यवाही स्थगित थी उस समय ये दोनों माननीय सदस्य तो यहाँ बैठे रहे पर और ४ सदस्य जिनको आपने इंगित नहीं किया था, उनको क्यों सड़क पर उठाकर बाहर कर दिया गया। यह कहा जाता है कि वे आब्सट्रक्ट कर रहे थे पुलिस फोर्स को। परन्तु यदि वे ऐसा कर रहे थे तो उनको पकड़ कर पुलिस एक ओर कर के पकड़े रह सकती थी, उसे ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी कि उसने श्री राधेश्याम जी और श्री शिवनाथ सिंह जी तथा दो और माननीय सदस्यों को बाहर सड़क पर फेंक दिया। मैं कहता हूं कि पुलिस को और मार्शल को ऐसा करने का क्या हक था कि उसने श्री राधेश्याम जी और उनके साथियों को अपमानित करके सड़क पर पहुंचा दिया।

समाज कल्याण उपमंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि श्री गेंदासिंह जी हर चीज का स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो मैं उनसे यह नम्रता पूर्वक निवेदन करूंगी, क्योंकि उस समय मैं भी यहां शुरू से आखिर तक बैठी रही थी, कि हमारे कुछ साथियों ने पुलिस के एक कास्टेबिल को उनकी छाती पर हाथ रख कर धक्का देने की चेष्टा की या नहीं ? इसको भी वे कृपया स्पष्ट करने की कृपा करें। यही प्रश्न मैं उनसे पूछना चाहती हूं।

श्री गेंदासिंह—अब मैं क्या कहूं अपनी बहन प्रकाशवती सूद को। [* * * *] यदि पुलिस की छाती पर या सिर पर किसी का हाथ चला गया तो मैं नहीं समझता हूं कि वह कैसे इतना अपमानित हो गया। परन्तु उन पुलिस वालों को यह हक कैसे हो गया कि वे उन माननीय सदस्यों को बाहर कर दें।

श्री अध्यक्ष—यह विषय के बाहर की बात है। श्री गेंदासिंह जी आप विषय पर आइये।

श्री गेंदासिंह—माननीय चन्द्रबली और नरसिंह नारायण जी तथा उनके दो और साथियों को, इन चार सदस्यों को सड़क पर ले कर छोड़ दिया गया केवल इतना ही नहीं है। यह केवल नियमों की अवहेलना हुई हो ऐसी बात नहीं है। श्रीमन्, मैं ऐसा समझता हूं कि सदन में, चाहे वे इधर के बैठने वाले हों और चाहे वे उधर के बैठने वाले हों, सदन के लिये, सारे देश के लिये और सारे संसार के लिये, जहां जहां पार्लियामेंट्री पद्धति का प्रचलन है, यह एक बड़ी लज्जाजनक घटना है, यह बड़ी अशोभनीय बात है।

मैं समझता हूं कि अगर इस सदन के कार्य को सुचारू रूप से चलने देना है और दूसरों के विचारों को कहने देना है,तो उसको हमें शान्ति के साथ सुनने के लिये तैयार रहना चाहिये। हमको यह अधिकार है कि हम अपनी बात को कह सकें, सरकार उसको माने या न माने यह अधिकार उसको है। माननीय उग्रसेन जी ने जो पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस का उदाहरण दिया वह पर्याप्त है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐसा भी उदाहरण मौजूद है जब कि हाउस आफ कामन्स में २०० वर्षों तक एक भी मेम्बर को इंगित नहीं किया गया। इतिहास में ऐसी भी परम्परा है।

[* * * *] माननीय अध्यक्ष की आज्ञा से हटा दिया गया।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि बहस में जाने से इस समय कोई लाभ नहीं होगा।

श्री गेंदासिंह—मैं खत्म ही कर रहा हूं अपने भाषण को। मैं अपनी बात को दोहराना नहीं चाहता। अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि उस दिन जो कार्यवाही माननीय राधेश्याम जी तथा अन्य ३ व्यक्तियों के साथ हुई है उससे सदन का अवमान हुआ है और वह उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। इस वक्त हमको यही देखना है कि वह प्राईमाफेसी केस है या नहीं? उन ४ सदस्यों को यह भी मालूम नहीं था कि उनके लिये कोई आदेश उनके निकाले जाने का है भी या नहीं। अगर उनको मालूम होता कि उनको भी बाहर जाना है तो, मैं समझता हूं वे स्वयं बाहर चले जाते, पुलिस को ताकत लगाने की भी जरूरत न पड़ती। (व्यवधान) इससे अवश्य सदन का अवमान हुआ है, और शीघ्र ही इसको प्रिविलेज कमेटी को भेजना चाहिये ताकि सदन की मान मर्यादा की रक्षा हो सके।

श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े ध्यान से तीनों विरोधी दल के नेताओं के भाषण को सुनता रहा। माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने भी, तथा गेंदासिंह जी ने यह तो कहा कि उन चार सदस्यों को जिन्हें इंगित नहीं किया गया था मार्शल को, पुलिस को या दुनिया भर में किसी भी अधिकारी को उन्हें सदन से बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं था। यह सब तो कहा गया, मगर मैं यह नहीं समझ पाया कि किसी ने भी यह नहीं कहा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? माननीय गेंदासिंह जी क्यों उठाकर बाहर नहीं फेंके गये? माननीय झारखन्डे राय जी माननीय उग्रसेन जी क्यों नहीं बाहर कर दिये गये? (व्यवधान) आखिर क्या कारण था कि वही ४ सदस्य बाहर फेंके गये....

श्री अध्यक्ष—जब इधर से माननीय सदस्य बोल रहे थे तो उधर के सब लोग सुन रहे थे। (विरोधी दलों से) अब कृपया आप भी उसे सुनिये।

श्री बृजभूषणशरण—सम्भवतः मान्यवर, जब आप इंक्वायरी करेंगे तो आपको मालूम होगा, परन्तु जैसे कि आरोप और प्रत्यारोप लगाये गये हैं उससे जाहिर है कि दो माननीय सदस्य जो इंगित किये गये थे वह बीच में बैठे थे और ये ४ माननीय सदस्य जैसा कि जेड० ए० अहमद साहब ने और गेंदा सिंह जी ने कहा है, कोने पर बैठे थे। जब मार्शल और पुलिस यहां आ रही थी निकालने के लिये तो ये चारों जमकर बैठे रहे और लाजमी था कि उनको हटाना पड़ता.....

श्री उग्रसेन—किस कानून से?

श्री बृजभूषणशरण—जरा तसल्ली तो रखें। अभी माननीय गेंदासिंह जी ने बताया कि उनको पकड़ कर सड़क तक ले जाया गया, क्या जरूरत थी इसकी उनको पकड़ कर इधर खड़े हो जाते। तो यह तो डिस्क्रिशन की बात है, यह सूझ-बूझ की बात है। हर आदमी की हर परिस्थिति में अलग अलग सूझ हो सकती है कि क्या करना चाहिये। मैं बताता हूं कि कानून यह है, माननीय उग्रसेन जी, कि उन्होंने गलत किया कि बाहर ले जाकर छोड़ दिया, बल्कि उन्हें तो हवालात में बन्द कर देना चाहिये था।

श्री उग्रसेन—स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ले जाइये।

श्री बृजभूषणशरण—कानून के आप बनाने वाले हैं।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि हम एक मामले को सुलझाने बैठे हैं। अगर इस तरह से उत्तेजनात्मक भाषण होंगे तो मामला सुलझेगा नहीं। आप श्रीमन्, इसको कंट्रोल रखें।

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर।

एक सदस्य—श्रीमन्, वे उधर से हवालात में बंद करने की भी तजजीज दे रहे हैं।

श्री बृजभूषणशरण—जब एक सरकारी कर्मचारी को कानून के अनुसार अपने कर्त्तव्य का पालन करने के लिये भेजा जा रहा हो तो उसके लाफुल काम में आब्स्ट्रक्शन करना यह काग्निजेबिल आफेंस है। आप कानून बनाने वाले हैं और मैं आशा करता था कि आप जानते होंगे कि किसी पब्लिक सरवेंट की ड्यूटी में आब्स्ट्रक्ट करना, ताकि आज्ञा का पालन न हो सके, यह ३३२ इंडियन पीनल कोड में काग्निजेबिल आफेंस है और उसके लिये सजा मुकर्रर है।

श्री उग्रसेन—यहां कोई आई० पी० सी०, सी० आर० पी० सी० कुछ लागू नहीं है।

श्री बृजभूषणशरण—मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि इस गलतफहमी में न रहें। यहां केवल एक फ्रीडम आफ स्पीच है, फ्रीडम आफ ऐक्शन नहीं है। यहां ला ऐंड आर्डर में कोई दखलअन्दाजी नहीं कर सकता। यहां अगर कोई रिवाल्वर निकाल कर किसी सदस्य को मार देगा तो क्या उसको पुलिस गिरफ्तार करके नहीं ले जायगी? उस पर कत्ल का मुकदमा नहीं चलेगा? जो कामन ला है लैंड का, क्या वह असेम्बली के अन्दर सस्पेंडेड है? तो मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप माननीय सदस्यों से कहें कि वह कानून को पढ़ें। यह काग्निजेबिल आफेंस है और उन सदस्यों को तो हवालात में बन्द कर देना चाहिये था।

दूसरी बात यह कि पुलिस को क्यों बुलाया गया? यह बात ठीक है और यह शर्म से हम सब को झुका देती है। डाक्टर जेड० ए० अहमद और माननीय गेंदा सिंह सहमत हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिये था, लेकिन जिम्मेदार कौन है इसके लिये? माननीय मुख्य मंत्री, अध्यक्ष महोदय आप, या वह सदस्य हैं जो आप के आग्रह करने पर भी नहीं बैठते? तो प्रजातंत्र को किस से ऐसा आघात पहुंचता है? क्या माननीय सदस्यों को यह मालूम नहीं है कि जो उस कुर्सी पर बैठे होंगे हम इम्प्लिसिटली उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे? अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लंघन इस हद तक कि आपको सदन सस्पेंड करना पड़ा और मार्शल ने जब कहा जाने के लिये तब भी अगर नहीं जायेंगे तो फिर पुलिस नहीं आयेगी तो क्या होगा?

कहा गया कि कांग्रेस दल और बहुमत दल को थोड़ा संतोष से काम लेना चाहिये था। ठीक है, और अगर हम में से कोई उठ कर वहां चला जाता और किसी को उठाकर बाहर फेंक देता तो हमारा कसूर था, लेकिन हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, बैठे हुये तमाशा देखते रहे, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन किया जा सके, इसी बात के लिये मार्शल गये थे।

एक बड़ी दलील दी गई है कि पिछली बार जब ऐसा इंसीडेंट हुआ तो माननीय संपूर्णानन्द चले गये थे और १० मिनट के अन्दर उनकी अनुपस्थिति में वह सब कुछ हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि खेर साहब की बाबत कहा गया कि वह मौजूद नहीं थे जब पुलिस आयी। खैर, वह उस वक्त नहीं होंगे जब उनके आर्डर का एग्जिक्यूशन किया जा रहा था। यह इस बात का सबूत है कि वह टाइम से पहले किया जा चुका होगा। यह भी दलील है इस बात की कि इस बार १० मिनट तक कोशिश की गयी होगी उनको निकालने की और वह उस वक्त तक नहीं निकाल पाये जब तक अध्यक्ष तशरीफ लाये और १० मिनट खत्म हो गये। इस के माने साफ हैं कि आपके आर्डर्स को एक्जीक्यूट करने से रोका गया और उन दोनों सदस्यों को नहीं निकाला जा सका। जो चार सदस्य निकाले गये उनको निकालने में ही ५–६ मिनट लग गये और इस प्रकार से आपका आर्डर एक्जीक्यूट नहीं हो सका और समय खत्म हो गया। इसके बाद अध्यक्ष महोदय, आप तशरीफ ले आये, माननीय मुख्य मंत्री जी तशरीफ ले आये। विरोधी पार्टी के नेताओं की ओर से बहुत-सी दलीलें दी गयीं, लेकिन जो आर्डर आपकी ओर से दिया जाय, उसको किस तरह से एक्जीक्यूट किया जाय, इसका कोई तरीका नहीं बताया गया। ३–४ भाषण हुये, लेकिन एक भी तरीका इसका नहीं बताया गया कि अध्यक्ष के आर्डर का पालन किस तरह से कराया जाय।

एक बात जरूर कही गयी कि २०० बरस हो गये, लेकिन हाउस आफ कामन्स में किसी को इंगित नहीं कया गया। इसके साफ मानी हैं कि वहां पर कार्यवाही में जो आब्स्ट्रक्शन्स होते हैं वे भी शराफत से होते हैं, लेकिन यहां बराबर एक के बाद दो तीन आदमी इंगित किये जाते रहे, अगर इस तरह का व्यवहार हमारा रहा तो फिर किस प्रकार से प्रजातंत्र की रक्षा हो सकती है ?

एक बात यह भी कही गयी कि सी० आर० पी० सी० और आई० पी० सी० को यहां लागू नहीं होना चाहिये। इस संबंध में मैं मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस वाल्यूम १५ के सफा ६५ से पढ़ देना चाहता हूं। वह इस प्रकार है—

"In Bradlaush v Cosset, Mr. Justice Stephen said that he knew of no authority for the proposition that an ordinary crime, committed in the House of Commons, would be withdrawn from the ordinary course of criminal justice."

एक इस तरह की मिसाल इंगलैंड में हुई और उसके संबंध में महान् न्यायाधीश महोदय ने अपने यह विचार जाहिर किये कि हमें ऐसा कोई कानून मालूम नहीं है जिसमें अगर आर्डिनरी आफेन्स किये जांय तो महज हाउस में होने की वजह से वह उन आर्डिनरी ला से अलग हो जायं। इस प्रकार अगर हाउस में कोई कम्पलीकेशन्स पैदा हो जाते हैं तो आर्डिनरी ला से हम बच नहीं सकते ला आफ दि लैंड सर्वोपरि है।

अतः यह मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, आपके विवेक की बात है कि इसको आप प्रिविलेज कमेटी में भेजें अथवा न भेजें, लेकिन उन सब बातों पर आप अवश्य गौर करें कि इन सब बातों का जिम्मेदार कौन है, रोज-रोज इस तरह की परिस्थितियां कौन उत्पन्न करता है और जिन लोगों ने आपकी आज्ञा पालन करने का कार्य किया है उनको इससे मुस्तसना होना चाहिये, क्योंकि जो भी आपकी आज्ञा पालन कराने के लिये कार्य करता है उसके विरुद्ध प्रिविलेज का सवाल नहीं उठता।

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले ही दिन कहा था कि जो यहां घटना हुई उसके ऊपर हम सब लोगों को अफसोस है और हम चाहते हैं कि इस हाउस की मर्यादा, इज्जत और शान, जो हम रखना चाहते हैं वह कायम रहे। जाहिर है कि हमें इसमें खुशी नहीं होती और न हम किसी तरह से, किसी हालत में यह चाहते ही हैं कि पुलिस इस हाउस के आसपास भी आये। अगर हम ऐसा न चाहते तो बहुत से ऐसे मौके हो सकते थे जैसे कि जब नो कान्फीडेंस मोशन आया था उस समय हम बल प्रयोग की सूरत पैदा करते, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया। जब हम लोग यहां आये हैं तो इस इरादे से आये हैं कि डेमोक्रेसी के उसूलों को अपनायें और उन उसूलों को अपना कर इस प्रदेश की हुकूमत को चलायें। आप भी इलेक्शन लड़े, इसी खयाल से लड़े कि जनतंत्र के लिये इलेक्शन लड़ कर जाना जरूरी है। अगर इसकी जरूरत न समझते तो और भी तरीके हो सकते थे। जब जनतंत्र के वसूल को अपनाया तो इसी खयाल से अपनाया कि यहां जो कानून बनेगा उसी के जरिये से सारे सूबे में व्यवस्था कायम की जायगी, पूरे सूबे में उस पर अमलदरामद होगा। जो उसूल यहां हाउस में कायम हैं, उन्हीं को आप तोड़ने लगे, जो हाउस के मुताल्लिक रूल्स बने हुये हैं उन्हीं का आप आदर न करें और उन्हीं का पालन न करें तो फिर कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सूबे में इसी सदन के बनाये कानूनों को लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे और उसे मानेंगे व उस पर अमल करेंगे। अगर वह इज्जत खतम हो गयी रूल आफ ला की और रूल आफ जंगल हो गया यानी जबर्दस्ती का रूल, जो ज्यादा चीखे चिल्लाये, जो ज्यादा ताकतवर हो, जिसके हाथ में ज्यादा जोर हो, उसी का कानून जिस तरह से वह चलाना चाहेगा चलेगा, अगर आप इसको मानते हैं तो आप कदम ब कदम बढ़ कर इस बात का फैसला कीजिये कि उस दिन जो घटना हुई उसकी जिम्मेदारी किस पर है ? (एक आवाज—आप पर) आप अगर यह फैसला

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सैयद अली जहीर]

करते हैं बावजूद स्पीकर के आर्डर के, बावजूद अपने अध्यक्ष के हुक्म के, तो आपको क्या हक था कि यह समझ लें कि जो कुछ आपने किया वह ठीक था। जो उस दिन घटना हुई वह गलत हुई, इसको आप तसलीम कर लें कि आपका पहला कदम ही गलत था। जब स्पीकर ने कह दिया कि आप बैठ जांय, तो आप बैठ जाते, फिर इसके बाद इसकी जरूरत नहीं थी कि वे निलम्बन की कार्यवाही करते। यह सवाल ही खतम हो जाता।

एक तो आपने स्पीकर के आर्डर को नहीं माना---जब सदन ने स्पीकर को यहां बैठाया है तो उसके आर्डर को आपको मानना पड़ेगा। पहले एक माननीय सदस्य ने स्पीकर के आर्डर को नहीं माना, फिर दूसरे मेम्बर खड़े हो गये और उन्होंने भी स्पीकर के आर्डर को नहीं माना। नतीजा यह हुआ कि स्पीकर ने हुक्म दिया कि दोनों सदस्यों को मैं सस्पेंड करता हूं। उस पर यहां वोटिंग हुई और मेजारिटी से सदन में वह रेज्योलूशन पास हुआ। फिर भी उन्होंने कहा कि हम तो यहां से नहीं हटेंगे। इसके बाद जो कुछ हुआ उसका आपको पता ही है। फिर आप कैसे शिकायत कर सकते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई।

जहां तक बीच आफ प्रीविलेज की बात है, यहां का जो नियम बना हुआ है उसका पालन करना चाहिये और पालन करना पड़ेगा। यहां का कानून खुद हमारा ही बनाया हुआ है और उसको हमने निकाल किया और अगर अपने बनाये हुये कानून को हम नहीं मानेंगे तो हमारी क्या हैसियत रहती है बहैसियत लेजिस्लेटिव असेम्बली के मेम्बर होने के। अगर यहां पर पुलिस आयी या मार्शल आया तो वह इसलिये कि स्पीकर ने आर्डर दिया कि माननीय सदस्य सदन छोड़ कर चले जायं और फिर भी आपने स्पीकर के आर्डर की नाफरमानी की। जब आपने स्पीकर के हुक्म की नाफरमानी की तो इसके सिवा और कोई सूरत बाकी ही नहीं रह गयी थी कि पुलिस को बुलाया जाय। बीच आफ प्रिविलेज का जहां तक सवाल है वह स्पीकर की तरफ से न होकर आपकी तरफ से हुआ क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा आपने बतलाया अपोजीशन के लीडरों ने आपको यकीन दिलाया था कि ऐसी नौबत आने पर अगर मार्शल किसी माननीय सदस्य को हाथ भी लगा देगा तो वह फौरन हाउस छोड़ कर चला जायगा.....

श्री उग्रसेन---मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था।

श्री सैयद अली जहीर---अगर आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था तो फिर आपको कोई हक नहीं है कि आप बीच आफ प्रीविलेज का सवाल उठायें। इस मामले पर स्टेप बाई स्टेप गौर करने की बात है। ऐसा नहीं है जैसा कि डाक्टर साहब ने और माननीय गेंदा सिंह जी ने आखिरी तस्वीर हाउस के सामने रख दी कि इस तरह से पुलिस आयी और यह हुआ, वह हुआ। यह बात अपनी जगह पर सही है कि जहां तक हो सके हाउस में पुलिस नहीं आनी चाहिये, लेकिन एक वक्त आता है जब सभी प्रकार से देख लेने पर ऐसा काम करना पड़ता है। आप जानते हैं कि बावजूद पहले दिन ऐसी घटना हो जाने के भी दूसरे दिन ऐसी घटना हुई। आखिर क्यों स्पीकर के आर्डर की नाफरमानी हुई? उस मौके पर भी जब माननीय गेंदा सिंह जी ने १० मिनट के लिये हाउस को स्थगित करने के लिये कहा तो स्पीकर ने उसे मान लिया जब कि कोई कानून ऐसा नहीं है कि ऐसी बातों के लिये स्पीकर १० मिनट का मौका दें। यह तो जब माननीय सदस्य स्पीकर का आर्डर नहीं माने तभी स्पीकर मार्शल को आर्डर दे सकते थे कि इनको सदन से निकाल कर अलग कर दो। लेकिन जब सभी विरोधी दल के लोगों ने वक्त मांगा तो उसे स्पीकर ने मान लिया। तो ये चीजें हैं जिन पर गौर करना है। अगर इन उसूलों को नहीं मानते हैं, डेमोक्रेसी और रूल आफ ला को नहीं चलाना चाहते तो हमें मजबूरन यहां बल का प्रयोग करना पड़ेगा, वर्ना यह चीखना चिल्लाना, बात न मानना चलेगा तो उस के लिये कोई कानून बनाना पड़ेगा, कोई कोड आफ कान्डक्ट लाना पड़ेगा और उस पर अमल करना पड़ेगा।

जहांतक बीच आफ प्रिविलेज आफ दि हाउस का संबंध है उस के मुताल्लिक हमें यह देखना है कि जिस बीच आफ प्रिविलेज की बात कही जा रही है वह किस वक्त हुआ है, वह उस वक्त

हुआ है जब आप हाउस को एडजर्न कर के दस मिनट के लिये चले गये थे। उस के बाद सदन में पुलिस आई और उन लोगों को उसने बाहर किया, लेकिन जैसे ही आप आये आपने पुलिस को कहा कि बाहर जाये और पुलिस फौरन बाहर चली गई। ऐसी सूरत में भी कोई प्रश्न ब्रीच आफ प्रिविलेज आफ दि हाउस का नहीं है। यह चीज भी गौरतलब है जिस पर आप को गौर करना है, लेकिन अगर हम मुत्तफिक हो जांय और जो नियम और रूल्स हैं और जो स्पीकर की यहां रेस्पेक्ट है उस पर दोनों तरफ के लोग अगर यहां अमल करेंगे तो इस तरह की नौबत ही नहीं आयेगी कि पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करने की जरूरत हो। अब इस सूरत में इस मामले को तूल देना, आगे बढ़ाना, प्रिविलेज कमेटी में मामला जाय, सबूत हों, एवीडेंसेज हों, देखें कि क्या ठीक है क्या गलत है। मैं इस के बारे में नहीं कहता कि जिन के नाम नहीं लिये गये उनको क्यों निकाला गया, वह एक अलग चीज है, लेकिन जहां तक इस मामले की बुनियादी बात का सवाल है हमें इस बारे में एक अहद यहां करना होगा, एक फैसला लेना होगा कि यहां के जो नियम हैं या जो कानून हैं उन पर हम अमल करेंगे। इस पर गौर करने के बाद फिर कोई सवाल ब्रीच आफ प्रिविलेज का नहीं रह जायगा, लेकिन अगर इस पर इत्तिफाक नहीं है तो बड़े शौक से यह मसला प्रिविलेज कमेटी में जाय, वहां एवीडेंसेज हों और जितना चाहे तूल इस को दीजिये, लेकिन इसका हल उस में नहीं है, हल तो वही है जैसा कि डाक्टर साहब ने सजेस्ट किया है कि अगर कोई कोड आफ कान्डक्ट बन जाता है और हम उस पर अमल करते हैं तो फिर कोई प्रिविलेज वगैरह का सवाल नहीं उठता है।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष इस समय २ प्रस्ताव उपस्थित हैं। एक तो सदन के माननीय विरोधी नेताओं की तरफ से है और दूसरा माननीय वीरसेन की तरफ से जिसमें.....(व्यवधान)

एक सदस्य—मेरी आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं।

श्री बनारसीदास—तो मैं यह कह रहा था कि इस तरह से दोनों तरफ से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रस्ताव पेश किया गया है और वह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। माननीय वीरसेन जी ने अपने विशेषाधिकार के प्रश्न में कहा है कि कुछ सदस्यों ने माननीय अध्यक्ष के आदेश के पालन करने में बाधा डाली और इस कारण उन्होंने सदन का अपमान किया है और विशेषाधिकार की अवहेलना की है और दूसरी ओर विरोधी पक्ष के नेताओं ने भी एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है कि जिन सदस्यों के विरुद्ध निलम्बन का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ उन को बल प्रयोग कर के सदन के बाहर निकाला गया और यह दोनों प्रस्ताव एक दूसरे के पूरक हैं। सदन की मानमर्यादा के लिये इस की जांच हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है जैसा कि उधर से जेड० ए० अहमद साहब, गेंदा सिंह जी और उग्रसेन जी ने भी चाहा है। उधर से एक प्रश्न यह उपस्थित किया गया कि उस समय माननीय सदन के नेता, मुख्य मंत्री जी यहाँ बैठे थे। जहाँ तक आप की आज्ञा के पालन का प्रश्न है उस में सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्री का कहीं भी कोई सम्बन्ध नहीं है। आप ने अपने आदेश को कार्यान्वित करने के लिये बल प्रयोग का आदेश दिया, क्योंकि इस सदन की रक्षा, मान-मर्यादा, प्रतिष्ठा आदि का भार नियम २९९ के अनुसार आप के सुपुर्द है न कि माननीय मुख्य मंत्री के। इसलिये विशेषाधिकार की अवहेलना के समय माननीय मुख्य मंत्री के सम्बन्ध में कुछ कहना अनुचित है।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, जब माननीय मुख्य मंत्री के विषय में विशेषाधिकार का सवाल ही नहीं है तो फिर सूचना मंत्री जी क्यों सफाई दे रहे हैं? क्या मैं समझूं कि वह हैं?

श्री बनारसीदास—तो मैं कह रहा था कि वह आप का आदेश था जिस का पालन किया गया। मुख्य मंत्री जी से उस का सम्बन्ध नहीं था। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि अच्छा हो कि

[श्री बनारसीदास]

हम लोग यहां पर हृदय परिवर्तन करने की कोशिश करें और नैतिक बल का प्रयोग करें और हम लोग गाँधी जी के उसूलों को मानने वाले हैं, लेकिन नियम २९९ जो माननीय गेंदा सिंह जी और सभी की सहमति से बना है उसको मानकर नैतिकता में यकीन न करें और नैतिक बल का कोई उन पर असर न हो, तो उन के ही दिये हुये अधिकार के अनुसार नियम २९९ में स्पीकर को अधिकार है कि वह अपने आदेशों का पालन कराने के लिये बल प्रयोग कर सकें। तो यह सही चीज है जैसी कि २१ तारीख को सदन के अन्दर आपके आदेश की अवहेलना की गई, गेंदा सिंह जी ने लोगों को समझाने के लिये समय चाहा तो सब ने सहमति दे दी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, गेंदासिंह जी के अन्दर आत्मबल काफी हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं हमारे अन्दर उतने आत्मबल की कमी है कि हम उनके ऊपर प्रभाव डाल सकें जिन्होंने निश्चय कर रखा है कि संसदीय प्रणाली पर यहाँ अमल नहीं होने देंगे। बहरहाल, अहिंसा का प्रयोग, गणतंत्र की परम्पराओं का प्रयोग कुछ मान्यताओं पर होता है, वह तो एक तरह से रूल्स आफ दी गेम होते हैं जिनको हमें मानना होगा। अगर खिलाड़ी फाउल करें तो फिर काम चल ही नहीं सकता।

माननीय जेड० ए० अहमद साहब ने जैसा कहा कि संसदीय प्रणाली को मानकर चलते हैं और उसकी मर्यादा की रक्षा करते हैं, तो यहाँ पुलिस आयी माननीय अध्यक्ष के आदेश से न कि मुख्य मंत्री के आदेश से। यह सही है कि कितना बल प्रयोग हुआ, उसकी ऐक्सेस हुई या ठीक बल प्रयोग हुआ, यह चीज कोई वैज्ञानिक नहीं हो सकती और जब यह विशेषाधिकार समिति को भेजा जायगा तो वहाँ देखा जा सकता है कि बल प्रयोग जो हुआ वह अनुचित हुआ या उचित हुआ, लेकिन बाधा डालना भी विशेषाधिकार की अवहेलना है कि नहीं? मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज १२७ पर लिखा है :

"It is a contempt to obstruct officers of either House or other persons employed by, or entrusted with the execution of the orders of either House while in the execution of their duty."

तो अध्यक्ष का आदेश सदन का आदेश है। माननीय अध्यक्ष ने एक आदेश दिया कि उनको निकाला जाय, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने बाधा डाली तो अध्यक्ष ने आदेश दिया कि जो उस आदेश को कार्यान्वित करने में बाधा डालें उनको भी निकाल दिया जाय, यह आदेश था। जैसा गेंदा सिंह जी ने बल प्रयोग के बारे में कहा मैं समझता हूं यह प्रश्न समिति के सामने भेजा जायगा और माननीय सदस्य को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। यहाँ कोई माननीय सदस्य नहीं चाहता किसी का अपमान हो, लेकिन साथ-साथ सदन इस बात को मानेगा कि जो लोग संसदीय प्रणाली को नहीं मानते और जब चाहें सदन का काम रोक दें, स्पीकर का काम वह करने लगें तो मैं एक प्रस्ताव भी रखना चाहता हूं, यदि वह प्रयोग करना चाहते हैं नैतिकता का तो, कुछ दिन के लिये आप कार्यभार माननीय गेंदा सिंह जी को दे दें। अन्त में मैं यही कहूंगा कि यह विषय विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द कर देना चाहिये और अब इस पर अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है।

*श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—श्रीमन्, मैं भी आपसे २,४ मिनट के लिये आज्ञा चाहता हूं कि जो महत्त्वपूर्ण विषय सदन के सामने है उस पर कुछ कह सकूं। इसमें कोई शक नहीं जैसा कि डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब ने कहा या सुझाव रखा और जिस पर आज विचार विनिमय हो रहा है, यह एक बहुत ही गम्भीर महत्त्वपूर्ण और मौलिक सिद्धांत की चीज है। हम लोग देख रहे हैं, मुझे भी सौभाग्य है आज से नहीं, २५ साल से संसदीय पद्धति में विधान मंडल का सदस्य रहा हूं, मगर जो थोड़े दिनों से सदन का वातावरण हो रहा है यह अफसोस के साथ कहना पड़ता है शरमनाक चीज हो रही है और मेरा ऐसा आदमी इसको कभी पसन्द नहीं कर सकता है। मगर हमें इसका कारण भी देखना है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज क्या बात है कि हमारे सोशलिस्ट भाई इस रास्ते पर उतर आये हैं और थोड़े दिनों से ये चीजें क्यों पैदा हो गयी हैं ? इससे आभास मिलता है कि हमारे प्रजातंत्र की नींव हिल रही है। कोई बात जरूर ऐसी हो गयी है कि गंभीर परिस्थिति पैदा होने वाली है। उत्तर प्रदेश आज नहीं सदा से, खास तौर से स्वतंत्रता संग्राम के जमाने से हर प्रकार की राजनीति में अग्रगामी रहा है। देश को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई इसमें उत्तर प्रदेश को बहुत श्रेय रहा है लेकिन आज भय लगता है कि ऐसा न हो कि कलंक का टीका हमारे प्रदेश पर लगे कि प्रजातंत्र जो हिल रहा है इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश पर ही है। आज सदन के अन्दर ऐसा रवैया अख्तियार किया जा रहा है कि कार्यवाही चल न सके और बाईं तरफ जो मेरी साथी बैठे हैं, वे जनतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और उसके रक्षक बन रहे हैं तो इन दोनों बातों को देख कर भय पैदा होता है। मुझे यह कहना है कि हमारी स्वतंत्र पार्टी का जन्म इसी कारण हुआ है। जब हमारे वयोवृद्ध नेताओं ने देखा कि हमारे देश में जनतंत्र प्रणाली को ठेस पहुंच रही है और हमारी सत्तारूढ़ सरकार दूसरी पद्धति अख्तियार कर रही है तो उन्होंने स्वतंत्र पार्टी को जन्म दिया जिसका ध्येय यही है कि जनतांत्रिक पद्धति से देश में शासन चले। सब लोग जानते हैं कि हमारे नेता वयोवृद्ध नेता हैं और यह कहा गया कि उनके खून में गर्मी नहीं है। मैं भी मानता हूं कि उनके खून में उतनी गर्मी नहीं है जिससे कि, जैसा कि मेरे दायें और बायें तरफ बैठने वालों को मालूम है, जनतांत्रिक ढांचा चिटक जाता है और अगर हम संसदीय पद्धति कायम नहीं रखेंगे तो हमारा देश अन्धकार के गर्त में विलीन हो जायगा।

जिस तरह से हम अपने साथियों की आलोचना करते हैं मैं सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, खास तौर से मुख्य मंत्री का ध्यान और आपके द्वारा सदन को भी बतलाना चाहता हूं कि जनतंत्र तभी चल सकता है जबकि उसके दोनों पैर मजबूत रहें। जिस तरह सवारी के दो पहिये होते हैं उसी तरह से जनतंत्र में संसदीय विधान मंडल और सरकार दो अंग होते हैं। सरकार चाहे कि वह सदन के बाहर तानाशाही कायम रखे, सदन के बाहर वह भ्रष्टाचार व्यभिचार को बढ़ने दे, उसे रोके नहीं और सदन के बाहर सरकार अपने दल को मजबूत बनाने के लिये हर तरीके इस्तेमाल करे और जनतांत्रिक तरीके से न चले और जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको रोकने के बजाय प्रोत्साहन दे तो वह यह आशा नहीं कर सकती कि जनतंत्र यहाँ सदन में कायम रहे। अगर सदन में वह जनतंत्र कायम रखना चाहती है तो सदन के बाहर भी उसे कायम रखे। सरकार अगर जनतांत्रिक पद्धति से चल रही है तो हमसे आशा कर सकती है, हमें ताड़ना दे सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस पर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना है कि जो वाकया हुआ है उस पर हमारे भाई ने, हमारे मंत्री महोदय ने और बृजभूषणशरण जी ने दुहाई दी कि पुलिस का आना जरूरी है। मैं मानता हूं कि आपको अधिकार है लेकिन आपके अधिकार सीमित हैं। प्रक्रिया नियमावली के अन्दर आप भी काम करते हैं। मैं इसका समर्थन करता हूं कि जिनको आपने इंगित किया उन आदमियों को निकाला जाता और जिस वक्त डिवीजन काल किया गया हमने हाथ नहीं उठाया और इससे सिद्ध होता था कि हम सहमत हैं आपसे, लेकिन जिनको आपने आदेश नहीं दिया, इंगित नहीं किया उनको सदन से निकाले जाने का अवश्य हम घोर विरोध करेंगे। इसलिये मेरी माँग यह है कि इसको प्रिविलेज कमेटी में जाना चाहिये और अगर आप चाहते हैं कि जनतंत्र मजबूत रहे तो इसकी छानबीन होनी चाहिये, तभी वह कायम रह सकता है। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि इस विषय को आप प्रिविलेज कमेटी में भेजेंगे ताकि इसकी पूरी तरह से छान बीन हो सके।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—अध्यक्ष महोदय, मुझे अब इस विषय पर अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। जिस दृष्टिकोण को मैं सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता था वह दृष्टिकोण न्याय मंत्री जी ने सदन के सामने पेश कर दिया। मुझे आज इस बात की खुशी है कि तीन दलों के नेताओं ने जो अभी तक बोले हैं अपने को उन अदाओं से डिसएसोशियेट किया है जो अदायें उस दल की हैं जिसके नेता माननीय उग्रसेन जी हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आर्डर प्लीज।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—जब जब इस प्रकार का अवसर आया है तो मैं आजिजी के साथ माननीय नेताओं से निवेदन करता रहा हूं कि यह उनका परम और पुनीत कर्तव्य है कि वे अपने पीछे बैठने वाले साथियों को यदि कभी वे किसी उद्दंडता और उच्छृंखलता का परिचय दें तो उन्हें वह उद्दंडता और उच्छृंखलता करने से रोकें और सदन की मान मर्यादा की रक्षा करने के लिये उन्हें सदन में इस प्रकार से व्यवहार करने लिये आमंत्रित करें जिससे कि सदन की मान मर्यादा बढ़े और गणतंत्र की परम्पराओं की सदैव रक्षा होती रहे। इधर बैठ जाने वाले सदस्य से कांग्रेस के सदस्य रहे हैं और उसके सदस्य के नाते जिन्होंने गणतंत्र अपना ध्येय बना रखा है, उसकी परम्पराओं में विश्वास रखते हैं, उसकी मर्यादाओं को देश के अन्दर स्थापित करना चाहते हैं, वे कभी भी इस सदन के अन्दर उस व्यवहार को पसन्द नहीं कर सकते जो गणतंत्र को धक्का पहुंचाता हो, उसकी जड़ों को खोखला बनाता हो और खोखला बना कर गणतंत्र को ही हमेशा के लिये दफना देने वाली व्यवस्था हमारे बीच में पैदा होती हो। इसलिये आज इन कांग्रेस जनों को और उनके द्वारा निर्मित कांग्रेस सरकार को यह कोई दोष नहीं लगा सकता कि वह गणतंत्र को कायम रखने की चेष्टा नहीं करती है और आज इसलिये जब तीन दलों के नेताओं ने इस बात की घोषणा कर दी कि वे उन पद्धतियों और उन प्रथाओं से जो कि एक दल विशेष की तरफ से समय-समय पर बरती जाती है अपने को डिसएसोशियेट करते हैं तो मैं उन तीनों दलों के नेताओं को बधाई देता हूं और यहाँ इस बात पर दो शब्द कहना भी चाहता हूं।

हम कब चाहते हैं कि यहाँ पुलिस आमंत्रित हो और अध्यक्ष महोदय बल का प्रयोग पुलिस के द्वारा करायें? हमारी तो यह कभी ख्वाहिश नहीं रही और उस दिन भी मैं नहीं था, जबकि यह घटना हुई बल्कि जब दो व्यक्ति इंगित किये गये तो मैं दूसरे सदन में उपस्थित था जैसा कि मैंने उस दिन भी बताया था और वहाँ शोक प्रस्ताव पर बोल रहा था हमारे तीन महान् व्यक्ति जो गुजर गये हैं मैं जब यहाँ सदन में आया तो मैंने यहाँ मार्शल को और कुछ पुलिस के व्यक्तियों को आते हुये देखा। मार्शल उन आदेशों का पालन कर रहे थे जो माननीय अध्यक्ष ने दिये थे और पुलिस के व्यक्ति भी जो आये थे वे भी अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से वहाँ आये थे। कोई मैंने तो उन्हें यहाँ आने की आज्ञा नहीं दी थी। यह सही है कि सदन के बाहर पुलिस का इंतजाम भी रहता है और वह भी उसी हद तक रहता है जिस हद तक अध्यक्ष महोदय ने उसके रखने की इजाजत दे रखी है और वह इजाजत जो उन्होंने दे रखी है वह आपकी आज्ञा के अनुसार दे रखी है, क्योंकि उनकी आज्ञा सदन की आज्ञा समझी जाती है। तो क्या मैं आज यह समझूं कि माननीय गेंदासिंह जी और माननीय डाक्टर जेड०ए० अहमद साहब ने जो आलोचना की कि पुलिस वहाँ बुला ली गयी तो पुलिस को अध्यक्ष महोदय के आदेश से बुलाया गया और अध्यक्ष महोदय ने पुलिस को उन कारणों और अधिकारों से बुलाया जो स्वतः सदन ने उनको प्रक्रिया नियमावली के नियम २९९ के अन्तर्गत दे रखे हैं और जिसकी चर्चा श्री बनारसी दास जी ने भी की और वह भी पुलिस को उस हालत में बुलाया जबकि मार्शल की आज्ञा का पालन नहीं किया गया। अब हमारे साथी माननीय गेंदासिंह जी और डाक्टर साहब ने यह कहा कि यह मामला प्रिविलेज कमेटी को जाना चाहिये। क्या मामला प्रिविलेज कमेटी में जाय? अध्यक्ष महोदय ने जो आज्ञा दी हैं उनकी आलोचना करायेंगे, क्योंकि उन्होंने पुलिस बुलाई। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अध्यक्ष महोदय ने जो आज्ञा दी उसके कारण ही सदस्यों को बाहर भेजा गया।

श्री अध्यक्ष—यह नहीं कहा। जो बात आप कह रहे हैं वह उन्होंने नहीं कही।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, नियम ८७ के अनुसार सदन के प्रिसिंक्ट्स के भीतर अध्यक्ष की आज्ञा के बिना कोई गिरफ्तार नहीं किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—माननीय दीपनारायण जी, आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि प्रिविलेज कमेटी में किस चीज पर विचार होगा । जो आज्ञायें अध्यक्ष महोदय ने दी हैं क्या वे उचित थीं या अनुचित थीं, इस पर विचार करना है । अगर अध्यक्ष महोदय के ऊपर बातचीत करना हो तो उसके लिये मैं समझता हूं कि दूसरा तरीका है कि यदि आप समझते हैं कि उनकी आज्ञा गलत थी तो आप कह सकते हैं कि आपका उनमें अविश्वास है । उन्होंने जो निर्णय दिया है वह पक्षपातपूर्ण ढंग से दिया है । मैं कोई कानून का पंडित नहीं हूं और न नियमों का ही पंडित हूं, लेकिन एक मोटी सी बात मेरी समझ में आती है कि अध्यक्ष जी ने मार्शल से कहा कि जिन व्यक्तियों को निलम्बित किया है उनको हटाओ और जब वे न हटा सके तो उन्होंने पुलिस को बुलाया । यहाँ जो पुलिस रहती है वह उनकी आज्ञा पालन करती है । यदि आप यह कह दें कि अध्यक्ष महोदय अपने मिले हुये अधिकारों से कार्य करने को कहें तो वे उनकी आज्ञा का पालन न करें तब तो बात उठ सकती है । लेकिन जब पुलिस यहाँ रहती है और ऐसे अवसर आते हैं जब अध्यक्ष महोदय को अपने अधिकार बरतने होते हैं, जो आपने दिये हैं तो मैं नहीं समझता कि कौन सा मसला प्रिविलेज कमेटी में जाय । क्या वह अध्यक्ष की आज्ञाओं पर विचार करेगी, क्योंकि उन्होंने मार्शल से बल प्रयोग करने के लिये कहा ।

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यदि कोई ऐसी बात हुई है जिसकी यहाँ पर चर्चा हुई है तो आप उसकी जाँच लें कि जो आप की आज्ञा थी और जिसका मार्शल पालन कराना चाहते थे और उसमें लोग प्रतिबन्ध लगा रहे थे, ऐसी कार्यवाही लोग कर रहे थे जिससे आज्ञा का पालन वे न कर सकें । सदन को विदित है कि जो व्यक्ति अध्यक्ष की आज्ञा का पालन करने में रुकावट डालता है वह सदन की कंटेम्प्ट करता है और उस व्यक्ति को अवसर देता है कि वह व्यक्ति ऐसी कार्यवाही करे जिससे वह अध्यक्ष महोदय की आज्ञा का पालन न करा सके । मार्शल अध्यक्ष महोदय की आज्ञा का पालन कराने गये थे और मार्शल ने उतनी ही कार्यवाही की । उसके विपरीत कार्यवाही नहीं की । जब उन दोनों व्यक्तियों को, जो निलम्बित किये गये थे, हटाने का प्रश्न आया, इस बीच में अध्यक्ष महोदय, यहां आ गये और तब उन्होंने दूसरी आज्ञा दे दी तो पुलिस वाले यहां से चले गये । तो पुलिस ने यहां न सरकार की तरफ से, न मुख्य मंत्री की तरफ से या उसकी आज्ञा से यहां आने की धृष्टता की और न एक मिनट यहां अन्दर रहे । ज्यों ही अध्यक्ष महोदय ने दूसरी आज्ञा प्रदान की पुलिस यहां से चली गयी । मैं नहीं समझता कि किस बात की इन्क्वायरी करवाना चाहते हैं और प्रिविलेज कमेटी में भेजना चाहते हैं ।

आज से यह तय हो जाय, जैसा कि आज तीन दलों के नेताओं ने कहा कि हम अपने को कम्पलीटली डिसऐसोसिएट करते हैं, इन बातों से, जो कि सदन में किसी खास दल की तरफ से की जाती हैं । तो एक कोड आफ कंडक्ट बन सकता है और उसकी तहत में हम काम कर सकते हैं । मैं अपने सहयोगियों की तरफ से जो मेरे पीछे बैठे हुये हैं, जैसा कि मैं सदन में बराबर कहता रहा हूं, यह फिर दोहरा देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से यदि कोई साथी ऐसी बात करे, नियमों का उल्लंघन करे, तो मैं उनके नेता के नाते, आपको विश्वास दिला सकता हूं कि मैं उस साथी को अपने दल में दल के साथियों द्वारा सजा दिलवाऊंगा और उसके ऊपर स्वतः वह कार्यवाही करूंगा कि जो सदन की मर्यादा रखने के लिये किसी भी नेता को करनी चाहिये । यदि नेतागण इस बात का विश्वास दिलाते हैं, कि उनके पीछे बैठने वाले, उनके अनुशासन में चलेंगे, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे, तो फिर न प्रिविलेज कमेटी में जाने का प्रश्न उठता है, न कोई इनक्वायरी करवाने का प्रश्न उठता है ।

माननीय गेंदासिंह ने गांधी जी के तरीकों की चर्चा की और उसका वर्णन करते हुये पुलिस की जो उन्होंने व्याख्या की तो उसमें उन्होंने कहा कि पुलिस तो गुंडों के लिये, बदमाशों

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

के लिये है। तो ऐसी बात तो है नहीं। पुलिस उन पढ़े लिखे, सदाचारी व्यक्तियों के लिये भी है जो कांस्टीट्यूशन को भंग करते हैं, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। पुलिस को यदि आज्ञा दी जायगी, यदि कोई नियमों में उल्लंघन डालने वाला व्यक्ति ऐसा है जो कि सदन की कार्यवाही चलाने में अड़चन डालता है और यदि अध्यक्ष महोदय, जिन्हें आपने अधिकार दे रक्खा है, आज्ञा देते हैं, तो पुलिस के अधिकारी उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन तय कर दे कि पुलिस यहां न रहे, बाहर न रहे, सारा इस प्रदेश का इन्तजाम और सरकार का इन्तजाम बिना पुलिस के चले, तो सदन ऐसा फैसला ले सकता है। फिर हमें भी तय करना पड़ेगा कि हममें कितना बूता है कि बिना पुलिस की मदद के सरकार को चला सकते हैं।

श्री उग्रसेन---माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अभी मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह सदन तय कर दे कि पुलिस न रहे। तो यह सदन आप चलाते हैं या पुलिस चलाती है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं अदब के साथ सारे दलों के नेताओं से निवेदन करता हूं।

श्री दीपनारायणसिंह---एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर। दीपनारायण जी, बैठिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---मैं निवेदन करता हूं कि आज से यदि कोड आफ कंडक्ट मान लिया जाता है, परन्तु ऐसा मुझे विदित होता है कि माननीय उग्रसेन जी उस कोड आफ कांडेक्ट के मानने वाले नहीं है। यदि वह मानने वाले नहीं हैं तो वह माननीय नेता जो हमारे विचार के हैं, जो गणतंत्र के पीछे चलने वाले हैं उन्हें तो उस व्यवस्था के रखने में अध्यक्ष महोदय के साथ सहयोग करना चाहिये, जो अध्यक्ष महोदय, हमें आज्ञा प्रदान करें, या हमारे अधिकारियों को प्रदान करें, उसमें हमें उन आज्ञाओं के पालन कराने में सहायता प्रदान करनी चाहिये, न कि उलटे उन अधिकारियों की आलोचना की जाय, मार्शल की आलोचना की जाय या पुलिस अधिकारियों की आलोचना की जाय। हम कब चाहते हैं कि पुलिस यहां इस सदन के अन्दर आये? हमें खुद शर्म लगती है जब हम दिल्ली जाते हैं या बाहर के प्रदेशों में जाते हैं तो हमें अपना सिर नीचा करना होता है कि उत्तर प्रदेश जो आजादी की लड़ाई में अगुवा रहा, जनतंत्रीय विचारों में अगुवा रहा, उसमें आज ऐसी शक्तियां और ऐसे दल पैदा हो रहे हैं जो कि ऐसी प्रवृत्तियां रखकर आज विधान का विरोध करना चाहते हैं, यद्यपि विधान के प्रति उन्होंने श्रद्धा प्रकट की है, उसके प्रति आदर प्रकट किया है। तो मैं इतना आपसे कहना चाहता हूं, इसे प्रिविलेज कमेटी में आप भेजें यह तो आपके निर्णय का प्रश्न है, आप देखें, परन्तु मैं तो समझता हूं कि प्रिविलेज कमेटी में सवाल यह जायगा कि आपका आदेश सही था, मार्शल को आपने आदेश दिया था यह सही था या पुलिस को जो आदेश दिया था वह सही था या नहीं। पुलिस की बात या कर्मचारियों ने कोई बात कर दी तो वह बात तो वहां तय होने की नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि पुलिस की आलोचना हो, तो पुलिस की आलोचना करने का तो यह सदन स्थान है, यहां आप लाइये वोट आफ नो कान्फिडेंस।

श्री दीपनारायण सिंह---व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---आप बैठ जाइये। व्यवस्था का प्रश्न आपका सुन लिया जायगा।

श्री दीपनारायणसिंह---एक सेकेंड मेरी बात सुन ली जाय। प्रस्तुत विषय यह है कि आपकी आज्ञा केवल उन दो विधायकों को निकालने के लिये थी। उन सब को

हटाने की आज्ञा आपकी नहीं थी जिनको हटाया गया । वही प्रश्न सदन के समक्ष है। माननीय मुख्य मंत्री जी विषय से बाहर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप बैठें।

श्री दीपनारायणसिंह—आप यह कह रहे हैं कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन होता है, आपकी आज्ञा की अवहेलना होती है, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन मार्शल ने नहीं किया कि उनको नहीं हटाया और दूसरों को हटाया ।

श्री अध्यक्ष—दीपनारायण जी आप बैठिये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मुझे तो इस समय कहीं और पहुंचना था और मैंने माननीय गेंदा सिंह जी से आज इस बात की आज्ञा भी ले ली थी कि मुझे उन्हीं के जिले में जो एक दूसरा काम है उसके लिये वहां पहुंचना था। गोरखपुर और देवरिया में जो फ्लड आया हुआ है और जिसने वहां कई कठिन परिस्थितियां पैदा कर दी हैं, उस सिलसिले में मुझे वहां जाना था, लेकिन मुझे यहां रुकना पड़ा और आपके बीच में दो शब्द कहने का अवसर लेना पड़ा। तो मैं और अधिक कहता हुआ फिर से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि विरोधी दल आज से इस बात का तहैया करता है कि हम और हमारे साथी सब उस कोड आफ कांडक्ट के तहत में कार्य करेंगे तो आज अब इस विषय को फिर उठाना नहीं चाहिये और इसे यहीं खत्म करना चाहिये और एक नया अध्याय अपने रोजमर्रा के सदन के चलाने के सिलसिले में लिखना चाहिये जिससे कि जो हमारी कुख्याति अन्य जगहों में फैली है, वह शीघ्र खत्म हो सके ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना व्याख्यान समाप्त करते हुये इन शब्दों का प्रयोग किया है कि यह मामला यहीं पर समाप्त किया जाय, लेकिन यह प्रिविलेज का मोशन अपोजीशन की तरफ से उठाया गया है और इस पर आपको अपोजीशन के नेताओं को और हमको अधिक से अधिक समय देना चाहिये जिससे हम अपने विचारों को सदन के सामने रख सकें।

श्री अध्यक्ष—आप बैठिये, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। (व्यवधान) आप बैठ तो जायं। मैंने टम्बेश्वरीप्रसाद जी को बुला लिया है।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—मुझे यह निवेदन करना है कि दो माननीय सदस्यों के बारे में यह प्रस्ताव है। उसमें से एक सदस्य अनुपस्थित है यहां सदन में। इसलिये जब वह यहां आ जायं तब यह प्रश्न यहां प्रस्तुत होना चाहिये। ऐसी परम्परा रही है। माननीय राजनारायण जी के संबंध में आप देख लीजिये उस समय भी यह माना गया है, ऐसी परम्परा रही है कि जब वह सदस्य उपस्थित नहीं थे तो प्रिविलेज मोशन नहीं आ सका ।

श्री अध्यक्ष—नहीं, मैं इसे मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—तो मैं वह रूलिंग भेज दूं आपके पास ।

अध्यक्ष—जी हां। आप कृपा करके बैठिये ।
अब मुझे केवल अपना निर्णय देना है।

श्री श्यामलाल—श्रीमन्, मेरा वैधानिक प्रश्न है । यह हमारे मौलिक अधिकारों का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जायं। इस समय कोई प्रश्न नहीं हो सकता है ।

श्री श्यामलाल---यह हमारे मौलिक अधिकारों के हनन का सवाल है।

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठ जायं ।

श्री श्यामलाल---यह हमारे अधिकारों का...

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठ जायं, नहीं तो आप सदन छोड़ें।

(इस पर माननीय सदस्य ने अपना स्थान ग्रहण किया ।)

जो मुझे सुनना था और जिन नेताओं को सुनना था उनको मैं सुन चुका हूं.....

श्री उग्रसेन---जिनके विरुद्ध यह प्रस्ताव है उनको तो सुनने का अवसर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जायं।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। यह सारा मसला जो जनतंत्र के सवाल को लेकर खड़ा हुआ और जनतंत्र के सिलसिले में यहां पर दलील दी गई वह सारा मसला मेरे सवाल को लेकर खड़ा हुआ है। इस सिलसिले में मुझे बोलने का मौका नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष---यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उग्रसेन---इनको बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---उस विषय में उनके नेता बोल चुके हैं। नियम के अन्तर्गत यह मेरे लिये जरूरी नहीं है कि सब को मौका दिया जाय।

श्री श्यामलाल---हमारे फंडामेंटल राइट्स का सवाल यहां पर है

श्री अध्यक्ष---अब आप बैठ जायं, मैंने कई सदस्यों की बहस सुनी। इसमें कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। जिनको मैं सुनना चाहता था उनको मैं सुन चुका। अब मुझे उसके संबंध में निर्णय देना है। जो बातें यहां पर कही गई हैं मैं उन पर विचार करूंगा और कल अपना निर्णय दूंगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---जो यहां पर मुख्य विरोधी दल है उसके एक भी प्रवक्ता को आपने सुनने की कृपा नहीं की? उनके एक आदमी को तो अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---उनके नेता यहां पर मौजूद नहीं है। अगर उपनेता चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

श्री कृष्णपालसिंह---श्रीमन्, मुझे खेद यह है कि मौलिक शिष्टाचार के नाते उपनेता विरोधी दल को तीन बार खड़ा होने पर भी मौका नहीं दिया गया। मुझपर आपकी नजरेइनायत नहीं हुई। मैं विशेष कहना नहीं चाहता हूं और इस अवसर पर अपने दल की रीतिनीति बतलाना चाहता हूं न कि एक दूसरे दल पर आरोप या प्रत्यारोप लगाना चाहता हूं। मुझे खेद है कि हमारे दल का जो यह उद्देश्य रहा है कि विरोधी दलों में भावनात्मक एकता रहे वह कुछ कारणों से, जो २० तारीख को बातें यहां पर हुईं, उससे उसमें कुछ अन्तर पड़ा। वह इस कारण कि हम लोगों ने तय किया था कि अध्यक्ष के निर्णय का सब पालन करें। यह सब नेताओं ने निर्णय लिया था। साथ ही साथ यह भी सब नेताओं ने निश्चय कर लिया था कि जब मार्शल आपकी आज्ञा से, यदि कोई सदस्य सदन त्याग नहीं करता है, सदस्य को छू ले तो उसे काफी बलप्रयोग मानकर सदस्य को सदन छोड़ देना चाहिये।

मुझे खेद है कि हमारे माननीय नेता उग्रसेन जी ने यह कहा कि वह बात नहीं मानी जायगी। हमें खेद है कि हम लोगों ने इस बात को माना और हम लोग इस बात पर निश्चय जब ले चुके हैं तो हम लोग इस बात पर अड़े रहेंगे। हमारा दल तथा अन्य दलों में भी आपकी आज्ञा से जब मार्शल आयेगा और हाथ पकड़ेगा तो उसको हम काफी बल समझकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे।

साथ ही साथ श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा जैसा कि बनारसीदास जी ने कहा है कि रूल्स आफ दि गेम, मैं उन रूल्स आफ दि गेम का भी हवाला दे देना चाहता हूं। नियम २९९ के अन्तर्गत मैं यह स्पष्ट कर दूं कि हमारा दल पूर्ण रूप से जनतंत्र में विश्वास रखता है। जो नियम हैं उनका भी वह पालन करता रहेगा, परन्तु जो नियम २९९ है, उसमें जो रूल्स आफ दि गेम दिया हुआ है, उसमें हम सब को यह अधिकार है कि बोलते जायें। श्रीमन्, जब आज्ञा दें बैठने की तो बैठें और जब सदन छोड़ने को कहें तो सदन छोड़ें। हम को अधिकार है कि यदि हम श्रीमन् की आज्ञा मान कर न चलें जायें तो उस दिन के लिये हम सदन का त्याग करें। परन्तु दूसरे दिन हम फिर आ सकते हैं। कोड आफ कन्डक्ट बन ही गया है कि मार्शल के हाथ पकड़ने पर सदस्य निकल जायें और यदि न निकलें तो विशेष बल का प्रयोग भी किया जा सकता है। हम और हमारा दल आपको इस बात का पूर्ण आश्वासन देते हैं कि पुलिस को यहां पर आमंत्रित करने का अवसर हम आप को नहीं देंगे। (तालियां बजीं) परन्तु विषय जिस पर कि विशेषाधिकार की आज्ञा मांगी गई है वह ऐसा नहीं है कि पुलिस आई और क्यों आई। मैं केवल कुछ मुख्य-मुख्य बातों की ओर श्रीमन् का ध्यान खींचना चाहता हूं। क्या नियम २९९ के अन्तर्गत श्रीमन् इस कुर्सी पर बैठ कर आदेश दे सकते हैं या नियम २९९ के अन्तर्गत अपने चेम्बर में भी बैठकर आज्ञा दे सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस पर अपनी रूलिंग दें।

यदि इस प्रकार से हुआ कि मार्शल जाकर, नेता सदन जाकर, या कोई अन्य नेता या सदस्य जाकर श्रीमन् के चेम्बर में यह कहें कि अमुक अमुक सदस्य अवरोध कर रहे हैं और श्रीमन् आदेश दें नियम २९९ के अन्तर्गत, तो वे आदेश क्या वहीं से देंगे या सदन में आकर देंगे। मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप अपनी व्यवस्था इस बात पर दें कि इस नियम के अन्तर्गत किसी सदस्य को इंगित करना या निकालना, इस बात का आदेश इस कुर्सी से श्रीमन् दें या इसका आदेश अपने चेम्बर से भी, संदेशों द्वारा जो सूचना मिली, उसके आधार पर दे सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि मैं यह चाहता हूं कि श्रीमन् इस पर बहुत गंभीरता पूर्वक विचार करें, क्योंकि यह एक बहुत खेदजनक विषय है। जिन सदस्य को आप इंगित करें वे तो बैठ रहें और पुलिस आये और चली जाये और ३–४ अन्य सदस्य जिनको यह कह दिया जाय कि उन्होंने अवरोध किया है तो वे यह भी नहीं कि सदन के बाहर गैलरी में फेंक दिये जायं वरन् उनको दूर चौराहे पर खड़ा सड़क पर फेंक दिया जाय। यह बड़े खेद का विषय है।

श्री सैयद अली जहीर—जब वे लौट कर आये तो उन्हें रोका तो नहीं गया।

श्री कृष्णपालसिंह—जब कोई स्वयं बेशरमी से चला आये तो इससे क्या मतलब है। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस पर भी अपने आदेश दें कि क्या उन माननीय सदस्यों को, जिन्होंने अवरोध किया है, उन सदस्यों को नियम २९९ के अन्तर्गत नियम के अनुसार श्रीमन् आते और जो जो अवरोध करते उनको इंगित करते जाते।

श्री अध्यक्ष—आपका मतलब है कि मैं यह समझ लूं और मैं फैसला कर दूं कि समिति में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कृष्णपालसिंह—मैं जब तक यहां बैठता हूं। उस समय तक जनतंत्र में विश्वास रखता हूं।

श्री अध्यक्ष—आप क्या चाहते हैं कि इसको प्रिविलेज कमेटी में न भेजा जाय और मैं अपना निर्णय दे दूं।

श्री कृष्णपालसिंह—श्रीमन्, यदि आप निर्णय देना चाहें तो दे दें और यदि नहीं देना चाहें तो उसे कमेटी में भेज दें। बस मेरा तो इतना ही अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष—अब इस पर बहस नहीं होगी। मैं अपना निर्णय कल दूंगा, आज सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पहले दिन जब पुलिस आई थी, आज के भाषणों से मालूम हुआ, कि प्रत्येक दल का नेता अपने-अपने स्थान पर बैठा हुआ था और जो माननीय सदस्य इंगित किये गये थे वे भी अपने स्थान पर थे और वे सदन छोड़ने के लिये तैयार नहीं थे। मान लिया कि पुलिस को नहीं बुलाना चाहिये था। डाक्टर जे० ए० अहमद कहते हैं, माननीय गेंदा सिंह कहते हैं, पुलिस को नहीं बुलाना चाहिये, ठीक है। पर मैंने माननीय नेताओं से यह प्रश्न किया था कि अगर कोई व्यक्ति इंगित किये जाने पर, मेरे कहने से नहीं हटता है, मार्शल के कहने पर भी नहीं हटता है, और विभिन्न दलों के नेताओं के आग्रह करने पर भी नहीं हटता है, तो मैं, अगर पुलिस को न बुलाऊं, तो क्या करूं। मैंने यह कहा कि उस दशा में मेरे लिये अनिवार्य होगा कि मैं ऐसे बल का प्रयोग करूं जो मेरे पास हो। इस समय हमारे यहां वाच एन्ड वार्ड नहीं है इस समय बल वही हो सकता है जो पुलिस का मुझे प्राप्त है। माननीय नेताओं ने, जो उस समय यहां मौजूद थे, इस बात का कोई मुझे जवाब नहीं दिया कि ऐसी सूरत में क्या करना होगा अगर नेताओं के आग्रह पर भी कोई व्यक्ति न जाय। मैंने उस समय भी कहा था कि ऐसी सूरत में विवश होकर मैं पुलिस को आज्ञा दूंगा। जो उसके बाद घटना हुई उसमें भी हमने देखा कि माननीय गेंदा सिंह जी सदन छोड़ कर चले गये जब उन्होंने देखा कि उनकी बात नहीं मानी जाती है। माननीय कृष्णपाल सिंह जी मेरे कमरे में आये और उन्होंने उस समय मुझ से कहा कि हमारी बात नहीं मानी जा रही है, आप जो उचित समझें, वह करें। मैं माननीय चन्द्रजीत जी और माननीय झारखंडे राय जी का आभारी हूं कि उन्होंने किसी प्रकार से उन माननीय सदस्य को निकाला जिनको इंगित किया गया था।

श्री उग्रसेन—यह कब की बात श्रीमन्, आप कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें। तो मैं यह कह रहा था कि जहां पर यह आग्रह है कि पुलिस को न बुलाया जाय वहां पर यह भी माननीय नेताओं को विभिन्न दलों के, यह सोचना पड़ेगा कि कौन सा वह तरीका है कि जिससे इस सदन के आदेशों का पालन कराया जा सके। जिन माननीय नेताओं ने पुलिस के आने पर इतना आक्षेप और आपत्ति उठाई है उन को इस पर भी विचार कर लेना चाहिये। फिर मैं उनसे परामर्श करूंगा कि हमारे लिये कौन-सा रास्ता है।

जो इस विषय पर बातें कही गयी हैं उन पर मैं विचार कर अपना निर्णय कल दूंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—मैंने उस दिन की घटना को देखा है, मुझे भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—आपके नेता बोल चुके हैं। आपको उन्हें बतला देना चाहिये था।

कुंवर श्रीपालसिंह—जब प्रिविलेज कमेटी में नहीं भेजियेगा तो यहां मौका.....

श्री अध्यक्ष—जिस वक्त गवाही देनी होगी तो देखा जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह---मैं इसलिये कह रहा हूं कि जब गवाही की जरूरत हो तो मुझे पूछ लें।

श्री अध्यक्ष---आप लोगों को कनफ्यूजन हो रहा है। इस वक्त फैसला नहीं हो रहा है। इस वक्त तो सिर्फ मैं आपसे यह बतला रहा हूं कि मैं कल इस पर फैसला दूंगा कि इसको वहां भेजा जाय या न भेजा जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह---अगर आप फैसला करते हैं कि प्रिविलेज कमेटी में नहीं जायगा तब मैं किसके सामने अपनी बात कहूंगा।

श्री अध्यक्ष---अगर मुझे ऐसा फैसला देना होगा तो मैं आपसे पूछ लूंगा।

कुंवर श्रीपालसिंह---बस यही चाहता हूं।

श्री गेंदासिंह---मैं स्पष्टीकरण कुछ सेकेंड में देना चाहता हूं। आपने यह कहा कि हम लोगों ने इस पर मत प्रकट नहीं किया कि अगर आपका आदेश न माना जाय तो आप पुलिस बुलायें या न बुलायें। मैं सिर्फ इतना ही याद दिलाना चाहता हूं कि जिन दो व्यक्तियों को आप पुलिस से निकलवा देना चाहते थे, आपने उसको आर्डर दिया या न दिया मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वह पुलिस की ताकत पर बाहर नहीं गये, वह आपके आने पर आपकी मंशा से ही गये, क्या यह सत्य नहीं है ?

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अगर मेरी आज्ञाओं का पालन न हो और आप उनका पालन कराने में समर्थ सिद्ध न हों तो उस समय क्या होगा ?

श्री उग्रसेन---एक चीज जो आपने कही कि मेरा बल पुलिस का बल है यह उचित नहीं मालूम होता, इसको आप वापस लीजिये और कार्यवाही में से निकलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष---आर्डर। आप बैठिये। मैंने यह कहा था कि मेरे पास कोई वाच एन्ड वार्ड नहीं है जिसके द्वारा बलप्रयोग करके किसी इंगित व्यक्ति को निकाला जा सके। मजबूरन मुझे वाच एन्ड वार्ड की व्यवस्था न होने के कारण पुलिस को ही बुलाना पड़ सकता है।

श्री उग्रसेन---३ साल पहले प्रिविलेज कमेटी ने वाच एन्ड वार्ड को बढ़ाने की सिफारिश की थी, आपकी भी आज्ञा है, लेकिन सरकार ने आपकी आज्ञा को भी नहीं माना।

श्री टम्प्रेश्वरीप्रसाद---आपने कहा कि "मैं पुलिस का आश्रय लूंगा" इसके बजाय "उसको आज्ञा दूंगा" यह कह दीजिये।

श्री उग्रसेन---आप भी अगर पुलिस का आश्रय लेंगे तो हम तो बरबाद हो जायेंगे, यह नम्र निवेदन है।

श्री अध्यक्ष---आई स्टैंड करेक्टेड, अगर ऐसा है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---मैं सुबह से बार-बार खड़ा हो रहा हूं, आप मुझे बोलने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---आप बैठिये, मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री नेकराम शर्मा---अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं कई बार खड़ा हुआ। क्या आप मुझे आज्ञा नहीं देंगे बोलने की ?

श्री अध्यक्ष---श्री नेकराम शर्मा, आप बैठ जाइये। मैं जब समाप्त कर लूंगा उस वक्त देखा जायगा। इस वक्त मैं दूसरा विषय ले रहा हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव व नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास कार्य-स्थगन के प्रस्ताव आये हैं और उसी संबंध में एक नियम ५२ के अन्तर्गत है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मुख्य मंत्री के विरुद्ध भी एक मेरा है।

श्री अध्यक्ष—वह मैं कल लूंगा।

माननीय शराफत हुसैन रिजवी और कुंवर श्रीपालसिंह के इसी विषय पर प्रस्ताव हैं :—

"२१ अगस्त को मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट यात्रा करने वाले १५ छात्रों को पकड़ा गया जिन्हें छुड़ाने के हेतु अनेक कालेजों के छात्र मय अपने प्रोफेसरों और प्राक्टरों के स्टेशन पर जाकर जुरमाना माफ करके केवल किराया मात्र लेकर छात्रों को छोड़ देने की याचना की, पर इसे न मानकर उन छात्रों पर लाठी वर्षा की गयी तथा गोलियां चलायी गयीं जिससे प्रदेश का वातावरण विक्षुब्ध हो उठा है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हैं।" शराफत हुसैन जी का यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव है। इन्हें मैंने कार्य-स्थगन प्रस्तावों के रूप में न स्वीकार करके नियम ५२ में स्वीकार किया है।

माननीय झारखंडे राय जी का है कामरोको प्रस्ताव, माननीय बसन्तसिंह जी का है। नियम ५२ में माननीय श्रीपालसिंह जी का है और उसके साथ जो प्रस्ताव मुरादाबाद की घटना के बारे में आये हैं, वे सब मैंने मंत्री जी को भेज दिये हैं। अतः जो नियम ५२ की सूचनाएं आई हैं वे स्वीकार नहीं की गई हैं।

अब माननीय दुर्योधन जी का एक कामरोको प्रस्ताव था। एक राधेश्याम शर्मा का है। ये दोनों प्रस्ताव माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी की भूख हड़ताल के बारे में हैं। इनमें बहुत-सी बातें दी हैं कि वह क्यों भूख हड़ताल कर रहे हैं। इन दोनों को मैंने अस्वीकृत किया है और कारण उन पर लिख दिये हैं। माननीय सदस्य चाहें तो कृपा करके देख लें कि क्यों अस्वीकार हुये हैं।

श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—देवरिया और गोरखपुर में सभी बसें, ४, ४ घंटे लेट चल रही हैं। लोगों के मुकदमें खारिज हो रहे हैं, किसी पर जुर्माना हो रहा है। मैं आपसे अर्से से अर्ज कर रहा हूं कि कामरोको प्रस्ताव से या नियम ५२ से हम अपनी बात कह सकते हैं। आप प्रस्ताव को नियम ५२ कर देते हैं। यह विधान सभा जनता के दुखों का आईना है। नीचे घसीटने से प्रस्ताव ही खतरे में पड़ जाता है।

श्री अध्यक्ष—नियम ५२ में मैंने एक स्वीकार किया और चूंकि दोनों का विषय एक है, वह भी आ जावेगा।

श्री उग्रसेन—मैंने बाढ़ के संबंध में नियम ५२ दिया था। मलौनी बांध टूट रहा है और गोरखपुर डूब रहा है। सबेरे ही मंत्रीजी के पास कलेक्टर का टेलीफोन आया था, वह बता दें कि क्या होने जा रहा है, सरकार क्या कर रही है।

श्री अध्यक्ष—मैं यह सोच रहा हूं कि २७ को जो बयान होगा उस दिन या दूसरे दिन इस पर बहस हो जाय। मंत्री जी कुछ कहेंगे?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—उनका फोन आया था कि पानी धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लेकिन हम पूरा इन्तजाम कर रहे हैं। हम भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री उग्रसेन—सरकार अधिकारियों को ताकत दे, सहायता दे। भरसक का क्या सवाल है?

श्री अध्यक्ष—राजस्व मंत्रीजी, आप इनकी प्रार्थना को ध्यान में रखें ।

१६ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न ८८ के उत्तर का शोधन

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—अध्यक्ष महोदय, दिनांक १६ मार्च, १९६१ को श्री टीकाराम द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८८ के संबंध में उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "जी हां । वहां पर अस्पताल की इमारत बनवाने पर विचार किया जायगा ।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था, जिसका बाद में पता चला । सही उत्तर इस प्रकार है—"जी हां । वहां पर अस्पताल की इमारत बनवाने के लिये ४ जून, १९६० को नियोजन विभाग द्वारा आदेश जारी किये जा चुके हैं ।" मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है ।

(मूल प्रश्नोतर के लिये देखिये नत्थी 'य' आगे पृष्ठ ५७६ पर)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके रवैये पर बहुत खेद है । हमारे दल के नेता लगातार सदन में खड़े होते रहे और आपने उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अवसर नहीं दिया । मैं अपने दल की ओर से शिकायत रख रहा हूं । हमको आपके इस रवैये पर असन्तोष है कि आप डांट कर हमारे दल के सदस्यों को बैठाने का प्रयत्न करते हैं । इस पर हमारे दल के लोग १ घंटे के लिये सदन त्याग करते हैं ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—चूंकि हमारे मौलिक अधिकारों का पालन नहीं हो रहा है, इसलिये हम १ घंटे के लिये वाक-आउट करते हैं ।

(श्री नेकराम शर्मा ने अन्य निर्दलीय सदस्यों सहित तथा श्री श्यामलाल ने सदन का त्याग किया ।)

व्यवस्था का प्रश्न

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—एक व्यवस्था का प्रश्न है । परसों शाम को जब हम लोगों ने आपसे व्यवस्था चाही थी कि वह बिल बीच में इंट्रोड्यूस हो सकता था या नहीं आपने उस पर व्यवस्था दे दी । लेकिन मेरी समझ से नियम १४४ में जब खंडशः विवाद हो रहा था, तो आपको पहला विवाद स्थगित करने की आज्ञा देनी चाहिये थी । वरना नया विषय नहीं लिया जा सकता ।

दूसरा बिल पेश हुआ । हम लोगों ने लगभग सवा पांच बजे सदन छोड़ा । आपका अधिकार १५ मिनट का समय बढ़ाने का है । मेरा निवेदन है कि सदन में समय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं आया । पुरानी व्यवस्था केवल इतनी है कि अगर कट मोशन्स पर विवाद हो तो वह हो जाय और उस समय तक चले । लेकिन १५ मिनट के बाद बिना समय बढ़ाये अगर हाउस चलता है तो यह कहां तक नियमानुकूल है ?

श्री अध्यक्ष—माननीय केशरीप्रसाद पांडेय जी बोल रहे थे । उनसे मैंने पूछा कि आप क्या कुछ देर तक बोलियेगा । उन्होंने कहा कि अभी मुझे बहुत बोलना है । तो मैंने कहा कि आप फिर परसों बोलियेगा । उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया । उस वक्त दो मिनट थे ५ बजने में या तीन मिनट थे, उस वक्त अगर कोई आपत्ति थी कि यह चीज एजेन्डे में नहीं है तो वह करनी चाहिये थी, लेकिन आपने प्रश्न किया कि आप किस अधिकार से ऐसा कर सकते हैं तो मैंने बता दिया कि यह मेरा अधिकार है कि अगर किसी चीज का नोटिस न दिया गया हो, कोई बात एजेन्डे में न भी हो, अगर मैं उचित समझूं तो उसके प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता हूं ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद--विवाद हो रहा था, एक साहब जब तक बैठे नहीं थे कि दूसरे खड़े हो गये। जब तक एक बहस बन्द न हो। तब तक दूसरी कैसे ली जा सकती है?

दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि सवा पांच बजे के बाद सदन की कार्यवाही नहीं हो सकती थी।

श्री अध्यक्ष---मेरे खयाल से ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मैं उसको देख लूंगा। मेरा खयाल है कि ५ बज कर १० मिनट पर हम उठ गये थे। यह देखने की चीज है, देख ली जायगी।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---मेरा एक तो व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किस व्यवस्था के अनुसार, बिना बहस रोके किसी माननीय सदस्य को बिठा दिया जिनके अधिकार में उस समय यह सदन था।

दूसरी बात यह है कि माननीय नेकराम जी शर्मा ने निवेदन किया कि उनको आपके रवैये से असंतोष है और वे जब उस व्यवस्था के विरुद्ध अपना असन्तोष प्रकट कर रहे थे आपने उनसे कह दिया कि दिन भर वे न आयें।

श्री अध्यक्ष---ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने उनसे पूछा कि आप कितनी देर बोलियेगा तो उन्होंने कहा कि और बोलूंगा, मैंने उनसे निवेदन किया कि फिर अगले दिन बोलिये और यह उन्होंने मंजूर कर लिया।

श्री उग्रसेन---आपने उनको कहा। हम भी आपकी इस व्यवस्था से असन्तोष प्रकट करना चाहते हैं और असहमत हैं। इसके विरोध में हम लोग एक घंटे के लिये सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(इसके उपरान्त श्री उग्रसेन ने अन्य समाजवादी दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया।)

कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, आज के एजेन्डे के ऊपर नम्बर १५ पर रामचन्द्र जी विकल का नियम ५३ के अन्दर दो घंटे का विवाद है तथा दूसरा माननीय कल्पनाथ जी के प्रश्न पर आधा घंटे का विवाद है। मैं जानना चाहता हूं कि यह बिल कब तक चलेगा और यह विषय कब शुरू किया जायगा?

श्री अध्यक्ष---ये विषय ५ बजे लिये जायेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---दोनों विषय पांच बजे कैसे लिये जायेंगे?

(इस समय २ बजकर २६ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

श्री उपाध्यक्ष---दो चीजें हैं। जो प्रस्ताव पहले आया है वह पहले लिया जायगा और उस पर बहस समाप्त हो जाने के बाद दूसरा लिया जायगा। ५ बजे तक यह बिल चलेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---अगर आप इजाजत दें तो जो बात तय हुई है वह मैं माननीय पांडेय जी और आपको भी उसकी सूचना दे दूं। वह यह है कि नियम ५३ की बहस आज नहीं होगी। चूंकि माननीय मुख्य मंत्री जी ही गृह मंत्री हैं और वे रहेंगे नहीं, इसलिये वह किसी दूसरे दिन के लिये स्थगित हो गयी है। जो दूसरा विषय है उस पर आज बहस होगी।

श्री उपाध्यक्ष---मैं इसको देख लूंगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---जिस चीज के लिये आप आज्ञा नहीं देते हैं वह एजेन्डे में से कैसे निकल जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष---हमारे पास कोई सूचना नहीं है, लेकिन अगर दोनों तरफ वाले इस बात को चाहते हैं तो वही होगा ।

*उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२

खण्ड ३ (क्रमागत) †

****श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय** (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, कल मैं बाढ़ का जिक्र कर रहा था। बाढ़ की विभीषिका उग्र रूप धारण कर रही है और इस प्रदेश के कतिपय जिले आतंकित और परेशान हैं । आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि रोहिणी नदी अपनी बाढ़ की उच्च सीमा पर है और उसकी वजह से गोरखपुर और आस-पास के इलाके में इतनी परेशानी है....

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, बाढ़ से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---नियोजन के सिलसिले में बात करना चाहता हूं। बाढ़ के सिलसिले में मैं बात कर रहा था तो माननीय सदस्य ने बीच में ही टोक दिया क्योंकि वह यह नहीं समझ पाये कि बाढ़ और नियोजन में सम्बन्ध है या नहीं । अभी आपके सामने माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वे इस समय बाढ़ के सिलसिले में देवरिया और गोरखपुर का दौरा करने जा रहे हैं । मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज किसानों की हालत अबतर होती चली जा रही है, वह उनके काबू से बाहर हो गयी है---कहीं पर बाढ़ है, तो कहीं सूखा है, कहीं अवर्षण है । यानी सारी स्थिति ऐसी है जिसकी वजह से उनकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है.....

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---उपाध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है । इसलिये जब तक कोरम पूरा न हो जाय तब तक कार्यवाही न हो।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---श्रीमन्, किसानों की स्थिति बहुत खराब है और वे इस हालत में नहीं हैं कि किसी प्रकार का कर दे सकें । फिर भी चूंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है और उसके सफल बनने पर ही प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है, इसलिये हमने यह संशोधन पेश किया है । मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना जिसके सिलसिले में माननीय जगदीश शरण जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि "जब तृतीय पंचवर्षीय योजना पर बहस की बात आती है तो उस समय लोग बहस से भागते हैं" । आज मैं उन्हें आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जब भी आप तीसरी पंचवर्षीय योजना पर बहस करेंगे तो उस समय हम सब लोगों को तैयार पायेंगे और उस पर डट कर बहस होगी । मैं निवेदन करता हूं कि आपकी पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनायें असफल हो गयीं, यह आपकी रिपोर्टों से ही साबित है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी आपने किसानों, मजदूरों को कुछ नहीं दिया । मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपने किसानों, मजदूरों को दिया हो तो उनसे लीजिये और यदि नहीं दिया हो तो आप उनसे कुछ मत लीजिये । पहली पंचवर्षीय योजना में २,९०० करोड़, दूसरी पंचवर्षीय योजना में ४,८०० करोड़ और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ११,८०० करोड़ का कर्जा आपने लिया और इसे आपने किसानों पर लाद दिया । यह आप उनकी कमजोर रीढ़ को

---

*२० अगस्त, १९६२ की कार्यवाही में छपा है ।

†२१ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही से ।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय]

तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं जबकि आपने उनको कुछ भी बल नहीं दिया। इस कर्ज की वजह से आपको ५·५० करोड़ सूद भी सालाना देना पड़ता है। पहली जनवरी, १९६१ से यह सूद भी देना पड़ेगा। इस प्रदेश को देश की आबादी का छठा हिस्सा होने की वजह से आपको १ करोड़ कुछ लाख रुपये सूद में देना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष---आप बहुत दूर जा रहे हैं।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---बहुत दूर जाकर नजदीक आ रहा हूं ताकि इसकी दूरी कम हो जाय। मैं आपसे कह रहा था कि आप जहां कर्जा लादते चले जा रहे हैं, सूद लादते चले जा रहे हैं वहां फिर किस मुंह से यह कर छोटा ही, सही जो ७५ लाख रुपये का है, किसानों-मजदूरों पर लादने जा रहे हैं? आज देहातों के अन्दर, शहरों के अन्दर, ट्रेन में, बसों में आप विश्वास कर लें कि लोग स्पष्ट रूप से आपको गाली देते हैं और आप शहरों व गांवों में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे और वह गाली जब लोग पंडित जवाहर लाल के नाम पर या दूसरे ऐसे लोगों के नाम पर देते हैं तो हमें भी बड़ी तकलीफ होती है, हमें भी परेशानी होती है, लेकिन उनकी बात अपनी जगह पर है और उस का जवाब हम नहीं दे पाते। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर विचार करें क्योंकि इस तरह की बात जारी रही तो गांव में, बस में, रेल में कहीं भी बैठना और चलना मुश्किल हो जायगा। आपको याद होगा कि सन् ३०-३१ में जब 'नमक कर' आन्दोलन चला और एक छोटे से कर के खिलाफ महात्मा गांधी ने आवाज बुलन्द की तो उस को सारे देश ने सुना और उसे विशेषकर किसान-मजदूरों ने सुना और उस का नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों का इतना बड़ा साम्राज्य सन् १९४७ में समाप्त हो गया। आप को भरोसा है कि पुलिस के बल पर, फौज के बल पर, बहुमत के बल पर आप सूबे में राज्य करेंगे, लेकिन यह आपका भ्रम है। यह कर उस दिन की याद दिलाता है जब आपका खात्मा होगा और आप यहां शासन में नहीं रहेंगे। इसी कारण से हम आप को अभी से सही रास्ता दिखाना चाहते हैं। जनतंत्र की स्थापना के लिये, प्रदेश की बहबूदी के लिये और स्वयं आपकी बहबूदी के लिये यह जरूरी है कि आप इस कर को न लगायें।

दूसरे यह कि जिस की जरूरत जितनी हो उस को उतना दिया जाय और जितनी जिस की क्षमता हो उससे उतना ही लिया जाय। आपने पिछले दस साल में २ योजनाओं में जनता में कोई क्षमता नहीं पैदा की। आज आप जरूरत महसूस कर रहे हैं कि देश में वह क्षमता नहीं है जिस से तीसरी योजना चलाई जा सके। बाहरी देशों में भी आप घूम आये, आप को पैसा नहीं मिला। कल के ही अखबार में श्री मोरार जी देसाई ने कहा है कि पैसा नहीं मिल रहा है और अब उन की नजर जेवर गहना जो बैंकों में और घरों में पड़ा है उस की तरफ जा रही है और ४१ अरब रुपये का सोना वह कहते हैं कि छिपा है। इस तरह से आप चल नहीं सकते। आप की स्थिति डांवाडोल है। आप चाहते हैं कि गांवों से किसान मजदूरों से पैसा लें, लेकिन आप पहले उन का विश्वास प्राप्त नहीं करते, आप को उनका मानसिक समर्थन प्राप्त नहीं है, वह आप के साथ नहीं है, आप किस तरह और कहां तक कर्ज लेकर ऐसी महत्त्वपूर्ण योजना चलायेंगे? कितना ही आप कर्ज लें, चाहे गहने ही क्यों न बेचें आप योजना को तब तक सफल नहीं बना सकते जब तक आप जन साधारण का सक्रिय योगदान नहीं प्राप्त कर लेते। आप ऐसा मोहलिक कदम न उठावें कि किसान मजदूर आप के खिलाफ हो जाय, आप को उन का सहयोग प्राप्त करना चाहिये वर्ना इस तरह से काम नहीं चलेगा। उनमें आपने पहले से क्षमता पैदा नहीं की।

जहां तक उनकी आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, दूसरे देशों के मुकाबले में, वह आज भी अच्छी नहीं है। आज भी यहां फटे पुराने कपड़ों में आदमी घूमते हैं। उन के फटे कपड़ों को ही देखकर मंत्री जी कहते हैं कि गाजीपुर में, उनकी नजर किसानों के कपड़ों पर हो गई, लोग अब अच्छे कपड़े पहनते हैं। लेकिन कानपुर में रेशमी कपड़े पहनने वालों, महलों में ऐश से रहने वालों, मोटर पर चलने वालों पर उनकी नजर नहीं जाती। उन की सुख-सुविधा को वह नहीं देखते, किस

तरह से वह अथाह सम्पत्ति का उपभोग करते हैं, वह नहीं देख पाते । उस सब को वह जान-बूझ कर नजरअन्दाज करते हैं, लेकिन फटे कपड़ों वालों के एक-एक पैसे पर कफन खसोटी करने के लिये आप की नजर है । माननीय कृष्णानन्द जी को मालूम होगा कि कौड़ीराम के इलाके में फैजाबाद में आम की गुठली खाने से ४ आदमियों की मृत्यु हो गई । जिस प्रदेश में दस साल योजना चलाने के बाद भी यह स्थिति हो कि आम की गुठली खा कर ४ आदमी मर जांय, आप उसके भविष्य की ओर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और विचार करने के बाद ही कोई निर्णय लें । योजना का अर्थ यह होना चाहिये कि पहले किसान मजदूरों को राहत मिले और उन से कम से कम लिया जाय उस समय तक जब तक कि उन की क्षमता इतनी न हो कि उन से ज्यादा से ज्यादा प्राप्त किया जा सके । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं ।

एक सदस्य---श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई)

*श्री कृष्णानन्द राय---उपाध्यक्ष महोदय, माननीय केशरीप्रसाद जी का संशोधन यह है कि यात्रा-कर जो ५ प्रतिशत लगाने का प्रस्ताव है वह ढाई प्रतिशत कर दिया जाय और जो १५ फीसदी तक लगाने का अधिकार राज्य सरकार मांगने जा रही है उसको घटा कर ५ प्रतिशत तक कर दिया जाय । तो इनका संशोधन केवल यही है जो यात्रा-कर की दर है वह आधी कर दी जाय । लेकिन अपने समस्त भाषण में उन्होंने कोई दलील नहीं दी कि यात्रा कर अधिक लग रहा है और इतना अधिक कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है । वह अपना भाषण दे रहे थे कि यात्रा कर नहीं लगना चाहिये । यदि अपने संशोधन पर रहते तो केवल इसी तक अपने को सीमित रखना चाहिये था कि प्रदेशीय सरकार ने यात्रा कर प्रस्तावित किया है, उसकी दर इतनी अधिक है कि उसका कोई औचित्य नहीं है । अगर ऐसा कहते तब तो कुछ विवाद समझ में आता । उन्हें पता है जब यह विधेयक पेश किया गया था तो मंत्री जी ने आंकड़े दिये थे कि केवल तीन राज्यों को छोड़ कर---उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और केरल---सभी प्रदेशों में यह कर लगता है और यह भी आंकड़े बताये थे कि पंजाब में १६.६ प्रतिशत किराये का कर वसूल किया जाता है और मध्य प्रदेश में १० प्रतिशत, बम्बई में १० प्रतिशत तथा अन्य राज्यों में यह कर पिछले ४, ५ सालों से लिया जा रहा है तथा सभी राज्यों में उसकी दर प्रस्तावित दर से अधिक है । अगर इन आंकड़ों को वह देखे होते तो अनुभव किये होते कि जो राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में यात्रा कर प्रस्तावित किया गया है वह इतना अधिक नहीं है जो अनुचित कहा जा सके । अतः इनका संशोधन स्वयं इन आंकड़ों के अनुसार निष्फल हो जाता है ।

अब कहा जाता है और हमारी समझ में सभी करों के सम्बन्ध में कहा जायगा कि हमारे किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिये लोग इन करों को देने की स्थिति में नहीं और कर नहीं लगने चाहिये । हमारी समझ में एक मौलिक सिद्धान्त है, इधर के लोग कहते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसलिये जरूरी है कि धनोपार्जन करके इस प्रकार की व्यवस्था की जाय जिससे लोग गरीबी के चंगुल से निकलें । उधर के बैठने वाले सदस्य यह कहते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है लिहाजा उसको अच्छा करने का प्रयास न किया जाय । तो यह मौलिक मतभेद है । जो माननीय केशरीप्रसाद पांडेय समाज वादी दल के हैं उनके राष्ट्रीय नेता श्री अशोक मेहता जी इस सिद्धान्त को मान चुके हैं कि नियोजन द्वारा आर्थिक विकास करना है और स्वाभाविक है कि नियोजन के लिये धन लाना चाहिये जिसके लिये जनता पर कुछ आर्थिक भार भी देना है । तो इस मौलिक प्रश्न को ऐसे छोटे संशोधन पर इस वाद-विवाद में नहीं उठाना था और मुझे आशा है कि जो संशोधन है उसे वह वापस ले लेंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री केशरीप्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय कृष्णानन्द जी ने यह कहा कि केशरी पांडेय जी अपने संशोधन पर न बोल कर पूरे विधेयक पर बोले। मेरा खयाल है कि कृष्णानन्द जी ने आज के भाषण को उनके कल के भाषण से मिलाया नहीं और अगर मिला लिये होते तो यह शुबहा नहीं होता। कल संशोधन पेश करते हुए स्पष्ट कहा था कि कैसे टैक्स लगना चाहिये। उसको भूल कर आज के भाषण पर ही कृष्णानन्द जी का व्याख्यान हुआ है। पूरे टैक्स का विरोध तो करना ही चाहिये। पांडेय जी चाहते हैं कि कुछ राहत उसमें आप और दे दें। जहां ५ पैसे लगाने जा रहे हैं अगर उन गरीबों से ढाई नये पैसे ही आप लें तो शायद उनको कुछ राहत मिले। इसलिये आपके सामने उन्होंने अर्जी पेश की है और उसको कबूल करना या न कबूल करना आपके हाथ में है।

मेरा खयाल यह है कि सरकार की वकालत दो तरह की होती है। मैंने अपनी आंखों देखा और कानों सुना है, कांग्रेस के लोग यहां पर बठ कर दूसरी बात और बाहर दूसरी बात करते हैं। पब्लिक मीटिंग में बाहर साफ कहते हैं कि सरकार हमारी भी कुछ नहीं सुनती है। हम तो बहुत कहते हैं। लाबी में बैठ कर मंत्री जी से भले ही न कहें, लेकिन कृष्णानन्द जी से और मुझसे बातचीत हो चुकी है कि सरकार टैक्स और मालगुजारी बढ़ा रही है यह ठीक नहीं है। इस लिये उनकी तरफ से दो तरफा बात नहीं होना चाहिये। यह बात सही है कि कृष्णानन्द जी की नजरों में इस प्रदेश का किसान सुखी है। तो मैं साफ कहता हूं कि टैक्स देने में उसे कोई गुरेज नहीं होगा। श्रीमन्, आपको याद होगा कि एक दो बार पहले भी जोर आजमाइश हुई है। इस समय चौधरी चरण सिंह जी नहीं हैं। हाफिज मुहम्मद इब्राहीम दिल्ली में बैठे हुए हैं। १० गुने की वसूली शुरू हुई थी। हमने कहा था कि किसान के पास पैसा नहीं है, लेकिन स्वर्गीय पन्त जी तथा हाफिज साहब कहते थे, मुझे वह बात याद है, पन्त जी ने कहा था कि किसानों के छप्परों के भीतर नोट हैं और उसे दीमक और झींगुर चाट रहे हैं। इसे लहलहाते हुए खेतों से बदल डालें।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि दसगुना की वसूली में सरकार को यह भ्रम हो गया था कि किसान के पास पैसा है और इधर के लोगों का कहना था कि उसके पास पैसा नहीं है। वसूली हुई और सरकार का अन्दाजा गलत निकला, किसानों से पैसा नहीं मिला। आज वही भ्रम सरकार को फिर हो गया है कि किसान के पास पैसा है। देहात में बस का क्या किराया है और शहर में क्या किराया है, आप चलिये जरा मेरे साथ जो हमारे प्रदेश के एडवोकेट जनरल साहब श्री कन्हैयालाल मिश्र हैं उनके घर। उन का घर मरजादपुर में है जहां बस स्टेशन है और बिलौली वहां से एक मील भी नहीं है, लेकिन मरजादपुर से बिलौली आने में साढ़े तीन आने बस का किराया है। और यहां लखनऊ में १० नये पैसे किराया है कृष्णानन्दजी। १० मील लम्बे और ७ मील चौड़े शहर को आप २० नये पैसे में घूम सकते हैं। माननीय पांडेय जी का कहना है कि अगर आप यात्री कर लगायेंगे तो एक मील पर भी वह कर लगेगा जिसकी वजह से गरीब आदमी की परेशानी और बढ़ेगी। उस हालत में उसके सामने एक ही रास्ता रह जायगा कि या तो आपकी बस पर चले या फिर बस को छोड़ कर, बीमार आदमी को छोड़ कर उसकी दवा-दारू कराने कहीं न जाय।

सरकार क्या चाहती है? क्यों नहीं वह सड़कों का राष्ट्रीयकरण कर लेती? एक नहीं, इस प्रदेश में पचासों ऐसी सड़कें हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उधर के बैठने वाले लोग जानते हैं, क्यों नहीं उनका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाता है? हजारों ऐसी सड़के हैं इस प्रदेश में और उधर बैठने वाले दोस्तों के हाथ में है और एक बार नहीं, हजार बार कहा

गया कि इन सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। रोडवेज की आमदनी सड़कों का राष्ट्रीयकरण करने से ही बढ़ी है। सड़कों का राष्ट्रीयकरण करने से सरकार की आमदमी बढ़ेगी और जो मासूम आदमी पर कर लगने जा रहा है उससे वह छूट जायगा। माननीय कृष्णानन्द जी अपनी बुद्धि का कुछ किस्सा माननीय मुजफ्फर हसन को दें। देहात के लोगों पर टैक्स बढ़ेगा तो आपकी आमदनी बढ़ेगी नहीं, घटेगी। मैं उदाहरण देता हूं कि जब-जब इस प्रदेश में गल्ला मंहगा हुआ है आप देखेंगे कि लोगों ने कम खरीदा है और जब सस्ता हुआ तो लोगों ने ज्यादा खरीदा है। इसी प्रकार से अगर बस का किराया बढ़ता है तो यह मानी हुई बात है कि जिनके पास पैसा नहीं होगा वे जरूरी काम को छोड़ेंगे और सरकार का नुकसान होगा।

बसन्तलाल जी ने रेल के किराये का उदाहरण दिया था कि रेल का किराया बढ़ गया इसलिये रोडवेज का भी किराया बढ़ना चाहिये। कौन-कौन से उदाहरण दिये जायं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय कृष्णानन्द जी ने कहा कि केरल आदि स्थानों पर बहुत भारी कर है। कृष्णानन्द राय जी ने एक चीज का ही मुकाबला कर लिया। उन्होंने यह नहीं देखा कि केरल में शिक्षा की क्या व्यवस्था है। उन्हें देखना चाहिये था कि मध्य प्रदेश में क्या है, बंगाल में क्या है, बम्बई में क्या है .....

श्री उपाध्यक्ष—पांडेय जी, देखिये यह विधेयक पर बहस नहीं हो रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, यहां पर सवाल यह है कि ५ के स्थान पर ढाई रख दिया जाय। श्रीमन्, आपके सामने उधर से भाषण हो गया। यदि आप रोक दिये होते तो ठीक था।

श्री उपाध्यक्ष—किन्हीं साहब को रोकने की बात नहीं है। लेकिन जहां तक हो सके रैलेवेंट कहें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—वही कह रहा हूं, श्रीमन्। उनको कर के साथ-साथ अन्य व्यवस्थाओं का भी खयाल करना चाहिये था। वहां के लोगों के रहन-सहन, शिक्षा आदि की व्यवस्था का भी मुकाबला करना चाहिये था। हमारा प्रदेश कितना गरीब है, इसको वे भूल जाते हैं। गाजीपुर और बलिया जिले कितने गरीब हैं, इसको वे भूल जाते हैं। आज भी हजारों बस्तियां ऐसी हैं जहां हरिजन गढ़े का पानी पीते हैं, आज भी लाखों आदमी फुटपाथ पर सोते हैं और एक समय खाना खाते हैं। अगर एक आदमी बिना रोजी के है उसको अगर रोजगार मिल गया तो आप चाहते हैं कि इस तरह से उससे कर वसूल करें। मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र के विपरीत है। आप जो अन्य प्रदेशों की नकल करने जा रहे हैं यह ठीक नहीं है। श्री केशरीप्रसाद जी का केवल संशोधन यह है कि ५ के बजाय ढाई कर दें। यह बड़ी इज्जत की बात है और आप सबको अपनी छाती पर हाथ रखकर ईमानदारी के साथ विचार करना चाहिये। गांव की समस्याओं को देख कर तब इस पर फैसला करें। मुझे आशा है कि आप श्री केशरीप्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं एक अपील करना चाहता हूं कि यह आम बहस नहीं है जो तमाम बातें कही जायं। यह तो एक छोटे से खंड पर बहस है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा इधर-उधर न जायं और विषय पर ही बोलें।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी केशरी प्रसाद जी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो ५ प्रतिशत यात्री-कर लगाया गया है वह कोई इतना अधिक नहीं कि जिस पर इस प्रकार का संशोधन लाया जा सके। २० पैसे किराये में अगर एक नया पैसा कर लगाया जाता है तो कोई असर नहीं पड़ता है। अभी पिछले दिन जब शहर की बसेज पर यात्री-कर न लगाने के ऊपर संशोधन रखा गया था तो तमाम तर्क दिये गये थे और जहां शहर के निवासी सिनेमा देख सकते हैं और काफी संख्या में जा सकते हैं तो क्या वे एक पैसा कर नहीं दे सकते। आजकल हालत यह है कि सिनेमा

[श्री श्रीराम तिवारी]

घरों के अन्दर कोई सीट खाली नहीं मिलेगी। अगर एक पैसा कर देना पड़ता है और वह देश के आर्थिक विकास के लिये तो क्या हर्ज है ? इसलिए कि हमारी योजना सफल हो, इसलिए कि हमारे गांव-गांव में बिजली फैले और इसलिए कि हमारी बेकारी दूर हो, हमें पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है।

जो हमारे भाई कहते हैं कि हम डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट कर न लगाएं और हमारी योजना भी सफल हो जाय तो धन कहां से आये ? उनका कहना तो उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुमूत्र के रोगी से यह कहे कि मिठाई खा लो। हो सकता है कि उस समय रोगी को मिठाई खाने में अच्छी लगे, लेकिन उसका परिणाम यह होगा कि उसका रोग बढ़ता जायगा। अगर हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना सफल नहीं होती तो १९६६ में हमारे प्रदेश में ४५ लाख आदमी बेकार हो जायंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम किसी न किसी प्रकार जहां से भी हो सके चाहे इनडाइरेक्ट कर लगाना पड़े या डाइरेक्ट कर लगाना पड़े, चाहे उससे इस समय तकलीफ हो, जिस प्रकार बहुमूत्र के रोगी को मिठाई अच्छी लग सकती है परन्तु उसको कालान्तर में हानि पहुंचेगी, उसी प्रकार यदि इस समय हम इस भय से कि जनता हमसे नाखुश हो जायेगी, उसको तकलीफ होगी, कर नहीं लगाते तो वह हमेशा के लिए तकलीफ उठायेगी क्योंकि अगर हमारी योजना सफल नहीं होती तो फिर बेकारी बढ़ेगी, भुखमरी बढ़ेगी।

अभी हमारे पूर्व एक वक्ता ने कहा है कि कहीं पर आम की गुठली खाने से चार आदमी मर गये। आज भुखमरी की स्थिति नहीं है, लेकिन अगर हमारी योजना सफल न हुई तो यह स्थिति १९६६ में आ सकती है कि लोग भुखमरी से मर जायं। इसलिए आवश्यक है कि योजना को सफल बनाने के लिए कर लगाया जाय और यह पांच प्रतिशत बहुत कम है। इससे अधिक होना चाहिए। अगर बीस पैसे में एक पैसा बस का किराया बढ़ गया तो इससे मर जाने की आशंका नहीं। इसलिए मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय केशरीप्रसाद जी ने जो संशोधन रखा है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

बिल के क्लाज ३ में जो यह पांच परसेंट बढ़ाने के लिए तय किया गया है, पहले तो यह लगना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब यह बिल आया ही है, तो आप लगाएंगे जरूर। इसलिए उसका परसेंटेज कम करें क्योंकि इस का प्रभाव भूखी और गरीब जनता पर पड़ता है, जो गरीब ८० प्रतिशत जनता इस प्रदेश में रहती है, जिसकी आय दो पंचवर्षीय योजनाओं में घटी है, केवल यह बात जरूर है कि शहरों में कुछ आय बढ़ी है, लेकिन देहात का आदमी जो नंगा भूखा ही रहा है, जिसके लिए रोटी नहीं है, यद्यपि मंत्री महोदय कहते हैं कि देहात में उसकी अवस्था अच्छी है, वह अब साइकिल रखता है, तथापि देहात में जाकर देखिये कि वह कितना परेशान है, उसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है। वही किसान यात्रा के लिए जाता है। या तो किसी आवश्यक कार्य से, या अपने बच्चों की दवा-दारू के लिए शहर में उसको जाना पड़ता है, तो वह मोटर या बस से जाता है। उसको एक रुपये के स्थान पर अब एक रुपये पांच पैसे किराया देना पड़ेगा। श्री गहलरी के अनुसार पूर्व की प्रति मजदूर की प्रतिदिन की मजदूरी दो आना है और अगर वह गोरखपुर से मरीज के साथ लखनऊ आता है तो उसे अपनी १५ या २० दिन की मजदूरी बढ़े हुये किराये में देनी पड़ती है, क्या यह कर न्याय संगत हुआ ? पहले कर का प्रति व्यक्ति भार २१ रुपये से बढ़ कर अब ३३ रुपये प्रति व्यक्ति हो गया है, उस पर टैक्सों की भरमार और होती जा रही है।

हमारे माननीय सदस्य ने अभी कहा कि बहुमूत्र के रोगी को अगर मिठाई दें तो उसको नुकसान होगा यह ठीक है। आज का कर दाता गरीब है और बहुमूत्र का रोगी है, उसे बचाइये, उसकी जिन्दगी से मत खेलिये, यह मेरी चेतावनी है। उसे और मिठाई देने से अगर हानि पहुंचती

है तो उसे आप जामुन खिलाइए। आदि वैद्य भगवान शंकर ने जामुन तो अपने बहुमूत्र रोगी पुत्र श्री गणेश जी को भी खिलाया था, जैसा श्लोक में कहा गया कि—"जाम्बू फलं चारु भक्षणम्।" वह तो दवा है, रोग का इलाज होता है। शासन थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल करे, मरीज कर-मुक्ति दवा से अच्छा हो सकता है।

आपके सामने तमाम जरिये हैं जिससे कि आप प्रदेश की आय को बढ़ा सकते हैं। पिछली बार महामान्य गवर्नर महोदय का जो अभिभाषण हुआ था उसमें उन्होंने कहा था कि यह आबकारी की जो आय होगी उसको प्लानिंग में लगायेंगे। तो मैंने उस समय भी सुझाव दिया था और आज भी दे रहा हूं कि कानपुर जिले की केवल आबकारी खोल दीजिए, उससे तीन चार करोड़ से भी ज्यादा रुपया आपको मिल जायगा। वहां पर बराबर स्मग्लिंग होती है, लखनऊ लोग वहां से शराब पीने आते हैं और यहां से शराब वहां स्मगल होती है। लखनऊ में तो आप को मुश्किल से मिलेगी, लेकिन कानपुर में घर-घर पहुंचा दी जाती है। यह हाल है आपकी व्यवस्था का और नशाबन्दी का। इसलिए आप करों की तरफ कम ध्यान दें और इधर ज्यादा ध्यान दें। यह केवल ५ परसेंट का यात्री-कर ही नहीं है जिससे आप गरीब जनता को दबा देना चाहते हैं, बल्कि सरकार की तरफ से लगने वाले जितने कर हैं, मैं उन सबका घोर विरोध करता हूं। लेकिन मैं इस समय केवल संशोधन पर ही कह सकता हूं कि आप पांच परसेंट की जगह ढाई परसेंट कर दें। वरना इससे गरीब जनता के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। अपने जरूरी काम के लिए भी गरीब मोटर बसों से चलने में असमर्थ हो जायगा। आप शहरों में ५, ६ मील जाते हैं वह केवल दस नये पैसे में और देहात में उतने ही मील जाते हैं तो ५० नये पैसे देने पड़ते हैं। तो शहर के रहने वालों को तो थोड़ा लाभ भी है, लेकिन देहात में रहने वाला तो इससे परेशान हो जायगा। एक माननीय सदस्य ने कहा कि २० नये पैसे पर एक नया पैसा वह दे देगा जो नहीं के बराबर होता है, लेकिन देहात वाले को ५ नया पैसा १० या बारह मील में ही देना पड़ जायगा। तो मैं पांडेय जी के प्रस्ताव पर बहुत जोर देकर कहूंगा कि इसको माननीय सदन मान ले और पांच परसेंट की जगह ढाई परसेंट कर दें तो अधिक उत्तम होगा और ज्यादा जनहित में होगा और गरीब की आह से शासन बच सकेगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जैसी कि अभी बात आयी थी कि छः सवारियों तक की यात्री-गाड़ी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन मैं उसके संशोधन में भी यह कहूंगा कि उसमें ड्राइवर के अलावा एक भी सवारी हो तो उस पर टैक्स लगाया जाय क्योंकि बड़े-बड़े आदमियों की कारें जो चलती रहती हैं वह इससे बरी हो जायंगी। आप इन पर कर डबल कर दीजिये। इसमें आपकी मनमानी होगी और जिस पर आप चाहेंगे, उस पर कर लगा देंगे, जिस पर नहीं चाहेंगे नहीं लगायेंगे। देहात का आदमी इससे बेकार परेशान हो जायगा और टैक्स का बोझ उसपर बढ़ता ही चला जायगा। वह आदमी जो भूखों मर रहा है और भी भूख से मरने लगेगा। इस तरह से आपकी योजना सफल नहीं हो सकती है। आपकी सेकेंड फाइव-ईयर प्लान असफल हो चुकी है। इससे अच्छा तो यह हो कि आप हर पार्टी के नेता को तथा finance के अधिकारियों की एक कमेटी बना कर बैठा दें और इस बात को देखें कि किस तरह से आपकी आय बढ़ सकती है। आपको और तमाम सोर्सेज मिल सकते हैं जिससे कि आप प्रदेश की आय को बढ़ायें। अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि सदन माननीय केशरीप्रसाद जी के प्रस्ताव को स्वीकार करे।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—मेरा निवेदन यह है कि अब इस संशोधन पर विवाद समाप्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब इस संशोधन पर विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ

पक्ष में .. ५१,

विपक्ष में .. ३८।)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---उपाध्यक्ष महोदय, जिन साथियों ने मेरे संशोधन के पक्ष में और विपक्ष में वार्ता की है, मैं उनका बड़ा आभारी हूं। जो विपक्ष कांग्रेस की ओर से दलीलें पेश की गयी हैं उनसे कुछ ऐसा लगता है कि वह प्लान को स्वयं सफल बनाने के सिलसिले में सिंसियर मालूम नहीं होते। यदि किसी भी तरीके से एक रास्ता उनके लिये निकल सके और आखिर में यह प्लान असफल हो जाय तो उनको यह कहने का मौका मिलेगा कि हमने भरसक प्रयत्न किया, लेकिन विरोधी दल की तरफ से अड़चन डाली गई, रुकावट डाली गई और प्लान असफल हुआ। मैं आप के जरिये से सदन से यह कहना चाहता हूं कि प्लान का जो जरिया है वह तो एक सीधी-सादी बात है "A pie in the sky when you die" एक पाई आपको आसमान पर लटकती मिलेगी जब आप मरेंगे। यह हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सौगात है।

श्रीमन्, कुछ ऐसी अजीब किस्म की चीजें माननीय मन्त्री जी पेश करना चाहते हैं जो समझ में नहीं आतीं। जैसा मैंने पहले कहा कि गरीब किसान के लिये एक पैसा बहुत कीमत रखता है। जो गरीब फटीचर हालत में चला करता है उसके लिये एक पैसा वही कीमत रखता है जो कीमत आपके लिये टी० ए० लेने के समय होती है। जब आप टी० ए० लेते हैं तो थर्ड क्लास का टी० ए० न लेकर फर्स्ट क्लास का लेते हैं और यात्रा थर्ड क्लास में करते हैं। इसका आप के पास क्या जवाब है ? जब आप इसको स्वीकार करते हैं और पैसा बचाने की कोशिश करते हैं तो यह गरीब जो परेशान है, फटीचर हालत में है, अगर एक पैसे के लिये अपनी सारी परेशानी आपके सामने पेश करना चाहता है तो फिर आप उसके लिये हमदर्दी के दो शब्द भी नहीं कहना चाहते हैं। ऐसी स्थिति की आपसे मैं सफाई चाहता हूं। उस गरीब को आप कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। अपने प्लान के लिये तो उस गरीब से आपने सब कुछ ले लिया और उसको कुछ भी नहीं देना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आप से अपील करता हूं कि मैंने इस संशोधन को जानबूझ कर पेश किया है कि उन गरीबों को कुछ राहत मिले और वह राहत इस हद तक मिले कि वह चलते फिरते, खेलते और बदलते नजर आयें। अगर उनका आपने कर को बोझ से, अपने आतंक से, अपने बहुमत की ताकत से, बोलना बन्द कर दिया, उनको चुप कर दिया तो उनकी चुप्पी आप के लिये घातक होगी और यह आप को जिन्दा नहीं रखेगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि लाशों पर आप का उन्माद न हो, जिन्दा लाशों का आप प्रदर्शन न करें। ऐसी स्थिति में मैं आप से फिर इस्तेदुआ करूंगा कि उन किसान, मजदूरों को जो इस देश की रीढ़ हैं, आत्मा हैं, जिन्दा रखिये और इतना जिन्दा रखिये कि वह आप की तरह चल फिर सकें और जरूरत पड़े तो आपका साथ दे सकें, आपका सहयोग कर सकें और तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बना सकें। इस मन्तव्य से मैंने ढाई परसेंट की बात को इंट्रोड्यूस किया है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर इसे आप स्वीकार करेंगे तो इससे उनको राहत मिलेगी, सांस लेने का मौका मिलेगा और वह आपके आगे नहीं तो कम से कम आप के साथ चलने को जरूर तैयार रहेंगे। आप अपने ध्येय में सफल हो सकेंगे।

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपना अमेंडमेंट पेश करते वक्त हमारे पांडेय जी ने जो प्लान के ऊपर अपनी आस्था बतायी उसका मैं शुक्रगुजार हूं। मैं सिर्फ यह कहूंगा कि जनरल डिस्कशन के सिलसिले में जवाब देते हुये मैंने जो बात कही थी उसके सिलसिले में पांडेय जी अपनी स्पीच पढ़ लें। वह जवाब पा जायंगे। उस स्पीच में मैंने वही बात अर्ज की थी और वह बेजा नहीं थी।

जहां तक इस अमेंडमेंट का ताल्लुक है, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि यह एक बहुत ही मुअ़ोतदिल कर लगाया गया है और कई हल्कों से यह काफी कम लगाया गया है। हिन्दुस्तान भर में कम से कम दस फीसदी है, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं और एक रुपये में ५ नया पैसा ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर कोई आवाज उठाई जाय। एक बात मैं यह नोटिस कर रहा हूं, हमारे रामचन्द्र जी यहां से चले गये, हर सवाल पर देहात और शहर का सवाल उठा दिया जाता है। यह कोई मौजूं चीज नहीं है। मुझे ताज्जुब है कि यह सवाल उन्होंने पहले उठाया और उसकी बुनियाद पर श्रद्धा जी की तजवीज मैंने मंजूर की और हमने बड़ी हैरत से देखा

कि वही लोग जिन्होंने श्रद्धा जी को बधाई दी थी, इस अमेंडमेंट के लाने पर इसके खिलाफ चले गये। यह एक अजीब तमाशा है। एक तरफ तो आप उसी सवाल को उठायें और दूसरी तरफ आप का रुख यह हो। उन्होंने कह दिया कि आजमगढ़ में एक चीज पर साढ़े तीन आना किराया लिया जाता है। मैं आपसे पहले भी अर्ज कर चुका हूं और आज भी कहता हूं, साढ़े सात पाई ज्यादा से ज्यादा किराया है रोडवेज का। कहीं उसको कम कर दिया गया है, लेकिन उससे ज्यादा का कोई सवाल नहीं। तो फैक्ट्स के बारे में तो सम्भल के बात कहनी चाहिये। इसलिये मैं इस अमेंडमेंट की मुखालिफत करता हूं और यह ५ परसेंट बहुत ही मुओतदिल है और इसे काग्रम रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की पंक्ति ३ में शब्द "पांच प्रतिशत" के स्थान पर संख्या व शब्द "ढाई प्रतिशत" कर दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री मुजफ्फर हसन—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह कहना चहता था कि अगर यह उस तरतीब से ले लिया जाय कि जिस तरतीब से आज के एजेन्डा पर है तो शायद हम हर खंड को अलग-अलग खत्म कर देते। कल मैंने यह सवाल उठाया था कि चूंकि वह अमेंडमेंट मैंने कंसीडर नहीं किया था इसलिये उसे न लिया जाय और इसलिये कल पांडेय जी का अमेंडमेंट पेश हो गया था और चूंकि पेश हो गया था इसलिये आज वह ले लिया गया। तो मेरी दरख्वास्त यह है कि आज इस एजेन्डा की तरतीब में काम हो।

श्री उपाध्यक्ष—मैं चाहता था कि पहले खंड ३ समाप्त कर लें और फिर खंड २ लें लेंगे।

श्री मुजफ्फर हसन—बहुत अच्छा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से खंड ३ में निम्न-संशोधन उपस्थित करता हूं—

"खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द 'पन्द्रह प्रतिशत' के स्थान पर संख्या व शब्द '५ प्रतिशत' कर दिये जायं।"

श्रीमन्, इस सिलसिले में मुझे निवेदन करना है जैसा कि मैंने पहले संशोधन में पेश किया था कि २, १/२ प्रतिशत के स्थान पर "५ प्रतिशत" कर दिया जाय, उसी के अनुरूप मैंने इस बढ़ोत्तरी को कम करने की कोशिश की और ऐसा प्रस्ताव आपके सामने पेश किया। यदि २, १/२ प्रतिशत से ५ प्रतिशत तक कर दिया जाय तो इस बिल की सार्थकता किसी हद तक सही माने में होगी। ऐसे लोग जो बसेज में अपर क्लास में चला करते हैं, वह इसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन दूसरे लोग इस को वहन करने के काबिल नहीं हैं। इसी उद्देश्य से मैंने सोचा कि १५ प्रतिशत के स्थान पर ५ प्रतिशत कर दिया जाय और सरकार इस को ज्यादा से ज्यादा ५ प्रतिशत बढ़ा सके। यह ५ प्रतिशत भी केवल इसी मन्तव्य से है कि नाम मात्र का कर लगे क्योंकि यह विधेयक भी नाममात्र का है। इससे ७५ लाख की आमदनी इस सरकार को होने जा रही है। यदि आप एक भी रूट का राष्ट्रीयकरण कर दें तो यह ७५ लाख रुपया सरकार को मिल जायगा। लेकिन भाई, यह सरकार जो पूंजीपतियों की हिमायती है, उधर बैठे हुए बड़े-बड़े मोटरशाहों का जिनकी मोटरें, उन रास्तों पर चला करती हैं, राष्ट्रीयकरण कर दें तो निश्चित ही उनका मुंह फूल जायगा और वे परेशान हो जायेंगे। हो सकता है कि आपस में कुछ एक किस्म की ग्रम्बलिंग भी हो जाय। इसलिए इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा। यदि आप का खर्चा नहीं चल रहा है तो आप राष्ट्रीयकरण को अपनाइये। यदि आप उसको नहीं करना चाहते हैं तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिए पैसा कमाने का कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे लोगों की आह सरकार पर न पड़े, प्रदेश पर न पड़े। केवल इसी मन्तव्य से

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

१५ प्रतिशत की जगह ५ प्रतिशत की बात कह रहा हूं। इन शब्दों के साथ मैं इसको प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुजफ्फर हसन—उपाध्यक्ष महोदय, इसका ताल्लुक पिछले अमेंडमेंट से है। जो ५ प्रतिशत मंजूर हो चुका है, उसके लिये इसका प्रश्न नहीं उठता। एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि राष्ट्रीयकरण के लिये जो कुछ भी कहा गया हम तो बराबर हर साल काफी बड़ी रकम रखते हैं और राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पांडेय जी जो कि पुराने हाउस के पार्टी लीडर थे और अपोजीशन के लीडर थे, उनके ही साथी जो सब से बड़े वकील हैं, जो उनके एसोसियेशन के प्रेसीडेन्ट हैं, वे मेरे पास रोज आया करते हैं। मेरी उनसे बातचीत होती रहती है। इसलिये इस तरह की बात कहना कि सरकार पूंजीपतियों का साथ देती है यह बिलकुल गलत है। इसलिये वे मेहरबानी कर के बतायें कि यहां कौन से लोग बैठे हैं जिनको ऐसा फायदा पहुंच रहा है तो जाहिर हो जायगा कि उनकी बात कहां तक सच है। इसलिए इसका सवाल नहीं उठाना चाहिये।

*श्री कमलासिंह यादव—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री केशरीप्रसाद पांडेय जी ने जो संशोधन सदन के समक्ष रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसके अगर उद्देश्य और कारणों में देखा जाय तो पता चलेगा कि उसमें कहीं भी १५ प्रतिशत कर लगाने का जिक्र नहीं है। यही कहा गया है कि प्रारम्भ में ५ प्रतिशत कर होगा। तो ऐसी सूरत में विधेयक में १५ प्रतिशत रखना किसी भी कीमत पर उचित नहीं होगा।

दूसरी बात इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि यह जो कर ५ प्रतिशत या १५ प्रतिशत लगेगा, यह छोटे से छोटे आदमी पर भी उतना ही होगा और बड़े-बड़े अमीर आदमी पर भी उतना। एक वह आदमी जो किसी प्रकार के कर देने की क्षमता नहीं रखता, उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कि उसके साथ क्या बर्ताव हो। आपका ध्येय यह है कि गरीबों की गरीबी दूर हो, उसको मिटाया जाय। तो एक अमीर आदमी तो इस टैक्स को बरदाश्त कर सकता है, मगर एक गरीब आदमी जिसके पास अन्न तक खरीदने के लिये पैसा नहीं है, अगर उससे टैक्स लिया गया तो वह कहां से देगा? एक घड़े में अगर सूराख कर दिया गया तो एक-एक बूंद कर के सारा घड़ा खाली हो जायगा। इसलिये आप इस पर विचार करें। एक तरफ आप गरीबों की गरीबी मिटाने और उनकी क्रय-शक्ति बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ यह टैक्स लगाते हैं। आज उनकी क्रय-शक्ति घट रही है। शहरों की आमदनी बढ़ रही है और देहात की आमदनी घट रही है। मैं अपने जिले गाजीपुर की बात कहना चाहता हूं। वहां पर कोई भी माननीय सदस्य जाकर देखें, वहां पर लोग दो आने रोज पर मजदूरी करते हैं। उस दो आने से मजदूरी ज्यादा बढ़ाने के लिये उन्होंने हड़ताल की। लेकिन उसको भी खत्म करा दिया गया। वह भी नहीं चली। तो जहां दो आने में काम करने वाले मजदूर हों.....

श्री बसन्तलाल शर्मा—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्, नियम २९१ देखा जाय। माननीय सदस्य कही गयी बातों को दोहरा रहे हैं और असंगत बातें कर रहे हैं। हड़ताल से इसका क्या ताल्लुक है....

श्री उपाध्यक्ष—यह छोटा-सा संशोधन है, आप कृपया इसी पर बोलें।

श्री कमलासिंह यादव—वहां से भी कर वसूल होगा, इसलिये वहां की परिस्थिति मैं बता रहा हूं। वहां, श्रीमन्, लोग शीरा पीकर जी रहे हैं और वह शीरा जिसे कुत्ते भी नहीं पियेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके अलावा श्रीमन्, दो योजनायें समाप्त हुई हैं, तीसरी चल रही हैं, माननीय गुप्ता जी भी मेरे यहां गये हैं, और भी डिप्टी मिनिस्टर आदि गये हैं, अभी तक वहां एक रोड के अलावा दूसरी रोड नहीं बनी है। जब बाढ़ आती है तो उत्तरी हिस्से को दक्षिणी हिस्से से मिलाने का कोई जरिया नहीं है। यहां तक कि गल्ला भी नहीं पहुंचा सकते थे, उसके लिए चौधरी चरणसिंह के यहां दौड़ना पड़ा और ऐरोप्लेन से उन्होंने गल्ला पहुंचाने की कोशिश की थी। तो जैसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोई सड़क नहीं बनी और तीसरी योजना में भी व्यवस्था नहीं हुई कि रास्ते दुरुस्त हो जायं तो क्या हालत होगी? ये टैक्सेज जो लिये जा रहे हैं वह लें, लेकिन जरा यह समझें कि किससे लेना है। जिस वक्त गन्ना पेरा जा रहा था उस वक्त ५ सेर का गुड़ बिकता था, आज सवा सेर का बिक रहा है। टैक्स लगाना है तो उस पर लगाइये जिसने ५ सेर का खरीदकर डेढ़ सेर का बेचा। ५ सेर का मैंने गुड़ बेचा लगान देने के लिये और आज जब गुड़ नहीं है तो किसी तरह से शीरा पिलाकर बच्चों को पाल रहा हूं और आप कहते हैं कि ५ परसेंट से लेकर १५ परसेंट तक और बढ़ाया जाय किराया, यह गौर करने की चीज है।

दूसरी चीज यह है कि बस पर ट्रेविल करने वालों में लोअर क्लास पर टैक्स न लगाते और अपर क्लास वालों पर लगाते, इस तरह का एलान करते तब तो वह काबिल बर्दाश्त था, लेकिन यहाँ तो दोनों पर बराबर लगा रहे हैं। चाहे कोई एक मील, आधा मील चले और चाहे ५० मील तब भी टैक्स एक ही है। आप गरीब को हर तरह से कुचलना चाहते हैं। आज बस और ट्रक ओनर्स हजारों रुपये महीने की आमदनी कर रहे हैं, उनको एग्जेम्प्ट कर दिया। अगर ५ परसेंट उनसे माँग लेते और गरीबों का ५ परसेंट कम कर देते तब तो ठीक था। इसलिये मेरा अनुरोध है कि लोअर क्लास पर टैक्स न लगावें और अपर क्लास पर लगावें तो ज्यादा अच्छा होगा। इन शब्दों के साथ मैं केशरीप्रसाद जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—डिप्टी स्पीकर महोदय, जो संशोधन पेश हो रहे हैं उनका अभिप्राय यह है कि मोटर वेहिकिल्स के जरिये से हम अपनी आमदनी कितनी बढ़ा सकते हैं और किस तरह से वह आमदनी खर्च की जायगी। यह सभी माननीय सदस्य समझते हैं और मुझे भी पूर्ण आशा है कि जो आमदनी बढ़ेगी वह सड़कों की मरम्मत के लिये, एक्सटेंशन के लिये, जनता के सुभीते के लिये इस्तेमाल की जायगी। मैं एक सुझाव पेश करना चाहता हूं कि मैं किराया बढ़ाने के खिलाफ नहीं हूं। मैं उन व्यक्तियों में से हूं जो समझते हैं कि बिकास कर जनता की भलाई के लिए लगाये जाते हैं। इस संशोधन का ध्येय यह है कि कहाँ से कैसे परिवहन विभाग की आमदनी बढ़े। परिवहन मंत्री जी का और मेरा भी अनुभव है कि बहुत से परमिट दिये जाते हैं उन लोगों को जो अपना माल बता कर औरों का माल ढोते हैं प्राइवेट ट्रकों में। मैंने यह स्वयं देखा है कि जिनको प्राइवेट परमिट दिये जाते हैं वे असल में प्राइवेट नहीं होते। वे औरों का भी माल ढोते उनसे किराया लेते हैं। दिखाने के लिये एक स्टोर एक जगह पर खोल देते हैं और दूसरा दूसरी जगह खोल देते हैं, लेकिन वास्तव में वे वही काम करते हैं जो साधारणतः परिवहन के लिये किया जाता है। एक तो इस पर रोक होनी चाहिये और इसकी कड़े तौर पर जाँच होनी चाहिये और इस प्रकार से प्राइवेट परमिट का मिसयूज नहीं होना चाहिये। इसके कारण से बहुत भारी क्षति इस विभाग को होती है।

एक दूसरा सुझाव भी है कि जब गवर्नमेंट की यह नीति हो गयी है कि जितना अधिक हो सके परिवहन को नेशनलाइज किया जाय तो मेरा सुझाव यह है कि जिन रूट्स पर प्राइवेट बसेज चल रही हैं उनको भी नेशनलाइज कर लिया जाय। इससे सरकार की आमदनी बढ़ेगी और इस रुपये की कमी की पूर्ति हो सकती है।

***श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय केशरी प्रसाद जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मैंने यह उस दिन भी कहा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

था कि मैं इस बात का सख्त विरोधी हूं कि सरकार इस विधान सभा के द्वारा इस प्रकार का कोई अधिकार हासिल करे। यह बात तो समझ में आती है कि इस समय कोई कर लगाया जाय, लेकिन इस प्रकार का भविष्य के लिये कोई अधिकार सुरक्षित कर लिया जाय जिससे सरकार जब चाहे उस अधिकार का प्रयोग करती रहे इस चीज को मैं उसूलन गलत समझता हूं। इसका मैंने उस दिन भी विरोध किया था और आज भी कर रहा हूं।

माननीय मंत्री जी ने यह कठिनाई बतायी कि पहला संशोधन जब अस्वीकृत हो गया है तो इस संशोधन का कोई अर्थ रह नहीं जाता है। अगर माननीय मंत्री जी इस बात से राजी हों और वे यह समझते हों कि १५ प्रतिशत बढ़ाने का अधिकार सरकार को नहीं लेना चाहिये तो बंशीधर पाँडेय जी, बसन्त लाल जी और बनारसीदास जी यहाँ मौजूद हैं, वह उसके लिये कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप केवल इस बात को स्वीकार कर लीजिये कि सदन इसको वापस लेने की इजाजत दे दे तो इसमें कोई दिक्कत की बात न होगी।

मैं इस बात को समझने में बिलकुल असमर्थ हूं कि किराया जो बढ़ाया जा रहा है उससे कोई अधिक भार पढ़ने वाला नहीं है। इस बारे में मैं माननीय कृष्णानन्द जी को पंच मानने के लिये तैयार हूं वह इस माने में कि उन्हीं के जिले के माननीय विश्वनाथ सिंह जी गहमरी ने जो उन्हीं के दल के भी हैं पार्लियामेन्ट में यह बयान दिया कि गाजीपुर में मजदूरी दो आना रोज मिल रही है। वे सारे दिन काम करते हैं, खून पसीना बहाते हैं और उनको दो आना मजदूरी मिलती है। कृष्णानन्द जी जरा बतायें कि उनका बयान सही है या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय—सही है।

श्री चन्द्रजीत यादव—मैं उनको बधाई देता हूं। वह कहते हैं कि सही है। अब आजमगढ़ से लखनऊ जो बस आती है उसका किराया ५ रुपया है और आने जाने का १० रुपया हुआ। अगर १५ प्रतिशत उस पर बढ़ा दिया जाता है तो साढ़े ग्यारह हो जाता है। उसका अर्थ हुआ डेढ़ रुपया बढ़ गया जो उस गरीब की १२ दिन की मजदूरी हो गयी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इतनी छोटी सी बात नहीं है जितनी बतायी जाती है। बदकिस्मती यह है कि हमारे सूबे में ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है जो गरीब हैं जिनकी जीवन की नितान्त आवश्यकतायें भी पूरी नहीं होती। खाना, कपड़ा, बच्चों की पढ़ाई की समस्या, दवा दारू की समस्या, ये चीजें ही उनकी पूरी नहीं होती हैं। फिर इससे उनकी मुसीबत और बढ़ जायगी।

हम टैक्सेशन का जनरल विरोध नहीं करते, लेकिन हमारा कहना है कि उनके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाय जो देने के काबिल हैं। मैं इस बात से सहमत हूं जैसा कि कमलासिंह जी ने कहा कि अपर क्लास में जो चलने वाले हैं उनके ऊपर किराया बढ़ाया जाय। जो लोग अधिक किराया देने के लायक हैं उनके ऊपर आप बढ़ा दीजिये। लेकिन उस गरीब से जो आजमगढ़ से लखनऊ आना चाहता है, इस बात को जानते हुये भी कि बस से चलने में उसे १० घंटे लगते हैं, बड़ी कठिनाई पड़ती है, ट्रेन की यात्रा आरामदेह होती है, लेकिन अपने उसी एक रुपये को बचाने के लिये कि ट्रेन से कम देना पड़ता है, वह बस से चलने में अपना सारा दिन बर्बाद करता है और १० घंटे बैठना बर्दाश्त करता है, ऐसी ऐसी परेशानी उठाता है कि वह ज्यादा एक रुपया नहीं दे सकता, इसलिये कि उसकी ८ दिन की मजदूरी वह एक रुपया होगी जिसे आप लेना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि जो आर्गुमेंट दिया गया है उसमें ज्यादा वजन नहीं है।

हमारे यातायात मंत्री महोदय का कहना है माननीय त्रिलोकीसिंह जो प्राइवेट लारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वे इसको नहीं चाहते हैं। अपनी प्राइवेट लाइफ में बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से बातें कहते हैं, लेकिन इस सदन में जो बात कही जाय उसका महत्व विशेष चाहिये। अगर किसी असोसिएशन के अध्यक्ष की बात मानने की बात आप करेंगे तो उस पर भी

बहुत विवाद हो सकता है, लेकिन यहां पर जो पी० एस० पी० के मेम्बर बैठे हुये हैं वे चाहते हैं कि उन सड़कों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय जिससे आमदनी बढ़ सके। जो प्राइवेट ट्रक्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय क्योंकि इससे अधिक आमदनी प्राइवेट लोग करते हैं। मैं समझता हूं कि इसको मानने के लिये काफी औचित्य है। मेरी गुजारिश है कि आप इस संशोधन को मान लें, लेकिन अगर दुर्भाग्य से इसे न मानें तो बहुमत से मेरी प्रार्थना है कि वह इस पर विचार करे।

श्रम मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब इस पर विवाद समाप्त किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब इस पर विवाद समाप्त किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय बनारसी दास जी इधर तशरीफ लाये थे जब इस पर विवाद हो रहा था। उनसे मैं सहमत था। अभी काफी लोग बोलना चाहते हैं किन्तु उसी बीच में गिलोटिन कर दिया गया और बहस बन्द हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष---अब तो वह हो गया।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---उपाध्यक्ष महोदय, अभी परिवहन विभाग के मंत्री ने कहा कि चूंकि ५ प्रति शत सदन ने मान लिया है इसलिये अब इस संशोधन का कोई अर्थ नहीं रहता है, मुझे इस सिलसिले में निवेदन करना है कि सरकार खंड ३ (२) के अन्तर्गत इतनी बड़ी ताकत अपने हाथ में ले रही है कि जिस दिन भी चाहे वह ५ से १५ प्रतिशत तक बढ़ा सकती है। इसमें कोई रुकावट नहीं है और न कोई मियाद है। ५ प्रतिशत तो केवल दिखावे के लिये है, हाथी के दांत दिखाने के और, और खाने के कुछ और होते हैं। असल में इनकी निगाह तो १५ प्रतिशत तक है जिससे वे जनता की गाढ़ी कमाई को नोच खसोट सकें। मैं अपने इस संशोधन को पास करने के लिये जो इतना 'इनसिस्ट' करता हूं उसका एकमात्र मतलब यही है कि अगर हमारा यह संशोधन सदन द्वारा मान लिया जाय तो इनको आगे कर बढ़ाने की कोई ताकत नहीं रहेगी अर्थात् जब चाहें ओवर नाइट १५ प्रतिशत तक बढ़ा दें और जनता को परेशान कर दें।

दूसरी बात के ब्योरे में जैसा माननीय चन्द्रजीत जी ने कहा, मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन इस बात को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पी०एस०पी० उन सभी प्रगतिशील कामों में मदद देने के लिये उद्यत रहेगी जिससे जनहित हो सके, गरीबों को राहत मिल सके। उसी उद्देश्य और मन्तव्य को मद्देनजर रखते हुये मैं आग्रह करता हूं कि आप हमारे राष्ट्रीयकरण की बात को मंजूर कर लें। आपको इस तरह के अधिकार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन थोड़े शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि हमारे इस संशोधन को सदन मान ले जिससे सरकार को यह अधिकार न हो कि वह ओवर नाइट १५ प्रतिशत तक बढ़ा दें और गरीब किसान-मजदूरों को जिनको रोटी नमक भी पाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है परेशान करदे। इसको मान लें तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना की सफलता में भी सहायक हो सकता है।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय परिवहन मंत्री जी।

श्री मुजफ्फर हसन---इस संबंध में मैं तो पहले ही अर्ज कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (२) की पंक्ति ३ में शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" के स्थान पर संख्या व शब्द '५ प्रतिशत' कर दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—माननीय हरिनाथ तिवारी अपना संशोधन पेश करें।

श्री मुजफ्फर हसन—श्रीमन्, कल इसी सदन में माननीय नेता सोशलिस्ट दल का एक संशोधन पेश हो कर गिर चुका है, वह खंड ३ को निकालने का था। यह दोनों संशोधन श्री हरिनाथ तिवारी और श्री रामसुन्दर जी के उसी को रिपीट कर रहे हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी—अभी तक उस प्रश्न पर कोई विचार ही नहीं हुआ है, मंत्री जी को समझने में भूल हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—यह १—कक तो गलती से छप गया है वह तो नहीं लिया जायगा, लेकिन हरिनाथ जी तिवारी का जो १—कक है वह कुछ भिन्न है, वह लिया जायगा, वह उसको चाहें तो मूव करें।

श्री हरिनाथ तिवारी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री मुजफ्फर हसन—श्रीमन्, खंड ३ के दो हिस्से हैं, एक में तो कर लगाने की बात कही गई है और दूसरा हिस्सा जो खंड ३ का दूसरा उपखंड है उस में १५ प्रतिशत तक बढ़ाने की बात कही गई है, यह दोनों बातें सदन में पेश हो चुकी हैं और इन पर सदन का फैसला हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष—कल उपखंड (१) निकाल दिये जाने के बारे में था .....

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १३९ की ओर खींचना चाहता हूं जिसमें संशोधनों के बारे में लिखा है। उसके दूसरे भाग में यह लिखा है कि जो संशोधन होगा सदन का जो निर्णय हो चुका है उसके विरुद्ध नहीं होगा। अभी जो केशरीप्रसाद पांडेय जी का संशोधन था दूसरी उपधारा के लिये कि उसे ५ प्रतिशत कर दिया जाय तो हाउस ने माना कि नहीं १५ प्रतिशत रहेगा। उससे आगे आप देखें कि संशोधन कोई इस प्रकार से नहीं होगा कि उस क्लाज को संशोधन के बाद में अबोध बना दे, या व्याकरण की दृष्टि से समझ में न आवे। अगर इनकी बात मान ली जाय तो जो संशोधन हमने स्वीकार किया है कि १५ प्रतिशत कर लगेगा उसके विरुद्ध यह संशोधन जाता है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—हमारे कानून के महापंडित श्री बनारसीदास जी जो प्रक्रिया नियमावली को हर समय लिये रहते हैं वे समझ ही नहीं पाते। अभी आपने एक निर्णय दिया था कि यह संशोधन भिन्न सा है। उसके बाद किस नियम के अन्तर्गत उनको प्रक्रिया नियमावली दिखाने की आवश्यकता पड़ गई, जरा मुझे बता दें। जब आप व्यवस्था दे चुके, उसके बाद प्रक्रिया नियमावली की क्या आवश्यकता रह गई ?

श्री उपाध्यक्ष—यह उपखंड (२) के बारे में है।

श्री बनारसीदास—आप निर्णय कर चुके हैं, जो तीसरा खंड है जितने संशोधन हैं पहले उनको ले लें तो उसमें और २, ३ उपखंड हैं। तो आपका निर्णय तीसरे खंड के बारे में हो चुका है। उसके बाद दूसरा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—तीसरे खंड का दूसरा उपखंड है जिसके बारे में यह संशोधन है ?

श्री बनारसीदास—उसी के बारे में कहा गया। दूसरा जो खंड है उसी में तो यह निर्णय हो गया कि १५ प्रतिशत रहेगा। तो आप इस संशोधन को निकाल दें।

श्री राधेश्याम शर्मा—जब आप निर्णय दे चुके तो बहस हो कैसे सकती है ?

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—श्रीमन्, जब आप निर्णय देते तो बनारसी दास जी नींद में रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--उसमें इसमें फर्क है इसलिये यह संशोधन पेश होगा।

***श्री हरिनाथ तिवारी** (जिला फैजाबाद)--श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "खंड ३ में उपखंड (१) की संख्या (१) निकाल दी जाय तथा उपखंड (२) पूरा निकाल दिया जाय। श्रीमन् खंड ३ का उपखंड (२) इस प्रकार है—

"(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, उस उपधारा के अधीन लगने वाले कर की दर बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि वह उक्त किराये के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हो जाये।"

हमारा संशोधन यह है कि "खंड ३ के उप खंड (१) की संख्या (१) निकाल दी जाय तथा उप खंड (२) पूरा निकाल दिया जाय।" बिल्कुल हटा दिया जाय। अभी बहस हो चुकी है कि ५ प्रतिशत रहे १५ प्रतिशत के बजाय। माननीय चन्द्रजीत यादव जी ने बताया कि सरकार को इतना अधिकार न देना चाहिये। जहां पर कर की वृद्धि हो रही है और ५ प्रतिशत के लिये जहां इतना विरोध हो रहा है वहां राज्य सरकार को इतना अधिकार दे दिया जाय कि वह १५ प्रतिशत कर लगा दे जब कि यह कुछ न हो कि साल भर बाद या कितने साल बाद इसको बढ़ायेगी। आज ऐक्ट पास हुआ कल से ही १५ प्रतिशत लागू हो जायगा ऐसा अधिकार देना उचित न होगा।

जहां तक कर का संबंध है इसका विरोध करते हुये संशोधन रखने से यह नहीं कि कर का विरोध नहीं हो रहा है, कर का विरोध तो सम्पूर्ण किया जा रहा है कि कर लगाना स्वतः अच्छा नहीं है। उधर सरकार की हमेशा यह धारणा रहती है कि जो भी काम किया जाय हर समय कर ही लगा कर के आगे का काम हो सकता है। किसी परिवार में कर्ता अगर अकुशल होता है यानी जुआरी होता है, शराबी होता है या अय्याश होता है तो उसके परिवार वालों को दुख होता है क्योंकि जो कुछ पैसा उसे मिलता है उसे वह फिजूल खर्ची में खर्च करता है। इसी तरह सत्तारूढ़ दल को करीब ३ अरब रुपये सालाना मिलते हैं और १५ साल से लगातार ३ अरब रुपये मिल रहे हैं और दो पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन प्रदेश में किसी प्रकार का विकास नहीं हो पाया है। गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है।

हमारी सत्तारूढ़ सरकार के लोग जब तक यहां बैठे रहते हैं तब तक तो यह समझते हैं कि देश में जनता बड़े आराम से रह रही है, लेकिन जहां कुर्सी से हटे तो वह लोग यही कहते हैं कि जो लोग मंत्री पद पर हैं बड़ी फिजूलखर्ची करते हैं। उन्हें सबक लेना चाहिये और जनता की राहत के लिये अपनी फिजूलखर्ची को कम करना चाहिये। आज एयर कंडीशंड रूम्स बन रहे हैं। विलायत से आये हैं जैसे इस आबोहवा में पहले ही नहीं हैं। अब इस समय एयर कंडीशंड रूम की जरूरत नहीं है। उस तरफ तो यह ध्यान नहीं देंगे जो अनावश्यक खर्चा वे अपने सुख और सुविधा के लिये बढ़ा रहे हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होता जा रहा है, उस तरफ विचार नहीं करेंगे क्योंकि जनता के ऊपर ७५ लाख रुपया टैक्स से और मिल जायगा। हमारे परिवहन मंत्री चाहते हैं कि ५ प्रतिशत से बढ़ा कर १५ प्रतिशत कर दिया जाय। ऐसा अधिकार दे दिया जाय कि कल को अगर वे चाहें तो बढ़ा दें। इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि कब बढ़ायेंगे? कोई प्रतिबन्ध होता तो बात उचित समझी जाती। फिर एक कर नहीं, एक कर के बाद दूसरे कर लाये जा रहे हैं। तो लगातार इन करों को बढ़ाना अनुचित होगा। मैं परिवहन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो ५ प्रतिशत वह बढ़ा रहे हैं और सदन ने उसे मंजूर भी कर लिया है वह उतने तक ही सीमित रह कर इस धारा को समाप्त कर दें।

श्री राधेश्याम शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से जो संशोधन पेश हुआ है उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि जब तक सरकार की तरफ से करों का सवाल इस सदन में चलेगा हमारी तरफ से और सरकार की तरफ से करीब-करीब वही बातें कही जायंगी जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

रोज बातें कही जाती हैं, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। सरकारी पक्ष की तरफ से कहा जाता है कि हम रोज पिटी-पिटाई बातें कहते हैं और हम कहते हैं कि सरकारी पक्ष की तरफ से रोज रोज लचर दलीलें दी जाती हैं। प्रश्न विचारणीय यह है कि जब हमारी तरफ से कोई सही बात कही जाती है तो यह कहा जाता है कि सदन का समय जाया किया जा रहा है। तो यह समस्या इस तरह से हल हो सकती है ? कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ है, उसके मंत्रिमंडल की बैठक होती है। जो बात वहां तय हो जाती है उसे सदन में वह लाते ही क्यों हैं ? फिर सदन का समय बरबाद नहीं होगा। जब हम उनकी इन भावनाओं को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी बात को सुनने तक की क्षमता सरकारी पक्ष में नहीं है।

श्रीमन्, यह ७५ लाख रुपये का टैक्स आज बढ़ रहा है, और भी नये नये टैक्स बढ़ते जायेंगे। वही घिसी पिटी बात हमारी और सरकारी पक्ष की तरफ से कही जायगी। मैं गाँव का रहने वाला हूं और शहर में शिक्षा पायी है। इसलिये मैं शहर और गाँव, दोनों की हालत समझता हूं। मध्यम वर्गीय जनता की जो हालत है वह सरकारी पक्ष से छिपी नहीं है और न हम लोगों से छिपी है। आज हालत यह है कि अगर किसी को देहात से मथुरा आना है तो दो दिन पहले से वह इन्तजाम करता है। गाँव वालों के पास बैंक बैलेन्स तो है नहीं। मुझे मालूम है कि यदि १ रुपया किराया लगता है और १४ आने पैसे तक वह इकट्ठा कर लेता है तो बाकी २ आने उधार माँगने के लिये वह कम से कम पचास घरों में जाता है। माननीय परिवहन मंत्री गाँव में चल कर वहाँ की हालत देखें। वह जिस क्षेत्र से आये हैं उसमें भी गाँव होंगे। वह गाँव का सर्वेक्षण करें और शहरों में भी मध्यमवर्गीय जनता को देखें। आज उनकी आर्थिक दशा कितनी खराब है। आपका स्वर्ग तो टैक्स लगा लगा कर बन जायगा, लेकिन इन्सान मर जायगा और जब इन्सान ही मर जायगा तो उस स्वर्ग में रहेगा कौन ? उसमें तो सिर्फ मंत्रिमंडल और काँग्रेस पार्टी के सदस्य ही रहेंगे। ८ करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व यदि आप को करना है तो जनता आपका स्वर्ग नहीं चाहती है बल्कि जनता को मार डाला जाय और तब स्वर्ग की रचना करें। जिस प्रदेश के अन्दर बेकारी, भुखमरी, गरीबी, जुल्म और भ्रष्टाचार रोज बढ़ते चले जायं और उसके बाद टैक्स की बौछार होती चली जाय तो गरीब जनता कहाँ से टैक्स दे पायेगी ? ये तो ५ और १५ की बात कर रहे हैं, मैं तो उन लोगों में से हूं जो एक नया पैसा भी नहीं बढ़ने देना चाहते। यह सरकार तो गुटबन्दी की सरकार है। माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकार जनता की चुनी हुई सरकार नहीं है। यह तो बाबू सम्पूर्णानन्द ने.....

श्री बंशीधर पांडेय—एक व्यवस्था का विषय है। माननीय सदस्य बोल रहे हैं विषय से विषयान्तर होकर। वे मंत्रिमंडल के पुराने और नये इतिहास पर बोल रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य संशोधन पर ही बोलें, खंड पर आ जायं।

श्री राधेश्याम शर्मा—खंड वाली ही बात है श्रीमन्, और क्या है ? आप ही देखिये बिना आपकी आज्ञा लिये खड़े हो गये।

श्री बंशीधर पांडेय—मैं एक बात आपसे निवेदन कर रहा हूं। हमारे नियम २५१ के अनुसार इनकी सारी बातें असंगत हैं, टैक्स के सम्बन्ध में नहीं हैं। सब मंत्रिमंडल के गठन और काँग्रेस पार्टी के इंटरनल डिसेन्शन्स के सम्बन्ध में बोल रहे हैं। और जो बातें कह रहे हैं वे सब हो चुकी हैं इसलिये इन्हें समाप्त कर देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—आप समाप्त कर दीजिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—मैं तो वही टैक्स की बात कर रहा हूं पर समझ में नहीं आता कि सत्य क्यों इतना कड़ुवा लगता है।

श्री उपाध्यक्ष—आपके सामने संशोधन यह है कि उप खंड (२) निकाल दिया जाय। आप इसी पर बोलिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—यह मैं समझता हूं बड़ी अच्छी तरह से। पढ़ कर आता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—इसी पर ही कहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—इसी पर कह रहा हूं। तो यह जो ७५ लाख का टैक्स लगने जा रहा है, जसा मैंने पहले कहा, मैं तो एक नया पैसा भी नहीं चाहता हूं। यदि आज सरकार और परिवहन मंत्री चाहें तो अपने विभाग में सुधार कर के वहाँ की फिजूलखर्ची को अगर रोक लें तो इनको टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। श्रीमन्, मुझे परिवहन विभाग की कठिनाइयाँ, वहाँ के मजदूरों की हालत और अधिकारियों की हालत मालूम है और जितनी फिजूलखर्ची इस विभाग में होती है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। उसकी शिकार सारी जनता होती है। हम चाहते हैं कि टैक्स लगाया जाय तो पहले विभाग की फिजूलखर्ची को रोका जाय। पहले फिजूलखर्ची रोकी जाय इसके बाद टैक्स लगाया जाय। टैक्स उन लोगों पर लगाया जाय जो देने के काबिल हों। लेकिन इस कर का भार गरीब लोगों के ऊपर पड़ेगा इसलिये मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को मान लिया जाय। मंत्री जी ७५ लाख रुपये के टैक्स को जनता के ऊपर न डालें और विभाग में ही फिजूलखर्ची कम करके काम चला लें। लेकिन बाद में यदि कठिनाई पड़ेगी तो समाजवादी पार्टी कभी पीछे रहने वाली नहीं है। जब प्रदेश के निर्माण का सवाल हमारे सामने है तो हम किसी से पीछे नहीं रह सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं कि अब विवाद समाप्त किया जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा—श्रीमन्, अभी तो केवल दो ही भाषण हुये हैं और विवाद समाप्त करने का प्रस्ताव हो गया।

श्री उपाध्यक्ष—मैं चाहता हूं कि सही बात कही जाय, जिन बातों से ताल्लुक है। वैसे तो बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मतलब की बात कही जाय। यदि लम्बी स्पीचेज नहीं करेंगे तो मैं ४, ५ स्पीचेज होने दूंगा।

श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—श्रीमन्, अभी आपने कहा है कि ४।५ स्पीचेज एलाऊ करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—जी हाँ, हर संशोधन पर २० मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिये।

श्री बनारसीदास—उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि चन्द्रजीत जी आदि साथियों से बातचीत हुई थी कि इस बिल के लिये दो दिन का समय होगा। यदि एक एक संशोधन पर ४, ४ स्पीचेज होंगी और जिनमें पुनरावृत्ति हो तो बड़ी दिक्कत होगी। इसलिये श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि जब तक यह खत्म न हो, सदन बैठे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मंत्री जी ने कहा है कि बिजिनेस कमेटी में यह तय हुआ है . . .

श्री बनारसीदास—श्रीमन्, मैंने यह नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष—मैं एक समझौते की बात कहूं। छोटे संशोधनों पर उतनी ही बात कहें जितनी कहनी चाहिये। अगर स्पीचेज लम्बी नहीं करेंगे तो ४ तक मैं एलाऊ कर दूंगा।

श्री राधेश्याम शर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं निहायत अदब से पूछना चाहता हूं कि आपने अभी निर्णय दिया कि इस पर बहस होने दूंगा। फिर माननीय बनारसीदास जी ने यह प्रश्न क्यों उठाया, किस नियम के अन्तर्गत उठाया? वह लोग आपकी व्यवस्था नहीं मानते।

श्री उपाध्यक्ष—तो जब दोनों तरफ से बात होगी तब होगा ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—मेरे प्रश्न पर निर्णय नहीं हुआ ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे साथी तिवारी जी ने जो संशोधन उपस्थित किया है उसका मैं समर्थन करता हूं । मैं बोलना नहीं चाहता था क्योंकि परिवहन मंत्री हमारे जिले और शहर के हैं । पर मुझे इस लिये बोलना पड़ा क्योंकि इसमें जो ७५ लाख रुपये की आमदनी की जा रही है वह केवल यात्रियों से की जा रही है । जो बस या ट्रक के मालिक हैं, उनका क्या योगदान है इस पंचवर्षीय योजना में माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे दें तो मैं कम से कम संतुष्ट हो जाऊंगा । आप यात्रियों से तो ले रहे हैं जो तीसरे दर्जे में सफर करते हैं, लेकिन जो बस और ट्रक के मालिक हैं उनसे नहीं । आपने मोटर साइकिल पर कर बढ़ा दिया, प्राइवेट कार पर बढ़ा दिया, लेकिन परिवहन मंत्री की दृष्टि से बस और ट्रक वाले कैसे छूट गये ? इस पंचवर्षीय योजना में उनका योगदान क्यों नहीं लिया जा रहा है ? यह बात समझ में नहीं आती । आप चाहते हैं कि गजट में प्रकाशित कर दें । सदन के सामने न आना पड़े और १५ परसेंट बढ़ा दें । ऐसा अधिकार तो उचित नहीं प्रतीत होता । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि आप इसको वापस ले लें । जब १५ परसेंट बढ़ाने की ज़रूरत पड़े तो सदन के सामने ले आइये । सदन अनुमति दे सकता है ।

दूसरा अनुरोध यह है कि इसको बढ़ाने का केवल एक औचित्य है पंचवर्षीय योजना का । दूसरा औचित्य नहीं है । परिवहन विभाग में जो सिटी बस सर्विस है उसमें आध आध घंटा रुकना पड़ता है । सीटें फट गयी हैं । अगर आप अपनी अच्छाई पर कर बढ़ाते, तो बात समझ में आती । रोडवेज में सर्विस बहुत कम है, आपने केवल पक्की सड़कें ले रखी हैं । देहात में सुदूर मार्गों में बस नहीं है । इसलिये मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि उनके पास और रास्ते हैं, अगर वह राष्ट्रीयकरण कर दें और जिस रूट पर दो बसेज चलती हैं उस पर दो चार और चलने दें, कम्पटीशन हो तो इस तरह से उनकी ७५ लाख की आमदनी बढ़ सकती है और यात्रियों पर से कर हट सकता है ।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि अगर आप किराये में पाँच प्रतिशत कम कर दें, १०० पैसे को ९५ पैसे कर दें और उस पर पाँच प्रतिशत बढ़ायें और वह पाँच प्रतिशत उस बस के मालिक से वसूल किया जाय तो उससे यह लाभ होगा कि आपका धन भी आ जायगा जितना ७५ लाख आप चाहते हैं और यात्रियों पर टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा । मैं आशा करता हूं कि परिवहन मंत्री जी इन बातों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगे ।

श्री विजयसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय तिवारी जी ने रखा है, उसके समर्थन में मैं विशेष रूप से खड़ा हुआ हूं । पहले भी मैंने विरोध किया था और कहा था कि बिल के सेक्शन ३ में ५ परसेंट से कम करके ढाई परसेंट कर दिया जाय तो माननीय सदस्यों ने कहा था कि पाँच परसेंट ही बढ़ाने से सरकार का मंशा पूरा हो सकता है । लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लाज को पढ़कर जिसके डिलीट किये जाने का संशोधन उपस्थित है ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तलवार से किसी व्यक्ति की रक्षा की जाती है उसी से उसका गला नहीं काटना चाहिये । आज इस खंड द्वारा यह अधिकार सरकार को हो जायगा कि १५ परसेंट तक सरकार कर लगा सकेगी । जैसे रेलवे वालों ने साढ़े बारह परसेंट बढ़ा दिया वैसे ही अगर यह सरकार भी १५ परसेंट बढ़ा देगी तो यह बहुत बड़ी अनधिकार चेष्टा हो जायेगी, सब गरीब जनता इससे परेशान हो जायेगी । अगर टैक्स बढ़ाना ही है तो चाहे आप सेंट परसेंट ही क्यों न बढ़ा दीजिये यानी डबुल कर दीजिये, लेकिन वह उन बड़े-बड़े ट्रक रखने वाले मालिकों या बसों के मालिकों पर लगाइये । ऐसा टैक्स न लगाइये जिसका बोझ गरीब जनता पर पड़े । इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह १५ परसेंट वाला क्लाज निकाल दिया जाय ।

*श्री हरिनाथ तिवारी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी और वक्ताओं ने बताया है कि इसके उद्देश्य में भी यह नहीं था कि हम १५ परसेंट तक बढ़ायेंगे और ऐक्ट में रखा गया है कि हम १५ परसेंट तक बढ़ा सकते हैं। जब पाँच परसेंट के लिये इतना विरोध हुआ है और सुझाव भी दिया जा रहा है कि आखिर बसों के मालिक क्यों अछूते रह रहे हैं, ट्रकों के मालिक क्यों अछूते रह रहे हैं....

श्री बंशीधर पांडेय—व्यवस्था का प्रश्न है कि किसी ने इनका विरोध तो किया नहीं तो जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री हरिनाथ तिवारी—जब उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे काल कर लिया है, तो आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—देखिये पाँडेय जी, छेड़िये मत तो जल्दी हो जायगा। (श्री हरिनाथ तिवारी से) और आप देखिए कोई नयी बात न कहिये, जो बात कही गई है उसी का जवाब दीजिये।

श्री हरिनाथ तिवारी—तो यह समझा जाय कि कोई विरोध नहीं कर रहा है, इसके मानी यह हैं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर रहे हैं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बता रहा था कि जो यह ७५ लाख रुपये का कर केवल यात्रियों द्वारा गरीब जनता से वसूल करने की बात है उसके लिये इधर के कई सुझाव रखे गये और यदि माननीय मंत्री जी उन सुझावों पर चलें और जैसा अभी हमारे एक मित्र ने बताया कि किराया पाँच परसेंट घटाकर ५ परसेंट मालिकों पर लगा लें तो भी काम चल सकता है,लेकिन अगर यही तय कर लिया है कि नहीं, कर हमें लगाना ही है, गरीबों का खून चूसना ही है, तो यह उनके अधिकार में है, उनका बहुमत है, जो चाहें कर सकते हैं। इसलिये मैं तो माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इसको वह मान लें।

श्री मुजफ्फर हसन—सूरत यह है कि मैं बतौर परिवहन मंत्री के यह अर्ज कर सकता हूं कि आपरेशन के कास्ट में जो वृद्धि हो रही है और हर चीज में जो इजाफा हो रहा है उसमें इसकी गुंजायश बहुत कम है। कई रूट्स तो ऐसी हो सकती हैं कि उनका चलाना अनएकोनामिक हो जाय। इसलिये मैं इस अमेंडमेंट को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) की संख्या (१) निकाल दी जाय तथा उपखंड (२) पूरा निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २ (क्रमागत)†

श्री हरिनाथ तिवारी—अपने संशोधन के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं...

श्री मुजफ्फर हसन—इसमें मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि रामसुन्दर जी का अमेंडमेंट इसी मकसद के लिये था कि टैक्सीज के ऊपर भी टैक्स लगाया जाय। वह संशोधन यहाँ पर हाउस में गिर चुका है और यह अमेंडमेंट भी उसी काम के लिये है। इसलिये इसको पेश नहीं होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†२१ अगस्त, १९६२ की कार्यवाही से।

श्री हरिनाथ तिवारी—मेरा यह संशोधन भी उसी तात्पर्य के सम्बन्ध में है। चूंकि वह गिर चुका है इसलिये मैं इसको पेश नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

कर से मुक्ति

४—राज्य सरकार, गजट में विज्ञापित आज्ञा द्वारा ऐसी शर्तों (यदि कोई हों) पर जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जायें, किसी अन्तर्राज्यिक मार्ग पर यात्री-गाड़ी में ले जाये जाने वाले अथवा किसी ऐसी यात्री-गाड़ी में, जो किसी शैक्षिक, चिकित्सीय, लोकोपकारी या इसी प्रकार के अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिये चलायी जाती हों, आने-जाने वाले यात्रियों को कर का भुगतान करने से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।

***श्री कृष्णानन्द राय**—मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से इस विधेयक में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाये :—

"४—राज्य सरकार गजट में विज्ञापित आज्ञा द्वारा ऐसी शर्तों (यदि कोई हों) पर तथा ऐसी अवधि के लिये जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाये—

(क) किसी अन्तर्राज्यिक मार्ग पर यात्री-गाड़ी में ले जाये जाने वाले अथवा किसी ऐसी यात्री-गाड़ी में जो शव ले जाने के लिये किसी शैक्षिक, चिकित्सीय लोकोपकारी या इसी प्रकार के अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिये चलाई जाती हो ले जाये जाने वाले यात्रियों को कर का भुगतान करने से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।

(ख) धारा १४, १५, १६ और १७ तथा धारा २२ की उपधारा (१) के खंड (स) के सभी अथवा किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से—

(१) किसी अन्तर्राज्यिक मार्ग पर चलने वाली यात्री-गाड़ी को मुक्त कर सकती है, यदि किसी अन्य राज्य से हुये पारस्परिक अनुबन्ध को कार्यान्वित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो;

(२) किसी ऐसी यात्री-गाड़ी को मुक्त कर सकती है जिसके सम्बन्ध में कर की धनराशि के बदले में एक मुश्त धनराशि स्वीकार कर अनुबन्ध हो गया हो।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन ऐसा है कि हमको विश्वास है कि इस पर कोई विवाद नहीं होगा और हमारे विरोधीदल के आदरणीय सदस्य भी इसको स्वीकार कर लेंगे। केशरी प्रसाद जी पांडेय ने कहा था कि सरकार जो है वह योजनाओं को शवों पर चलाना चाहती है। हमने जो संशोधन रखा है उसमें यह कहा गया है कि शव को ले जाने वाली गाड़ी को कर से मुक्त कर दिया जाय जिससे लोगों को जो भ्रम है वह दूर हो जाय। हमारे संशोधन को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें यह लिखा है कि शव ले जाने वाली गाड़ी पर, जो उसके अन्दर यात्री बैठते हैं, यह सरकार को अधिकार दिया जाय कि उस गाड़ी को कर से मुक्त कर दे। जो बाद की धारा १४, १५, १६ आदि हैं वह कुछ रजिस्ट्रेशन, प्रपत्र, लेखा-जोखा, विवरण सरकार को उपस्थित करने के सम्बन्ध में हैं। उसमें कुछ व्यावहारिक कठिनाई है। उसी बेसिस पर एक मुश्त कर निर्धारित करने के विधेयक में कुछ नियम दिये हुए हैं। बहुत से अन्तर्राज्यिक मार्ग हैं। उन दूसरी स्टेट से पारस्परिक अनुबन्ध को कार्यान्वित किया जा सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभी धारायें रजिस्ट्रेशन, प्रपत्र, लेखा-जोखा की लागू हो जाती हैं जैसा कि पहले विधेयक में है तो इससे व्यावहारिक कठिनाई होगी। इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि इस संशोधन के द्वारा राज्य सरकार को यह अधिकार मिलेगा कि वह शिक्षा, चिकित्सा और शव ले जाने के लिये जो गाड़ी काम में आती हैं उनको कर से मुक्त किया जा सके और यह सदन इस को स्वीकार करेगा।

श्री मुजफ्फर हसन—मैं इसको मन्जूर करता हूं।

***श्री राधेश्याम शर्मा**—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भाई कृष्णानन्द राय जी का संशोधन इतना है कि इसको मान लेने से इनकार नहीं परन्तु मैं इसका कुछ राजनीतिक विश्लेषण करना चाहता हूं। वह यह है कि जब ७५ लाख का कर लगाया गया तो हमारे संशोधन इतने बढ़िया होते हुए भी नहीं माने गये। प्रदेश का मध्यम वर्ग जो है उस पर जब कर-भार पड़ ही गया तो फिर कांग्रेस सरकार क्यों इसरार करती है कि शव ले जाने वाली गाड़ियों पर कर न लगे? मेरा एक अजीब दृष्टिकोण है और मैं यह चाहूंगा कि यह कलंक का टीका भी कांग्रेस सरकार ले ले और शव ले जाने वाली गाड़ियों पर भी कर ले ताकि प्रदेश का जनमत उसके विरुद्ध उभरे और जनता सरकार को अपदस्थ करे और फिर समाजवादी विचारधारा का स्रोत फूटे। इसलिये मैं न चाहते हुए भी चाहता हूं कि इस संशोधन को न माना जाय और शव ले जाने वाली गाड़ियों पर सरकार अवश्य टैक्स लगाये ताकि हमको जनता में कहने का मौका मिले कि हमने तो सारे टैक्स को मना किया था, लेकिन सरकार ने नहीं माना और जब जनता को मालूम पड़ेगा कि सरकार ने शव ले जाने वाली गाड़ियों पर भी टैक्स लगाया है तो अवश्य यह सरकार अपदस्थ होगी। इसलिये कांग्रेस सरकार की कब्र खोदने के लिये चाहता हूं कि यह संशोधन न माना जाय और मेरा दृढ़ मत है कि राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर इस टैक्स को जरूर लगाया जाय। तभी समाजवादी दृष्टिकोण लोगों में पैदा होगा और यह कांग्रेस की मर्यादा के अनुकूल होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, जो मूल धारा है उसमें और माननीय राय जी के संशोधन में, मेरे खयाल में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके कि वह धारा ४, ५ लाइन में है और यह १५, २० लाइन में है। जिन शब्दों का जहां-जहां प्रयोग किया गया है उसमें, वैसा ही इसमें है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि अगर सरकार कुछ अच्छा काम भी करे तो भी उसकी निन्दा की जाय। शिक्षा, चिकित्सा और शव के लिये प्रयुक्त होने वाली गाड़ियों पर कर नहीं लगना चाहिये और यह एक सर्वमान्य सिद्धांत होना चाहिये, लेकिन मुझे एक शंका है। मैं चाहूंगा कि कृष्णानन्द जी या परिवहन मन्त्री जी उसकी सफाई करें। एक शब्द इसमें आया है लोकोपकारी। यह शब्द बहुत व्यापक है, हाथी के पांव जैसा। जो अधिकारी होगा या सरकार जिसको चाहेगी, उसे लोकोपकारी कह देगी। मैं समझता हूं कि इसकी सफाई नियमों में होना चाहिये कि वह कौन-कौन से काम हैं जिनको सरकार लोकोपकारी समझती है। इसमें बहुत मायाजाल है और इससे बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है।

दूसरी बात यह निवेदन करूंगा कि वह चाहते हैं कि अन्तर्राज्यिक मार्ग पर भी छूट हो। इसे मैं मान सकता हूं कि मेरठ का रहने वाला व्यक्ति अगर बिहार जाता है तो उसको ज्यादा किराया भी लगेगा और उसको छूट देने की बात भी हो सकती है, लेकिन जरा कृष्णानन्द जी बतावें कि बलिया, गाजीपुर, देवरिया और भाटपार रानी का रहने वाला व्यक्ति शादी व्याह के लिये बिहार गाड़ी से जाय तो क्या होगा।

श्री कृष्णानन्द राय—उसे टैक्स देना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पांडेय—तो इसमें कहां लिखा हुआ है? आप के संशोधन में भी नहीं है और इस धारा में भी नहीं है। तो इसकी सफाई होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

लोकोपकारी शब्द है उसी में यह उपधारा आ सकती है। इससे अलग से लाने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं समझ पाया कि हमारे माननीय मन्त्री जी ने इसे बिना समझे, बिना पढ़े स्वीकार कैसे कर लिया। यह ताज्जुब की बात है। मैं समझता हूं कि इस समय जो संशोधन है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और जो मूल धारा है, उसका हम विरोध करते हैं। इसमें जो लोकोपकारी और अन्तर्राज्यिक शब्द दिये हुए हैं और कुछ के लिये छूट भी दी है माननीय कृष्णानन्द राय के संशोधन में, इसके सम्बन्ध में कर की एक मुश्त धनराशि स्वीकार कर ली जाय। वह भी मेरे खयाल में एक घपला ही है। लोगों को जो छूट की बात इस में है, वह जिसको चाहें दे दी जायगी, सरकार जिसको चाहेगी देगी। यह हम जानते हैं कि हमको यह वह नहीं मिलने वाली है। वह आपके लोगों को मिलेगी। इसलिये मैं कहूंगा कि इस तरह की धारा नहीं होनी चाहिये। कोई चमार थोड़े ही जायगा कि हमें छूट दे दी जाय। वह तो आपके खास आदमियों के लिये ही छूट का बहाना रहता है। उन्हीं को आप देते हैं।

मैं आपके माननीय नवल किशोर जी से कहता हूं कि वे हमारी मदद करें। जब वे प्राक्कलन समिति के संयोजक थे तो उन्होंने कहा था कि हम लोग १६ करोड़ रुपये की बचत कर सकते हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह क्यों नहीं बचत करती है? पर सरकार कहती है कि उलटे हानि हो रही है और वह उसके लिये टैक्स लगाने जा रही है। आप हम को अधिकार नहीं देते। इसमें आपने १५ फीसदी का भी अधिकार ले लिया है। आप केवल गजट में प्रकाशित करवा कर के अपना काम पूरा समझते हैं। इस तरह का प्रतिवेदन करते हैं। इसकी मूल धारा का मैं विरोधी हूं। मैं यही कहूंगा कि यह खतरनाक है। गरीब लोगों के लिये यह एक बड़े अहित की चीज है। उनको इससे बचाने के लिये मैं इस का विरोध करता हूं।

*श्री लखीसिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पर बोलना ही नहीं चाहता था, लेकिन जब सुनते-सुनते मैं परेशान हो गया हूं तो मुझे बोलना पड़ा। आखिरकार सरकार को कुछ टैक्स लगाने की बीमारी है जैसे कि तपेदिक की बीमारी होती है। मैं परिवहन मन्त्री जी से कहूंगा कि वे पहले जरा रोडवेज की गाड़ियों की हालत तो देखें। यह मैं मानता हूं कि जिस क्षेत्र से आता हूं वहां की गाड़ियों की हालत बहुत अच्छी है जैसे पंजाब और राजस्थान की। वहां कर लगाये जाते हैं तो वह लोग खुशी से उसको वहन कर लेते हैं। पर यहां की स्थिति दूसरी है।

कोई सरकार हो, चाहे वह कम्युनिस्ट की सरकार हो और चाहे वह सोशलिस्ट की सरकार हो पर वह सरकार कर लगाये बिना नहीं चल सकती है। लेकिन आप यह पहले कर लगाने के बताइये हमें कि आप कौन सी सुविधा दे रहे हैं जिसके बदले में आप कर लगाने जा रहे हैं? आपकी इतनी खराब गाड़ियां हैं, इतनी खराब सड़कें हैं रोडवेज की कि उसमें शरीफ आदमी नहीं बैठ सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया विषय पर ही रहें।

श्री लखीसिंह---मैं विषय पर ही रहूंगा। मुझे तो आश्चर्य है कि अब परिवहन मंत्री भी कर लगाने की बात करने लगे। इस सरकार में तो केवल अब हाय कर, हाय कर की बात रह गई है। आप कहते हैं कि शव की गाड़ियों पर कर नहीं लिया जायगा। आपने इसके लिये कर मुक्त कर के बड़ा भारी मालूम पड़ता है जग जीत लिया। बड़ी खुशी की बात है। यह सरकार देखे कि एक तरफ तो लोग बाढ़ से मर रहे हैं डूब, रहे हैं, भूखों पेड़ पर लटके हुये तड़प रहे हैं। तो क्या वे शव के समान नहीं हैं? वे सिसक रहे हैं और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप यहां विलासिता में जीवन बिता रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी मोटरों में बैठते हैं, हवाई जहाजों में सफर करते हैं, बड़ी ऐयाशी की जिन्दगी बिता रहे हैं। पर क्या उस गरीब जनता की भी आपको कुछ फिक्र है जिस पर आप टैक्स पर टैक्स थोपते चले जा रहे हैं? आप तो केवल हाय कर और हाय कर ही चिल्ला रहे हैं। इस वजह से मैं इसका घोर विरोध करता हूं। आखिर आप कितने कर लगायेंगे? उसकी कोई सीमा भी होगी? बिक्री कर, आबपाशी कर, बच्चे पर कर, मौत पर कर, यात्रा पर कर, कितने कर आप लगायेंगे? ठीक है, जैसा कि राधेश्याम जी ने कहा है, ज्यों-ज्यों आप कर लगायेंगे त्यों-त्यों जनता में आपकी निन्दा होगी।

(श्री कमलासिंह यादव के बुलाये जाने पर)

एक सदस्य—हम कितनी ही सही बात कहें उधर से उसका विरोध होगा ही। एक मिनट में १० रुपये खर्चा आता है।

*श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, आपने मुझे बुलाया है और यह बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृष्णानन्द राय जी का जो संशोधन है, उसके आखिरी हिस्से का मैं विरोध करता हूं। इस सरकर का कानून कभी कुछ है तो कभी कुछ है। इस प्रदेश के अन्दर पहले सरकार ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर एक इंटरमीडियरी को पैदा किया था उसी तरह इस संशोधन के आखिरी हिस्से को पास करके एक दूसरा इंटरमीडियरी पैदा किया जा रहा है। वह हिस्सा इस प्रकार है "किसी ऐसी यात्री गाड़ी को मुक्त कर सकती है जिसके संबंध में कर की धनराशि के बदले में एक मुश्त धनराशि स्वीकार कर अनुबन्ध हो गया हो।" इसके अनुसार इनके कहने पर अगर कोई भी आदमी इनको एक मुश्त रकम दे देगा तो उसको आजादी हो जायेगी कि वह चाहे जितना कर यात्रियों से वसूल करे। इसकी तह में अगर आप जायेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी। यात्रियों पर आप कर लगायेंगे, किन्तु अगर कोई एक मुश्त रकम दे देगा तो आप उसको यह छूट दे देंगे कि वह कितना ही पैसा यात्रियों से वसूल करे क्योंकि वह कोई एकाउन्ट तो रखेगा नहीं। हां, अगर आप ऐसा करते कि एक मुश्त रकम देने के बाद वह कोई कर यात्रियों से नहीं वसूल करेगा तो यह ठीक था, हम इसको स्वीकार करते। मगर ऐसा नहीं है। एक मुश्त रकम लेकर आप उसको मनमानी करने की इजाजत दे देंगे। इसलिये इस चीज को अगर इस संशोधन से निकाल दिया जाता है तो ठीक रहेगा। आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

एक बात और कहना है। एक तरफ आपका कहना है कि ज्यादा से ज्यादा रुपया मिले, दूसरी तरफ अगर कोई इकट्ठी रकम देता है तो आप उसको कर वसूल करने की आजादी दे देते हैं। बसों में ऐसे भी आदमी चलते हैं जो टिकट नहीं लेते और मुफ्त चलते हैं। इस तरह से वह पचासों रुपये वसूल कर सकते हैं। फिर, अगर एक मुश्त थोड़ा सा रुपया देकर बस वालों को छूट मिल जायेगी तो नतीजा यह होगा कि वह अपना पेट तो भर लेगा, लेकिन जनता पर जो टैक्स है वह बराबर जारी रहेगा और इसका बड़ा दुष्परिणाम होगा। इसलिये इस विषय पर अवश्य ध्यान दिया जाय कि पांच परसेंट कर को वसूल करने के लिये अगर उनको छोड़ दिया जाय तो कितने दिन तक वसूल करेगा? मेरा यही कहना है कि इस संशोधन को निकाल कर अगर पास करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री बंशीधर पांडेय—मेरा प्रस्ताव है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री कृष्णानन्द राय—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हालांकि मेरे संशोधन पर वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कुछ आदरणीय सदस्य सदन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

में कुछ जीवन चलता रहे, इसलिये कोई बात कहा करते हैं। समाजवादी भाई तो क्रोध में इतना विवेक खो दिये हैं कि एक मित्र ने कहा कि शव ले जाने वाली गाड़ी को भी कर से मुक्त करना वह पसन्द नहीं करते, सरकार कर लगावे ताकि वह समाप्त हो जाय। लेकिन सरकार इतने विवेक से कदम उठा रही है कि उनकी यह इच्छा पूरी नहीं होगी।

रामसुन्दर पाँडेय जी का कहना है कि हमारे संशोधन में ठीक वही शब्द हैं जो विधेयक में हैं। तो आप देखेंगे कि शैक्षिक आदि गाड़ियों पर कर मुक्ति के साथ शव ले जाने वाली गाड़ी के सम्बन्ध में शब्द नहीं हैं। इसको रखने से एक मनोवैज्ञानिक महत्व की बात होगी, इसलिये स्पष्टतया अंकित कर दिया गया। कमलासिंह जी और रामसुन्दर जी को भ्रम हो गया कि एक मुश्त में कर नियत कर देने से हम एक नया इण्टरमीडियरी क्रिएट कर रहे हैं कर मुक्ति के लिये। ऐसा नहीं है। बसेज और ट्रक्स की जितनी सीट्स का रजिस्ट्रेशन होता है उसी के हिसाब से अगर एक मुश्त कर तय हो जाय और यात्रा कर दे दें तो लेखा-जोखा के झंझटों से छुट्टी मिल जायगी। इसलिये कठिनाई दूर होने के साथ-साथ वह तो बन्धन में बांधे जा रहे हैं, मुक्त नहीं हैं। प्रजा समाजवादी मित्र तो भ्रम में बातें करते हैं। इन शब्दों के साथ में पुनः इस संशोधन को स्वीकृति के लिये रखता हूं।

श्री मुजफ्फर हसन---मैं तो इसे मन्जूर कर चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ४ के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जाय---

"४---राज्य सरकार गजट में विज्ञापित आज्ञा द्वारा ऐसी शर्तों (यदि कोई हो) पर तथा ऐसी अवधि के लिय जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय---

(क) किसी अन्तर्राज्यिक मार्ग पर यात्री-गाड़ी में ले जाने वाले अथवा किसी ऐसी यात्री गाड़ी में जो शव ले जाने के लिये किसी शैक्षिक, चिकित्सीय, लोकोपकारी या इसी प्रकार के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये चलायी जाती हो ले जाये जाने वाले यात्रियों को कर का भुगतान करने से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।

(ख) धारा १४, १५, १६ और १७ तथा धारा २२ की उपधारा (१) के खंड (स) के सभी अथवा किसी उपबन्ध के प्रवर्तन से---

(१) किसी अन्तर्राज्यिक मार्ग पर चलने वाली यात्री-गाड़ी को मुक्त कर सकती है, यदि किसी अन्य राज्य से हुये पारस्परिक अनुबन्ध को कार्यान्वित करने के लिये ऐसा करना आवश्यक हो,

(२) किसी ऐसी यात्री-गाड़ी को मुक्त कर सकती है जिसके सम्बन्ध में कर की धन-राशि के बदले में एक मुश्त धनराशि स्वीकार कर अनुबन्ध हो गया हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---१२१,

विपक्ष में---४६।)

श्री बंशीधर पांडेय---श्रीमन्, मेरा एक प्रस्ताव है कि आज सदन का समय २ घंटे के लिये बढ़ाया जाय।

एक सदस्य---५ बजे बाद दूसरा प्रश्न है इसलिये मुश्किल है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—श्रीमन्, मेरा प्रस्ताव है कि आज रात भर का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं माननीय बंशीधर जी के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अगर बहुत बड़ी समस्या होती या कोई विशेष बात होने जा रही होती, कोई बड़ा नुकसान होने वाला होता, तब तो कोई बात भी थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। इस के अलावा आप देखेंगे कि एजेंडे में १५ नम्बर पर २ घंटे का विवाद है और उसके बाद १६ नम्बर पर एक और आधा घंटे का विवाद है। समझ में नहीं आता कि माननीय बंशीधर जी ने इस एजेंडे को पढ़ा भी है अथवा नहीं। इस प्रकार इस एजेंडे में ही साढ़े सात बजे तक है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं एक सूचना दे दूं। आइटम नम्बर १५ और १६ आज मुल्तवी किये जा रहे हैं। १६ वाँ आइटम २७ तारीख को लिया जायगा और १५वाँ आइटम २८ तारीख को लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं इस प्रस्ताव का ही विरोधी हूं। अगर वे चाहते हैं कि विचार-विनिमय हो, कुछ अक्ल उनको मिले तो उनको सदन का समय नहीं बढ़ाना चाहिये।

***श्री चन्द्रजीत यादव**—यह बात सही है कि इस सदन की इस समय कोई कार्य संचालन समिति नहीं है जिसमें बैठकर हम कार्य का बटवारा करें। माननीय बनारसीदास जी आये थे और उनसे हमने कहा था कि इसके लिये एक दिन बहुत कम है, यह कर बढ़ाने वाला प्रस्ताव है इसके लिये कम से कम दो दिन अवश्य होने चाहिये। वह इससे उस वक्त सहमत हो गये, लेकिन इसी बीच में कल और आज कुछ ऐसे आवश्यक काम आ गये जिनमें सदन का बहुत सा समय निकल गया। आज ही विशेषाधिकार के प्रश्न पर बहुत सा समय चला गया और उसकी वजह से बहुत से लोगों को आज बिना खाना पीना खाये यहाँ बैठे रहना पड़ा। मैं समझता हूं ७ बजे तक बैठा रहना बड़ा मुश्किल होगा जबकि लंच और चाय आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको आज न लिया जाय और दूसरे बिल के साथ में दूसरे दिन इसको ले लिया जाय।

***गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय चन्द्रजीत जी और रामसुन्दर जी ने जो बातें कहीं उनको सुनकर मुझे परेशानी यह हुई कि आज के एजेंडे में आइटम नम्बर १५, पाँच बजे से ७ बजे तक था और उसके बाद दूसरा आइटम आधा घंटे का है, इस प्रकार से यह सदन साढ़े सात बजे तक बैठेगा, ऐसा इस हाउस में बैठने वाले माननीय सदस्यों को पहले से ही मालूम था। लेकिन किसी कार्यवश १५वें और १६वें आइटम आज हट गये हैं। उस ढाई घंटे के टाइम में से दो घंटे अगर हम इस्तेमाल कर लें तो अच्छा होगा।

एक सदस्य—जल्दी क्या है ?

श्री नवलकिशोर—जल्दी इसलिये है कि एक दिन में असेम्बली में टैक्स पेयर्स का कितना खर्च होता है उसका भी थोड़ा सा अन्दाजा विरोधी दल के सदस्यों को होना चाहिये, क्योंकि बाहर अक्सर इस तरह की बातें होती हैं और गरीब इंसान के बच्चों की दुहाई दी जाती है। अगर हम इस तरह से एक दिन बचा लेंगे तो टैक्स पेयर का पैसा भी बच जायगा। माननीय चन्द्रजीत जी बहुत समझदार व सीधे आदमी हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वे इस प्रस्ताव को मान लेंगे। इसमें कोई अन्याय की बात नहीं है और ऐसी कोई चेष्टा नहीं है कि ख्वाहमख्वाह आप लोगों को देर तक बैठाया जाय। हम तो चाहते हैं कि साढ़े सात के पहले ही काम खत्म करके आप ७ बजे ही उठ जाँय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राधेश्याम शर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आदरणीय मन्त्री नवलकिशोर जी की बात सुनी। जहाँ तक समय बढ़ाने की बात है, सरकार अर्थशास्त्र के विद्वानों का पैमाना यहाँ लाना चाहती है कि सदन पर एक दिन में कितना खर्च होता है। मैं तो इस विचार का हूं कि आज पूरी रात सदन बैठे। इसके लिये सोशलिस्ट पार्टी तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। जहाँ तक सदन का समय दो घंटे बढ़ाने की बात है, मेरी समझ में नहीं आता इससे फजूलखर्ची रुक जायगी और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आमदनी भी बढ़ जायगी। यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया है, लेकिन अगर सदन का समय ५ मिनट के लिये भी बढ़ाने का प्रस्ताव हमारी तरफ से आता तो उसे सरकार कभी नहीं मान सकती थी। मुझे इस बात का बहुत ही दुख है। मेरा प्रस्ताव है कि आज सदन रात भर बैठे।

श्री उपाध्यक्ष—अभी मैं अपनी तरफ से १५ मिनट के लिये सदन का समय बढ़ाता हूं इसलिये कि कार्यवाही रोकनी न पड़ जाय। अब मैं प्रस्ताव रखता हूं।

प्रश्न यह है कि आज सदन का समय २ घंटे के लिये बढ़ाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राधेश्याम शर्मा—मान्यवर, माननीय काशीनाथ जी का प्रस्ताव है कि आज रात भर सदन बैठे और माननीय नवलकिशोर जी ने उसका समर्थन भी किया, तो इस पर आप सदन की राय ले लें ताकि मालूम पड़ जाय कि असलियत क्या है।

श्री उपाध्यक्ष—आप कृपया बैठ जायें।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं माननीय नवलकिशोर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों के लिये तो साढ़े ७ बजे तक बैठने के लिये कहा जा रहा है और माननीय मुजफ्फर हसन साहब चले जा रहे हैं। मन्त्रियों की जो फौज है, उनमें तो बारी-बारी से लोग चले जायेंगे और नाश्ता करके तब आयेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—आप भी बारी-बारी से जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—हम लोग बारी-बारी से कैसे चले जायेंगे? हमें तो हर संशोधन पर बोलना होता है और उसे पेश करना होता है। ऐसे लोगों को आप रोकें जो नाश्ता करने के लिये चले जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—जल्दी ही वे लोग आ रहे हैं।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—यह क्या बात है कि हम लोगों को प्रस्ताव पास करके दो घंटे के लिये बैठाया जा रहा है और इन लोगों ने बिस्तर लेकर जाना शुरु कर दिया? सब दरवाजे बन्द कर दिये जायं ताकि कोई यहाँ से जाने न पावे।

श्री उपाध्यक्ष—ऐसा कोई नियम नहीं है कि सब दरवाजे बन्द कर दिये जायं।

श्री एस० जी० दत्त (जिला कानपुर)—यहाँ कोई रूस की हुकूमत थोड़े ही है जो दरवाजे बन्द कर दिये जाँय। यह हिन्दुस्तान है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—श्रीमन्, जब ७ बजे तक हम लोगों को बैठाया जा रहा है तो सरकारी पक्ष हम लोगों के लिये खाने का भी इन्तजाम करे।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो १५ नम्बर का आइटम दफा ५३ का आज हटा दिया उस पर कब विवाद होगा?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—१५ नम्बर का आइटम २८ तारीख को लिया जायगा और २७ तारीख को १६ नम्बर का ।

एक सदस्य—श्रीमन्, लोग जा रहे हैं, शोर हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—जाने वाले चले जाँय, बैठने वाले बैठें, शोर बहुत हो रहा है, शांति से काम होना चाहिये।

श्री हरिनाथ तिवारी—श्रीमन्, मेरा संशोधन....

श्री काशीनाथ मिश्र—श्रीमन्, नवलकिशोर जी खुद ही समय बढ़वाकर जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—बार-बार यह कहना ठीक नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है।

खंड ५

५—कर यात्री-गाड़ी के परिचालक द्वारा वसूल किया जायगा और उसका भुगतान राज्य सरकार को नियत रीति से किया जायगा: कर की वसूली की रीति

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार ऐसे कर की धनराशि के बदले में जो परिचालक द्वारा राज्य सरकार को देय हो, एक मुश्त धनराशि स्वीकार कर सकती है या स्वीकार करने के लिये सहमत हो सकती है।

***श्री हरिनाथ तिवारी**—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

"खंड ५ की प्रथम पंक्ति में शब्द "परिचालक" के बाद शब्द "अथवा जिस किसी को वह नियुक्त करे, के" जोड़े जायं।

इस समय समय बचाने की कोशिश की जा रही है इसलिये मन्त्री जी इसे मान लें तो समय बच सकता है। इस में कोई खास बात नहीं है। इसमें केवल इतना बढ़ाया जा रहा है कि परिचालक स्वयं वसूल करे या वह किसी और को नियुक्त कर दे जो वसूल करके सरकार को भुगतान कर दे। 'ग' में और 'ङ' में परिचालक की परिभाषा दी हुई है। 'ग' में है कि जिस के पास १०० या उससे अधिक यात्री गाड़ियों को चलाने के लिये अनुज्ञा पत्र हो या इतनी गाड़ियाँ चलाता हो; और 'ङ' में है कि जिस का नाम यात्री गाड़ी के अनुज्ञापत्र में उस गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र-धारी के रूप में दर्ज हो और जब कोई ऐसा अनुज्ञा पत्र न हो तो यात्री गाड़ी के स्वामी से है। जाहिर है कि १०० गाड़ियों का परिचालक स्वयं इतनी गाड़ियों का कर वसूल नहीं कर सकता। इसलिये जरूरी है कि हम इसमें यह कर दें कि वह किसी व्यक्ति को नियुक्त करके यह काम करा सकें। मेरा अनुरोध है कि इस छोटे से संशोधन को स्वीकार किया जाय और इसको मानने में मन्त्री जी को कोई विशेष आपत्ति न होनी चाहिये।

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय हरिनाथ तिवारी जी के संशोधन को मानने में असमर्थ हूं क्योंकि टैक्स कलेक्शन और पेमेंट की सारी जिम्मेदारी मोटर आपरेटर पर है; और मोटर आपरेटर ही कानूनी तौर पर उसका जिम्मेदार है। इसलिये मैं इस संशोधन को मानने में असमर्थ हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, मैं बहुत हैरत में हूं जो इस संशोधन को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। श्रीमन्, आप देखें परिचालक की परिभाषा इस प्रकार है: "परिचालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम यात्री गाड़ी के अनुज्ञा पत्र में उस गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र धारी के रूप में दर्ज हो और जब कोई ऐसा अनुज्ञा-पत्र न हो तो यात्री गाड़ी के स्वामी से है। यानी यात्री गाड़ी का जो मालिक है उसी से टैक्स वसूल किया जायगा। आगे देखें आप, कर कौन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

वसूल करेगा? परिचालक वसूल करेगा। वही शब्द यहां आ गया है। आप जानते हैं परिचालक गाड़ी का टैक्स नहीं वसूल करता, न किराया वसूल करता है। गाड़ी का मालिक दूसरी जगह रहता है और बस कंडक्टर, ड्राइवर या क्लीनर किराया वसूल करेगा और कर भी वसूल करेगा। गाड़ी का मालिक ५० कोस की दूरी पर रहेगा तथा वसूल करने वाला ड्राइवर या कंडक्टर होगा। इस संशोधन को मानने में क्या दिक्कत होगी? सही बात का विरोध नहीं होना चाहिये, जैसे हमने माननीय कृष्णानन्द राय जी के संशोधन का समर्थन किया वैसे ही सरकार के अन्दर नेस होना चाहिये। मंत्री जी इसको समझने के लिये तैयार नहीं हैं। परिचालक के माने मालिक के होंगे और मालिक गाड़ी के साथ कभी नहीं होगा उसके नौकर ही रहते हैं वही वसूल करते हैं और रजिस्ट्री तो होगी ही, सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार जब रजिस्ट्री करावे उसके मालिक से लिखा ले कि उसका कोई और है जो पैसे को जमा करेगा, वसूल करेगा। आप सचिवों से राय ले लें वह अगर कोई दिक्कत बतावें तो इनकार कर दीजिये। ऐसे ही मना न कीजिये। आप देखिये गाड़ी पर मालिक नहीं चलता उसके नौकर चलते हैं वही किराया आदि वसूल करते हैं वही कर देंगे। वह जमा कर देंगे, लेकिन वसूल करने वाला दूसरा होगा। आप चाहते हैं ईमानदारी हो। होगा क्या मालिक रहेगा बरेली में और चालक जायगा, रुपया जमा कर देगा खजाने में और खजाने वाले को दो रुपया दे देगा जितना चाहे जमा कर देगा। हजारों केसेज ऐसे होते हैं दूसरे नाम पर कोई रुपया लाता है और जमा करता है। आप मानने को तैयार नहीं हैं क्या बात है। मैं फिर कहूंगा आप अपने विचार में परिवर्तन कीजिये। यह आपकी सहूलियत के लिये है, इसको मान लीजिये।

सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)—श्रीमन्, माननीय रामसुन्दर जी ने जो बात कही, वे गालिबन जो क्लाज है उसको समझे नहीं। अपने मुल्क का यह समझा बूझा कानून है कि मालिक का कोई भी नौकर कुछ काम करेगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी मालिक पर हुआ करती है। कानून के अन्दर दिया गया है कि यदि कोई चलाने वाला कंडक्टर या ड्राइवर गलत आदमी को बैठा ले, टैक्स न ले और जो चेक करने वाले लोग हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया तो उस पर पैनाल्टी लग जायगी। वह कंडक्टर पर नहीं लगेगी बल्कि मालिक पर लगेगी। इसलिये उस वाहन की पूरी जिम्मेदारी उस मालिक की है। इसीलिये मालिक ही शब्द रखा गया है। परिचालक का कोई जिक्र नहीं है। इसको मान लेना चाहिये।

श्री दीपनारायणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, बड़े आश्चर्य की बात है कि कानूनदां उधर बैठे हुए हैं और यह जो संशोधन इधर से आया है उससे किसी प्रकार कोई नुकसान होने वाला नहीं है फिर भी सरकार उसको मानने से इन्कार कर रही है। मैं फिर से मूल धारा ५ पढ़े देता हूं :—

"कर यात्री-गाड़ी के परिचालक द्वारा वसूल किया जायगा और उसका भुगतान राज्य सरकार की नियत रीति से किया जायगा"। संशोधन में "परिचालक द्वारा" है ही और "परिचालक जिसे नियुक्त करेगा" इतने शब्द जोड़ने की बात है। परिचालक शब्द की परिभाषा यह है "परिचालक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम यात्री गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र में उस गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र धारी के रूप में दर्ज हो और जब कोई ऐसा अनुज्ञा-पत्र न हो तो यात्री गाड़ी के स्वामी से है।" लेकिन जहां यात्री गाड़ी के अनुज्ञा-पत्र में कुछ न लिखा हो तो उस दशा में जब ड्राइवर रोज बदला जा सकता है तब वह कर कौन वसूल करेगा, इसकी व्यवस्था धारा ५ में नहीं है। इसलिये इस संशोधन के शब्द जोड़ देने से कर की वसूली की एक व्यापक व्यवस्था हो जाती है और इसको इनकार करने से ऐसा मालूम होता है कि आप के सारे सितारे गुप्त हो गये हैं, अन्धेरा हो गया है और निशाचर की तरह रात में चलने के आप आदी हो गये हैं और सरकार उजाले की बात मानने को तैयार नहीं है। अगर इस संशोधन के मानने से कर की वसूली में सुविधा हो तो उसे हृदय से इसका स्वागत करना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि इसको आप अब मान लेंगे।

*श्री राधेश्याम शर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सरकार कर की वसूली का कोई भी तरीका निकाले समाजवादी दृष्टि रखते हुए हम तो मूलतः नये लगाये जाने वाले करों के विरोधी हैं। लेकिन चर्चा चल गयी है तो अपनी बात भी कहूंगा। यह ठीक है कि परिचालक या उसके द्वारा नियुत कोई व्यक्ति ही सारी लारी को परिचालित करता है। मोटर का मालिक ६०, ७० मील दूर रहता है। अब उसका परिचालक या उसके द्वारा नियुक्त आदमी दिन भर उस मोटर पर रहता है। वह सब टैक्स वसूल करेगा, वह टिकट बनाता है और कर भी वसूल करेगा। उसे सारी बातों का पता रहता है और अगर मालिक को लाकर वह सारा कर देगा तो वह जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी करेगा। यह सरकार भी मालिकों को ज्यादा मालिकाना हक देकर रोज-रोज इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। मैं इसके लिये एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी मथुरा में एक नया पुल बना। गिरधारीलाल जी ने कहा कि उस पर टैक्स वसूल किया जाय। अब मैं कर की वसूली का तरीका आप को बतलाता हूं। वह तरीका क्या हो रहा है यह मैं बताता हूं। ढाई हजार रुपये रोज उस पुल पर वसूलयाबी हो रही है, लेकिन सरकार की जेब में मुश्किल से हजार या पन्द्रह सौ रुपये ही जाते होंगे। कारण यह है कि जो १५ रुपया ट्रक पर लगा रखा है वह ५ रुपये देकर ही निकाल लेते हैं और इसी तरह से दूसरे लोग भी कम देकर निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भ्रष्टाचार फैलेगा और सरकार जनता की निगाह में बदनाम हो जायगी और फिर भी उसे आयोजन के लिये रुपया नहीं मिल पायेगा। हम इसीलिये सुझाव देना चाहते हैं ताकि कम से कम तृतीय आयोजन तो आपका असफल न हो। इसलिये हम चाहते हैं कि यह संशोधन मान लिया जाय।

*श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय--उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन इतना मासूम है कि जिस पर किसी प्रकार की बहस नहीं होनी चाहिये थी और मंत्री जी को इसे मान लेना चाहिये। माननीय रामसूर्ति जी ने एक दलील पेश की कि परिचालक जिम्मेदार है और उसी की सारी जिम्मेदारी होगी। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि परिचालक द्वारा अधिकृत आदमी जो होगा उसकी जिम्मेदारी किसी माने में कम नहीं होगी और उसके होने पर परिचालक की जिम्मेदारी किसी माने में कम नहीं होती, बल्कि हमारी पकड़ में दो आदमी आ जाते हैं जिससे हमारे कर की वसूली में सहूलियत होती है।

दूसरी चीज, इसमें "या" रखा हुआ है जिसका मतलब यह है कि वह जिस आदमी को नियुक्त करेगा उस पर पूरी जिम्मेदारी पड़ जाती है, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी है। किन्तु परिचालक किसी माने में भी जिम्मेदारी से बरी नहीं होता है, ऐसी स्थिति में यदि अधिकृत आदमी रख दिया जाता है तो काम करने में सहूलियत होगी और कर वसूली में सहायता मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि परिवहन मंत्री जी इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य--उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि ४, ५ आदमी बोल लिया करेंगे तो विवाद बन्द कर दिया करेंगे। अब पांच आदमी बोल चुके हैं इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय--यह हम लोगों के साथ बड़ी ज्यादती है। अगर सरकार की इच्छा यह है कि बगैर विचार हुये ही यह पास कर दिया जाय तो साफ-साफ कहें वरना हिम्मत हो तो १० बजे तक बैठें, लेकिन इस तरह की ज्यादती नहीं होनी चाहिये कि हमें बोलने ही न दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय कमलासिंह जी बोल लें।

*श्री कमलासिंह यादव--उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन बहुत ही निर्दोष है और मंत्री जी को इसे मान लेना चाहिये। इसलिये कि आप जब किसी के ऊपर कोई भार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

दे रहे हैं कि वह कर वसूल करे और उसका एकाउन्ट वगैरह रखे तो उसे थोड़ी सहूलियत भी आप को देनी चाहिये। जैसा कि अभी माननीय सिंचाई मंत्री जी ने यह कहा कि सारी जिम्मेदारी बस मालिक की है। बस कंडक्टर या बस ड्राइसवर कोई गड़बड़ी करता है तो उसका जिम्मेदार मालिक है और उसी को सजा मिलेगी। मैं देखता हूं कि मंत्री जी का ध्यान पैनाल्टी की ओर है। आपने कर लगाया है तो उसकी पूर्ति के लिये थोड़ी सहूलियत अगर आप मालिक को भी दे दें तो उसमें आपका क्या हर्ज है। मैं समझता हूं कि इसमें यह नहीं कहा गया है कि परिचालक की जगह दूसरे आदमी को रख दें बल्कि यह कहा गया है परिचालक अथवा जिस किसी को वह नियुक्त करे। इसलिये जहां तक हो सकेगा वह रहेगा और आपका कर वसूल करेगा। लेकिन ऐसा मौका भी आ सकता है कि जब वह मौजूद न रह सके तो उस समय वह किसी आदमी को रख सकता है। ससे आपका पया ठीक समय पर खजाने में पहुंच सकेगा और एकाउन्ट्स भी ठीक तरह से दिये जा सकेंगे। इससे गाड़ी के मालिकों को सहूलियत हो जायगी। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसको मान लेंगे।

*श्री हरिनाथ तिवारी---उपाध्यक्ष महोदय, समझ में नहीं आता है कि मंत्री जी इस छोटी सी बात को समझने का प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि परिचालक नहीं रहे और यात्री कहे कि हम तो परिचालक को ही कर देंगे, दूसरे को नहीं देंगे तो कैसे आप उससे कर ले सकते हैं? इसलिये आप को इसमें नुकसान होगा। इसलिये अभी भी समय है कि मंत्री जी सोच कर बुद्धि से काम लें। यह आपके ड्राफ्टिंग की गलती है, इसलिये इस कमी को आप मान लें समें सरकार का ही फायदा होने वाला है।

श्री गनेशीलाल---उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले कह दिया कि मैं माननीय सदस्य के संशोधन को मानने में असमर्थ हूं।

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ५ की प्रथम पंक्ति में शब्द "परिचालक" के बाद शब्द "अथवा जिस किसी को वह नियुक्त करे, के" जोड़ दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री काशीनाथ मिश्र---उपाध्यक्ष महोदय, लाबी में डिवीजन करवा दीजिये।

एक सदस्य---बैठ जाओ।

श्री राधेश्याम शर्मा---आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---अभी मत लिया जा रहा है। स समय व्यवस्था का प्रश्न पेश नहीं हो सकता। बाद में उठाइयेगा जब मतदान खत्म हो जाय।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---३९,
विपक्ष में---८४।)

श्री राधेश्याम शर्मा---श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। जैसे अभी डिवीजन की बात चल रही थी तो भाई काशीनाथ जी ने यह कहा कि लाबी में डिवीजन हो जाय तो उस पर उधर से कहा गया कि बैठ जाओ। श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आपके अलावा भी कोई अध्यक्ष हैं जो यह कह सकते हैं कि बैठ जाओ? गुप्ता जी कहते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी के लोग बड़े उच्छृङ्खल हैं। गुप्ता जी खुद देख लें कि हम उच्छृङ्खल हैं, या उनकी सेना उच्छृङ्खल है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कृष्णानन्द राय---उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं प्रस्तुत विधेयक में निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं :---

वर्तमान खंड ५ की संख्या बदल कर उसे खंड ५ का उपखंड (१) कर दिया जाये तथा उसके उपरान्त निम्नलिखित उपखंड (२) बढ़ा दिया जाये---

"(२) राज्य सरकार नियम बना कर परिचालक से अपेक्षा कर सकती है कि वह स्टाम्प खरीदे और कर की वसूली के लिए उनका उपयोग करे।"

वैसे तो इस विधेयक के सम्बन्ध में एक परम्परा आज स्थापित हो चुकी है कि चाहे कितना ही उचित संशोधन पश किया जाय, लेकिन उस पर भी विवाद चल पड़ेगा। हमारे आदरणीय सदस्य इस पर भी विवाद करेंगे। यदि वह इसको देखेंगे तो मालूम होगा कि कितनी सुविधा के लिये यह संशोधन पेश किया गया है। नकद पये के बदले इसकी व्यवस्था हो सकती है कि स्टाम्प के जरिये से इस कर की वसूली हो सके। प्रत्येक परिचालक या उसका कर्मचारी प्रत्येक व्यक्ति से कर का जब हिसाब लगायेगा कि कितना उसका किराया है ५ प्रतिशत के हिसाब से तो उसके वसूल करने में व्यावहारिक कठिनाई हो सकती है। यदि यह स्टाम्प की व्यवस्था हो जाय पहले से कि ५ नये पैसे उसको कर के वसूल करने हैं तो वह ५ नये पैसे का स्टाम्प पहले से उस टिकट पर लगा रखेगा तो इसमें सुविधा होगी। जैसा कमलासिंह जी ने कहा था कि इसमें भ्रष्टाचार फैलने की बात हो सकती है तो यदि पहले से टिकट की व्यवस्था हो जायगी तो परिचालक जितने टिकट किसी को देगा उन सभी पर उस किराये के हिसाब से वह स्टाम्प लगा देगा तो सुविधा होगी। यदि इस बिल में इस चीज को स्वीकार कर लिया जाता है तो बड़ी सुन्दर व्यवस्था हो जायगी और भ्रष्टाचार भी समाप्त हो जायगा और किसी भी यात्री से एक नया पैसा भी अधिक वसूल नहीं हो सकेगा। सलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है कि स्टाम्प की व्यवस्था कर दी जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--कौन सा स्टाम्प और कैसी उसकी व्यवस्था होगी?

*श्री कृष्णानन्द राय---जो स्टाम्प खजाने से मिलता है ५ या १० नये पैसे का रेवेन्यू स्टाम्प वह उसी हिसाब से टिकट पर लगा दिया जायगा। स विधेयक में यह दिया हुआ है कि जो किराया है उस पर ५ फी सदी ज्यादा या जो भी सरकार निश्चित करे वह यात्रियों से वसूल किया जायगा। परिचालक या उसका कर्मचारी प्रत्येक यात्री से किराये का हिसाब लगा कर वसूल करेगा तो उसमें हिसाब से ५ या ६ नये पैसे आ सकते हैं जिसके वसूल करने में दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि कर्मचारी उसका दुरुपयोग भी करें। इसलिये किराये के टिकट पर खजाने से खरीदा हुआ स्टाम्प यदि लगा रहेगा तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार की परिस्थिति पैदा नहीं होगी। इसलिये मैंने यह संशोधन उपस्थित किया है कि नकद रुपये के बदले इस कर का भुगतान स्टाम्प के माध्यम से भी वह कर सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---श्रीमन् मैं संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं यह समझता हूं कि जो मूल विधेयक में बात कही गई है कि राज्य सरकार एक नीति रीति से वसूल करेगी। अब उसकी नीति रीति क्या होगी वह तो नियमावली की बात है। माननीय कृष्णानन्द राय जी चाहते हैं कि इस बिल में वह चीज आ जाय। पहले धाराओं में क्या-क्या गलती थी उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया कि उनसे भ्रष्टाचार फैलेगा या नहीं। भ्रष्टाचार का रास्ता इससे भी खुलता है। हो सकता है कि नियम बनाते समय स्टाम्प की बात न सोची जाय और कुछ ऐसी बात सोची जाय जिसमें अधिक खर्चा न करना पड़े। कोई और रास्ता निकल सकता है जिससे काम चल जाय। कृष्णानन्द राय जी का प्रस्ताव ऐसा है जो नियम की बात ऐक्ट के अन्दर लाना चाहते हैं। इससे मैं यह समझता हूं कि ऐक्ट की शोभा भी खत्म होगी। वह नियमावली की बात को इसमें रखना चाहते हैं इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हरिनाथ तिवारी—मैं माननीय कृष्णानन्द राय जी के संशोधन का विरोध करते हुए उनको यह बता दूं कि जहां पर हिसाब कर का ११, १२, १३ नये पैसे आकर पड़ेगा वहां पर क्या किया जायगा क्योंकि रेवेन्यू स्टाम्प तो १०, ५ और १५ नये पैसे के होते हैं। तो वहां पर आप क्या करेंगे ? वहां पर कौन सा हिसाब होगा ? एक टिकट का हिसाब एक से का भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि यात्री को टिकट न दिये जायं और उनसे कहा जाय कि आगे चले चलो और अगर कोई आ जायगा तो दे देंगे नहीं तो उनको वह कर वाला पैसा बच जायगा। इसे आप ध्यान में नहीं रखते कि वह रसीद कैसे रखेगा, हिसाब कैसे रखेगा, इसको आप भूल जाते हैं। इस ऐक्ट में दिया हुआ है "प्रत्येक परिचालक यात्री-गाड़ियों के संबंध में तथा उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों के संबंध में वसूल किये गये कर और किराये के नियत प्रपत्रों में लिखे और रजिस्टर रखेगा।" वह बाध्य हो जायेगा। रसीद न देने पर वह आखिरी मुकाम पर पहुंच कर बच जायगा। यदि रसीद दे तो वहीं पर दे नहीं तो इसमें सरकार का नुकसान हो सकता है। इसलिये जो संशोधन रखा गया है, उससे साफ जाहिर है कि सरकार का इसमें नुकसान होगा। यदि हिसाब एप्रोप्रियेट नहीं रखेगा एक पैसे दो पैसे के टिकट का तो उसमें मुफ्त का परिचालक को मौका मिलेगा कि वह पैसा बचा ले। इसलिये रसीद वहीं देनी चाहिये जहां से वह चले। इसमें सरकार को हानि होगी इसलिये यह उचित नहीं है और मैं आशा करता हूं कि इसको विदड्रा कर लिया जायगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कुछ चीजें मेरी समझ में नहीं आईं। इससे बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी। जो कन्डक्टर टिकट चिपकायेगा उसको ऐसा करने में वक्त लगेगा वही हिसाब किताब भी रखेगा तो ऐसा करने में वक्त लगेगा। उसको पहले यह देखना पड़ेगा कि कितना किराया है, इसके बाद ही वह टिकट दे सकेगा। तो इसमें बड़ी परेशानी होगी। प्राइवेट बसों में गड़बड़ी नहीं होगी परन्तु सरकारी बसों में अवश्य गड़बड़ होगी और कन्डक्टर बेचारा कच्चे सूत के धागे में लटकता रहेगा। मान लीजिये उसे १०—२० आदमियों को टिकट देना है तो वह टिकट चिपकाता रहेगा या हिसाब जोड़ेगा, क्या-क्या करेगा ? इतने में ही कोई रोडवेज अफसर साहब आ जायेंगे और बस चेक करेंगे तो उस बेचारे की गर्दन नप जायगी इसलिये यह प्रोसीजर गलत है। सरकारी बसों में कन्डक्टर मारा जायेगा। इसलिये माननीय कृष्णानन्द राय जी के इस संशोधन का मैं विरोध करता हूं, यह ठीक नहीं है।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, जो माननीय कृष्णानन्द राय जी का संशोधन है उसका मैं विरोध कर रहा हूं। जैसा कि श्रीपालसिंह जी ने कहा है कि सरकारी बसों में इससे भ्रष्टाचार उत्पन्न होने का खतरा है। यह सही है कि जो कन्डक्टर है वह बेचारा मारा जायेगा। आप देखिये कि जो सरकारी बसें हैं उनमें पहले पैसा देने या टिकट प्राप्त होने के बाद मुसाफिरों को चढ़ने का आदेश है। इससे जनता को परेशानी होती है। इससे काम में देर होती है। पर मान लीजिये बस कंडक्टर जल्दी में बस रवाना कर दे और बीच में बस चेक हो जाय तो वह बेचारा मारा जायगा। जहां तक टिकट पर स्टैम्प टिकट लगाने की बात है, आये दिन आप देखते हैं कि पोस्ट आफिस में जो स्टैम्प है उनकी डबलिंग होती है। इससे बड़ी गड़बड़ी होगी। जब स्टाम्प उस पर लगा दिया जायगा तो कहीं पर वह दोबारा तिबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरह से जिस उद्देश्य से सरकार यह बिल ला रही है कि उसको तीसरी पंचवर्षीय योजना के चलाने के लिये धन की प्राप्ति होगी वह आशा उसकी निर्मूल सिद्ध होगी। केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा और सरकार का जो उद्देश्य है वह सफल नहीं होगा। इन कारणों से मैं इसका विरोध करता हूं। यह संशोधन जो श्री कृष्णानंद राय जी का है वह न माना जाय।

*श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री कृष्णानन्द राय जी का जो संशोधन है उसका समर्थन करना चाहता हूं। श्रीमन्, मेरा इरादा बोलने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का नहीं था, लेकिन दो तीन सदस्यों को सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे भी कुछ कहना चाहिये । जो भी प्राइवेट बस वाले हैं उनसे यह कर वसूल होगा । यात्रियों को जो टिकट दिये जायेंगे उन पर सरकारी टिकट लगेगा । वह इस तरह से लगेगा टिकट के बीच में कि आधा तो यात्री के पास चला जायेगा और आधा प्रमाण स्वरूप रह जायेगा । पंजाब सरकार ने जैसा प्रबंध किया है उसी तरह से यहां भी किया जा रहा है । जो यात्री वहां यात्रा करते हैं उन्हें भी यह कर देना पड़ता है । वहां कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि दोबारा उस टिकट को इस्तेमाल किया जा सके । माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई है वह टिकट दोबारा, तिबारा इस्तेमाल किया जा सकेगा, मगर यह डर है नहीं क्योंकि उस टिकट को दोबारा इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं रहेगा । वह टिकट जिस स्थान तक का यात्री होगा वहां तक का दिया जायेगा और वहां तक का छपेगा । जो बात पंजाब में है वही यहां रहेगी ।

एक बात यह कही गयी कि टिकट जब तक वह चिपकाता रहेगा, अगर रास्ते में कहीं चेक हो गया तो वह फंस जायेगा । लेकिन उसका मौका ही नहीं रहेगा । वह सरकारी टिकट तो पहले से ही इकट्ठे खरीद लेगा और चिकपा लेगा । फिर जिस स्थान का यात्री टिकट मांगेगा उसको उस स्थान का टिकट दे देगा । सरकार की तरफ से उसकी व्यवस्था होगी कि इकट्ठे टिकट खरीद सके । अगर कोई प्राइवेट बस वाला बेईमानी करेगा तो उसको सजा मिलेगी । जो अधिकारी हमारे होंगे वे उसको देखते रहेंगे । मोटर चलाने वाले इकट्ठा टिकट खरीदेंगे । वह टिकट उस तरतीब से लगायेंगे कि आधा यात्रि के पास रहे, आधा उनके पास प्रमाण के लिये रहे । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सदन इस संशोधन को स्वीकार करे ।

*श्री कमलासिंह यादव---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृष्णानन्द जी का संशोधन अव्यावहारिक है । अगर वह इस तरह से आता कि सिनेमा में रसीदों पर जिस तरह से टिकट रहता है तो ज्यादा व्यावहारिक होता, लेकिन एक स्थान से दूसरे पर जाने में दूरी में बढ़ोत्तरी और कमी-बेशी होती रहती है, ऐसी हालत में टिकट लेकर चिपकाना अव्यावहारिक है । दूरी के साथ-साथ टैक्स कैलकुलेट करना होगा । सौ पैसे का है तो ५ पैसे का लगा दिया, लेकिन ६०, ७० पैसे का हुआ तो उतने टिकट कहां से आयेंगे ? कृष्णानन्द जी वकील हैं । मैं अदालतों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं जहां स्टाम्प नहीं मिलता, वाटर-मार्क कागज नहीं मिलता । लोग मोटे मोटे कागज बेंचते हैं । तो इसमें भी भ्रष्टाचार होगा कि जो रुपये देगा उसको स्टाम्प मिलेगा ।

कृष्णानंद जी ने कहा कि सीटों के अनुसार कर वसूल कर लेंगे, लेकिन ऐसा भी होता है कि एक गाड़ी एक रूट पर दिन में एक बार चलती है और एक ३-४ बार जाया करती है । तो जब तक रूट का पता न हो तो कर का कैसे अनुमान लगा लेंगे । यह अच्छा होगा कि रसीदें सरकार की तरफ से छपें और दूरी के हिसाब से बांट दी जायं, चाहे प्राईवेट हों या सरकारी अगर ऐसा होगा तो यात्रियों को सुभीता होगा और कर भी आसानी से वसूल कर सकेंगे । इसलिये मेरी अपील है कि इस अव्यावहारिक संशोधन को न मानें ।

*श्री संतसिंह यूसुफ---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि इतनी छोटी सी टिकट पर्ची होती है, उसके ऊपर एक और टिकट लगेगा । आपने कर तय कर लिया कि इतना लेना है तो उसी के हिसाब से क्यों नहीं किराया बढ़ा देते ? डरते क्यों हो ? एक तरफ आपने तय कर लिया कि कर बढ़ाना है, पूंजीपतियों से नहीं, बल्कि गरीबों से लेना है तो ठीक है, चन्द्रभानु जी जैसा कहते हैं ५ साला योजना है उसको कामयाब बनाना है । यह टिकट लगाना और फिर आधा आधा फाड़ना, इससे क्या फायदा ? क्या जनता नहीं समझती कि किराया बढ़ गया? यह तो वे पहले से ही जानते हैं कि मोटर का किराया बढ़ गया है फिर सीधे सीधे उनसे किराया क्यों नहीं लेते ? जब आपने तय कर लिया कि हम किराया बढ़ाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स आप जनता से वसूल करना चाहते हैं तो फिर इधर उधर क्यों करते हैं ? इसमें बेचारा कंडक्टर फसेगा । कहीं टिकट खो जायेगी, कहीं स्टाम्प खो जायेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—इसमें जो स्टाम्प रखा है वह व्यावहारिक नहीं है । यूसुफ जी ने कहा कि जब आपको किराया बढ़ाना ही है तो सीधे तरीके से बढ़ाइये । चाहे आप उसको यात्री कर कहें अथवा फेयर कहें एक ही बात तो है । ड्योढ़ा दूना जो आप बढ़ाना चाहते हैं साफ तौर पर बढ़ा दीजिये, जिसमें जनता को मालूम हो जाय कि मोटर का किराया बढ़ा है ।

गवर्नमेंट रोडवेज की यह हालत है कि अगर किसी यात्री को तीन मील भी जाना है तो उसको १० मील का टिकट लेना पड़ता है । अभी तक प्राइवेट बसेज में ऐसा नहीं है । ४ मील अगर उसको जाना है तो ४ मील पर ही उसको छोड़ा जाता है। गवर्नमेंट उसमें भी रोडवेज के नियम लागू कराना चाहती है और दुगना पैसा वसूल करना चाहती है । यह जनता को चूसने का तरीका है । जब आपको एक मुश्त पैसा आयेगा तो इस प्रकार से लेने से क्या मतलब है । एक खुले आम लूट हो जायगी और भ्रष्टाचार को मौका मिलेगा । जिस प्रकार से शहरों में सिनेमा पर इन्टरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता है, उसी प्रकार से गांवों में मोटरों पर जो यह सिनेमा टैक्स लगा रहे हैं, यह उचित नहीं है । टिकट यात्रियों से खो जायेंगे । अगर कृष्णानंद जी का यह सुझाव है तो वे उसको वापस ले लें और अगर मंत्री जी का सुझाव है तो मुझे उनकी अक्ल पर तरस आता है ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य—उपाध्यक्ष महोदय, मैं विवाद को समाप्त करने का प्रश्न उपस्थित करता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बात सुन लीजिये इस बिल का समय ५ बजे तक था जो बढ़ा कर ७ बजे तक कर लिया गया है । साढ़े दस बजे से हम लोग यहां बैठे हुए हैं मंत्री लोग बराबर चले जाते हैं और आ जाते हैं, हमको यहीं बैठा रहना पड़ता है, २ घंटे का समय बहुमत के बल पर बढ़ा लिया है । हम लोगों ने विरोध किया हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा अक्लमन्द हों और हम लोग नाकाबिल हैं । आप इसे रातभर चलाइये । मगर आप इस प्रकार से क्लोजर मूव करेंगे तो हर चीज का विरोध बढ़ता चला जावेगा । इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे विचारों को तो सुनें ।

श्री उपाध्यक्ष—रामसुन्दर जी, यह तय हुआ था कि ४, ५ स्पीचेज से ज्यादा नहीं होंगी और उनमें डाइलेटरी बात नहीं होगी । इसमें ८ स्पीचेज हो चुकी हैं । उसके बाद अगर इसे मैं लेता हूं तो बहुत ही न्याययुक्त बात है ।

श्री दीपनारायणसिंह—सरकार की तरफ से संशोधन आया है, इसका मतलब है कि विधेयक में पचड़ा है, छेद है । उसे बन्द करने का हम लोगों को अधिकार होना चाहिये, कि हम बोलें ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अब विवाद समाप्त किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—
पक्ष में ९१,
विपक्ष में ३३ ।)

*श्री कृष्णानन्द राय—उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजा साहब-श्रीपालसिंह जी चूंकि हमेशा मोटर कार पर चढ़ते हैं और बसों पर चढ़ने का उन्हें अनुभव नहीं है, इसलिये उन्होंने एक शंका उपस्थित कर दी ।

श्री दीपनारायणसिंह—मेरा संशोधन है कि खंड ६ का उपबंध बिल्कुल हटा दिया जाय । अगर वह पहले लिया जाय और मान लिया जाय तो इस संशोधन की आवश्यकता नहीं रह जाती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—जब वह आवेगा तब देखा जावेगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि राजा साहब ने एक अजीब सी कल्पना की कि कंडक्टर टिकट अलग रखेगा और स्टाम्पों की बही अलग रखेगा और यात्री के आने पर स्टाम्प खोजने लगेगा । राजा साहब सिनेमा तो जाते ही होंगे, उसका अनुभव तो उन्हें होना ही चाहिये । टिकट की गद्दी पर पहले ही से कर के हिसाब से ५ प्रतिशत का स्टाम्प लगा रहेगा । जब कोई यात्री आवेगा तो यात्रा-कर का स्टाम्प भी बिक जायगा । अतः मेरा संशोधन बहुत उचित है और मैं आशा करता हूं कि माननीय परिवहन मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे ।

श्री मुजफ्फर हसन—उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दोनों तरह से महसूल वसूल करने की बात है, लम्पसम और दूसरे जरिये से भी । तजवीज यह है कि टिकट में टैक्स का टिकट चिपका दिया जाय । वह दो हिस्सों में होगा । आधा मुसाफिर को दिया जायगा और आधा काउन्टर फायल में रहेगा । यह इसलिये है कि बीच में चैकिंग वगैरह में सही हिसाब देखा जा सके । कुछ गलतफहमी हो गई है कि वह रैवेन्यू स्टाम्प होगा, ऐसी बात नहीं है । वह नासिक से एक-एक दो दो पैसे का टिकट खरीदा जायगा और जैसा कि अभी बतलाया गया है कि जो टिकट आता है उसके परसेंटेज के हिसाब से पहले ही चिपका होगा । इस तरह से आधा काउटंर फाइल पर होगा और आधा टिकट पर होगा ताकि उसकी चेकिंग सही तौर से हो सके । इसलिये मैं उसे मंजूर करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि वर्तमान खंड ५ की संख्या बदल कर उसे खंड ५ का उपखंड (१) कर दिया जाये तथा उसके उपरान्त निम्नलिखित उपखंड (२) बढ़ा दिया जाय—

"(२) राज्य सरकार नियम बना कर परिचालक से अपेक्षा कर सकती है कि वह स्टाम्प खरीदे और कर की वसूली के लिये उनका उपयोग करे ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१०२,
विपक्ष में—३४ ।)

खंड ६

विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना

६—(१) परिचालक प्रत्येक ऐसी गाड़ी के संबंध में, जो उसके अधिकार में हो, कर अधिकारी या नियत प्राधिकारी को, नियत प्रपत्र में और ऐसी रीति तथा कालान्तरों से जो नियत किये जायं, एक विवरणी प्रस्तुत करेगा या करायेगा :

प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये वाहन-समूह-स्वामियों के संबंध में अन्य परिचालकों से सम्बद्ध नियमों से भिन्न नियम नियत किये जा सकते हैं ।

(२) यदि कोई परिचालक, समुचित कारण के बिना, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अनुमत समय के भीतर ही विवरणी प्रस्तुत न करे तो कर अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि वह परिचालक अपने द्वारा देय कर की धनराशि के अतिरिक्त प्रत्येक यात्री-गाड़ी के संबंध में, जब तक वह विवरणी प्रस्तुत न करे, तब तक के प्रत्येक ऐसे दिन के लिये शास्ति स्वरूप दस रुपये से अनधिक धनराशि दे ।

*श्री कृष्णानन्द राय—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप की आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि :—

खंड ६ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "वाहन समूह स्वामियों के संबंध में अन्य परिचालकों से सम्बद्ध नियमों से" के स्थान पर शब्द 'विभिन्न वर्गों के परिचालकों के संबंध में भिन्न' रख दिये जायं ।

इस संशोधन का आशय केवल. . . .

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, मैं एक प्वांइट रखना चाहता हूं सदन के समक्ष कि मेरा इसी प्रकार आगे एक संशोधन है खंड ६ के उपखंड (१) के प्रतिबंध के बारे में कि उसको बिलकुल हटा दिया जाय । लेकिन अगर मेरा संशोधन बाद में मान लिया जाय तो फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती । अगर मेरा संशोधन पास न हो तब इस संशोधन की आवश्यकता हो सकती है । इसलिये उससे पहले प्रायर्टी मेरे संशोधन को मिलना चाहिये । यह प्रश्न आपके सामने है । अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो मेरे संशोधन की क्या पोजीशन होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठें, मैं आपकी बात समझ गया । आपका और उनका संशोधन अलग-अलग है । अगर यह मंजूर हो जायगा तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि आपको अपने संशोधन रखने का मौका मिलेगा और सदन जैसा चाहेगा उस पर निर्णय लेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—दोनों को मौका मिले यह सवाल नहीं है बल्कि सवाल यह है कि अगर दीपनारायण जी का संशोधन पहले नहीं लिया जाता है और श्री कृष्णानंद जी का प्रस्ताव पास हो जाता है तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—अगर उनका पास हो जाता है तो यदि सदन दीपनारायण जी के संशोधन को उचित नहीं समझेगा तो उसे मंजूर नहीं करेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—दोनों कैसे पास हो जायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—दोनों के पास होने का प्रश्न नहीं है । आप बैठ जायं ।

श्री दीपनारायणसिंह—आप ओवररूल कर दें तो हम मान जायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं, मैंने आप की बात नामंजूर कर दी । आप बैठ जायं, मैंने आपकी बात समझ ली ।

श्री दीपनारायणसिंह—कैसे ? आप ने क्या पहले से ही मान लिया, आप हमें बतायें कि आपने हमारी क्या बात समझ ली, आपने क्या समझा, जरा बतायें ।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने अपनी रूलिंग दे दी, आप विराजिये ।

श्री कृष्णानन्द राय—यदि माननीय दीपनारायण सिंह जी जरा धैर्य रखते तो मेरा संशोधन तो शाब्दिक है और जो यह उपखंड है अगर यह स्वीकार भी हो जाय तब भी सम्पूर्ण प्रतिबन्ध निकल जायगा और उनका अधिक लाभ होगा ।

श्री उपाध्यक्ष—आप उनको समझाइये नहीं, आप आगे कहिये ।

श्री कृष्णानन्द राय—माननीय सदस्यों को याद होगा कि खंड २ पर विचार जब हो रहा था तो शब्द "फ्लोट ओनर" आया था, ज्यादा व्याख्या अब देने की जरूरत नहीं है । इस खंड में भी फ्लोट ओनर शब्द आया है । इस जगह हमारा संशोधन है परिचालक का जो वर्गीकरण है उससे काम चल जाता है । इसलिये हमारा संशोधन व्याख्यात्मक खंड के अनुकूल है और आशा है मंत्री जी स्वीकार करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुजफ्फर हसन—मैं इसे मन्जूर करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६. . . . .

श्री हरिनाथ तिवारी—श्रीमन्, इस पर कोई बहस नहीं होगी ?

श्री उपाध्यक्ष—कोई खड़ा ही नहीं हुआ तो मैं कैसे बहस करा दूं ।

श्री कृष्णानन्द राय—श्रीमन्, जिस समय प्रश्न उपस्थित होता है तो कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं हो सकता ।

श्री उपाध्यक्ष—कोई साहब खड़े ही नहीं हुये तो मैंने मंत्री जी को बुला लिया ।

श्री दीपनारायणसिंह—श्रीमन्, हमारे संशोधन पर भी साथ-साथ वोटिंग हो जाती तो अच्छा था ।

श्री उपाध्यक्ष—आपका संशोधन तो अभी पेश भी नहीं हुआ, उस पर अभी कैसे राय ली जा सकती है ।

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) के प्रतिबन्धात्मक खंड में शब्द "वाहन समूह स्वामियों के सम्बन्ध में अन्य परिचालकों से सम्बद्ध नियमों से" के स्थान पर शब्द "विभिन्न वर्गों के परिचालकों के सम्बन्ध में भिन्न" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—
पक्ष में—९६,
विपक्ष में—३० ।)

श्री दीपनारायणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन जिस दृष्टि से रखा गया है । . . . .

श्री उपाध्यक्ष—पहले आप मूव तो कर दीजिये ।

श्री दीपनारायणसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (१) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय ।

(इस समय ६ बजकर १९ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

एक सदस्य—व्यवस्था का प्रश्न है । अभी एक संशोधन स्वीकार कर लिया गया है तो उसके बाद उसके विपरीत संशोधन कैसे रखा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष—दीपनारायण जी का संशोधन पहले नहीं लिया गया इसलिये अब लिया जा रहा है ।

श्री दीपनारायणसिंह—मेरा कहना यह है कि जनवाद में हाथ के बहुमत से संविधान के अनुच्छेद १४ को खत्म करने का मंशा अगर नहीं है तो फिर हर क्लास के व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिये । इसलिये मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये । लेकिन आप देखें कि खंड ६ के उपखंड (१) का प्रतिबन्ध इस प्रकार है "प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये वाहन समूह स्वामियों के सम्बन्ध में अन्य परिचालकों से सम्बद्ध नियमों से भिन्न नियम नियत किये जा सकते हैं । तो यह चोर की दाढ़ी में तिनका है । विधेयक में जो गलतियां हैं, छेद हैं उनको अब संशोधनों के जरिये ठीक किया जा रहा है । इसका अर्थ यह है कि बहुत सूझबूझ के बाद भी उनके स्वयं के विधेयक में गलतियां रह गयी हैं । अब यह विभिन्न वर्गों के साथ विभिन्न प्रकार की नीति बरतने का क्या कारण है ? १० करोड़ वसूली की जो कर नीति सरकार बनाने जा रही है उसमें विभिन्न प्रकार के वर्गों के साथ विभिन्न प्रकार का रवैया

[श्री दीपनारायणसिंह]

अख्तियार करेगी ? इस प्रकार की नीति किस सिद्धान्त की द्योतक है ? आपकी कौन सी मंशा है जो आपके हृदय में छिपी हुई है ? क्या गरीब गाड़ी वालों के साथ दूसरे नियम बरते जायेंगे और अमीर गाड़ी वालों के साथ दूसरे नियम बरते जायेंगे ? इसका मतलब यह है कि मोटे गाड़ी के मालिकों के साथ आप सहूलियत रखना चाहते हैं और गरीबों के साथ सख्ती बरतना चाहते हैं । यह मैं इसलिये कहता हूं कि आपका उपबन्ध स्वयं पूंजीपतियों के साथ मुहब्बत का द्योतक है । इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है ।

श्री अध्यक्ष—ठीक है ।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं खत्म ही कर रहा हूं । सिर्फ दो मिनट लूंगा ।

श्री अध्यक्ष—नहीं, एक मिनट ।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—व्यवस्था का प्रश्न है । अभी दीपनारायण जी ने कहा कि दो मिनट बोलूंगा और आपने कहा कि एक मिनट बोलिये । तो क्या इन संशोधनों पर बोलने के लिये कोई समय निश्चित कर दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—आप बैठ जाइये, यह हमारी और उनकी बात है ।

श्री दीपनारायणसिंह—मैं नहीं चाहता कि ज्यादा देर तक हम भूखे रहें, क्योंकि छः बज गये हैं । अध्यक्ष महोदय, आप एक अच्छे वकील हैं । जब कोई धारा आती है तो वह स्वयं पूर्ति करने वाली होनी चाहिये और उसकी टेक्निकल शब्दावली होनी चाहिये । इसीलिये नियमावली का अधिकार दिया जाता है । तो यह बेतुका उपबन्ध है, यह इस विधेयक की शोभा को खत्म करता है और आर्टीकल १४ के अन्तर्गत जो सब वर्गों के साथ समान रूपता के साथ न्याय किया जाना चाहिये, की व्यवस्था है, उसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाता है । इसलिये मैं चाहूंगा कि कम से कम यह सदन जिसको संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है वह ऐसी कोई धारा पास न करे जो कि संविधान की किसी धारा के टकराव में आती हो । इसलिये मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि मेरे संशोधन को मान लीजिये, इस उपबन्ध की आवश्यकता नहीं है ।

*श्री शारदानन्द—अध्यक्ष महोदय, जो विवाद चल रहा है उसके विषय में कई बार सरकारी पक्ष की तरफ से यह कहा गया कि समय का बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है. . . . .

श्री अध्यक्ष—आप संशोधन पर बोलिये ।

श्री शारदानन्द—मैं उसी पर बोल रहा हूं, लेकिन जो उधर से कहा गया है उसका जवाब तो दे लेने दीजिये । उन्होंने जो एक एक मिनट का हिसाब रखा उस विषय में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह जो बिल हमारे सामने लाया गया और इसमें जो बार बार सरकार की तरफ से संशोधन लाये जाते हैं क्या इसमें समय और जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है ?

माननीय दीपनारायण जी के संशोधन के बारे में मैं इतना ही कहता हूं कि यह वही संशोधन है जो कृष्णानन्द जी ने दिया है । इसलिये ऐसा मालूम होता है कि उधर के लोग भी चाहते हैं कि यह संशोधन मान लिया जाय । इसलिये मैं माननीय सदस्यों से कहता हूं कि दीपनारायण जी का संशोधन मान लीजिये ।

श्री मुजफ्फर हसन—अध्यक्ष महोदय, इस ऐक्ट में कई तरह का इन्तजाम तजवीज हुआ है । यह भी है कि लम्प सम रकम ले ली जायगी । ऐसी भी यहां पर रोडवेज वगैरा की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कम्पनियां हैं जिनके आलरेडी रिटर्न्स तैयार होते हैं । इसलिये उसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी । मुख्तलिफ तरीके बरतने से यह संविधान के खिलाफ नहीं आता है । मैं इसकी मुखालफत करता हूं ।

श्री दीपनारायणसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि आपको अधिकार नियमों के बनाने में है । तब इस उपबन्ध से आप क्या विशेष बात लाते हैं ? वर्गों का विश्लेषण कहीं नहीं है । अगर आप इसको न भी रखें तब भी क्या आपको विभिन्न प्रकार की गाड़ियों के संबंध में या टिकटों के जरिये या रुपयों के वसूल करने के संबंध में नियम बनाने के अधिकार नहीं रखते हैं ? आपको अधिकार है । फिर भी आपने इसको रखा है । इससे आपको क्या लाभ है ? इससे कंफ्यूजन पैदा होता है, बेतुका सा है और पक्षपात होने का अंदेशा है । वर्ग से मतलब १०० गाड़ियों का मालिक, ५० गाड़ियों का मालिक, यह भी हो सकता है । मैं कहूंगा कि आपके अधिकार वसीय हैं । आप वैसे ही अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं । इसलिये इस प्रतिबन्ध की आवश्यकता नहीं है । अगर यह कोर्ट में जायेगा तब भी ठीक नहीं रहेगा । इससे तो आप अपने को बांध रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष जी, श्री उपाध्यक्ष ने यह निर्णय लिया था कि एक संशोधन पर कम से कम ५ व्यक्ति बोलेंगे । हमारे साथी कमलासिंह जी खड़े हुए थे, लेकिन आपने मंत्री जी को बुला लिया । हम लोगों के साथ ज्यादती है ।

श्री अध्यक्ष—रामसुन्दर जी, कमलासिंह जी बहुत देर में खड़े हुये और मैंने उनको बुला लिया था । रहा यह कि ४ बोलें या ५ बोलें जैसा आपको मंजूर होगा, बोलेंगे ।

प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (१) का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ७

कर का भुगतान प्रत्येक महीने सरकारी खजाने को किया जायेगा

७—धारा ६ के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणियों के अनुसार किसी महीने के लिये देय कर का भुगतान परिचालक द्वारा सरकारी खजाने को दिया जायेगा । और ऐसे भुगतान की रसीद कर-अधिकारी या नियत प्राधिकारी को सम्बद्ध महीने के ठीक बाद वाले महीने के १५ वें दिन या उसके पूर्व भेजी जायेगी ।

***श्री कृष्णानन्द राय**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि खंड ७ में प्रारम्भ में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं— "सिवाय उस दशा के जब इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था की गई हो ।"

श्रीमन्, यह व्यवस्था की गई है कि परिचालक महीने के अंत में जो देय कर खजान में जमा करेगा उसकी रसीद १५ दिन में भेज दे । लेकिन विधेयक में कई प्रकार की गाड़ियों की व्यवस्था है जैसे अन्तर्राज्य में चलने वाली गाड़ियां हैं । उनके साथ दूसरे प्रकार के ऐग्रीमेंट हो सकते हैं । अगर सबके ऊपर यह प्रतिबन्ध लागू होगा तो व्यावहारिक कठिनाई होगी । इसलिये यह संशोधन उपस्थित किया गया है ।

मुझे आशा है कि सदन इसको स्वीकार करेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, नियमों में और विधेयक में अधिकतर एकरूपता होनी चाहिये । मैं समझता हूं कि एकरूपता होने से सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सहूलियत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

होगी और जो परिचालक होंगे उन्हें भी सहूलियत होगी । इस प्रकार से एक ही धारा में तरह तरह के शब्दों को तोड़-मरोड़ कर रखने का नतीजा यह होगा कि गरीब, कमजोर, नासमझ लोगों को ठगने का लोगों को अवसर मिलेगा । इस लिये यह धारा जो रखी गयी है वही काफी है । कृष्णानन्दराय जी कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं । उन्होंने कुछ लोगों को बचाया है, खास तौर से जो सौ से अधिक वाहनों के मालिक हैं । इसके पीछे वाली धारा में उसको सहूलियत दी है । इसी प्रकार इस धारा में भी वह सहूलियत देना चाहते हैं । जो धारा पहले से है वह ठीक है और जो संशोधन रखा गया है वह गलत है और स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री मुजफ्फर हसन---मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था । कई तरह का सिस्टम है । जिसमें सब को खजाने में जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी । इसलिये इसकी जरूरत हुई और मैं इस को मंजूर करता हूं ।

श्री कृष्णानन्द राय---अध्यक्ष महोदय, कोई ऐसा प्वाइंट नहीं उठाया गया है जिसका मैं उत्तर दूं ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रारम्भ में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायं---

'सिवाय उस दशा के जब इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अन्यथा व्यवस्था की गयी हो ।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ८

विवरणी न होने पर अथवा उसके अशुद्ध या अपूर्ण होने पर प्रक्रिया

८---(१) यदि किसी यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में परिचालक द्वारा किसी महीने या उसके भाग के लिये कोई विवरणी प्रस्तुत न की गयी हो अथवा यदि किसी यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में परिचालक द्वारा किसी महीने अथवा उसके भाग के लिये प्रस्तुत की गई विवरणी कर अधिकारी को अशुद्ध या अपूर्ण प्रतीत हो तो वह अशुद्ध होने की दशा में परिचालक को अपना अभ्यावेदन (यदि कोई हो) देने का, और अपूर्ण होने की दशा में प्रस्तुत की गयी विवरणियों की शुद्धता और पूर्णता सिद्ध करने का, समुचित अवसर देने के पश्चात् वह धनराशि अवधारित करेगा जो परिचालक द्वारा राज्य सरकार को उक्त महीने या उसके भाग के लिये कर के रूप में देय हो :

प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार अवधारित धनराशि किसी भी दशा में उस अधिकतम कर से अधिक न होगी, जो यात्री-गाड़ी के उस महीने या उसके भाग में बराबर पूरे यात्री ले जाने की दशा में सरकार को देय होता ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन अवधारित धनराशि या उसकी शेष धनराशि जैसी भी स्थिति हो, का भुगतान परिचालक द्वारा सरकारी खजाने को किया जायगा और ऐसे भुगतान की रसीद कर अधिकारी या नियत प्राधिकारी को उक्त अवधारण के तीस दिन के भीतर भेजदी जायगी ।

***श्री हरिनाथ तिवारी**---माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संशोधन निम्न प्रकार है---

'खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द "कोई विवरणी प्रस्तुत न की गयी हो" निकाल दिये जायं ।'

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रश्न यह है कि खंड ७ में जो आप कहते हैं कि धारा ६ के अधीन प्रस्तुत की गयी विवरणियों के अनुसार किसी महीने के लिये देय कर का भुगतान परिचालक द्वारा सरकारी खजाने को किया जायेगा। वहां यह है कि विवरणी द्वारा ही जमा होगा। उसको अब एक मौका दे देते हैं कि अगर बेईमानी करना है तो विवरणी न पेश करें। जब उसके लिये लेखा रखना आवश्यक है तब यह छूट उसके लिये क्यों कि विवरणी नहीं पेश करेगा। यह छूट ऐसे लोगों के लिये होगी जो हमारे उधर के बैठने वाले लोग हैं जिनकी बसेज या लारियां चलती हैं। वह विवरणी नहीं पेश करेंगे। उनसे कह दिया जायगा कि तुम्हारे ऊपर इतना लगा दिया जाता है। विवरणी क्यों न प्रस्तुत हो? माननीय मंत्री को मानने में अवश्य कष्ट होगा और इनके साथियों को कष्ट होगा, जिनकी बसेज और लारियां चल रही हैं। आप जानते हैं कि अदालत में केसेज जाते हैं और वहां पर टीका टिप्पणी होती है कि हम सदन में क्या करते हैं, सोते हैं या क्या करते हैं। तरह तरह की संज्ञायें दी जाती हैं। इस में विशेषता यह है कि एक प्रकार का भ्रष्टाचार बढ़ाने का मौका दिया जाता है। आप स्वतः कानून में एक नयी चीज पैदा करते हैं और यह कहते हैं कि अगर विवरणी प्रस्तुत न करे जब आप कहते हैं कि लेखा जोखा रखे जो कुछ जमा करना है विवरणी के हिसाब से करे। यह क्यों रखा जाय कि विवरणी न प्रस्तुत हो।

श्री अध्यक्ष—यह तो जरा दिक्कत हो रही है, हरिनाथ जी। वह कहते हैं कि जहां ऐसा नहीं होगा उसके कांसीक्वेंसेज होंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी—लेकिन आपने एक मौका उसको दे दिया तो जैसा मैंने कहा कि उसको १०० रुपये जमा करना है और वह कहता है कि मुझको ५० रुपया ही मिला है तो उसके लिये उसको विवरणी देना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—अगर वह नहीं देता है तो क्या होगा?

श्री हरिनाथ तिवारी—अगर वह नहीं देता है तो उसको मजबूर किया जाय जिससे वह महीने भर का हिसाब जरूर दे सके। अगर ला में यह बात रहेगी तो वह जरूर ऐसा करेगा। मेरी राय में इस संशोधन में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको मन्जूर न किया जाय। अगर वे ठीक बात को भी मानने के लिये तैयार न हों तो यह दूसरी बात है।

***श्री काशीनाथ मिश्र**—अध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों के विषय में मैं देख रहा हूं कि जो भी संशोधन उधर के पक्ष से पेश किया जाता है उसमें खासकर माननीय कृष्णानन्द राय के संशोधन सारे के सारे माननीय मन्त्री जी द्वारा स्वीकार कर लिये जाते हैं....

श्री अध्यक्ष—आप भी इतने प्रिय हो जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र—जो वस्तुस्थिति है वह मैं बता रहा हूं। जो संशोधन माननीय हरिनाथ तिवारी जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। जो यह इस प्रकार की बातें इस खंड में रखी गई हैं उससे उधर के बैठने वाले लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। उस स्वार्थ सिद्धि के हिसाब से जो बात रह जाती है उसको वह संशोधनों के जरिये से लाना चाहते हैं। इसी प्रकार से विवरणी के प्रस्तुत करने का सवाल है। इसमें यह हो सकता है कि कुछ मोटरों के मालिक उधर ऐसे हों जो अपने मोटर चलाते हों या मोटरों के मालिक हों तो वे किसी न किसी रूप में वह विवरणी पेश न करें तो तब भी उनका काम चल जाय। हरिनाथ जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह उन शब्दों को निकाल देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि परिचालकों को मजबूर किया जाय कि वह किसी न किसी तरीके से अपना हिसाब रखें और उसको महीने में पेश करें। इन शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी से अपील करूंगा कि वह इसको स्वीकार करें ताकि वे लोग मजबूर हो सकें अपना हिसाब देने के लिय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री दयाराम शाक्य—यह जो हरिनाथ जी तिवारी का संशोधन है इसके पक्ष में जो बातें कही गई हैं मैं भी उनका समर्थन करता हूं। जैसा कि अभी बताया गया कि यह वास्तव में एक छूट उनको दी गई है कि वे अपनी विवरणी यदि प्रस्तुत न कर सकें तब भी उनका काम हो जाय। पहले वाले सेक्शन में यह बात आ गई है। यदि वह विवरणी न दें तो यह जुरमाना उसके ऊपर होना चाहिये। इस प्रकार का एक पिनेल सेक्शन होना चाहिये। अब यहां पर इस प्रकार से छूट देना कि यदि ऐसी विवरणी न दी गई हो तब भी उसका काम चलता रहे तो इससे अपने व्यक्तियों को किसी प्रकार से सहयोग देना चाहते हैं। इस प्रकार से एक उपखंड के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि कुछ व्यक्तियों को यह विशेष लाभ दिया जा सके। यह उचित नहीं है। इस खंड में ये शब्द अनावश्यक रूप से रखे गये हैं। इन शब्दों की यहां पर आवश्यकता नहीं है। जब पेनल सेक्शन हो गया है तो इन शब्दों का इस स्थान पर कोई औचित्य नहीं है। मैं समझता हूं जो संशोधन उपस्थित किया गया है वह सरकारी बक्ष को मान्य होगा।

*श्री राधेश्याम शर्मा—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने इस संशोधन को गौर से पढ़ा और उसके ऊपर बातों को भी सुना। यह विधेयक जब से प्रारम्भ हुआ उसके ऊपर बोलने का कई बार मौका मिला। सवाल इस बात का है कि सरकार की टैक्स लेने की जो नीति है उसके साथ साथ नियम भी इस प्रकार के बनने चाहिये जिससे वह टैक्स ढग से वसूल किया जा सके और सही तरीके से सरकार के खजाने में रुपया पहुंच सके। मुझे सरकार से जो शिकायत है वह यह है कि सरकार उस नीति का विरोध नहीं करती। जहां तक सरकार का प्रश्न है वह टैक्स दिन पर दिन लगाती चली जा रही है। मुख्य मन्त्री जी ने इस सदन में यह ऐलान कर ही दिया है कि एक-एक पाई कर भार जनता को वहन करना होगा। व्यापार में तो ऐसा होता ही है। लेखा-जोखा चलता ही है। मेरी समझ में नहीं आता कि विवरणी रखी न जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री राधेश्याम जी, आप विषय पर रहिये।

श्री राधेश्याम शर्मा—बड़ा सीधा सवाल है। जब विवरणी नहीं रखी जायगी तो मैं समझता हूं कि जो सरकार टैक्स लगाना चाहती है यदि उसकी वसूलयाबी नहीं होगी तो सरकार के खजाने में धन कैसे पहुंचेगा। यदि हिसाब-किताब ठीक ढंग से सरकार नहीं रखेगी और इसकी व्यवस्था नहीं करेगी तो सरकार को कोई लाभ नहीं होगा। जितनी सरकार टैक्स लगाने में तत्परता दिखा रही है उतनी ही तत्परता उसको हिसाब किताब रखने में भी दिखानी चाहिये। इसलिये मैं कहता हूं कि विवरणी हर हालत में रखी जाय।

श्री अध्यक्ष—मन्त्री जी, क्या आप इसे मन्जूर करते हैं।

श्री मुजफ्फर हसन—जी नहीं, मैं इसे नामन्जूर करता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी—श्रीमन्, वहां पर विवरणी न होने पर कैसे काम चलेगा। पहले आप कह चुके हैं कि विवरणी रखी जाय और अब आप कहते हैं कि न रखी जाय तो यह कहां तक ठीक है। मैं यह कहता हूं कि विवरणी रखी अवश्य जाय चाहे वह अशुद्ध हो या शुद्ध पर होनी अवश्य चाहिये। इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर गौर करें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "खंड ८ के उपखंड (१) की पंक्ति २ में शब्द 'कोई विवरणी प्रस्तुत न की गयी हो' निकाल दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है यक खंड ८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बंशीधर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—माननीय बंशीधर पांडेय जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि आज जन्माष्टमी है। वैष्णव और सनातनी दोनों ही संप्रदाय के लोग आज व्रत हैं। इसलिये समय न बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव मैं रखूंगा। प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, दो बार समय बढ़ाया जा चुका है। एक बार उपाध्यक्ष महोदय ने स्वयं १५ मिनट का समय बढ़ाया। फिर दो घंटे का प्रपोजल आया वह पास हुआ। अब फिर तीसरी बार एक घंटे के लिये यह प्रस्ताव पास किया गया। इतनी ज्यादती हम लोगों के साथ नहीं की जानी चाहिये। अगर बहुमत के बल पर यह ज्यादती होगी तो....

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव पास हो चुका है, कृपया बैठिये।

खण्ड ९

किराये का कर-निर्धारण से छूट जाना

९—यदि किसी महीने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन लगाया जाने वाला कर किसी कारणवश निर्धारण से पूर्णतः या अंशतः छूट गया हो तो कर अधिकारी, उस महीने की समाप्ति के तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय परिचालक को नोटिस देने और ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो उक्त अधिकारी आवश्यक समझे वह कर निर्धारित कर सकता है जो निर्धारण से छूट गया हो।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय—मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड ९ की पंक्ति ३ में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर अंक व शब्द "१ वर्ष" कर दिये जायं।

इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि किसी भी अधिकारी के नजरन्दाज कर देने के कारण किसी पर कर की छूट हो सकती है। वह भूल भी सकता है। इसलिये नियम बनाया गया है कि उस महीने के बाद से ३ वर्ष के अन्दर वही अधिकारी जाँच-पड़ताल करके उस पर कर निर्धारण करेगा। इससे होगा यह कि जो पैसे वाले लोग हैं वह किसी तरह से अधिकारियों को प्रभावित करके निश्चित रूप से यह छूट करा लेंगे और फिर ३ वर्ष तक वह उस रुपये का उपभोग कर सकेंगे। सरकार के खजाने में ३ वर्ष तक रुपया नहीं आयेगा। कहीं भी यह प्राविजन नहीं है कि जब इस तरह कर निर्धारण हो तो उससे जुर्माना भी लिया जाय। इसलिये धनी लोग आफिसर्स को भ्रष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना के नाम पर जो पैसा माँगा जा रहा है वह उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा क्योंकि पैसा जल्दी मिल नहीं सकेगा। इसीलिये मेरा यह संशोधन है कि तीन वर्ष के स्थान पर एक वर्ष कर दिया जाय ताकि रुपया जल्द से जल्द मिल जाय और धन हमारी तृतीय योजना में लगाया जा सके।

*श्री बिपिनबिहारी तिवारी—माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ९ में यह है कि "यदि किसी महीने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन लगाया जाने वाला कर किसी कारणवश निर्धारण से पूर्णतः या अंशतः छूट गया हो तो कर अधिकारी, उस महीने की समाप्ति के तीन वर्ष के भीतर किसी भी समय परिचालक को नोटिस देने और ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो उक्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बिपिनबिहारी तिवारी]

अधिकारी आवश्यक समझे वह कर निर्धारित कर सकता है जो निर्धारण से छूट गया हो।" मतलब यह है कि कर अधिकारी को अधिकार प्राप्त हो गया है कि ३ वर्ष के भीतर नोटिस दे दे। वह इतना विजिलेंट नहीं रह सकता और कर्तव्यपालन में ढिलाई आ जायगी। इसलिये एक वर्ष की अवधि रखना अधिक हितकर होगा।

*श्री हरिनाथ तिवारी—पहले जो हमें यह देखना है कि यह कर किराये के साथ वसूल करते हैं। उसको वह वसूल करके ३ साल तक अपने पास रखेंगे और अपने काम में लायेंगे, व्यापार करेंगे। इससे सरकार को लाभ होगा या नुकसान। इस तरह से तीन साल तक आप उन को मौका देंगे कि सरकारी रकम रखे रहें। इसलिये कम से कम उसकी मियाद रखनी चाहिये। अगर स्केप हो गया है तो अधिकारी समझेगा कि चलो थोड़ा समय और दे दिया, ३ साल का तो समय है ही। एक साल का प्रतिबन्ध होगा तो वह ऐसा नहीं कर सकता। इससे करप्शन बढ़ सकता है। इसलिये १ साल का रखना ज्यादा उचित होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, हमको ताज्जुब हो रहा है कि मुजफ्फर हसन साहब ने कई बार कृष्णानन्द जी का समर्थन किया कि अलग-अलग परिचालक हैं, अलग-अलग हैसियत के अनुसार कानून बनता है। लेकिन हम देखते हैं कि यह बड़ों के लिये और छोटों के लिये, दोनों के लिये एक हैं। आज हालत यह है कि करोड़ों रुपया कर का सरकार वसूल नहीं कर पायी। कहा गया है कि ७५ लाख की आमदनी का अनुमान है, लेकिन १५ फीसदी के हिसाब से तो मैं समझता हूं ढाई करोड़ तक यह रकम पहुंचेगी। इस प्रकार से वह जो वसूली करेंगे उससे वह अपना लाभ करेंगे। अगर सरकार चाहती है कि सही मानों में पैसा सरकारी खजाने में आये तो १ साल की मियाद रखनी चाहिये। इस प्रकार से तो सरकार लाल फीते को बढ़ावा देती है। इसलिये आवश्यक है कि उसको बढ़ावा न देकर केसरी प्रसाद जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—(श्री कमलासिंह यादव से) श्री कमलासिंह जी, यह रूल आफ लिमिटेशन का सवाल है। वह एक साल करना चाहते हैं। इसमें सरकार का नुकसान होगा या फायदा, यह आप बतायें।

*श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, अगर कोई कन्डक्टर या परिचालक है, वह अगर ट्रान्सफर होता है, अब उस पर कोई कर बकाया है तो सवाल यह आयेगा कि उस कर को कौन दे पहला परिचालक अथवा दूसरा? आप किससे वसूल करेंगे?

जहाँ तक लिमिटेशन का सवाल है अगर एक साल होगा तो अधिक सहूलियत होगी। क्योंकि अगर एक साल का बकाया रह जायगा तो पहले मालिक से वसूल कर लिया जायगा। ३ साल के बाद उसे आप किससे वसूल करेंगे?

श्री मुजफ्फर हसन—अगर कोई मियाद न रखने से टैक्स वसूल हो जाय तो साल भर भी रखने की आवश्यकता नहीं है। तमाम दुनिया में ३ बरस का लिमिटेशन है। सेल्स टैक्स में ४ बरस की मियाद है और इनकम टैक्स में ८ बरस की। मियाद रखने से यह मंशा है कि उस वक्त तक कितना टैक्स वसूल हो चुका यह मालूम हो जाय और वसूल किया जा सके। अगर फिर भी वसूल नहीं होता तो डिपार्टमेंट वाले जवाबदेह होंगे।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—श्रीमन्, मैं तो फिर निवेदन करूंगा कि इस धारा से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मोटरशाह लोग अधिकारियों को गलत तौर पर प्रभावित करेंगे। आपकी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजना को विफल करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार आज भी करोड़ों रुपया आपका बकाया है, यह भी बकाया रहेगा। इसलिये आपको एक साल से अधिक की मियाद नहीं रखनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ की पंक्ति ३ में शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर अंक व शब्द "१ वर्ष" कर दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

कर का भुगतान न करने पर शास्ति।

१०—यदि पूर्वोक्त धाराओं के उपबन्धों के अनुसरण में किसी यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में किसी महीने या उसके भाग के लिये राज्य सरकार को देय सम्पूर्ण कर या उसके किसी भाग का भुगतान समय पर न किया जाये, तो कर अधिकारी स्वमति से इस प्रकार देय कर के अतिरिक्त शास्ति भी आरोपित कर सकता है जो उस अधिकतम कर के २५ प्रतिशत से अधिक न होगी जो यात्री-गाड़ी के उस महीने या उसके भाग में बराबर पूरे यात्री ले जाने की दशा में सरकार को देय होता।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन निम्न प्रकार है :—

खंड १० की पंक्ति ३ में अन्तिम शब्द "अधिकारी" तथा पंक्ति ४ के प्रथम शब्द "स्वमति" के मध्य निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"१५ दिन की नोटिस देने के पश्चात् और पर्याप्त कारणों के अभाव में"

इस सिलसिले में मुझे निवेदन यह करना है कि नोटिस की अवधि कम से कम हो जिससे इस काम की जल्दबाजी और उस उद्देश्य की पूर्ति में भी वह सहायक हो सके। पर्याप्त कारणों के अभाव में कहने का मतलब यह है कि जाँच पड़ताल के बाद मनमानी करने का उनको मौका न मिले। उन कारणों को मद्देनजर रखते हुए जल्द से जल्द इस चीज को वह सम्पन्न करा सकें, इसी मकसद से हमने इसको बढ़ाया है।

श्री मुजफ्फर हसन—अध्यक्ष महोदय, उसूलन तो मैं जो इसकी स्प्रिट है उसको मंजूर करता हूं लेकिन यह जो १५ दिन की कैद है उसको मंजूर करने में असमर्थ हूं। अगर यह इन अल्फाज में हो जाय 'परिचालक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण प्रकट करने का अवसर देने के पश्चात्' तो मैं इसे मंजूर कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—जरा फिर से पढ़ दें कि किस तरह से आप चाहते हैं।

श्री बंशीधर पांडेय—"स्वमति से" के स्थान पर ये शब्द रखे जायं—

"परिचालक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण प्रकट करने का अवसर देने के पश्चात्।"

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—मुझे यह स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० की पंक्ति ४ में शब्द "स्वमति" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं—

"परिचालक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण प्रकट करने का अवसर देने के पश्चात्।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १० की पंक्ति ५ में संख्या व शब्द "२५ प्रतिशत" के स्थान पर संख्या व शब्द "१० प्रतिशत" कर दिया जाय।

इस सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि इस क्लाज के अनुसार उस पर जुर्माना भी हो रहा है और....

श्री अध्यक्ष—यह तो नान-पेनाल्टी की चीज हो जाती है जो नहीं होनी चाहिये। मेरे खयाल से आप इसे वापस ले लें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—श्रीमन्, मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११ तथा १२

कर या शास्ति के बकायों की वसूली।

११—(१) इस अधिनियम के अधीन आरोपित किसी कर या शास्ति का बकाया मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

(२) कर उस यात्री-गाड़ी पर, जिसके सम्बन्ध में यह देय हो, और उसके पुर्जों पर भी, प्रथम भार होगा।

धनराशि का लौटाया जाना।

१२—नियत प्राधिकारी, तदर्थ प्रार्थना करने वाले परिचालक को नियत रीति से ऐसी धनराशि लौटा देगा जो उस परिचालक ने इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा देय पायी गयी धनराशि के अतिरिक्त अदा की हो।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के उपखंड (२) में से शब्द और चिह्न "और उसके पुर्जों पर भी" निकाल दिये जायं।

इस सम्बन्ध में मुझे थोड़ा-सा निवेदन करना है कि किसी दिन प्रश्नों के उत्तर में माननीय परिवहन मंत्री ने यह कहा था कि कुछ बेकार गाड़ियां ऐसी भी हैं कि जिनके पुर्जे नहीं मिलते और उनके अभाव में वह गाड़ियां काम में नहीं लाई जा सकतीं। अगर इन पुर्जों को भी निकाल लिया जायगा या नीलाम कर दिया जायगा, जो अप्राप्य हैं तो यह गाड़ियां भी खराब हो जायंगी। इस तरह से कर वसूली के साथ परिचालक की रोजी भी खत्म हो जायगी और जो साधन जनता के आवागमन के लिये प्राप्त हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं। पुर्जे गाड़ियों के न निकाले जायं।

श्री अध्यक्ष—जब गाड़ी ही किसी की बिक जायगी तो वह पुर्जे रख कर क्या करेगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—अगर पुर्जे रहते हैं तो बाद में परेशानी नहीं होगी और वह डर की वजह से खुद ही कर दे देगा। जैसे हल बरद कुर्क हो जाते हैं, सारा साधन ही किसान का चला जाता है, वैसे ही पुर्जे लेने से परिचालक को बड़ी दिक्कत हो जायगी। इससे गरीब, अमीर किसी का भला न होगा और न सरकार को पुर्जों से कोई लाभ ही होगा।

*श्री हरिनाथ तिवारी—अध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं इसको समझा हूं यह भी हो सकता है कि कोई मालिक गाड़ी या बस के पुर्जे अलग निकाल कर घर ले जाकर रख दे। कौन सा यंत्र आप के पास होगा यह जानने के लिये कि यह उसी गाड़ी के पुर्जे हैं या कहीं अन्य गाड़ी से लाकर उसने अपने काम के लिये रखे हैं। इससे बहुत भ्रष्टाचार फैलेगा। कौन चिन्ह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होगा कि यह उसी के हैं। इस चेसिस का इतने नम्बर का पुर्जा है और उसने रख दिया है उसमें जो अधिकारी कब्जा करेगा फिर यह कहेगा कि रुपया लाओ, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि गाड़ी तक ही सीमित रखा जाय और पुर्जे न अटेच किये जायं।

उसको और किसी तरह से वसूल किया जाय, ठीक है। लेकिन पुर्जे के पीछे दौड़ना कहां तक न्यायसंगत है? दूसरी गाड़ी के पुर्जे रखे हैं और आप कहते हैं कि नहीं यह तो उसी गाड़ी के पुर्जे हैं। इसलिये यह ठीक नहीं होगा। अतः इस संशोधन को मान लिया जाय।

*श्री कमलासिंह यादव---श्रीमन्, जहां तक मेरा ख्याल है यात्री गाड़ी पर जिसके सम्बन्ध में वह देय हो और उसके पुर्जे पर भी प्रथम भार होगा। अगर कर किसी के ऊपर बाकी हो तो पहले जो है डिग्री वगैरह से वसूल हो, पहला भार उसी के ऊपर होगा, यह मतलब है। लेकिन इसमें यह है कि जब यात्री गाड़ी पर पहला भार लगा देते हैं तो उसके पार्ट्स का कोई सवाल नहीं क्योंकि गाड़ी सब चीजों को कवर कर लेती है....

श्री अध्यक्ष---स्टिपनी जैसे होती हैं।

श्री कमलासिंह यादव---वह भी तो उसी गाड़ी का पार्ट है। लेकिन एक गाड़ी के बदले दूसरी का सामान रख लिया। जो पार्ट्स हैं वह इंडिस्ट्रिगुइशेबिल होते हैं क्योंकि एक गाड़ी में दूसरी मेक के भी पुर्जे उसमें लगाये जाते हैं। इसलिये इसमें काफी दिक्कत होगी और उस समय कोई भी आपका अधिकारी गया तो उसे भी आप एक मौका देते हैं करप्शन का क्योंकि उसका डिस्क्रीशन होगा। वह कह सकता है कि यह इस गाड़ी का नहीं है दूसरी गाड़ी का है, और अगर गाड़ी के अन्दर जो कुछ सामान है उसमें कोई डिस्क्रीशन नहीं है, इसलिये पार्ट्स को रखना जरूरी नहीं है।

*श्री रामआसरे---श्रीमन्, मैं माननीय केशरी प्रसाद पांडेय जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। सरकार को केवल अपने टैक्स से मतलब है जो मोटर डीलर को देना है। उसके पार्ट्स को नीलाम करने की तब जरूरत है जब किसी तरह अदा न हो। अब तक यही होता है, गाड़ी रोक कर ट्रांसपोर्ट आफिस में खड़ी कर दी जाती है लेकिन उसके पार्ट्स नहीं निकाल लिये जाते। सरकार का अगर कर अदा हो जाय तो पार्ट रोकने की जरूरत नहीं है। गाड़ी रोक लीजिये, डीलर को भी रोक लिया जाता है लेकिन यह नहीं है गाड़ी हमारी चल रही है उसमें से एक पार्ट निकाल लिया जाय। अब तो ऐसे आविष्कार हो रहे हैं किसी गाड़ी के पार्ट दूसरी में लगाये जा सकते हैं....

श्री अध्यक्ष---जो उन्होंने बात कही, उसी विषय पर बोलिये। आप कहते हैं पुर्जे शब्द निकाल दिये जायं।

श्री रामआसरे---हम तो यही जानते हैं कि सरकार को अपने टैक्स से मतलब है।

*श्री गनेशीलाल---मैं यह संशोधन मानने में असमर्थ हूं क्योंकि माननीय सदस्य ने ऐक्सेसरीज शब्द को हटाने का संशोधन दिया है। माननीय सदस्य को भ्रम है कि ऐक्सेसरीज में स्पेयर पार्ट्स आ जाते हैं। ऐक्सेसरीज जोड़कर यह बचाव किया गया है कहीं मोटर आपरेटर्स, टायर, ट्यूब और बैटरी को हटा कर टैक्स न देने लायक हो जाय और फिर वह मोटर को भी बेकार कर दे। तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये ऐक्सेसरी शब्द जोड़ा गया है। इसलिये मैं इस संशोधन को नहीं मानता।

*श्री केशरीप्रसाद पांडेय---एक बात मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं जहां तक कर देने का सवाल है बड़े आदमी जब परेशान होते हैं या किये जाते हैं तो उनके पास पैसा होने से वे अदा तुरन्त कर देते हैं, लेकिन गरीब आदमी जिनमें बहुत से पोलिटिकल सफरर्स भी हैं, जो मोटर से जीविका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री केशरीप्रसाद पांडेय]

चला रहे हैं, उनके ऊपर अगर कर डयू हो जायगा तो वह उसे अदा नहीं कर पायेंगे। एक्सेसरीज के नाम पर उनकी जीविका को आप इस तरह खत्म कर देंगे। परिणाम यह होगा कि न आपको धन मिलेगा और न उन्हें जीविका मिलेगी। मेरा कहना है कि इन गरीबों की, जिनके पास बड़े साधन नहीं हैं और एक ही गाड़ी है, जीविका "केवल पुर्जे" के नाम पर न खत्म की जाय। सरकार लाठी, डंडे से कर वसूल कर लेगी और उस गरीब की जीविका भी बनी रहेगी।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ के उपखंड (२) में से शब्द और चिन्ह "और उसके पुर्जों पर भी", निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ११ और १२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३

१३—(१) राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य के लिये एक अपीलीय अपील अधिकारी नियुक्त करेगी।

(२) अपीलीय प्राधिकारी को अपील निम्नलिखित के विरुद्ध की जा सकेगी--

(क) धारा ६ की उपधारा (२) के अधीन शास्ति का भुगतान करने के लिए निदेश;

(ख) धारा ८ की उपधारा (१) के अधीन परिचालक द्वारा राज्य सरकार को देय धनराशि का अवधारण;

(ग) धारा ९ के अधीन कर-निर्धारण; और

(घ) धारा १० के अधीन शास्ति का आरोपण :

प्रतिबन्ध यह है कि जब तक कि अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाये कि निर्धारित कर की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है तब तक वह अपील ग्रहण नहीं करेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि परिचालक निर्धारित कर देने में असमर्थ है तो वह उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, ऐसे कर का भुगतान हुए बिना अपील ग्रहण कर सकता है।

(३) अपील उस आज्ञा के दिनांक से साठ दिन के भीतर की जायेगी जिसके विरुद्ध वह की जा रही हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यह अवधि, उचित कारण प्रकट किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा बढ़ायी जा सकती है।

(४) अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वह उचित समझे।

(५) इस धारा के अधीन अपील पर दी गयी प्रत्येक आज्ञा अन्तिम होगी।

*श्री हरिनाथ तिवारी--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १३ के उपखंड (२) में निम्नलिखित भाग "ङ" के रूप में जोड़ दिया जाय--

*(ङ) धारा २२ के दंड के विरुद्ध बढ़ा दिया जाय।" इस विधेयक में धारा २२ के अन्तर्गत ५०० या १,००० रुपये तक अर्थ दण्ड किया जा सकता है और यह भी है कि "प्रथम दोष सिद्धि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराध जारी रहे पचीस रुपये से अनधिक अतिरिक्त अर्थ दण्ड का भागी होगा । और धाराओं को तो अपीलेबिल रखा गया है, लेकिन खेद है कि इसको अपीलेबिल नहीं रखा गया है। इसलिये मेरा कहना यह है कि कोई भी अधिकारी क्षति कर सकता है, उसे एक मौका तो अपील करने का दिया जाय। इसलिये इस संशोधन का रहना बहुत आवश्यक है। शायद भूल से यह बात रह गयी।

धारा २ में यह कहा गया है कि अर्थ दण्ड का भागी होगा जो १ हजार रुपये तक हो सकता है। दण्ड की सीमा तो इतनी तक रखी गयी है लेकिन इसके लिये कोई अपील का प्राविजन नहीं रखा गया है। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे संशोधन को स्वीकार करेगा और ऐसे दण्ड के लिये अपील का रहना बहुत आवश्यक है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ—अब साढ़े ७ बज गये हैं और कोई बहुत बड़ा सिद्धान्त का सवाल नहीं है। अगर इधर से प्रोपोजल पेश कर दें और उधर से एक आदमी जवाब दे दे तो....

श्री अध्यक्ष—वही मैं कर रहा हूं।

*श्री गनेशीलाल—अध्यक्ष महोदय, सेक्शन १३ में अपील का प्राविजन है असेसमेंट आफ टैक्स और लेवी आफ पेनाल्टी के अगेन्स्ट। सेक्शन २२ में प्राविजन है क्रिमिनल प्रासिक्यूशन के अगेन्स्ट। तो ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग हैं। सेक्शन १३ में जो अपील का प्राविजन दिया हुआ है वह सिविल नेचर की हैसियत से है जब कि सेक्शन २२ में क्रिमिनल नेचर का है। इसलिये मैं इस संशोधन को मंजूर नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ के उपखंड (२) में निम्नलिखित भाग "ङ" के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(ङ) धारा २२ के दंड के विरुद्ध बढ़ा दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४—१८

१४—(१) प्रति यात्री-गाड़ी के लिये दो रुपये के हिसाब से शुल्क का भुगतान किये जाने पर रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र नियत रीति से किसी भी ऐसे परिचालक को दिया जायेगा जो उसके लिये नियत प्राधिकारी को प्रार्थना-पत्र दे। रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र देना

(२) रजिस्ट्री का प्रत्येक प्रमाण-पत्र बिना नवीकरण के तब तक वैध होगा जब तक कि वह रद्द या निलम्बित न हो जाये।

(३) रजिस्ट्री का कोई भी प्रमाण-पत्र उस यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में नहीं दिया जायेगा जो मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, १९३९ के अधीन रजिस्ट्रीकृत न हो और यदि उस ऐक्ट के अधीन रजिस्ट्री निलम्बित या रद्द कर दी जाये, तो उस यात्री-गाड़ी के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन दिया गया रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र भी, यथास्थिति, निलम्बित या रद्द समझा जायेगा। ऐक्ट संख्या ४, १९३९

(४) यदि परिचालक, जिसे उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र दिया गया हो, अपना व्यवसाय हस्तान्तरित कर दे अथवा उसे समाप्त या बन्द कर दे तो वह उसकी सूचना, ऐसा करने के तीस दिन के भीतर, नियत प्राधि-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

कारी को देगा और उक्त प्राधिकारी व्यवसाय के ऐसे हस्तान्तरण, समाप्ति या बन्द करने के दिनांक से रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र रद्द कर देगा।

(५) (क) परिचालक की मृत्यु हो जाने पर कोई व्यक्ति, जो उसका विधिक प्रतिनिधि होने का दावा करे, परिचालक की मृत्यु होने के तीस दिन के भीतर इस तथ्य की सूचना नियत प्राधिकारी को देगा।

(ख) तदुपरान्त नियत प्राधिकारी प्रमाण-पत्र को प्रार्थी अथवा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के नाम में संक्रमित कर देगा जिसे परिचालक की मृत्यु होने के पश्चात् अनुज्ञा-पत्र स्वीकृत किया गया हो।

(६) यदि परिचालक यात्री-गाड़ी हस्तान्तरित कर दे तो वह व्यक्ति जिसे वह गाड़ी हस्तान्तरित की गयी हो उस कर और शास्ति (यदि कोई हो) का, जिसका भुगतान हस्तान्तरणकर्ता ने हस्तान्तरण के दिन तक न किया हो, इस प्रकार भुगतान करेगा मानो वह व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत परिचालक हो और वह व्यक्ति अपने को रजिस्ट्रीकृत कराये बिना उस यात्री-गाड़ी को न चलायेगा।

रजिस्ट्री के बिना यात्री-गाड़ियों को चलाने का निषेध

१५—कोई भी परिचालक राज्य में यात्री गाड़ी तब तक नहीं चलायेगा जब तक कि उसके पास उस गाड़ी के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र न हो या, रजिस्ट्री की कार्यवाही हो रही होने की दशा में, जब तक कि ऐसी रसीद न हो जिसमें इस बात का उल्लेख हो कि गाड़ी के सम्बन्ध में रजिस्ट्री के प्रमाण-पत्र के लिए प्रार्थना-पत्र दे दिया गया है और उसके लिए शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

लेखे और रजिस्टर रखना

१६—प्रत्येक परिचालक यात्री-गाड़ियों के सम्बन्ध में तथा उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में वसूल किये गये कर और किराये के नियत प्रपत्रों में लेखे और रजिस्टर रखेगा।

समय सारिणी और किराया सारिणी देना

१७—(१) प्रत्येक परिचालक, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति से जो नियत की जाये, नियत प्राधिकारी को किराया-सारिणी तथा एक ऐसी सारिणी देगा जिसके द्वारा उसकी यात्री-गाड़ियों के आने-जाने के समय विनियमित होते हों तथा व्यवसाय से सम्बद्ध ऐसे अन्य ब्योरे भी देगा जिनकी नियत प्राधिकारी समय-समय पर आज्ञा द्वारा अपेक्षा करे।

(२) उपधारा (१) में उल्लिखित किराये, समय या ब्योरों में यदि कोई भी परिवर्तन हो तो उसकी सूचना परिचालक द्वारा नियत प्राधिकारी के उस परिवर्तन के प्रभावी होने के तीस दिन के भीतर दी जायेगी।

कर दिये बिना यात्रा करने का निषेध

१८—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गयी अन्यथा व्यवस्था के अधीन रहते हुए, यात्री-गाड़ी में न तो कोई यात्री, तब तक यात्रा करेगा और न परिचालक उसे उसमें यात्रा करने देगा जब तक कि उस यात्री को यात्रा के लिए नियत प्रपत्र में ऐसा टिकट जारी न कर दिया गया हो, जिसमें किराये और कर की धनराशियां पृथक्-पृथक् दिखायी गयी हों :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि यात्रा राज्य के बाहर से शुरू हो तो कर राज्य में प्रवेश करते ही देय हो जायेगा।

*श्री हरिनाथ तिवारी—श्रीमन्, अगर उचित बात भी मानने के लिये तैयार नहीं होते तो व्यर्थ है हम लोगों का यहां बैठना।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमन्, मेरा संशोधन यह है कि खंड १४ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द 'रुपये' के बाद शब्द 'के हिसाब से' निकाल दिये जायं।

मंत्री महोदय इसे मान लें, "के हिसाब से" निरर्थक शब्द हैं। जब २ रुपये प्रति गाड़ी के हिसाब से शुल्क लिया जाना है तो "के हिसाब से" बैठता नहीं है। तो यह, श्रीमन्, ठीक बैठता नहीं है मंत्री जी मानें या न मानें यह बात दूसरी है। लेकिन वर्डिंग्स अच्छे नहीं मालूम होते।

श्री अध्यक्ष—कई गाड़ियां हों तो ?

श्री हरिनाथ तिवारी—वहां प्रत्येक गाड़ी पर शुल्क देता हो यह हो जायगा। यह रिडंडेंट है। मंत्री जी को इसे देख लेना चाहिये था।

श्री गनेशीलाल—अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी इस पर तैयार हैं कि प्रत्येक गाड़ी पर २ रुपये के हिसाब से रजिस्ट्री फीस ली जाय। यदि माननीय सदस्य हिन्दी का देखें तो वह ठीक बैठता है। इसलिये उनके सुझाव से कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। इसलिये हटाने की आवश्यकता नहीं है और जैसा है वैसा ही रहना चाहिये।

श्री हरिनाथ तिवारी—श्रीमन्, यह ठीक तो नहीं बैठता है। अब मंत्री जी की समझ में न आये तो क्या कहा जाय।

श्री गनेशीलाल—यदि माननीय सदस्य चाहते ही हैं तो इन शब्दों के हटाने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (१) की पंक्ति १ में शब्द "रुपये" के बाद शब्द "के हिसाब से" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि खंड १४ के उपखंड (५) के भाग (क) की पंक्ति २ में शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" रख दिये जायं।

श्रीमन्, यहां पर यह दिया गया है कि परिचालक की मृत्यु होने के बाद ३० दिन के भीतर इसकी सूचना नियत अधिकारी को दी जाय। मृत्यु के काम काज में काफी समय लग जाता है। इसलिये ३० दिन के बजाय ६० दिन कर दिया जाय।

श्री गनेशीलाल—स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (५) के भाग (क) की पंक्ति २ में शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ तथा खंड १५, १६, १७ और १८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[श्री अध्यक्ष]

खंड १९–२१

टिकट प्रस्तुत करना

१९—यात्री, यात्रा के दौरान में या उसके ठीक पूर्व या पश्चात् मांग की जाने पर, नियत प्राधिकारी को धारा १८ में उल्लिखित टिकट दिखायेगा।

प्रवेश करने, निरीक्षण करने और तलाशी लेने का अधिकार

२०—(१) यात्री-गाड़ी का ड्राइवर, नियत प्राधिकारी द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाने पर, गाड़ी को रोकेगा या रोके रखेगा ताकि नियत प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन आरोपित किसी कर्तव्य का पालन कर सके, और उक्त प्राधिकारी ऐसा करने के लिए गाड़ी में प्रवेश और यात्रा भी कर सकता है।

(२) नियत प्राधिकारी कर-निर्धारण करने या इस बात की जांच करने के प्रयोजन से कि इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों में उपबन्धों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, किसी ऐसे स्थान में जहां पर सामान्यतः परिचालक द्वारा गाड़ी खड़ी की जाती हो या जहां पर वह अपने व्यवसाय से सम्बद्ध लेखे रखता हो, प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है तथा ऐसे निरीक्षण या तलाशी के दौरान में किसी भी लेख्य पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकता है।

ऐक्ट संख्या ५, १८९८

(३) उपधारा (२) के अधीन सभी तलाशियां कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, १८९८ के उपबन्धों के अनुसार ली जायेंगी।

(४) उपधारा (१) में उल्लिखित प्राधिकारी को ऐसी वर्दी या ऐसा अन्य विशिष्ट चिन्ह धारण करना होगा जो नियत किया जाये।

साक्षियों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करने आदि का अधिकार

२१—अपीलीय प्राधिकारी को, और इस अधिनियम के अधीन जांच या कर-निर्धारण करने वाले कर अधिकारी को भी, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां, अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो किसी दीवानी वाद के अवसर पर दीवानी न्यायालय में निहित होते हैं :—

(क) साक्षियों को उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ दिला कर प्रतिज्ञान करा कर अथवा अन्यथा उनका बयान लेना तथा साक्षियों के बयान लिये जाने के लिये कमीशन जारी करना या प्रार्थना करना,

(ख) किसी को कोई लेख्य प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना, और

(ग) अवमान के दोषी व्यक्तियों को दण्ड देना।

*श्री कृष्णानन्द राय—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्न प्रस्ताव पेश करता हूं कि खंड १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"१९—(१) यात्रा के दौरान में या उसके ठीक पूर्व या पश्चात् नियत प्राधिकारी द्वारा मांग की जाने पर यात्री इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन जारी किये जाने के लिये अपेक्षित टिकट दिखायेगा।

(२) यदि यात्री ऐसा न करे तो उस पर नियत प्राधिकारी को (कर सहित) किराये की दुगुनी धनराशि शास्ति के रूप में देने का दायित्व होगा और यदि वह उक्त धनराशि न दे तो उससे यात्री गाड़ी से उतर जाने की अपेक्षा की जा सकती है।"

यदि विधेयक का असली खंड आप देखें तो केवल यह दिया गया है कि यात्री से मांग की जायगी कि वह टिकट दिखाये, जिसके माध्यम से उसने कर दिया है। लेकिन यह नहीं दिया कि यदि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह टिकट न दिखा सके तो क्या किया जायगा । अतः इस संशोधन के द्वारा उसको मैंने निश्चित करने का प्रयास किया है । जैसे रेलवे ऐ ट के अनुसार होता है, टिकट न होने पर दुगुना बंध लगा दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार है ।

श्री मुजफ्फर हसन—मैं इसे मंजूर करता हूं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष जी, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं । कारण यह है कि माननीय कृष्णानंद जी शायद इसको भूल गये कि जिस गाड़ी से एकमुश्त रकम वसूल कर ली जायेगी उसके लिये क्या प्राविजन होगा। एक मुश्त रकम वसूल करने के बाद क्या सबूत होगा और क्या सरकार को जरूरत होगी कि उसको गाड़ी से उतार दे । जिस मोटर मालिक ने एक मुश्त रकम दे रखी है उसकी गाड़ी से यात्री को उतारने का सरकार को क्या अधिकार है ? इसकी सफाई उनके पास कोई नहीं है । धारा १९ खुद बहुत अच्छी है । उस पर संशोधन करके कुछ लोगों को सहूलियत देने की बात है । यह इस विधेयक की मंशा के विपरीत होगा । इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री हरिनाथ तिवारी—जैसा माननीय सदस्य महोदय ने संशोधन रखा है, तो धारा २२ देखिये । इसमें अपराध और दंड दिये हैं । आपका मतलब केवल यह है कि अपराध के बाद दंड हो जाना चाहिये । धारा २२ (१) (ग) में यह है—धारा १८ के अधीन अपेक्षित टिकट के बिना यात्री-गाड़ी में किसी यात्री को यात्रा करने दे या स्वयं यात्री होकर इस प्रकार से यात्रा करे । १८ में परिचालक भी साथ साथ में आ जाता है। परिचालक के लिये कम्पलसरी हो जाता है कि वह टिकट इश्यु करे और खुद सवारी को अपनी गाड़ी में चलने न दे । अगर १८ में अपराध का दंड दिया जा सकता है तो १९ में क्या आवश्यकता है ?

***श्री कमलासिंह यादव**—अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश किया गया है उसमें एक चीज गौर तलब है जैसा कि इसमें पहले से दिया हुआ है, कोई भी यात्री जब किसी बस के अन्दर चलता है तो उसे टिकट मिलता है और टिकट की एक कापी बस के मालिक या कंडक्टर के पास होती है । अगर मान लीजिये कि किसी यात्री का टिकट गायब हो गया और अधिकारी टिकट मांग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह जुरमाने का हकदार होगा। अगर मालिक यह कहता है कि बिला टिकट सफर कर रहा है तो वह दोषी हो सकता है ? लेकिन इस वजह से कि उसका टिकट गिर जाय, उस पर जुरमाना लगा दिया जाय, यह कहां तक मुनासिब होगा ? इसको सरकार खुद समझे और माननीय मंत्री जी समझें। इन शब्दों के साथ मैं इसका घोर विरोध करता हूं ।

***श्री केशरीप्रसाद पांडेय**—इस सिलसिले में मुझे एक बात कहनी है । जैसा कृष्णानंदराय जी ने कहा कि जैसे रेल म टिकट मांगते हैं । उसके न देने पर पैनाल्टी लगती है तो ठीक उसी तरीके से बस पर या प्राइवेट लारी पर यह चीज होगी । मैं यह जानना चाहता हूं कि रेल में चलने वाले मजिस्ट्रेट के साथ उसकी सहायक पुलिस रहती है जिससे यदि कोई आदमी अवज्ञा करे तो उसके साथ वह नियमानुकूल बरताव कर सकती है । यहां पर क्या होगा ? वहां पर पुलिस मजबूर कर सकती है और उसको ट्रेन से उतार सकती है या जैसे वह कहे वैसा कर सकती है लेकिन बसों में जहां पर एक कंडक्टर और एक ड्राइवर रहता है और यदि कोई मुसाफिर आज्ञा नहीं मानता है तो उनके पास क्या ताकत है ? वह किस तरह से उससे पेश आ सकते हैं । मैं समझता हूं, यह अव्यावहारिक है । ट्रेन वाली बात बस में नहीं चल सकती है । ट्रेन में बहुत आराम रहता है । बस में उतना आराम नहीं दिया जा रहा है । जिस प्रकार से यह संशोधन लाया गया है इससे खर्चा ज्यादा होगा चाहे वह पुलिस के रूप में हो या मजिस्ट्रेट के रूप में । इसलिये कृष्णानन्द जी का सुझाव अव्यावहारिक है, और इसको उनको वापस लेना चाहिये ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुजफ्फर हसन—मैंने इसको मंजूर कर लिया है ।

*श्री कृष्णानन्द राय—मंत्री जी ने इसको मंजूर कर लिया है । इसलिये मुझे इस पर अधिक नहीं कहना है । एक बात कह दूं कि जैसे सिनेमाओं में इन्टरटेमेन्ट टैक्स होता है । तो जो सिनेमा का प्रोपराइटर होता है वह कर को वसूल करता है लेकिन तब भी वहां पर इंसपेक्टर रहता है जो वहां पर जाकर देख सकता है कि जो सिनेमा देखने वाले हैं वे लोग मनोरंजन कर देते हैं या नहीं । अगर वे नहीं देते हैं तो इंसपेक्टर को उनके सिनेमा हाउस से निकालने का अधिकार होता है । इसी तरह से यह चीज भ्रष्टाचार को रोकने के लिये है । मान लीजिये कि एक कंडक्टर अपने दोस्त को ले जाता है तो नियत अधिकारी उस यात्री को चेक कर सकता है कि उसने यात्री कर दिया है या नहीं । अगर उसने नहीं दिया है तो उससे वह दुगुना वसूल कर सकता है ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १९ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"१९—(१) यात्रा के दौरान में या उसके ठीक पूर्व या पश्चात् नियत प्राधिकारी द्वारा मांग की जाने पर यात्री इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन जारी किये जाने के लिये अपेक्षित टिकट दिखायेगा ।

(२) यदि यात्री ऐसा न करे तो उस पर नियत प्राधिकारी को (कर सहित) किराये की दुगुनी धनराशि शास्ति के रूप में देने का दायित्व होगा और यदि वह उक्त धनराशि न दे तो उससे यात्री गाड़ी से उतर जाने की अपेक्षा की जा सकती है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १९ तथा खंड २० और २१ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २२–२५

अपराध और दंड

२२—(१) यदि कोई व्यक्ति :—

(क) इस अधिनियम के अधीन देय किसी कर के भुगतान से कपटपूर्वक बचे या बचने दे, या

(ख) धारा १४ के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना किसी यात्री को यात्री-गाड़ी ले जाये या ले जाने दे, या

(ग) धारा १८ के अधीन अपेक्षित टिकट के बिना यात्री-गाड़ी में किसी यात्री को यात्रा करने दे या स्वयं यात्री होकर इस प्रकार से यात्रा करे, या

(घ) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित किसी विवरण विवरणी, सारणी या सूचना को समय के भीतर जान-बूझकर प्रस्तुत न करे, या

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी विवरण-पत्र, विवरणी या सारिणी में अथवा अपने द्वारा रखी गयी किसी लेखा-पुस्तिका या रजिस्टर में कपटपूर्वक कोई गलत प्रविष्टि करे या होने दे या उसमें कोई प्रविष्टि कपटपूर्वक छोड़ दे या छोड़ने दे, या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

(च) धारा २० के अधीन किसी अधिकारी के प्रवेश करने, निरीक्षण करने अथवा तलाशी लेने में बाधा डाले, या

(छ) स अधिनियम के किसी अन्य उपबंध अथवा तदधीन बनाये गये नियमों या इस अधिनियम अथवा उक्त नियमों के अधीन जारी की गयी किसी आज्ञा या निदेश का उल्लंघन करे,

तो यह सिद्ध-दोष पाये जाने पर अर्थ-दंड का भागी होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और अपराध जारी रहने की दशा में, प्रथम दोष-सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें अपराध जारी रहे पचीस रुपये से अनधिक अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा ।

(२) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये पहले ही सिद्ध ोष पाये जाने के बाद पुनः इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोष पाया जाये तो वह उक्त अनुवर्ती दोष-सिद्धि पर अर्थ-दंड का भागी होगा जो एक हजार पये तक हो सकता है, और अपराध जारी रहने की दशा में उपधारा (१) में वर्णित अतिरिक्त अर्थ-दंड का भागी होगा ।

इस अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञान कम्पनियों द्वारा अपराध

२३—जब तक कि नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में परिवाद प्रस्तुत न किये जाये तब तक कोई न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न करेगा और कोई भी न्यायालय, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, किसी ऐसे अपराध की सुनवाई न करेगा ।

२४—(१) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाये तो कम्पनी के साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति भी, जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी के व्यवसाय को चलाने के निमित्त कम्पनी का प्रभारी रहा हो तथा उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, भी अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके वि द्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तदनुसार उसे दंड दिया जा सकेगा :

प्रतिबंध यह है कि इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में व्यवस्थित दंड का भागी न होगा जो यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी ।

(२) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाये और यह सिद्ध हो जाये कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक (डायरेक्टर), प्रबंधक (मैनेजर), सचिव (सेक्रेटरी) या अन्य अधिकारी की सहमति या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है अथवा अपराध का कारण उसकी ओर से कोई उपेक्षा है, तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और तदनुसार उसे दंड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (Association) भी है, और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है ।

अपराधों के संबंध में समझौता करने का अधिकार

२५—(१) नियत प्राधिकारी किसी भी समय धारा २२ के अधीन दण्डनीय करने वाले किसी व्यक्ति से, ऐसे अपराध के समझौते के रूप में, एक हजार पये से या अन्तर्गस्त कर की धनराशि की दुगनी धनराशि से, जो भी अधिक हो, अनधिक धनराशि, स्वीकार कर सकता है ।

(२) ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिये जाने पर, उपधारा (१) के अधीन अवधारित की जाये, नियत प्राधिकारी, जहां आवश्यक हो, न्यायालय को इस बात की सूचना देगा कि अपराध के संबंध में समझौता हो गया है और तत्पश्चात् उक्त अपराध के संबंध में अपराधी के वि द्ध धारा २२ के अधीन कोई और कार्यवाही न की जायेगी और उक्त न्यायालय अपराधी को उन्मुक्त कर देगा ।

*श्री कृष्णानन्द राय—अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड २२ के उपखंड (१) की मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(ग) किसी यात्री को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित टिकट के बिना यात्री-गाड़ी में यात्रा करने दें; या" जो विधेयक में शब्द दिये हैं धारा १८ के अन्तर्गत वे ऐसे हैं कि उसको उस वक्त तक यात्रा करने नहीं दी जायगी कि जब तक उसने टिकट न लिया हो । विधेयक की इस धारा के इन शब्दों को निकाल कर जो व्यवस्था की गई है वह उसके अनुकूल है । उसमें यह व्यवस्था की गई है कि परिपत्र के समय कर की अदायगी हो सकती है । इस लिये उस धारा के अनुसार यदि केवल नकदी देने के लिये ही मंजूर किया जायगा तो यह चीज अव्यावहारिक हो जायगी । . . . .

श्री मुजफ्फर हसन—मैं इसको मंजूर करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २२ के उपखंड (१) की मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

(ग) किसी यात्री को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित टिकट के बिना यात्री गाड़ी में यात्रा करने दें, या

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २२ तथा खंड २३, २४ व, २५ इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड २६

इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही का संरक्षण

२६—इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के लिये राज्य सरकार के किसी सेवक के वि द्ध कोई वाद या अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा ।

*श्री मंगलदेव—अध्यक्ष महोदय, खंड २६ में यह दिया हुआ है कि "किसी सेवक के विरुद्ध कोई वाद या अभियोजन संस्थित नहीं किया जायेगा"। यदि ऐसा हो जायेगा तो भ्रष्टाचार की बड़ी गुंजाइश हो जायगी। किसी आदमी को इसका अधिकार नहीं होगा कि वह अपील में जाय। इससे अधिकारों का हनन होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह धारा निकाल दी जाय।

श्री गनेशीलाल—यह सेक्शन जो २६ है, इसमें सरकारी अधिकारी इस ऐक्ट के मातहत काम करेंगे और उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। माननीय सदस्य का यदि यह संशोधन मान लिया गया तो सरकारी अधिकारी जो इस ऐक्ट के मातहत काम करेंगे उनको खवामख्वाह लिटीगेशन में जाना पड़ेगा। इस कारण से माननीय सदस्य का यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री कमलासिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, यह जो धारा २६ का अभिप्राय है, इसमें जितने राज्य कर्मचारी हैं वे किस तरह से काम करें। सद्भावना के बढ़ने पर काम हो सकेगा। उनको शल्टर दिया गया है। मंत्री महोदय कहते हैं कि पुलिस वाले जो कुछ करते हैं उनसे हमको सबक आज भी लेना है। इस की धारा २२ के अन्दर हम देखते हैं कि किसी भी घर की तलाशी का परिचालक को हक होगा। वह घरों की तलाशी ले सकता है। ऐसी चीजें बड़ी घातक हैं।

दूसरी चीज यह है कि माननीय कृष्णानंद राय के संशोधन के मान लेने के बाद यह और भी घातक सिद्ध हो जायगा। मान लीजिये हम ट्रैवेल कर रहेहैं और उस वक्त कोई भी टिकट मांगे तो हमारा टिकट लेकर वह कह दे कि इस बस से उतर जाओ। बस का टिकट नहीं है और न तुमने दिखाया है उस वक्त मेरी क्या पोजीशन होगी। इससे बड़ी ज्यादती होगी। टिकट लेने के बाद वह कह सकता है कि उसने टिकट नहीं लिया। उसके खिलाफ मैं समझता हूं कि कोई कार्यवाही होनी अवश्य चाहिये। इसलिये इस धारा को निकाल दिया जाय। यह बहुत आवश्यक है। प्रोटेक्शन तो उसी समय मिलेगा जब कि वह बोनाफाइडी साबित करेंगे। सद्भावना से उस काम को करेंगे। चूंकि कोर्ट में भी हम कोई मुकद्दमा उसके खिलाफ नहीं कर सकते, इसलिये वह प्रोटेक्टेड शुरू से हो जाता है। वह कोई भी गलत काम कर सकता है। हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इसलिये यह धारा निकाल दी जाय और यह किसी भी हालत में न रहे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इसमें हम लोगों की मदद करें। इस धारा में कहा गया है कि सरकार का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी परिचालक के साथ गलत व्यवहार करे या सही, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। गाजीपुर में एक थानेदार ने ७ व्यक्तियों को झूठे कत्ल के मुकदमें में फांस लिया और अदालत से वह सातों व्यक्ति छूट गये। अब माननीय कृष्णानंद राय जी अधिकारियों को यह भी अधिकार देना चाहते हैं। इससे क्या होगा? इससे बड़ा अन्याय होगा। आपकी अदालत में अगर इस तरह का कानून पास हो जाय तो यह बड़ी लज्जा की बात है। इस तरह का कानून पास नहीं होना चाहिये। श्रीमान्, नासमझी में ५० सों ऐक्ट यहां ऐसे पास हुये हैं जिनको हाईकोर्ट के न्यायाधीशों ने कैंसिल कर दिया है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस पर आप खब सोच विचार कर लें। हर आदमी को खुली छूट इस बात की होनी चाहिये कि वह अपनी मिन्नत तो कम से कम कर सके। उसके मौलिक अधिकारों की तो रक्षा होनी चाहिये। यह धारा मौलिक अधिकारों का हनन करने के लिये जोड़ी गयी है, इसलिये इसको निकाल देना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हरिनाथ तिवारी—श्रीमन्, इस धारा में जो अधिकार दिया गया है वह अनकान्सटीट्यूशनल है । हर एक को यह अधिकार होना चाहिये कि वह सूट फाइल कर सके । अब अगर किसी भी बोनाफाइडी को यह पहले ही तय करके प्राइमाफेसी डिसाइड कर लें तो इससे तो आप अपने आफिसर्स को प्रोटेक्शन दे रहे हैं । हर जगह आप अपने अधिकारियों को प्रोटेक्शन देते हैं । इस धारा के अनुसार जैसा कि उसमें है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा दाखिल नहीं हो सकता आप सिविल लिबर्टी का हनन कर रहे हैं । इसलिये इस धारा को इसमें से निकाल देना चाहिये ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—श्रीमन्, यह धारा एक प्रकार से भेदभाव प्रकट करती है उसी वर्ग के कुछ कर्मचारियों तथा दूसरे कर्मचारियों में। एक व्यक्ति किसी अपराध के लिये दंडित किया जाता है और अगर वह किसी का विश्वासपात्र है, या किसी प्रभावशाली व्यक्ति का मिलने वाला है तो वह बच जायेगा । दंडित नहीं हो पायेगा । उसकी हिम्मत बढ़ेगी वह हर तरह की बदमाशी करे मिसबिहेव कर सकता है यात्रियों के साथ । इसलिये इस धारा को निकाल देना चाहिये ।

श्री बंशीधर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जब तक विधेयक पास हो जाय, सदन की कार्यवाही चलती रहे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—यह गलत है, इस तरह का प्रस्ताव नहीं आ सकता ।

श्री बंशीधर पांडेय—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—मैं इसे स्वीकार नहीं करता । (श्री मंगलदेव से) क्या आप प्रेस करेंगे ?

श्री मंगलदेव—मैं यह चाहता हूं कि यह धारा निकाल दी जाय ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २६ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—जब आपने प्रश्न रखा तो उधर से "हां" की आवाज नहीं आयी । जब हथौड़े से आपने आवाज की तो आयी, तो आपकी तरफ से इशारा नहीं होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—वह परेशान थे, मैंने उनके प्रस्ताव को नहीं माना था ।

खंड—२७

राज्य सरकार के विरुद्ध कार्यवाही के लिये कालावधि

२७—इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन किये गये अथवा किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में राज्य सरकार के विरुद्ध, उस कार्य के, जिसके विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया हो, किये जाने के दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई वाद या अन्य कार्यवाही संस्थित न की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खंड २८ तथा २९

२८—दीवानी न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में क्षेत्राधिकार न होगा :— दीवानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार पर रोक

(क) किसी ऐसे प्रश्न पर निर्णय देना या उसके संबंध में कार्यवाही करना, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन राज्य सरकार, या किसी अन्य प्राधिकारी अथवा अधिकारी द्वारा निर्णय दिया जाना या कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो, या

(ख) इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राप्त किसी अधिकार का प्रयोग करके दी गयी किसी आज्ञा पर आपत्ति करना ।

२९—राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि धारा ५ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य अधिकार का प्रयोग, ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो निदेश में उल्लिखित किये जायं, किसी भी कर-अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा । अधिकार का प्रतिनिधान

श्री रामसुन्दर पांडेय—हमारा संशोधन इसमें यह है कि....

श्री अध्यक्ष—आप देखिये कि आपने रखा है कि खंड २८ निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय । यह तो मीनिंग लेस है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—मैं यह दिखलाना चाहता हूं कि क्या लिखा हुआ है और हम उसमें क्यों निकालना चाहते हैं । बोलने तो दीजिये ? आपके समझ से गड़बड़ है तो ठीक कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—जिस रूप में यह है उसका कोई मतलब नहीं है । एक बार यह कह कर कि यह निकाल दिया जाय फिर कैसे वह रखा जायगा ? यह आउट आफ आर्डर है मैं इसको ओवर रूल करता हूं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—आपके रहते हुये कैसे नहीं ठीक होगा ?

श्री कमलासिंह यादव—श्रीमन्, रामसुन्दर जी वकील नहीं हैं । वह दिल के विचार रख सकते हैं उनको रूप देना श्रीमान् का कर्त्तव्य है । सदन की परिपाटी भी रही है कि कोई गलती हो गयी तो श्रीमान् उसको करेक्ट कर सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—कानून यह है कि इटेंशन नहीं देखी जाती है जो शब्द लिखे हैं उनको देखा जाता है । इसलिये मैं मजबूर हूं कमला जी कि आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री कमलासिंह यादव—नये संशोधन तक की आपने इजाजत दी है ।

श्री अध्यक्ष—इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड २८ और २९ इस विधेयक के अंग माने जायें

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रामसुन्दर पांडेय—अध्यक्ष जी समय समाप्त हो गया है । ८ बज गया है ।

श्री अध्यक्ष—इस किस्म की बात ठीक नहीं है । अभी जो प्रस्ताव रखा गया था सदन का समय बढ़ाने का उसको मैंने इसलिये अस्वीकार किया था कि सदन सवा आठ बजे तक चलेगा । जिस बात को आपने स्वयं कहा और जिसको समझ कर मैंने उसको अस्वीकार किया जाय अब आप उसी के विरुद्ध प्रश्न उठाना चाहते हैं यह ठीक न होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—इस प्रकार से १५ मिनट समय बढ़ाना हमारे साथ श्रीमन् ज्यादती है।

श्री अध्यक्ष—ज्यादती का शब्द आप इस्तेमाल न कीजिये। जो आप ने कहा था उसी को तो मैंने दुहरा दिया था।

श्री काशीनाथ मिश्र—अध्यक्ष महोदय दो घंटे में वे १५ मिनट भी शामिल हो गये थे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, यह तो कानून का उल्लंघन हो रहा है। सच्ची बात सदन को सामने नहीं रखी जा रही है। सरकार इस समय जबरदस्ती कर रही है। नियमों की पाबंदी नहीं हो रही है। इसके विरोध में हम लोग बाहर जाते हैं।

(इसके उपरान्त प्रजा समाजवादी दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया)

खण्ड ३०

नियम बनाने का अधिकार

३०—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के प्रयोजनों से इस अधिनियम से संगत नियम बना सकती है विशेषतया और उपधारा (१) के अधीन अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य सरकार निम्नलिखित बातों के लिये नियम बना सकती है :—

(क) वह रीति नियत करना जिससे परिचालक द्वारा कर वसूल किया जायेगा,

(ख) वह रीति जिससे और कालान्तर जिनसे धारा ५ के अधीन कर दिया जायेगा, नियत करना,

(ग) धारा ६ के अधीन विवरणो का प्रपत्र और वह रीति जिससे और वे कालान्तर जिनसे वह दी जायेगी, नियत करना,

(घ) वह रीति नियत करना जिससे धारा १२ के अधीन लौटायी जाने वाली धनराशियों की मांग की जायेगी और वे दी जायेंगी,

(ङ) वह रीति नियत करना जिससे इस अधिनियम के अधीन किसी आज्ञा के विरुद्ध अपील की जा सकती है,

(च) धारा १४ के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र देने की रीति नियत करना,

(छ) धारा १६ के अधीन लेखे के प्रपत्र और रजिस्टर नियत करना,

(ज) धारा १७ के अधीन समय-सारणिया, किराया सारणिया तथा अन्य ब्योरे दिये जाने के लिये समय और रीति नियत करना,

(झ) धारा १८ के अधीन टिकटों का प्रपत्र नियत करना, धारा २० द्वारा अपेक्षित वर्दी और चिन्ह नियत करना,

(ट) इस अधिनियम के अधीन किसी भी कर या शास्ति के भुगतान की रीति नियत करना,

(ठ) इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अधीन कोई कृत्य सम्पादित करने के लिये प्राधिकारी या प्राधिकारियों को नियत करना,

(ड) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन में किसी प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया नियत करना, और

(ढ) किसी ऐसे अन्य विषय के लिये व्यवस्था करना जिसके लिये नियम बनाये जाने हैं या बनाये जा सकते हैं ।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान–मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिये रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो विधान–मंडल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गयी किसी कार्यवाही की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

*श्री कृष्णानन्द राय—श्रीमान् मेरे दोनों संशोधन इस प्रकार हैं —खंड ३० के उपखंड (२) में—

(१) (मद) (ख) के बाद निम्नलिखित नयी मद बढ़ा दी जाय:—

"(खख) कर की धनराशि के बदले में स्वीकृत की जाने वाली एक मुश्त धनराशि अवधारित करने के सिद्धान्त नियत करना"

(२) मद (झ) के पश्चात् निम्नलिखित नयी मद बढ़ा दी जाय—

"(झझ) वे शर्तें नियत करना जिन पर धारा १८ द्वारा अपेक्षित टिकट के बिना यात्रा की जा सकती है ।

श्री मुजफ्फर हसन—मैं इसको मंजूर करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३० के उपखंड (२) में (१) मद (ख) के बाद निम्नलिखित नयी मद बढ़ा दी जाय—

"(खख) कर की धनराशि के बदले में स्वीकृत की जाने वाली एक मुश्त धनराशि अवधारित करने के सिद्धान्त नियत करना"

(२) मद (झ) के पश्चात् निम्नलिखित नयी मद बढ़ा दी जाय :–

"(झझ) वे शर्तें नियत करना जिन पर धारा १८ द्वारा अपेक्षित टिकट के बिना यात्रा की जा सकती है ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

*श्री कृष्णानन्द राय—श्रीमान् मेरा संशोधन इस प्रकार है:—

खंड ३० के उपखंड (२) में मद (झ) के बाद निम्नलिखित नयी मद बढ़ा दी जाय —

"(झझ) धारा १९ के अधीन शास्ति की वसूली तथा उसे जमा करने की रीति नियत करना ।"

श्री मुजफ्फर हसन—मुझे स्वीकार है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३० के उपखंड (२) में मद (झ) के बाद निम्नलिखित नयी मद बढ़ा दी जाय —

"(झझ) धारा १९ के अधीन शास्ति की वसूली तथा उसे जमा करने की रीति नियत करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३० इस विधेयक का अंग माना जाय :—

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२

उत्तर प्रदेश राज्य में कतिपय वर्गों की लोकसेवा गाड़ियों में ले जाये जाने वाले यात्रियों पर कर लगाने की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारंभ

(१)—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, १९६२ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह धारा और धारा ३० तुरन्त प्रचलित होंगी और शेष उपबन्ध उस दिनांक से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १ प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गनेशीलाल—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-car) Vidheyak, 1962] पारित किया जाय ।

*श्री राधेश्याम—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से आज काफी देर तक इस विधेयक और उसके संशोधनों के सम्बन्ध में वार्तालाप हुआ तथा विरोधी पक्ष की ओर से और सरकारी पक्ष की ओर से भी काफी दलीलें दी गयीं । संशोधन भी काफी पास हुए श्रीमन्, परन्तु इन संशोधनों पर जैसा कि पहले प्रकाश पड़ चुका है, मैं फिर उस राय की पुनरावृत्ति न करते हुए, सदन के सामने कुछ नये विचार रखना चाहता हूं । श्रीमन्, समाजवादी पार्टी ने एलान किया है कि यह सरकार रोज अनापशनाप टैक्स लाकर इस प्रदेश में बेकारी भुखमरी ज्यादती व जुल्मों को बढाना चाहती है । फिर ऐसी सरकार अपने को जनता की सरकार कहे और समाजवादी सरकार का ढोंग रचे और इसका रोज ढोल पीटे ऐसी सरकार को मैं समाजवादी पार्टी व जनता की सरकार नहीं मान सकता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

माननीय मुख्य मंत्री ने एलान किया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के नाम पर वे जनता पर कर भार को बढ़ाकर इस प्रदेश को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। पहले भी मैं कह चुका हूं और आज फिर उसे दोहरा देना चाहता हूं कि जब आप इस प्रदेश की ८ करोड़ जनता पर कर का भार पहले से ही बढ़ाये हुए हैं फिर किस प्रकार स व इस नय कर को देने के लिये तैयार हो सकते हैं। ७५ लाख रुपये का नया कर लन का विधेयक जो आज आप इस सदन से पास करा रहे हैं, मैं गम्भीरता क साथ इस सदन में कहना चाहता हूं कि मैं देहात का रहने वाला हूं और शहर में मने शिक्षा पायी है। मैं शहर और देहात की बातों को अच्छी तरह से जानता हूं। इस टैक्स का भार मध्यम वर्ग की जनता पर पड़ेगा जब कि दूसरे ऐसे टैक्सों को देने में ही वह असमर्थ हैं। मैं समझता हूं कि वह जनता जो गांव में रहती है ....

श्री अध्यक्ष---आप जनरल डिसकसन न कीजिये क्योंकि सिद्धान्तों पर बहस हो चुकी है।

श्री राधेश्याम शर्मा--श्रीमान्, मुझे बोलने का अधिकार है। जहां तक इस बिल का सवाल है आज गांव का यात्री जिसको एक रुपया किराये का देना होता है उसको ५ आना दूसरों से लेकर देना पड़ता है, जब सफर करता है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक तरफ तो यह सरकार तीसरी योजना के नाम पर स्वर्ग बनाने की बात करती है और दूसरी तरफ इस तरह की पंचवर्षीय योजना के नाम पर इस प्रकार के टैक्स लगाकर जनता को रौंद रही है। अब यह सरकार कितने दिन तक जिन्दा रहेगी। जो बात मैं पहले कह चुका हूं वह फिर दोहराता हूं। आपको गम्भीरता के साथ इस पर विचार करना है। सरकारी पक्ष की ओर से रोज-रोज यह दलील दी जाती है कि आयोजना के नाम पर हम टैक्स वसूल करेंगे और विरोध पक्ष की ओर से कहा जाता है कि सरकार फिजूलखर्ची कर रही है। इन दोनों बातों में बड़ा विरोधाभास है। फिर इसका निर्णय कैसे हो? एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि आप ३३ प्रतिशत जनता का वोट पाकर आये हैं जबकि आपका कहना है कि ६७ प्रतिशत वोट पाकर आने वाली विरोधी पार्टियों में एका नहीं है वे सरकार नहीं बना सकती। इन दोनों में भी बड़ा विरोधाभास है।

श्री बंशीधर पांडेय---मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे के लिये और बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सदन का समय आधे घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राधेश्याम शर्मा---आज सवाल इस बात का है कि जब इस तरह की बातें रोज-रोज दुहराई जाती हैं कि विरोधी पक्ष वही पिटीपिटाई बातें करता है, मैं सरकारी पक्ष को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आज माननीय मुख्य मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं उनसे कहना चाहता हूं कि कोई भी सरकार जो जनता की सरकार कही जाती है तो वह जनतांत्रिक पद्धति में जनता के सामने किसी सवाल को लेकर आती है और सदन के बाहर भी जनता का सहयोग प्राप्त करती है। माननीय मुख्य मंत्री जी को मेरा खुला चैलेन्ज है और ५ आदमी विरोधी दल की ओर से हम ५ सोशलिस्ट दल के सदस्य तैयार हैं सब से पहले मैं अपना इस्तीफा लिख कर तैयार लिये हूं और उधर से माननीय मुख्य मंत्री जी व सचना मंत्री जी इस्तीफा दें और जनता के सामने टैक्स के प्रश्न को लेकर जांय और आजमायश करें। अगर हम हम हार जायंगे तो ५ साल तक बराबर जो टैक्स लगेंगे उनको हम बरदास्त करेंगे। कांग्रेस के घोषणा-पत्र में कहीं नहीं कहा गया कि हम इस तरह से टैक्स लगायेंगे और जो कुछ कहा भी गया वह गोलमाल कर के कहा गया। अगर यह कहा जाता तो मुश्किल हो जाता उनको यहां आना। पहले वाले मंत्री जी श्री लक्ष्मी रमण आचार्य मेरे क्षेत्र में चुनाव लड़े और उन्होंने अपनी एक मीटिंग में कहा था कि तृतीय योजना के करों का भार जनता को उठाना होगा और उस का यह नतीजा यह हुआ कि वह सम्पूर्णानन्द मिनिस्ट्री के मंत्री हार गये। हमारी पार्टी चैलेन्ज करती है मथुरा से माननीय मुख्य मंत्री जी

[श्री राधेश्याम शर्मा]

की जमानत भी अगर इस पर जब्त न हो जाय तो मैं बड़ी से बड़ी सजा खाने को तैयार हूं यदि मैं उनकी जगह पर होता तो अवश्य ही इस बुनियादी सवाल पर उनकी चुनौती को स्वीकार करता। दूसरे देशों में इसी प्रकार जनता की भावनाओं का आदर किया जाता है और ऐसे प्रश्नों पर जनमत लिया जाता है। ऐसा दुनियां के जनतन्त्र के देशों में होता है और वहां का इतिहास बताता है कि ५ साल का एक बार नहीं बल्कि ऐसे प्रश्नों को लेकर बार-बार किस्मत का फैसला किया जाता है.....

श्री अध्यक्ष—विधेयक के सम्बन्ध में भी कुछ कह दें।

श्री राधेश्याम शर्मा—मैं सारी सीटों की बात नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत खर्च होगा इसलिये जैसा कि मैंने कहा कि ५ सदस्य उधर से इस्तीफा दें और ५ इधर से और देखें कि जनता की राय इस प्रश्न पर क्या है (व्यवधान) हमारी पूरी जानकारी है कि आज प्रदेश की जनता की न तो इतनी सामर्थ्य है और न वह ऐसे करों को देने के लिये तैयार है। यहां का इन्सान दिनों गरीब होता जा रहा है वह एक पाई टैक्स भी नहीं देना चाहता।

श्री अध्यक्ष—अब आप समाप्त कीजिये और जो विषय है उसी पर बोलिये। सिद्धान्त पर तो बहस हो चुकी, अब तो आप को यह कहना है कि यह जो खंडशः विधेयक स्वीकार हुआ है उस में क्या-क्या त्रुटियां हैं जिन के कारण इसे अब स्वीकार न किया जाय।

श्री राधेश्याम शर्मा—मैं इसकी खामियां क्या बताऊं समाजवादी दृष्टिकोण से तो इसमें सब खामिया ही खामिया हैं और मैं पूरे का ही विरोध कर रहा हूं। गलत सिद्धान्त समाप्त हो इसी को लेकर मैंने अपना दृष्टिकोण रखा लेकिन वह नहीं मान रहे हैं इसलिये एक ही रास्ता है जैसा मैंने कहा कि जनता में इस प्रश्न को लेकर हम जाय और वहां आजमाइश हो जाय। अगर आप नहीं मानते हैं तो वक्त बतायेगा और आप की इन हरकतों का नतीजा सन् ६७ में आप के सामने आयेगा और जनता आप को स्वयं सबक सिखायेगी।

*श्री सन्तसिंह यूसुफ—श्रीमन, जो बिल है मैं इसके सिद्धान्त को मानता हूं कि योजना को कामयाब बनाने के लिये पैसा चाहिये। टैक्स ऐज सच का मैं विरोधी नहीं हूं। लेकिन जो चीज जिसके पास है वही लेनी चाहिये। गरीब आदमी के पास मजदूरी है वह मेहनत करके देश की पैदावार बढ़ाये यह उसका काम है और जो पैसे वाले हैं उनसे टैक्स लिया जाय जो डायरेक्ट टैक्सेशन के जरिये होता है। इनडाइरेक्ट टैक्स का बोझ तो आम जनता पर ही पड़ता है जो इस बिल से पड़ने वाला है। कानपुर शहर में हजारों मजदूर मोटर से आ कर अपनी रोजी कमाते हैं, यहां लखनऊ में लोग दफ्तरों को आते हैं उन्हीं पर इस टैक्स का भार पड़ेगा।

बहुत से साथियों ने कहा कि एक पैसा ही होगा। जब कर्मचारी बाजार में सामान लेने जाता है तब उसको मालूम होता है कि जो चीज, घर का सामान पहले २५, ३० रुपये में मिल जाता था वह ४० ० में मिलेगा, तब एक एक पैसे बढ़ कर ही उसके लिये एक बोझ हो जाता है। इसलिये इनडायरेक्ट टैक्स आम जनता पर पड़ता है। मैं भी चाहता हूं पांच साला योजना कामयाब हो लेकिन खाली टैक्स ही एक तरीका नहीं है। योजना को कामयाब बनाने के लिये ३, ४ उसूल हैं। पहला आम जनता का सहयोग होना चाहिये दूसरे जो योजना से पैदावार हो उसका इक्वल डिस्ट्रीबयूशन होना चाहिये। रोडवेज जो प्रौफिट पर चल रहा है उसमें टैक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। जितने ऐसे संशोधन आये जिनसे मोटर मालिकों पर टैक्स पड़ रहा था उसका सरकार की तरफ विरोध किया गया, जहां कहीं पैसे वालों का सवाल आता है वहां जनतंत्र आ जाता है, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। प्रजातंत्र का मतलब यह नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सन्तसिंह यूसुफ]

कि पूंजीपतियों को छोड़ दिया जाय और गरीब आदमी से टैक्स लिया जाय । जनता का समर्थन योजना के लिये जरूरी है और वह इन तरीकों से नहीं होगा । इससे तो आप जनता की सिम्पेथी खोयेंगे । यह मेरे दोस्त समझते हैं । सीधे किराया न बढ़ा कर गोलमाल करके टैक्स बढ़ाया है और एक साथ १५ परसेंट नहीं करेंगे । १५ परसेंट करना है तो पहले ५ परसेंट करेंगे फिर ५ परसेंट करेंगे और फिर ५ परसेंट करेंगे । यह तरीका सरकार के लिये लाभदायक नहीं होगा । इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य---श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---माननीय रक्षपाल सिंह ।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैंने जनसंघ के प्रतिनिधि के नाते इस बिल का प्रारम्भ में भी विरोध किया था और अब अन्त में भी विरोध करता हूं । मैं अपनी बातों को दोहरा न कर के इस बिल के अन्दर जो कमियां हैं वह बताऊंगा जिसकी वजह से मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री महोदय इसको वापस ले लें और फिर से इसकी खामियों को दूर कर के रखने का प्रयत्न करें ।

इसके अन्दर मैं केवल पांच बातें बताऊंगा जिसके कारण इसको वापस ले लेना चाहिये । पहली बात तो यह है कि उद्देश्य और कारण में कहा गया है कि यह कर हम प्लान के लिये लगाने जा रहे हैं परन्तु क्या गारन्टी है कि इससे जो पैसा वसूल किया जायगा वह सब प्लान में ही लगेगा । हो सकता है कि अगर मंत्रिमण्डल को तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत पैदा हो जाय तो सब पैसा उसी में लग जाय । इसके अलावा पहले तो प्लान ही विवाद का कारण है कि आया वह प्रदेश को उन्नति की ओर ले जा रहा है अथवा नहीं । सरकारी आंकड़ों के द्वारा यह भी सिद्ध हो चुका है कि कि जनता की भलाई प्लान से नहीं हो रही है ।

अब दूसरी बात सुनिये । वैसे तो मैं नया सदस्य हूं और मेरे सामने तीन, चार विधेयक ही पारित हुये हैं, लेकिन प्रारम्भ में जो विधेयक यहां आये उनमें कुछ लोगों ने दिमाग लगाया था, उनमें न कोई संशोधन आये और न यहां विवाद के बाद भी उनमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता मालूम हुई । लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीन या ६ महीने के भीतर ही इस विधेयक में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा । जिस तरह के संशोधन इसमें आ रहे हैं और खामियां पूरी करने की कोशिश की गयी है उससे यह बिल पूर्ण होने वाला नहीं है । इन सब संशोधनों के बाद भी यह एक इंकम्प्लीट बिल है । इससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी ।

इसके अलावा इसमें ५०० और १००० रुपये तक की दंड की व्यवस्था है लेकिन उसके लिये अपील का कोई प्रावीजन नहीं किया गया है ।

श्रीमन, ५००, १००० पया जुर्माना हो जायगा लेकिन अपील का कोई प्रावीजन नहीं है । श्रीमन, मैं यह आपके द्वारा इस सदन को बता देना चाहता हूं कि आज के इस काल में सरकारी नौकरियों में जहां तक पोलीटिकल सफरर्स का सवाल है यह देखा जाता है कि यह फलां का नाती है, फलां का पोता है और वह नियुक्त हो जाता है और योग्यता की कोई बात नहीं होती है. . . . .

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य बिल पर आयें ।

श्री रक्षपालसिंह---श्रीमन मैं बिल पर ही बोल रहा हूं । मैं अपील के बारे में कह रहा था कि इसका कोई प्रावीजन नहीं किया गया है । अगर ऐसे व्यक्ति आ जायेंगे और वह फाइनल अथारिटी हो जायेंगे तो अंधेर होने वाला है । इसलिये अपील की व्यवस्था जो नहीं की गई है वह जरूर होनी चाहिये । जब तक इस विधेयक में अपील की व्यवस्था नहीं होती है तब तक यह विधेयक अपूर्ण है । इसी तरह से सिविल जज वाली बात की गई है कि उसके क्षेत्र से इसको निकाल लिया गया है । यह नई परम्परा चलाई गई है । सलिये इसको सिविल जज के क्षेत्र में लाया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री रक्षपालसिंह]

गरीब आदमियों के लिये तो इसमें माननीय कृष्णानन्दराय जी ने संशोधन पेश कर दिया है कि अगर उसके पास से टिकट गिर जायगा तो उससे दुगुना चार्ज कर लिया जायगा और उतार तक दिया जायगा। श्रीमन्, यह जो प्रावीजन किया गया है तो इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है। इलेक्शन के दिनों में अगर दूसरी पार्टी के आदमी कहीं जा रहे हैं तो उनको कांग्रेस पार्टी के लोगों के मुकाबले में उतार दिया जायगा और वह लोग वहीं पड़े रह जायगे। इस तरह से उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। श्रीमन, गरीब के लिये तो इसमें उतारने की व्यवस्था हो गई है लेकिन जो पथा वसूल करेगा वह अपने पास तीन साल तक रख सकता है। इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। श्रीमन, जो नियम बने हैं उनमें इस प्रकार की व्यवस्था है जो बड़े को बड़ा करने वाली है और छोटे को छोटा करने वाली है।

इसके बाद श्रीमन, मैं प्रोटेक्शन वाली बात कहना चाहता हूं। वैसे तो गजटेड आफिसर्स को काफी प्रोटेक्शन है। जुडीशियल आफिसर पर केस चलाने के लिये पहले परमीशन लेनी पड़ती है। काफी संरक्षण है। इस पर भी इसमें साधारण से साधारण आदमी के लिये भी काफी प्रोटेक्शन कर दिया गया है। इसके आधार पर भी दुरुपयोग हो सकेगा, मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यवस्था हुई है वह ठीक नहीं है।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि.....

श्री कृष्णानन्दराय---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---समाप्त कर लेने दीजिये।

श्री रक्षपालसिंह---श्रीमन, केवल एक मिनट में खत्म कर दूंगा। रोडवेज के जो कर्मचारी कंडक्टर्स, ड्राइवर्स वगैरा हैं, इनको टिकट वगैरा बनानी पड़ती हैं परन्तु यदि यह व्यवस्था हो गई तो इनके ऊपर दुगुना काम आ पड़ेगा। लेकिन उनके लिये कोई सुविधा नहीं दी गई है।

श्री राधेश्याम शर्मा---श्रीमन, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी एक भाषण हो रहा है और सरकारी पक्ष की ओर से कितनी उत्तेजना फैलाई जा रही है तो मैं मुख्य मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि वे अपनी फौज को संभालें। उल्टे हमें उच्छृंखल कहा जाता है।

श्री अध्यक्ष---यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप कृपया बैठें।

श्री जे० पी० मिश्र---मैं क्लोजर मूव करता हूं। मेरे प्रस्ताव को लिया जाय।

श्री अध्यक्ष---आप क्लोजर मूव नहीं कर सकते जब एक व्यक्ति बोल रहा है।

श्री रक्षपालसिंह---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, तो श्रीमन, इसके ऐक्ट के अन्दर पांच डिफक्ट मैंने बताये। एक तो जिस कारण से टैक्स लग रहा है वह उचित नहीं। दूसरे यह बिल इनकम्प्लीट है। तीसरे अपील का प्रावीजन नहीं है। चौथी बात यह है कि इसके अन्दर गरीब को परेशानी पहुंचानी है और अमीर को फायदा पहुंचानी है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स को प्रोटेक्शन है। पांचवें, रोडवेज के एम्प्लाइज के लिये रक्षा नहीं है। इन कारणों से मंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस बिल को वह वापस लें और इसको संशोधित करके फिर पेश करें।

श्री काशीनाथ मिश्र---मुझको इस पर बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---क्लोजर का प्रस्ताव आ चुका है।

श्री काशीनाथ मिश्र---क्लोजर इस पर आ नहीं सकता है। आप इस पर बहस जारी रहने दें और मुझे बोलने की आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर ।

श्री काशीनाथ मिश्र---मैं फिर से आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे बोलने का अधिकार दें ।

श्री अध्यक्ष---आर्डर, आर्डर । आप बैठिए ।

श्री काशीनाथ मिश्र--सरासर मेरे साथ ज्यादती हो रही है ।

श्री अध्यक्ष---अगर आप नहीं बैठते हैं, तो आप सदन छोड़ दें। (श्री काशीनाथ मिश्र के बोलते रहने पर) आप बैठ जाइए ।

श्री काशीनाथ मिश्र---आप सरकारी पक्ष के साथ सरासर पक्षपात कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष---आप सदन छोड़ दीजिए । (श्री काशीनाथ मिश्र के सदन न छोड़ने पर) मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और इनको इंगित करता हूं ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय काशीनाथ मिश्र को एक महीने के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि माननीय काशीनाथ मिश्र को एक महीने के लिए सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---(श्री काशीनाथ मिश्र के बोलते रहने पर) माननीय काशीनाथ जी, आप सदन को छोड़िये ।

(श्री काशीनाथ मिश्र के सदन न छोड़ने पर) मार्शल, आपको सदन से बाहर कर दीजिये ।

(मार्शल के आने पर, श्री काशीनाथ मिश्र सदन को छोड़कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मुजफ्फर हसन---अध्यक्ष महोदय, जो बातें पहले हो चुकी हैं वही दोहरायी गयी हैं, सलिये किसी का जवाब देने की जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) विधेयक, १९६२ [The Uttar Pradesh Motor Gadi (Yatri-Kar) Vidheyak, 1962] पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ८ बजकर ३६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२३ अगस्त, १९६२ ।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७४ पर]

स्टेटमेन्ट

(क) प्रथम योजना में गन्ने की प्रति एकड़ उपज का लक्ष्य तथा प्रति, क्रमशः ५५० मन तथा ४१९ मन था। द्वितीय योजना में प्रति एकड़ गन्ने की औसत उपज तथा गन्ने का कुल उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः ६५० मन और ७१·५० करोड़ मन था और इस योजना के अन्तर्गत गन्ने की औसत उपज ४४४ मन प्रति एकड़ तथा कुल उत्पादन १०१.८५ करोड़ मन हुआ। पहली तथा दूसरी योजनाकाल में क्रमशः २.५० करोड़ रु० तथा ३·८५ करोड़ रु० गन्ना विकास पर खर्च करने का लक्ष्य था और क्रमशः ०.७९ करोड़ रु० और ३·४० करोड़ रु० खर्च हुआ।

गुड़ के प्रथम तथा द्वितीय योजना में उत्पादन का लक्ष्य १३.२५ लाख मन तथा २६.५ लाख मन था और इसका उत्पादन क्रमशः १३.५ लाख मन तथा २९.५ लाख मन हुआ। खांडसारी का प्रथम द्वितीय योजना में उत्पादन का लक्ष्य २५,००० मन तथा २,००,००० मन था और दूसरा उत्पादन क्रमशः २५,७३१ मन तथा २,२७,००० मन हुआ। गुड़ एवं खांडसारी के विकास में पहली तथा दूसरी योजना में क्रमशः ६,७८,००० ० तथा ४०,३१,००० ० व्यय हुआ।

प्रथम तथा द्वितीय योजना में चीनी के विकास सम्बन्धित कोई विशेष लक्ष्य निर्धारित नहीं था।

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में गन्ने की प्रति एकड़ उपज, कुल उत्पादन तथा चीनी उत्पादन का लक्ष्य क्रमशः ५२५ मन ९९.७५ करोड़ मन, तथा १३ लाख टन है। वर्ष १९६१-६२ में अनुमानतः गन्ना का औसत उपज ४१० मन प्रति एकड़, गन्ना उत्पादन १०० करोड़ मन तथा चीनी उत्पादन १२.०४ लाख टन था। इस मद पर खर्च का लक्ष्य ४.४८ करोड़ रु० है और १९६१-६२ में लगभग ०.२६ करोड़ रु० खर्च हुआ है।

गुड़ तथा खांडसारी के विकास का कार्यक्रम राज्य की तृतीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं है क्योंकि इसके लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग मंडल को आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। इस योजनाकाल में गुड़ तथा खांडसारी के विकास के अन्तर्गत उत्पादन, तकावी वितरण एवं ट्रेनिंग के अतिरिक्त ३० गुड़ भण्डार के गोदाम, २५ विक्रय केन्द्र तथा २५ सहकारी समितियों को उत्पादन केन्द्रों में परिवर्तित करने का लक्ष्य बना रखा है। तृतीय योजना के प्रथम वर्ष में ५.४६ लाख मन गुड़ तथा १.९ लाख मन खांडसारी का उत्पादन हुआ और ३० जून, १९६२ तक ९.५६ लाख पये व्यय हुये हैं जिसमें ५ लाख पया तकावी ऋण तथा १.७८ लाख ० सहकारी समितियों को दिया ऋण भी शामिल है।

(ग) गन्ने की पेराई के लिये उचित प्रबन्ध किया जाता है और इसी उद्देश्य से पिछले तीन चार वर्षों में प्रादेशिक सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय सरकार ने चीनी मिलों को अपनी-अपनी क्षमता बढ़ाने के लिये अनुमति प्रदान की है। चीनी का क्रय-विक्रय केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार होता है।

गुड़ एवं खांडसारी के खपत के लिये २५ उपरोक्त बिक्री केन्द्र लक्ष्य में निर्धारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में एक गुड़ खांडसारी फेडरेशन का भी संगठन हो चुका है जो प्रदेश के मुख्य नगरों में अपने विक्रय केन्द्र खोलेगा जो गुड़ खांडसारी के खपत में अनिवार्यतः सहायक होगा।

नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३७८ पर]

I have perused the explanation of S. I. Sidheshwari Saran Singh in reply to show cause notice No. P 58/51, dated August 28, 1961. In my opinion lenient view has been taken against this Sub-Inspector and he is not being awarded a severe punishment. It is, therefore, ordered that the annual increment of S. I. Sidheshwari Saran Singh be stopped for 6 months more in additon to that already ordered in consequence of whithholding his increment.

No. P-58/61
dated, September 14, 1961.

Sd./-A. M. Shah, I. P. S.,
Supdt. of Police,
Ghazipur.

Copy to :

1. S. I. Sidheshwari Saran Siingh for information.
2. R. I. for H. O. B.
3. H. for necessary action.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३९ पर)

उद्योगों के नाम जिन्हें १९६०–६१ में आर्थिक सहायता दी गई

प्लास्टिक का सामान, पीतल के बर्तन, लोहारगिरी, होजरी, दरी बनाना, जूता बनाना, फर्नीचर बनाना, चूना बनाना, डलिया बनाना, चमड़े का सामान बनाना, कपड़ा छपाई, चर्मशोधन, खांडसारी, लोहे की कीलें, आयुर्वेदिक औषधि निर्माण, आटा चलनी बनाना, चूड़ियां बनाना, लोहा फाउन्डरी, खेती के औजार बनाना, तेल घानी उद्योग, चर्म उद्योग।

वे उद्योग जिन्हें १९६१–६२ में आर्थिक सहायता दी गई

सीमेंट जाली बनाना, खेती के औजार बनाना, चमड़े के जूते बनाना, लोहे का फर्नीचर बनाना, बढ़ईगीरी, लोहारगीरी, तेल घानी चर्मशोधन।

१९६१–६० में स्थापित एवं विस्तृत किये गये उद्योगों के नाम

प्लास्टिक का सामान, पीतल के बर्तन, लोहार गीरी, होजरी, दरी बनाना, जूता बनाना, फर्नीचर बनाना, चूना बनाना, डलिया बनाना, चमड़े का सामान, कपड़ा छपाई चर्म शोधन, खांड-सारी, लोहे की कीलें, खेती के औजार बनाना, चर्म उद्योग।

१९६१–६२ में स्थापित एवं विस्तृत किये गये उद्योगों के नाम

सीमेंट जाली बनाना, चमड़े के जूते बनाना, बढ़ई गीरी, तेल घानी, चर्मशोधन।

उद्योगों को स्थापित करन के लिये मांग के अनुसार लोहा कोयला आदि की प्रदत्त सुविधायें।

वर्ष	उद्योग का नाम		सुविधा का रूप
१९६०–६१..	खांडसारी	..	जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा जी० सी० शीट्स दिलाई गई।
,,	वायर नेल्स	..	बिजली कम्पनी से बिजली दिलाने की संस्तुति की गई।
,,	खेती के औजार	..	लोहे व कोयले का कोटा नियमित रूप से निर्धारित कर दिया गया है।
१९६१–६२..	सीमेंट जाली बनाना	..	जिला पूर्ति अधिकारी को मासिक आधार पर सीमेन्ट का परमिट देने की संस्तुति की गई।
,,	लोहे का फर्नीचर	..	जिला पूर्ति अधिकारी से वर्क शेड के लिये जी० सी० शीट दिलाने की संस्तुति की गई।
,,	लोहार गीरी	..	एक वैगन स्टीम कोल एलाट हो चुका तथा २५ टन लोहा व इस्पात की पी० आई० एस० सी० से संस्तुति की गई।

नत्थी 'घ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८५ पर]

मैनपुरी जिले में, प्लानिंग विभाग के अन्तर्गत, उल्लिखित पदों पर कार्य करने वाले, परिगणित एवं पिछड़ेवर्ग के कर्मचारियों की वांछित संख्या

क्रम-संख्या	पद का नाम	जिले में कुल पद संख्या	जिले में परिगणित पद संख्या	जिले में पिछड़ेवर्ग के व्यक्तियों की पद संख्या
क	सेक्रेटरी पंचायत	१३२	११	३४
ख	ग्राम सेवक	१३७	१३	१९
ग	क्लर्क	८४	५	८
घ	ए० डी० ओ०	५१	५	७
ङ	चपरासी	७३	३२	८
च	ग्रामलक्ष्मी	७५	३	१५

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ङ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३८५ पर]

माधोगढ़ ओधा क्षेत्र ग्रामों की सूची

१—माधोगढ़
२—चितौरा
३—विरियामाधोगढ़
४—चितौरी
५—कुंवरपुरा सिहारी
६—धमना
७—गदराही
८—खुदादपुरा
९—बुढ़ानपुरा
१०—डिकौली
११—सुरौली माधोगढ़
१२—मिहौनी
१३—हरौली
१४—कैलोर
१५—हैदलपुरा
१६—अटागांव
१७—अंकाई
१८—सोपता
१९—सिहारी माधोगढ़
२०—तौर
२१—कुरसेढ़ा
२२—करीला
२३—मूलपुरा
२४—कुरौती
२५—सुल्तानपुरा
२६—निचाव
२७—जेमरेही अव्वल
२८—अकबरपुरा
२९—रुद्रपुरा माधोगढ़
३०—रजपुरा
३१—खराली
३२—कस्बा
३३—पूरनपुरा
३४—झेगनी
३५—ऊंचा
३६—सिरउवा
३७—खरगूपुरा
३८—सिरसा दोगड़ी
३९—कुटरा
४०—मिर्जापुर
४१—अहेती
४२—तजपुरा अव्वल
४३—अमखेरा
४४—बाधावली
४५—पचोखरा
४६—जोजपुरा
४७—सुरपतपुरा
४८—धर्मपुरा
४९—भगा
५०—मोहनी
५१—हिगुटा
५२—बोहरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओधा क्षेत्र के विकास हेतु १९६०–६१ से अब तक स्वीकृत तथा व्यय की गई धनराशि

योजना का नाम	१९६०–६१ में स्वीकृति धनराशि (१९६१–६२) में कोई धनराशि स्वीकृति नहीं की गई	१९६०–६१ में व्यय की गई धन-राशि	१९६१–६२ में व्यय की गई धन-राशि	टिप्पणी
१	२	३	४	५
	रु०	रु०	रु०	
१—बस्तईपुर नाली को बढ़ाने के लिये	..	१,३९७	..	स्तम्भ ३ में निर्दिष्ट व्यय ६०-६१ से पहले की स्वीकृति में से किया गया है।
२—गोहन नाली ..	..	..	२,१३६	स्तम्भ ४ में निर्दिष्ट व्यय १९६०-६१ से पहले की स्वीकृति में से किया गया है।
३—अटागांव नाली	२,८४९	६३६	२,१६९	
४—कुआव नाली ..	१८,०७३	९,२०४	६,४००	
५—अमखेरा नाली	३४,९४४	५,११०	७,११९	
६—सुल्तानपुरा नाली	..	७,६१९	१०,८२८	स्तम्भ ३ व ४ में निर्दिष्ट व्यय १९६०–६१ से पहले की स्वीकृति में से किया गया है।
७—दिकौली नाली ..	३,२६६	२५,६३५	६,६९०	स्तम्भ ३ व ४ में निर्दिष्ट व्यय १९६०–६१ से पहले की स्वीकृति में से भी किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ओधा क्षेत्र के विकास हेतु १९६०-६१ से अब तक स्वीकृत तथा व्यय की गई धनराशि

योजना का नाम	१९६०-६१ में स्वीकृति धनराशि (१९६१-६२) में कोई धनराशि स्वीकृति नहीं की गई	१९६०-६१ में व्यय की गई धन-राशि	१९६१-६२ में व्यय की गई धन-राशि	टिप्पणी
१	२	३	४	५
	रु०	रु०	रु०	
८—माधोगढ़ नाली ..	..	२,५६२	४३८	स्तम्भ ३ व ४ में निर्दिष्ट व्यय १९६०-६१ से पहले की स्वीकृति में से किया गया है।
९—सोपटा नाली ..	..	९५३.५०	१,१४७	,,
१०—केलर नाली ..	..	४७७	१	,,
११—पुरनपुरा नाली ..	४,०२४	६७५.५०	१,२७१	,,
१२—मेगनीहरौली नाली	..	१,१७६	१,५०४	स्तम्भ ३ व ४ में निर्दिष्ट व्यय १९६०-६१ से पहले की स्वीकृति में से किया गया है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९३ पर]

नाम थाना	तादाद मुकदमात १०७/ ११७ आ०	तादाद व्यक्ति जिन पर मुकदमा चला	तादाद मुकदमा जिनमें सुलह हुई	तादाद व्यक्ति जिन में सुलह हुई	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६
सोराम् ..	१४	१९२	६	८४	
नवाबगंज ..	२२	१११	१३	६३	
मऊआइमा ..	१९	१४६	१०	५९	

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ४२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९३ पर]

तालिका

क्रम-संख्या	पद का नाम	पुलिस विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या	परिगणित जाति के कर्मचारियों की संख्या
१	एस० पी०	८८	२
२	डी० वाई० एस० पी०	२६८	९
३	इंस्पेक्टर	३७६	३
४	सब-इन्स्पेक्टर	३,५४१	१४३
५	हेड-कान्स्टेबुल	८,९६७	२४७
६	कान्स्टेबुल	५१,७८६	२,६९३

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ज'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३९६ पर]

क्रम-संख्या	योजना का नाम	अभी तक हुए कार्य का विवरण	कितना रुपया बगैर खर्च किये पड़ा है	खर्च न हो सकने का क्या कारण है
१	अस्पताल का उच्च स्तरीकरण भवन निर्माण	जून १९६२ तक २ प्रतिशत कार्य हुआ है।	लगभग सम्पूर्ण धनराशि, जो १,२३,२८० रुपये की है, अभी व्यय होनी है।	योजना का अधिकांश भाग अभी आरम्भ नहीं किया जा सका है क्यों कि टेन्डर दुबारा मांगने पड़े।
२	बाल रोग चिकित्सालय भवन निर्माण	भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया है, केवल बिजली लगने का कार्य शेष है जो प्रगति में है।	२,०७८ रुपये का भुगतान करना शेष है।	व्यय लगभग पूरा हो चुका है, केवल भुगतान करना शेष है।
३	३२ शैय्याओं वाले रोगी कक्ष का निर्माण	अभी कुछ भी कार्य नहीं हुआ है।	१,४४,००० रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अभी व्यय होना है।	कार्य अभी आरम्भ ही नहीं हुआ है क्योंकि टेन्डर दुबारा मांगने पड़े। जिस स्थान पर यह भवन बनना है वहां इस समय एक्सरे ब्लाक है जिसकी मशीन अन्य जगह से जाकर यह पुराना ब्लाक तोड़ना है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	योजना का नाम	अभी तक हुए कार्य का विवरण	कितना रुपया बगैर खर्च किये पड़ा है	खर्च न हो सकने का क्या कारण है
४	परिचारिकाओं के निवास स्थान का निर्माण	अभी कुछ भी कार्य नहीं हुआ है।	१,११,००० रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अभी व्यय होना है।	इस कार्य का आगणन अभी स्वीकृत नहीं हो पाया है, अतएव आगे कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
५	१६ शैय्याओं वाले रोगी कक्ष का निर्माण	जून, १९६२ तक नींव डाली जा चुकी थी।	जून, १९६२ तक ५,००० रुपये व्यय हुए थे। ५१,००० रुपये का व्यय होना शेष है।	कार्य प्रगति में है। शेष कार्य अभी नहीं हुआ है इसलिये व्यय होना भी शेष है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ८३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०० पर]

क्रम-संख्या	थाना	अपराध संख्या	मुकदमा छुटने की तिथि
१	कोतवाली	२९८	१०-४-६२
२	,, ...	३२६	११-४-६२
३	बिन्दकी	१५७	३-४-६२
४	,, ...	२६८	१०-४-६२
५	,, ...	१३२	१२-४-६२
६	,, ...	२१९	१४-४-६२
७	,, ...	१३१	२१-४-६२
८	,, ...	१०७	२५-४-६२
९	लौली	४	२६-४-६२
१०	कल्यानपुर	१४२	९-४-६२
११	,, ...	११३	१९-४-६२
१२	थरियांव	१८०	२६-४-६२
१३	खागा	५२	२-४-६२
१४	किशनपुर	९७	१२-४-६२
१५	,, ...	४६	१८-४-६२
१६	खखूरेरू	६७	७-६-६२
१७	,, ...	१५१	१२-४-६२
१८	,, ...	१४३	१२-४-६२
१९	गाजीपुर	६८	४-४-६२
२०	हुसैनगंज	१०४	२५-४-६२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ञ'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ९७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०३ पर]

विकास क्षेत्र रामपुरा में कृषकों द्वारा ब्लाक फंड के ऋण सहायता से बनाये गये सिंचाई के कूपों का विवरण

क्रमांक	ग्राम का नाम	अनुमानित लागत
१	टीहर	१,५००
२	टीहर	१,५००
३	नरल	१,२००

विकास क्षेत्र माधोगढ़ में कृषकों द्वारा अधिक अन्न उपजाओ फंड के तकावी लेकर बनाये गये सिंचाई के कूप का विवरण

१	गोपालपुरा	१,१००
२	ऊंचा	१,३००
३	ऊंचा	१,५००
४	ऊंचा	१,५००
५	मेगनी	१,१००
६	भगवानपुरा	१,३००
७	भरेला	१,२००
८	भरेला	१,२००
९	महोई	१,३००
१०	करमरा	१,१००
११	वारा	१,४००
१२	अटरोली	१,२००
१३	अहटा	१,३५०
१४	अहटा	१,३५०

विकास क्षेत्र माधोगढ़ में अन्तरिम जिला परिषद् फंड के अनुदान द्वारा बनाये गये पानी के कुओं का विवरण

१	भिगनी	३,४३१
२	जनकपुरा	१,२८०
३	गोपालपुरा	१,६५०
४	ऊंचा	३,४४१
५	ऊंचा	२,२५०
६	भिगनी	३,५००
७	गोपालपुरा	३,०००
८	सिलडवाबुजुर्ग	२,०५६
९	भिगनी	२,३२०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ट'

[देखिये नियम ३९ (२) के अंतर्गत तारांकित प्रश्न १०८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०५ पर]

तालिका

तालिका जिसमें जरवल रोड, बलरामपुर, तुलसीपुर, नवाबगंज व बभनान चीनी मिलों द्वारा बैंक को जितनी कीमत की शकर प्लैज्ड की गई उसका विवरण दिया हुआ है

क्रम संख्या	चीनी मिल का नाम	बैंक को चीनी जितने कीमत की प्लेज्ड है
१	२	३
१	नवाबगंज	६०,३७,०१०.००
२	तुलसीपुर	मिल मालिक से सूचना उपलब्ध नहीं है।
३	बलरामपुर	५२,३७,१४४.००
४	बभनान	६१,००,०००.००
५	जरवल रोड	९०,७१,४४०.००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ठ'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ११८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०६ पर]

जिला गाजीपुर में १९५६–६०–१९६१ में हुई चोरियों, डकैतियों तथा हत्याओं का विवरण

क्रम सं०	थानों का नाम	हत्याओं की संख्या			डकैतियों की संख्या			चोरियों की संख्या		
		१९५६	१९५७–६०	१९६०–६१	१९५६	१९५७–६०	१९६०–६१	१९५६	१९५७–६०	१९६०–६१
१	कोतवाली	१	१	४	१	–	–	५६	४३	१०६
२	मरदाह ..	–	–	–	१	१	१	७	५	१३
३	सादात ..	–	–	३	–	–	१	४	३	११
४	सैदपुर ..	२	३	–	–	–	–	१४	२१	३४
५	नन्दगञ्ज ..	१	२	६	–	–	–	८	३२	३४
६	शादियाबाद ..	१	१	–	–	–	–	२४	१३	३५
७	कासिमाबाद ..	१	–	२	१	२	१	६	७	१०
८	बीरनो ..	३	१	२	१	१	–	२९	२१	४६
९	मोहम्मदाबाद ..	१	१	–	१	१	–	२३	२२	३७
१०	करीमउद्दीनपुर ..	२	३	–	२	१	–	१५	९	२८
११	जमानिया ..	–	१	–	–	–	–	१२	२५	२६
१२	दिलदारनगर ..	२	१	२	१	–	–	१८	१८	४३
१३	गहमर ..	१	१	–	–	१	२	२३	१२	१९
	योग ..	१५	१५	१९	८	७	५	२३९	२३१	४४२

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

[देखिये तारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०८ पर]

इलाहाबाद तथा नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी के उन कारखानों के नाम जिनके द्वारा उत्पादित वस्तुयें १९६१–६२ के वर्ष में विदेशों को भेजी गईं तथा निर्यात किये गये वस्तुओं का मूल्य

क्रम-संख्या	फर्म का नाम	सामान	(मूल्य रुपयों में)
१	जीप फ्लैश लाइट, साऊथ रोड, इलाहाबाद	टार्च एण्ड फ्लैश लाइट	७८,२०७
२	सर्वश्री लिपटन्स प्राइवेट लि० नैनी, इलाहाबाद	चाय	१०,०००
३	सर्वश्री एस० आर० कैथी, रसूलाबाद, इलाहाबाद	केन्ड फ्रूट एण्ड विजीटेबिल	३३,४१७
४	सर्वश्री कुमार इंडस्ट्रियल प्रा० लि०, नैनी इंडस्ट्रियल कालोनी, इलाहाबाद	साइकिल की तीली	१४,४७२
५	रा० मूंज उत्पादन केन्द्र, महेवा, इलाहाबाद	हैन्डीक्राफ्टस	१६,६८४
	कुल जोड़ ..		१,५२,७८०

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ढ'

[देखिये तारांकित प्रश्न १६–१७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४०९–४१० पर]

तालिका 'क'

उत्तर प्रदेश की चीनी मिलें जिन्हें क्षमता बढ़ाने की अनुमति प्राप्त हुई थी, पहले की क्षमता व बढ़ी हुई क्षमता का विवरण

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	लाइसेंस कैपेसिटी (टन में)	बढ़ी हुई क्षमता कैपेसिटी (टन में)	एक्सपैन्शन की तारीख
१	२	३	४	५
		१९५८ से पूर्व		
१	सहारनपुर	१२५०	१४००	२६–११–५६
२	मोहिद्दीनपुर ..	७५०	११४०	२१–१२–५४
३	अमरोहा	१२३५	२२५०	८–११–५४
४	बहेड़ी	१२८०	२१८०	१०–१२–५६
५	धामपुर	९००	२०००	११–११–५४
६	ऐरा	६५०	१२००	२८– ५–५५
७	बुढ़वल	६५१	८००	७– ५–५८
८	सरदारनगर	२२५०	२६००	१– ८–५८
९	सिसवाबाजार ..	५५०	१०००	१– ३–५७
		१९५८ के बाद		
१०	मंसूरपुर	१८००	२७००	२७– ८–६१
११	खतौली	१७००	२०००	२७– ८–६१
१२	रोहाना	१३५०	१६५०	३१– ७–६१
१३	शामली	३०००	३७५०	३– ८–६१
१४	सखौती	११००	१४००	३०– ६–६१
१५	दौराला	१४००	३०००	७– ८–६१
१६	मवाना	८२२	३०००	२५– ५–६१
१७	बुलन्दशहर	१०००	१५००	३– ८–६१
१८	न्योली	९९०	१२५०	७– ८–६१
१९	सिवहारा	२५००	३६००	७– ८–६१
२०	बुलन्द	१०००	१५००	३१– ७–६१
२१	रजा	११५०	१५००	२५– ८–६१
२२	हरदोई	१८००	२१००	३१– ७–६१
२३	हरगांव	१९२५	३०००	७– ८–६१
२४	काशीपुर	१०००	१५००	२३–१२–५९
२५	खलीलाबाद	५५०	९००	३– ८–६१
२६	बस्ती	१००९	१२००	२९–१२–६१
२७	बाल्टरगंज	७६०	१२००	७– ८–६१
२८	बलरामपुर	८९०	१२००	२७– ८–६१

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	लाइसेंस कैपेसिटी (टन में)	बढ़ी हुई क्षमता कैपेसिटी (टन में)	एक्सपैन्शन की तारीख
१	२	३	४	५
२९	कैप्टनगंज	९५५	१२५०	३१- ७-६१
३०	छितौनी	७२७	१०००	३१- ७-६१
३१	लक्ष्मीगंज	७३२	१०००	२९-१२-६१
३२	सिवरही	९२५	१५००	७- ८-६१
३३	भटनी	७२६	१०००	२२- ७-६०
३४	घुघली	१०००	१२००	२७- ८-६१
३५	फरेंदा	१०००	१२००	३१- ७-६१
	योग ..	४१३२७	६०६७०	

कैपेसिटी में वृद्धि १९,३४३ टन ।

संसद सदस्य सूचना

तालिका 'ख'

क्रम-संख्या	चीनी मिल का नाम	शेयर कैपिटल की रकम (लाख रु० में)	ऋण की रकम (लाख रु० में)	अभियुक्तियां
१	२	३	४	५
१	बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, नैनीताल	२०.००	..	..
२	बागपत कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, मेरठ	२०.००	११.००	..
३	सरसावा कोआपरेटिव शुगर फैक्टरी, जिला सहारनपुर ..	२०.००	८.००	..
४	किच्छा ज्वाइंट स्टाक शुगर फैक्टरी, नैनीताल ..	कुछ नहीं	४०.००	..

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ण'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१० पर)

गोंडा जिले में निम्नलिखित मुख्य उद्योग हैं :

(अ) वृहत् उद्योग

१—चीनी
२—चावल
३—आबकारी

(ब) लघु उद्योग

१—चावल एवं दाल
२—ईंट के भट्ठे
३—आटा चक्कियां
४—लकड़ी चिराई
५—बर्तन उद्योग
६—चूना उद्योग
७—साबुन उद्योग
८—छापाखाना
९—बर्फ उद्योग
१०—बिस्कुट उद्योग
११—फरनीचर
१२—जनरल इंजीनियरिंग
१३—हड्डी की खाद

(स) ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग

१—बढ़ईगीरी
२—गुड़
३—तेल घानी
४—लोहारगीरी
५—कुम्हारगीरी
६—जूता बनाना
७—हस्त करघा वस्त्र
८—कम्बल बुनना
९—टोकरी बुनना
१०—बीड़ी बनाना
११—रस्सी बनाना इत्यादि ।

विधान सभा सचिवालय उ०प्र० लखनऊ

नत्थी 'त'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४११ पर)

सूची

हरिजन औद्योगिक आस्थान (Harijan Industrial Estate) गोंडा में चलाये जाने वाले उद्योगों का विवरण

क्रम सं०	उद्योग का नाम
१	जूते का काम
२	चमड़े की वस्तुयें जैसे सूटकेस, होल्डाल्स अटैची, इत्यादि
३	खेलने का सामान
४	गन्ना पेरने की मशीनें
५	फर्नीचर
६	बर्तन बनाना
७	परशियन व्हील तथा अन्य खेती के औजार
८	नेवाड़, हरी तथा अन्य हथकरघा की वस्तुयें
९	लकड़ी तथा मिट्टी के खिलौने
१०	प्लास्टिक की वस्तुयें
११	लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज
१२	दियासलाइयाँ

विधान सभा सचिवालय

नत्थी' थ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे प्रष्ठ ४११ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के ९वें गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या २७ के दिये गये उत्तर से संबंधित गोंडा जिले में पिछले तीन वर्षों में पांच हजार से अधिक उद्योग स्थापना के लिये दिये गये कर्जों की सूची

क्रमांक	नाम व पता जिनको ५००० से अधिक ऋण दिया गया	ऋण धन	उद्योग का नाम
१	२	३	४
	१९५९–६०		
१	श्री अल्ताफ अहमद, चौक बाजार, गोंडा ..	९,०००	चश्मे के शीशे में पावर लगाना
२	श्री अब्दुल गफ्फार हाशमी, सादुल्लानगर, गोंडा	६,०००	हड्डी का खाद बनाना
३	श्री राजेन्द्रकुमार पाल, गोंडा ..	७,०००	जनरल इंजीनियरिंग
४	मेसर्स गोयल इण्डस्ट्रीज करनैलगंज, गोंडा ..	१०,०००	गणित सम्बन्धी यंत्र
	१९६०–६१		
१	श्री कामता प्रसाद, गोला गंज, गोंडा ..	६,२००	कांटे, कीलें तथा बोल्ट ब्रुश इत्यादि
२	श्री चन्द्रकान्त, नहसपुरवा, गोंडा ..	५,५००	स्टील फर्नीचर
३	श्री अब्दुल रहीम खां, गोंडा गिरद, गोंडा ..	६,०००	फर्नीचर
४	श्री अब्दुल रहीम ग्राम नेवादा, गोंडा ..	६,०००	बढ़ईगीरी
५	श्री चन्द्रभाल गुप्ता, तुलसीपुर गोंडा ..	६,०००	तार की कीले वोल्ट नट इत्यादि
६	मेसर्स भारत ट्यूब वेल इंजीनियरिंग वर्कस, गोंडा	६,६००	तारें की जाली बनाना ।
७	श्री एस० एन० पाण्डेय, गोंडा	१०,०००	मोटर पार्ट्स बनाना
	१९६१–६२		
१	श्री प्रकाशचन्द्र पटेलनगर, गोंडा ..	५,५००	इंजीनियरिंग वर्क्स
२	श्री मोहम्मद अकबर पटेलनगर, गोंडा ..	७,०००	एलेक्ट्रोप्लेटिंग
३	श्री शिवदास गुप्ता सुखइया, उतरौला ..	१५,०००	खांडसारी

नत्थी 'द'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४११ पर)

Copy of the Audit and Inspection Report No. CAW/IV-53/61/62/609, dated February 24, 1962, received from the outside Audit Department of the Accountant General, U. P. Allahabad, addressed to the District Industries Officer, Banda.

Name of the Instituion/Office Inspected.	D. I. O., Banda.
Name of the head of office	D. I. O., Banda.
Designation of the next higher authority	D. I. O., U. P., Kanpur.
Dates of Audit Inspections.	16-1-62 to 19-1-62

The following results of the audit inspections of your accounts are being sent in triplicate. Replies may kindly be recorded in the relevant columns in just-a-position. One white copy may be retained in your office for record and the other two (including the blue copy) be sent to the next higher authority with the request that the blue copy may be transmitted to this office with their comments in the relevant column.

(Sd.)-N. SUBRAMANIAN,
Assistant.

Sl. no.	Statement of audit objections	Reply of the Institution/Office Inspected.

PART I,

(*a*) The last Audit was carried out by Sri G.K. Srivastava and covered the period up to December, 1959. During the present audit the accounts for the period from January, 1960 to December, 1961 generally examined.

The charge of the office was held by Sri V. K. Agarwal from 16-11-1959 to 11-1-60, Sri P. C. Sharma from 12-1-60 to date.

(*b*) The compliance of outstanding paras 2(a)(b) (c) (d) (I and II) 3 (a)(b) (d), 4, 5, (a) (b) and 6 (a and b) of the previous Audit Inspection Report are still awaited.

Outstanding recoveries.

(I) In the Year 1957 three parties were sanctioned loan under U. P. Rules for the advance of loans for development of Cottage Industries.

	Amount refunded	Amount to be recovered.
(a) Sri Ram Kumar ..	16,00	3,620

Recoveries of instalments of these loans will be awaited in audit.

(11) An amount of Rs. 47652.26 as shown in annexture 'A' is outstanding on account of recovery of loan as on 31-12-61. The recovery of the said amount has not been made which will be awaited in audit.

PART II

I. Procedural and other irregularities which could not be settled on the post have been incorporated in a test audit note which has been given to District Industries Officer, Banda for necessary actions and reporting compliance to the Deputy Accountant General, O. A. D., A. G., U. P., 5-Lajpat Rai Road, Mumfordganj, Allahabad within one month of its receipt.

The salient features of the Test audit note are as follows:

(1) Calculations of the interest were never checked by any officer.

(2) Leave account note satisfactory; maintained properly.

(3) Contingent charges paid by H. C. from his private money.

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ध'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५७ व ५९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१५ पर)

तालिका 'क'

क्रम-संख्या	थाने का नाम (जिला उन्नाव)	१-१-६१ से ३१-१२-६१ तक			१-१-६२ से ३०-४-६२ तक		
		कत्ल	डकैती	राहजनी	कत्ल	डकैती	राहजनी
१	कोतवाली	१०	१०	२	५	..	३
२	बांगरमऊ	१	९	१	१	१	..
३	फतेहपुर चौरासी	२	२	१	४	५	२
४	सफीपुर	४	७	..	..	..	३
५	औरास	२	३	..	२	२	..
६	हसनगंज	७	..	१	१	३	१
७	अचलगंज	४	६	३	५	..	३
८	अजगैन	१०	९	४	२	३	२
९	बारासगवर	७	१	..	२	१	१
१०	बिहार	२	४	२	२	१	..
११	मौरावां	३	..	..	१	३	..
१२	गंगाघाट	४	..	..	१	..	..
१३	पुरवा	९	२	३	३	१	..
१४	असोहा	५	१	१	१	..	..
	योग ..	७०	५४	१८	३०	२०	१५

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका 'ख'

१-१-६१ से ३१-१२-६१ तक

क्र० सं०	थाने का नाम जिला उन्नाव	कत्ल			डकैती			राहजनी		
		१ अदालत द्वारा सजायाब हुए मामलों की संख्या	२ अदालत द्वारा छोड़े गये मामलों की संख्या	३ अदालत के समक्ष विचाराधीन मामलों की संख्या	१ अदालत द्वारा सजायाब हुए मामलों की संख्या	२ अदालत द्वारा छोड़े गये मामलों की संख्या	३ अदालत के समक्ष विचाराधीन मामलों की संख्या	१ अदालत द्वारा सजायाब हुए मामलों की संख्या	२ अदालत द्वारा छोड़े गये मामलों की संख्या	३ अदालत के समक्ष विचाराधीन मामलों की संख्या
१	कोतवाली	४	१	..	६	..	१	..	..	..
२	बांगरमऊ	..	१	..	३	..	४	..	..	..
३	फतेहपुर चौरासी	..	१	..	२	..	..	..	..	..
४	सफीपुर	१	३	..	२	४	..	..	..	..
५	औरास	१	१	..	..	१	२	..	..	..
६	हसनगंज	२	४	..	..	..	..	..	..	..
७	अचलगंज	..	३	..	२	३	..	१	..	१
८	अजगैन	२	३	..	३	६	..	..	..	१
९	बारासगवर	१	१	..	..	..	..	..	..	..
१०	बिहार	..	१	..	..	..	..	१	..	..
११	मौरावां	२	..	..	..	..	..	..	..	..
१२	गंगाघाट	१	२	..	..	..	..	..	..	..
१३	पुरवा	..	८	..	..	१	..	..	१	..
१४	असोहा	३	१	..	१	..	..	..	..	..
	योग ..	१७	३०	..	१९	१५	७	२	१	२

अनुविधान सभा

तालिका 'ख'

१-१-६२ से ३०-४-६२ तक

क्र० सं०	थाने का नाम जिला उन्नाव	कत्ल			डकैती			राहजनी		
		१ अदालत द्वारा सजायाब हुए मामलों की संख्या	२ अदालत द्वारा छोड़े गए मामलों की संख्या	३ अदालत के समक्ष विचाराधीन मामलों की संख्या	१ अदालत द्वारा सजायाब हुए मामलों की संख्या	२ अदालत द्वारा छोड़े गये मामलों की संख्या	३ अदालत के समक्ष विचाराधीन मामलों की संख्या	१ अदालत द्वारा सजायाब हुए मामलों की संख्या	२ अदालत द्वारा छोड़े गये मामलों की संख्या	३ अदालत के समक्ष विचाराधीन मामलों की संख्या
१	कोतवाली	..	..	३	..	..	..	१	..	१
२	बांगरमऊ	..	१	..	..	..	१	..	..	..
३	फतेहपुर चौरासी	..	१	..	..	..	३	..	..	..
४	सफीपुर	..	..	..	..	..	..	..	..	२
५	औरास	..	..	२	..	..	२	..	..	..
६	हसनगंज	..	१	..	..	..	३	..	..	..
७	अचलगंज	..	१	२	..	..	..	..	..	१
८	अजगैन	..	..	१	..	..	२	..	..	१
९	बारासगवर	..	..	१	..	..	१	..	..	..
१०	बिहार	..	..	१	..	..	..	..	..	..
११	मौरावां	..	..	..	..	१	२	..	..	..
१२	गंगाघाट	..	..	१	..	..	..	..	..	..
१३	पुरवा	..	..	..	..	..	१	..	..	..
१४	असोहा	..	..	१	..	..	..	..	..	..
	योग ..	..	४	१२	..	१	१५	१	..	५

अवैध विधान सभा

नत्थी 'न'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४१९ पर)

१—श्री चन्द्रप्रकाश गुप्त, आई० सी० एस०,

२—श्री रामसहाय, आई० ए० एस०,

३—श्री रामकिंकरसिंह, आई० ए० एस०,

४—श्री दलजीतसिंह राठौर, आई० ए० एस०,

५—श्री हबीब अहमद सिद्दिकी, आई० ए० एस०,

६—श्री वी० एम० भिडे, आई० ए० एस०।

मुमुक्षु भवन पुस्तकालय सभा

नत्थी 'प'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२३ पर)

घटना का पूर्ण विवरण

जिला मुरादाबाद में दिनांक १४ जून, १९६२ को निकटवर्ती ग्रामों के ताजिये पीपलखाना के करबला की ओर जा रहे थे। वे रेलवे के क्रासिंग पर पहुंच कर रुक गये, क्योंकि टेलीफोन के तार हटाने के लिये लाइन्समैन नहीं आया था। जो तहसीलदार और सब-इन्स्पेक्टर ड्यूटी पर थे उन्होंने पोस्ट आफिस के अधिकारियों से लाइन्समैन के लिये सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की। परन्तु जब यह सम्भव न हो सका तो उन्होंने जिले के मुख्यालय को सूचित किया और ताजियादारों से प्रार्थना की कि जब तक मुख्यालय से लाइन्समैन न आयें व प्रतीक्षा करें। मुख्यालय पर यह सूचना प्राप्त होते ही अधीक्षक, पोस्ट आफिसेज, मुरादाबाद की सहायता से एक गाड़ी में एक लाइन्समैन वहां भेजा गया।

२--इसी बीच ताजियादारों ने ताजियों को बजाय सड़क के किनारे ले जाने के रेल की पटरी पर रख दिया, जिससे रेल का रास्ता और सड़क का सवारियों का रास्ता रुक गया। जब लाइन्समैन ने वहां पहुंचकर तार हटा दिये, तब भी ताजियादारों ने ताजिये नहीं उठाये। तहसीलदार को उस समय यह ताजियादारों का मजमा गैर-कानूनी (Unlawful) घोषित करना पड़ा और उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की चेतावनी देनी पड़ी। चार व्यक्ति घटनास्थल पर गिरफ्तार किये गये। उनमें से एक के पास एक गुप्ती बरामद हुई। मजमा गैर-कानूनी घोषित किये जाने के पश्चात् लोगों ने खिसकना प्रारम्भ किया और जो बाकी रह गये थे वे ताजिये उठा कर करबला को चल दिये। १० बजे रात्रि के कुछ देर बाद रेल का रास्ता साफ हो गया।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'फ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १३३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२४ पर)

ईस्टर्न यू०पी० इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड, गाजीपुर में विद्युत् की विक्रय दर निम्नलिखित है :

१—घरेलू एवं सामान्य कार्य	दर प्रति यूनिट	
	समग्र	छूट
(अ) १ प्रकाश एवं पंखे	५६ न० पै०	६ न० पै०
न्यूनतम शुल्क कनेक्टेड लोड के लिये		
०.५ कि० वाट० तक		२ रु० प्रतिमास
०.५ कि० वाट० से अधिक एवं १ कि० वाट० तक ..		३ रु० प्रतिमास
१ कि० वाट० से अधिक के लिये		५ रु० प्रतिमास
(२) सड़क की पटरियों पर बनी दूकानों के लिये कान्ट्रेक्ट दर ४० वाट की बत्ती के लिये		२ रु० प्रति मास
(ब) हीटिंग एम्पलायन्सेस, रेफरीजेटर्स, एवं दूसरे नाम औद्योगिक एपरेटस	४० न० पै०	६ न० पै०
२—औद्योगिक कार्यों के लिये विद्युत् शक्ति ..		२५ न० पै०

न्यूनतम शुल्क ५ रु० प्रतिमास एवं २ साल के लिये गारंटी

लाइसेन्सी के साथ हुए एग्रीमेंट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा लाइसेन्सी को १-१-५८ से निम्नांकित दरों पर बिजली दी जाती है ।

१—प्रकाश एवं पंखा ..	२१.८७५ न० पै० प्रति यूनिट
२—सिनेमा प्रोजेक्टर्स एवं ड्राइविंग एपरेटस	१८.०७५ न० पै० प्रति यूनिट
३—घरेलू शक्ति	१५.६२५ न० पै० प्रति यूनिट
४—औद्योगिक शक्ति	१५.६२५ न० पै० प्रति यूनिट
५—बैटरी चार्जिंग	१५.६२५ न० पै० प्रति यूनिट
६—जल कल ..	१५.६२५ न० पै० प्रति यूनिट
७—नगरपालिका की सार्वजनिक बत्ती	२१.८७५ न० पै० प्रति यूनिट

८—विद्युत् शक्ति की क्षति (Line Losses) औसत दर जो प्रति मास निकाली जायगी ।

अविभाजित सभा

नत्थी 'ब'

(देखिये ताराँकित प्रश्न १६४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२८ पर)

बलरामपुर राज इलेक्ट्रिक सप्लाई कं० लि०, बलरामपुर द्वारा उपभोक्ताओं से ली जाने वाली प्रति यूनिट दरें

	दर प्रति यूनिट
(१) बिजली और पंखा	४७ न० पै० छूट ६ न० पै०
(२) बैटरी चार्जिग, स्माल मोटर्स इत्यादि	२२ न० पै० ,, ३ न० पै०
(१) व (२) पर न्यूनतम शुल्क :	
(क) ०.५ के० डब्लू० तक	रु० २.३० प्रतिमास
(ख) ०.५ के० डब्लू० से ऊपर	रु० ३.४५ प्रतिमास
(३) दूकानों की बत्तियों के लिये फिक्सड स्केल :	
(क) २५ वाट के बल्ब के लिये ..	रु० २.३० प्रति मास प्रति बल्ब
(ख) ४० वाट के बल्ब के लिये	रु० ३.४५ ,, ,, ,, ,,
(४) सिनेमा मशीन	२८ न० पै० छूट ६ न० पै०
न्यूनतम शुल्क	रु० ५.७५ प्रति मास ।
(५) पावर (क) १ बी० एच० पी० मोटर से अधिक	१४ न० पै०
(ख) १ बी० एच० पी० मोटर से कम	१२ न० पै०
न्यूनतम शुल्क	रु० ५.७५ प्रति मास प्रति बी० एच० पी० (केवल दो वर्ष के लिये)

नोट:— अगर समय के भीतर भुगतान न हुआ तो १९ न० पै० प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज लिया जायगा ।

(६) अगर किसी उपभोक्ता को ३० के० डब्लू० (H. T.) से अधिक बिजली की आवश्यकता हो तो उसको रियायती दरों (special rates) पर बिजली दी जायगी ।

नत्थी भ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८१–१८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३० पर)

योजनाओं की सूची

कार्यान्वित की जा रही योजनायें :—

१—सीमान्त ऊन योजना

२—ट्यूशनल क्लास योजना

३—प्रसार ऊन योजना

४—जल चर्खा तथा कार्डिंग—फिनिशिंग सेंटर

५—ऊन यूटीलाईजेशन केन्द्र

६—सचल रंगाई केन्द्र

७—सिलाई तथा होजरी सेन्टर

८—कारपेन्टरी सेन्टर

९—रिंगाल यूटीलाइजेशन केन्द्र

१०—कारपेट, शाल तथा इम्ब्रायडरी सटर

११—ऋण तथा अनुदान योजना

कार्यान्वित की जाने वाली योजनायें

१—ग्रामीण उद्योग संस्थापन (Rural Industrial Estate)

२—कृषि क्षेत्र, कृषि यंत्र और लघु उद्योग सेवा केन्द्र

(Service Centres for farm and agriculture, Instruments and metal Industries).

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'म'

(देखिये तारांकित प्रश्न १९५–१९६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर)

मई तथा जून, १९६२ में मंत्रियों द्वारा की गई नैनीताल की यात्रा का विवरण

क्रम-संख्या	नाम व पद	यात्रा की तिथि	सरकारी कार द्वारा व्यय	रेलवे रिक्वीजीशन द्वारा व्यय	कुल व्यय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
			रु० न० पै०	रु० न० पै०	रु० न० पै०	
१	श्री चन्द्र भानु गुप्त, मुख्य मंत्री	७ व २० मई और ९ जून, १९६२	..	..	..	ये यात्रायें विकास एवं उद्योग सम्मेलन, अखिल भारतीय वैद्य अधिवेशन आदि में सम्मिलित होने हेतु हिन्द फ्लाइंग क्लब के हवाई जहाज द्वारा की गई। इसका कोई किराया नहीं दिया जाता है। कार द्वारा किये गये कार्यों के लिये अभी बिल प्राप्त नहीं हुये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२	श्री विचित्रनारायण शर्मा, स्वशासन मंत्री	२९-४-६२ से १-५-६२	२२०.९८	..	२२०.९८	मंत्री जी लखनऊ से पहले मेरठ गये थे वहां से नैनीताल गये और ननीताल से लखनऊ लौटे । इस पूरी यात्रा में २२०.९८ न० पै० व्यय हुआ । ननीताल जाने आने का व्यय इसमें शामिल है ।
३	श्री चरणसिंह, कृषि मंत्री	११ व १२ जून और १९ जून, १९६२		..	..	इस यात्रा पर राज्य कोष से कुछ भी व्यय नहीं हुआ । मंत्री जी ने स्वयं इसे वहन किया ।
४	आचार्य जुगलकिशोर, शिक्षा मंत्री	८ जून, १९६२	१४२.२५	५३.००	१९५.२५	.. ..
५	श्री राममूर्ति, सिंचाई मंत्री	२५-५-६२ से २७-५-६२ तक	..	४९.४६ ३२.२०	८१.६६	सिंचाई मंत्री ने इस दौरे में इस्टेट डिपार्डमेंट तथा सिंचाई विभाग की कार इस्तेमाल की जिसके लिये कोई व्यय सचिवालय प्रशासन विभाग (लेखा) द्वारा नहीं लिया गया ।
६	श्री अली जहीर, न्याय मंत्री	९-६-६२ से २-७-६२ तक	..	११९.१४	११९.१४	कार द्वारा की गई यात्राओं के व्यय के बिल अभी प्राप्त नहीं हुये हैं ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम व पद	यात्रा की तिथि	सरकारी कार द्वारा व्यय	रेलवे रिक्वीजीशन द्वारा व्यय	कुल व्यय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७
७	श्री मुजफ्फर हसन, परिवहन मंत्री	७–५–६२ से १२–५–६२ तक १३–६–६२ से २४–६–६२ तक	..	११०.१७ ३७.८४ १०४.१५ ११९.१४	३७१.३०	काठगोदाम से नैनीताल व नैनीताल से जो स्थानीय यात्रा की वह परिवहन विभाग की टैक्सी द्वारा हुई जिसका कोई बिल अभी नहीं आया ।
८	श्री महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, स्वास्थ्य मंत्री	१६ व १७ जून, १९६२	..	६७.५८ ६७.५८	१३५.१६	रेल रिक्वीजीशन द्वारा हुए व्यय के आधार पर व्यय दिखाया गया है । कार से की गई यात्रा के बिल अभी नहीं आये हैं ।
९	श्री अलगूराय शास्त्री, वन मंत्री	२१–५–६२ से २७–५–६२तक १२–६–६२ से २३–६–६२ तक	..	९७.१८ १०७.८७ ९७.१८ ५०.६०	३५२.८३	,, उपरोक्त ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१०	श्री फूलसिंह ग्रामोद्योग मंत्री	१३-६-६२	..	८४.८७ ८४.८७	१६९.७४	„ उपरोक्त „
११	श्री बनारसीदास, सूचना मंत्री	१७ से २८ जून, १९६२	..	४३.२४ ४३.२४	८६.४८	सूचना मंत्री ने इस दौरे में कार इस्तेमाल की जिसके लिये व्यय के बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।
१२	डाक्टर सीताराम, आबकारी मंत्री	१३ जून से १९ जून, १९६२	..	८८.०० ८८.००	१७६.००	रेल रिक्वीजीशन द्वारा हुये व्यय के आधार पर व्यय दिखाया गया है। कार से की गई यात्रा के बिल अभी नहीं आये हैं।
१३	श्री दाऊ दयाल खन्ना, गन्ना विकास मंत्री	४ जून, १९६२	..	३४.२७	३४.२७	मंत्री जी नैनीताल से ३० जून, १९६२ को कार द्वारा मुरादाबाद गये। इस यात्रा पर जो व्यय हुआ उसके बिल अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।
१४	श्री गोविन्द सहाय, कारागार मंत्री	६-६-६२ से १८-६-६२ तक	१६८.७५	३९.३८	२०८.१३	.. ..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'य'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४७१ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र (१९६१) के ५ वें गुरुवार (१६-३-६१) के लिये निर्धारित श्री टीका राम द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८८ के उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
*८८—क्या यह सही है कि ग्राम गुलरिया तहसील बदायूं की आबादी ५ हजार से अधिक है और उसके चारों तरफ सात मील तक अस्पताल नहीं है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार वहाँ पर अस्पताल की इमारत बनवायेगी ?	जी हाँ । वहाँ पर अस्पताल की इमारत बनवाने पर विचार किया जायेगा ।

विधान सभा सचिवालय

पी० एच० ए० पी० ए० पी०—१५१ एल० ए०—१९६२—४४५ ।